सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2013 की संख्या 2
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के
सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

प्राक्कथन iii

कार्यकारी सार v

अध्याय 1 **केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन**

1.1 प्रस्तावना 1

1.2 सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में निवेश 3

1.3 सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश पर प्रतिफल 9

1.4 घाटे वाली सीपीएसईज़ 15

1.5 सरकारी कम्पनियों की प्रचालन दक्षता 18

अध्याय 2 **सीएजी की निरीक्षण भूमिका**

2.1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा 21

2.2 सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति 21

2.3 सीपीएसईज़ के लेखाओं का बकाया 23

2.4 सीएजी का निरीक्षण-लेखाओं की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा 26

2.5 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम 28

2.6 लेखांकन मानकों से विचलन 47

2.7 प्रबंधन पत्र 49

2.8 सांविधिक लेखापरीक्षकों की महत्वपूर्ण आपत्तियां 50

2.9 सीएजी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष 61

2.10 वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण 77

अध्याय 3 **निगमित अभिशासन**

3.1 प्रस्तावना 79

3.2 निदेशक मंडल 81

3.3 लेखापरीक्षा समिति 87

	3.4	बोर्ड के सभी सदस्यों हेतु आचार संहिता	93
	3.5	सचिवीय लेखापरीक्षा	94
	3.6	निष्कर्ष	94
	3.7	सिफारिशें	95
अध्याय 4	**भारतीय लेखांकन मानकों का आईएफआरएस के साथ सम्मिलन**		
	4.1	प्रस्तावना	97
	4.2	भारत में सम्मिलन प्रक्रिया	97
	4.3	इन्ड-एएस को लागू करने की स्थिति	99
अध्याय 5	**डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन**		
	5.1	प्रस्तावना	101
	5.2	डीपीई के दिशानिर्देशों का अननुपालन	101
	5.3	अननुपालन पर "की गई कार्यवाही" की स्थिति	102
	5.4	डीपीई की निरीक्षक भूमिका	105
	5.5	उद्योग पर स्थायी संसदीय समिति के निदेश	105
	5.6	सिफारिशें	106
अध्याय 6	**निगमित सामाजिक दायित्व**		
	6.1	प्रस्तावना	107
	6.2	सीएसआर पर डीपीई के नये दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं	107
	6.3	सीएसआर कार्य-कलापों का मॉनीटरिंग तन्त्र	108
	6.4	2011-12 के दौरान सीपीएसईज़ द्वारा सीएसआर बजट/व्यय में कमी	108
	6.5	सीएसआर पर डीपीई के दिशानिर्देशों में अप्रैल 2013 से परिवर्तन	110
अध्याय 7	**सीपीएसईज द्वारा अधिशेष रोकड़ का प्रबन्धन**		
	7.1	प्रस्तावना	113
	7.2	लाभांश भुगतान और बोनस शेयर	116
	7.3	सीपीएसईज द्वारा नकदी उपयोग करने की योजनाएं	123
	7.4	निवेश नीति	127
	7.5	बोर्ड द्वारा अभिशासन और मंत्रालय द्वारा निरीक्षण	131
	7.6	निष्कर्ष	132
	7.7	सिफारिशें	133
परिशिष्ट			135

प्राक्कथन

सरकारी कम्पनियों (मानी गयी सरकारी कम्पनियों सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के उपबन्धों के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) उन लेखाओं को प्रमाणित करते हैं जिनकी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियां देता है अथवा उसके द्वारा एक पूरक रिपोर्ट जारी की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उस विधि के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों को दिशानिर्देश जारी करने की शक्ति देता है जिसमें कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा की जाएगी।

2. पांच निगमों अर्थात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और दामोदर घाटी निगम के सम्बन्ध में सुसंगत संविधियों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उनका एकमात्र लेखापरीक्षक है। एक निगम अर्थात केन्द्रीय भाण्डागारण निगम के सम्बन्ध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को निगम को शासित करने वाली सम्बन्धित संविधि के अधीन नियुक्त किए गए सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के बाद अनुपूरक अथवा नमूना लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

3. मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी कम्पनी अथवा निगम के लेखाओं के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, 1984 में यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के अन्तर्गत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए गए हैं।

4. इस प्रतिवेदन में समीक्षित सीपीएसईज़ के लेखाओं में 2009-10, 2010-11 और 2011-12 (जो प्राप्त हुए हैं) के लेखे शामिल हैं। सीपीएसईज़ के संबंध में जहां किसी विशेष वर्ष के लेखे 31 दिसम्बर 2012 से पहले प्राप्त नहीं हुए थे, वहां पिछले लेखापरीक्षित लेखाओं के आंकड़े अपनाए गए हैं।

5. कुछ सीपीएसईज़ के सम्बन्ध में पूर्व वर्ष के आंकड़े लेखापरीक्षित/संशोधित आंकड़ों द्वारा अनन्तिम आंकड़ों के प्रतिस्थापन के कारण लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12 की संख्या 2 में दर्शाए गए तदनुरूपी आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।

6. इस प्रतिवेदन में "सरकारी कम्पनियों/निगमों या सीपीएसईज़" के सभी प्रसंग "केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों/निगमों" के प्रसंग में माने जाएं जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा सुझाव न दिया जाए।

कार्यकारी सार

I. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

31 मार्च 2012 तक, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 481 केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज़) थे। इनमें 338 सरकारी कम्पनियां, 137 मानी गई सरकारी कम्पनियां तथा छः सांवधिक निगम शामिल थे। यह प्रतिवेदन 422 सीपीएसईज़ को डील करता है जिनमें 297 सरकारी कम्पनियां, छः सांविधिक निगम तथा 119 मानी गई सरकारी कम्पनियां शामिल हैं। 59 कम्पनियां इस रिपोर्ट में शामिल नहीं है। इनमें से 40 सीपीएसईज समाप्त/समापनाधीन थे, पाँच सीपीएसईज के लेखे तीन वर्ष या अधिक से बकाया में थे, 10 सीपीएसईज के पहले लेखे देय नहीं थे और चार सीपीएसईज के पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।

[पैरा 1.1.3]

सरकारी निवेश

303 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के लेखे दर्शाते थे कि भारत सरकार ने सरकारी कम्पनियों तथा निगमों की इक्विटी पूंजी में ₹ 2,04,417 करोड़ सीधे निवेश किए थे। 31 मार्च 2012 को सीपीएसईज़ द्वारा ₹ 61,410 करोड़ की राशि के कर्ज़ भी सीधे भारत सरकार से प्राप्त किए गए थे। पिछले वर्ष की तुलना में, सीपीएसईज़ की इक्विटी में भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निवेश में ₹ 14,422 करोड़ की निवल वृद्धि हुई और उन्हें दिए गए कर्ज़ ₹ 886 करोड़ तक बढ़ गए। भारत सरकार ने दो सीपीएसईज़ में अपने शेयरों (अंकित मूल्य ₹ 268 करोड़) के विनिवेश से ₹ 13,894 करोड़ वसूल किए।

[पैरा 1.2 और 1.2.1]

बाज़ार पूंजीकरण

40 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के शेयरों, जिनकी 31 मार्च 2012 को स्टॉक मॉर्किट में प्रचलित मूल्यों के अनुसार ट्रेडिंग की गई थी, का बाज़ार मूल्य ₹ 12,40,923 करोड़ था। 31 मार्च 2012 को भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाज़ार मूल्य ₹ 9,81,956 करोड़ था।

[पैरा 1.2.4]

निवेश पर प्रतिफल

303 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में से, जहां इस प्रतिवेदन में आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, 191 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने वर्ष के दौरान लाभ कमाया तथा 96 सरकारी कम्पनियों और निगमों ने हानि उठाई। शेष 16 कम्पनियां प्रचालन में नहीं थी। 191 सरकारी कम्पनियों और

निगमों द्वारा अर्जित कुल लाभ ₹ 1,27,021 करोड़ था जिसमें से 67 प्रतिशत (₹ 85,428 करोड़) लाभ तीन क्षेत्रों अर्थात पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, विद्युत तथा कोयला एवं लिग्नाईट के अन्तर्गत 44 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों का था।

[पैरा 1.3 एवं 1.4]

लाभ कमाने वाली 191 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में से, 112 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने वर्ष 2011-2012 के लिए ₹ 42,671 करोड़ का लाभांश घोषित किया। इसमें से ₹ 27,644 करोड़ का भारत सरकार को भुगतान किया गया था/किया जाना था। भारत सरकार को दिया गया लाभांश सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में भारत सरकार के कुल निवेश (₹ 2,04,417 करोड़) पर प्रतिफल 13.52 प्रतिशत था।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों, जो आंशिक रूप से संचालित/नियंत्रित मूल्यों के अन्तर्गत प्रचालन कर रहे थे, ने ₹ 12,989 करोड़ का अंशदान दिया जो सभी सरकारी कम्पनियों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 30 प्रतिशत था।

43 कम्पनियों द्वारा लाभांश की घोषणा में सरकारी निदेशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 के लिए लाभांश के भुगतान में ₹ 8,506 करोड़ की कमी हुई।

[पैरा 1.3.2]

निवल सम्पत्ति/संचित हानि

303 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में से, 60 कम्पनियों में इक्विटी निवेश उनकी संचित हानियों द्वारा पूर्णतः समाप्त हो गया था। परिणामतः इन कम्पनियों की सकल निवल सम्पत्ति 31 मार्च 2012 को ₹ 70,946 करोड़ की सीमा तक ऋणात्मक हो गई थी। यद्यपि 60 कम्पनियों में से मात्र 10 कम्पनियों ने 2011-12 के दौरान ₹ 1,981 करोड़ का लाभ कमाया।

[पैरा 1.4.1]

II. सीएजी की पर्यवेक्षण भूमिका

छः सांविधिक निगमों सहित 481 सीपीएसईज़ में से, पांच सांविधिक निगमों तथा 106 मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित 376 सीपीएसईज़ में समय (अर्थात 30 सितम्बर 2012 तक) से वर्ष 2011-2012 के वार्षिक लेखे प्राप्त हुए थे। इनमें से पांच सांविधिक निगमों सहित 258 सीपीएसईज़ के लेखाओं की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

[पैरा 2.3.2, 2.3.3 एवं 2.5.2]

वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, सीएजी ने आम सहमति के आधार पर सीपीएसईज़ के लेखाओं की त्रि-चरण लेखापरीक्षा प्रणाली शुरू की। इसके कारण उनकी वित्तीय विवरणियों की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। वर्ष 2011-2012 के लिए 58 सीपीएसईज़ में त्रि-पक्षीय लेखापरीक्षा का निवल प्रभाव, लाभकारिता पर ₹ 7,357.90 करोड़ तथा परिसम्पत्तियों/देयताओं पर ₹ 8,291.03 करोड़ था।

[पैरा 2.5.1]

लेखाओं का संशोधन

सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, सात कम्पनियों ने अपने वर्ष 2011-2012 के लेखे संशोधित किए। इन कम्पनियों की वित्तीय विवरणियों पर संशोधन का प्रभाव ₹ 93.52 करोड़ की सीमा तक था। इसके अतिरिक्त, 10 सरकारी कम्पनियों (दो सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों सहित) और दो मानी गई सरकारी कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर अपनी रिपोर्टें संशोधित कीं।

[पैरा 2.5.2]

लेखाओं पर सीएजी की टिप्पणियों का प्रभाव

सांविधिक निगमों के मामले में जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, वहाँ ₹ 9,316.69 करोड़ की त्रुटियों का संशोधन सीएजी की लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर किया गया था। सीएजी द्वारा ₹ 1,851.17 करोड़ की कई अन्य लेखांकन त्रुटियां भी इंगित की गई थी।

[पैरा 2.5.3]

लेखाकरण मानकों से विचलन

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लेखाकरण मानकों के प्रावधानों से विचलन सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 50 कम्पनियों में देखे गए थे। सीएजी ने भी छः अन्य कम्पनियों में ऐसे विचलनों का भी उल्लेख किया।

[पैरा 2.6]

प्रबंधन पत्र

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं और कमियों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए "प्रबन्धन पत्र " के माध्यम से 105 सीपीएसईज के प्रबन्धन को सूचित किया गया था।

[पैरा 2.7]

सांविधिक लेखापरीक्षकों की अभ्युक्तियां

सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों ने एक सांविधिक निगम तथा 44 कम्पनियाँ जिनमें सात सूचीबद्ध कम्पनियां थीं, के संबंध में अपनी रिपोर्टों में महत्वपूर्ण कमियां बताईं।

[पैरा 2.8]

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(क) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षकों ने विभिन्न कम्पनियों में स्थायी परिसम्पत्तियों, आन्तरिक पद्धति तथा प्रचालनात्मक दक्षता, निवेश, मालसूची, आन्तरिक लेखापरीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी नीतियों, धोखेबाजी एवं जोखिम तथा सतर्कता के संबंध में आन्तरिक नियंत्रण साधनों की कमी सहित वित्तीय नियंत्रणों तथा प्रक्रियाओं से संबंधित विसंगतियाँ सूचित कीं।

[पैरा 2.9 एवं 2.10]

III. निगमित अभिशासन

यद्यपि निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश अनिवार्य हैं, तथापि कुछ सीपीएसईज़ द्वारा उनका पालन नहीं किया जा रहा। निर्धारित दिशानिर्देशों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण विचलन देखे गए थेः

- कुछ सीपीएसईज़ में स्वतंत्र निदेशकों के अभ्यावेदन पर्याप्त नहीं थे। 21 कम्पनियों में बोर्ड में कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था। 13 कम्पनियों में स्वतन्त्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी।

[पैरा 3.2.2]

- 19 कम्पनियों में कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं थी। 11 कम्पनियों में लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे। 8 कम्पनियों में लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

[पैरा 3.3.1, 3.3.2 एवं 3.3.3]

- 8 कम्पनियों में कोई व्हिसल ब्लोअर तंत्र नहीं था।

[पैरा 3.3.10]

- 9 कम्पनियों में लेखापरीक्षा समिति द्वारा बोर्ड को नियमित सूचित करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

[पैरा 3.3.13]

IV. आईएफआरएस के साथ भारतीय लेखांकन मानदण्डों का सम्मिलन

मार्च 2010 में, कारपोरेट मंत्रालय (एमसीए) ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के प्रारम्भ में तीन चरणों में लागू किए जाने वाले आईएफआरएस (इंड एस) के साथ भारतीय लेखांकन मानकों के परिवर्तन के लिए रोड मैप की अधिसूचना की। तथापि, रोड मैप को लागू नहीं किया गया है।

[पैरा 4.2.2]

संशोधित अनुसूची VI की अधिसूचना मार्च 2011 में की गई थी और नया कम्पनी बिल जो वर्तामान रूप से संसद द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया में है, में इन्ड-एस के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित सुसंगत प्रावधान/खण्ड शामिल हैं।

[पैरा 4.2.4]

तथापि, एमसीए ने फरवरी 2011 में 35 सम्मिलन लेखांकन मानदण्डों (ईन्ड-एस) की अधिसूचना की फिर भी ईन्ड-एस के कार्यान्वयन की तारीख को अभी अधिसूचित किया जाना था।

[पैरा 4.3.1]

व्यावसायिक विशेषज्ञ और आईटी अनुप्रयोगों की शर्तों में पर्याप्त अवसंरचना सम्मिलन के प्रति सुगम परिर्वतन के लिए आवश्यक है। पणधारी ईन्ड-एस के प्रति तब तक अपने प्रारम्भिक प्रयासों में विलम्ब कर सकता है जब तक कि एक संशोधित रोड़ मैड की अधिसूचना नहीं कर दी जाती।

[पैरा 4.3.5]

V. सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देशों का अनुपालन

डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन करने हेतु सीपीएसईज को मॉनीटर करने के तन्त्र को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीपीएसईज में निरन्तर अननुपालन के परिणामस्वरूप अनियमित भुगतान और लेखापरीक्षा पैराओं पर सुधारात्मक कार्रवाई सन्तोषजनक नहीं थी।

डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लघंन के परिणामस्वरूप 27 मामलों में ₹ 946.60 करोड़ के पर्याप्त अनियमित भुगतान हुए जैसाकि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं.3 में बताया गया है। वास्तव में ये अनियमितताएं मात्र नमूना जाँच के परिणामस्वरूप ध्यान में आई थी और ऐसे अनियमित भुगताओं के और अधिक मामले हो सकते हैं।

27 मामलों में से 13 मामलों में अनियमितताएँ बन्द हो गई थीं। 6 मामलों में अनियमितताएं अभी जारी थीं। रेल मंत्रालय के अन्तर्गत छः सीपीएसईज सहित 8 मामलों में सूचना आसानी से उपलब्ध नहीं थी। मामलों में ₹ 167.40 करोड़ के पुनः अनियमित भुगतान हुए थे इसमें एक ऐसा मामला शामिल था जहाँ अनियमितता को विलम्बित रूप से बन्द कर दिया गया था।

[पैरा 5.2]

सीपीएसईज़ द्वारा उसके अपने दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में डीपीई की भूमिका प्रभावी नहीं थी क्योंकि

- डीपीई ने ऐसा कोई डॉटाबेस नहीं बनाया था कि कौन से सीपीएसईज़ के बोर्डों ने उसके दिशानिर्देशों का अपनाया था;
- डीपीई के पास उसके सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था;
- डीपीई ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनियमित भुगतानों की वसूली के लिए सीपीएसईज़ को नहीं लिखा।

[पैरा 5.4]

डीपीई को उसके सभी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सांस्थानिक प्रबन्ध की व्यवस्था करनी चाहिए और लेखापरीक्षा में बताए गए अनियमित भुगतानों की वसूली के लिए सीपीएसईज को निदेश जारी करने चाहिएं।

[पैरा 5.6]

VI. निगमित सामाजिक दायित्व

अप्रैल 2010 में, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने सीपीएसईज़ में सीएसआर के कार्यकलापों के अधिदेश तथा कार्यक्षेत्र का उल्लेख करते हुए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए दिशानिर्देश जारी किए। वर्ष 2011-12 के दौरान, सीपीएसईज़ द्वारा सीएसआर बजट/व्यय की समीक्षा ₹ 10 करोड़ से अधिक के लाभ सहित 110 सीपीएसईज के संबंध में की गई थी।

[पैरा 6.2]

110 सीपीएसईज़ में से 47 सीपीएसईज़ ने न्यूनतम सीएसआर बजट/व्यय की शर्तों में डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया। अनुपालन ₹ 10 करोड़ और ₹ 500 करोड़ के मध्य लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसईज़ के मामले में सन्तोषजनक नहीं था चूँकि 71 सीपीएसईज़ में से 42 दिशानिर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहे। ₹ 500 करोड़ से अधिक के लाभ वाले 39 सीपीएसईज़ में से 5 सीपीएसईज ने न्यूनतम आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया।

[पैरा 6.4]

VII. सीपीएसईज द्वारा बेशी नगदी का प्रबन्धन

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज) ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। 31 मार्च 2011 को 406 सक्रिय सीपीएसईज के पास ₹ 3,11,371 करोड़ की राशि का नगद शेष था। नमूना के रूप में चयन किए गए 31 सीपीएसईज़ द्वारा बेशी नगदी के प्रबन्धन का अध्ययन लाभांश भुगतान, बोनस शेयरों के निर्गम, शेयरों के बाई बेक, निवेश पॉलिसी और कर्ज़ों के पुनर्भुगतान पर इन सीपीएसईज़ द्वारा डीपीई दिशानिदेशों का अनुपालन अभिनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा किया गया था। यह भी जाँच की गई थी कि क्या सीपीएसईज के पास बेशी नगदी का उपयोग करने के लिए पर्याप्त परियोजना योजनाएं हैं। निवेश की सुरक्षित अभिरक्षा और प्रत्यक्ष सत्यापन एवं कर्जों के पुनर्भुगतान पर सीपीएसईज़ द्वारा लिए गए निर्णय, म्युच्वल निधि और इक्विटी में निवेश की भी जाँच सुरक्षा, तरलता और लाभ प्रदता के मामलों के लिए की गई थी। नमूने के रूप में लेखापरीक्षा द्वारा चयनित इन 31 सीपीएईज के पास ₹ 78,064 करोड़ की प्रदत्त पूँजी सहित 31 मार्च 2012 को ₹ 1,75,332 करोड़ थे।

[पैरा 7.1, 7.1.2 एवं 7.1.5]

2007-08 से 2011-12 तक पाँच वर्षों के लिए 30 सीपीएसईज़ ने 34 से 38 प्रतिशत तक की रेन्ज में लाभांश पेआउट अनुपात सहित ₹ 1,28,410 करोड़ के कुल लाभांश की घोषणा की है। एनटीसी लिमिटेड जो हानि उठाने वाली कम्पनी थी को किसी लाभांश का भुगतान करना अपेक्षित नहीं था।

[पैरा 7.2.1]

लाभांश के भुगतान पर डीपीई दिशानिर्देशों में बताया गया कि सभी लाभ उठाने वाले सीपीएसईज़ को लाभांश का भुगतान करना चाहिए "जो पीएटी अथवा ईक्विटी के 20 प्रतिशत से उच्चतर है।" ऑयल एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनियों के मामलों में लाभांश पेआउट आवश्यकता पीएटी के 30 प्रतिशत अथवा इक्विटी के 20 प्रतिशत जो उच्चतर था, थी। इसने असामान्य स्थिति का सृजन किया जब पीएटी इक्विटी के 20 अथवा 30 प्रतिशत से कम है जैसाकि 2010-11 में एनएचडीसी लिमिटेड के मामले में घटित हुआ।

[पैरा 7.2.1]

15 सीपीएसईज जिनके आरक्षित इसकी प्रदत्त पूँजी की अपेक्षा तीन गुणा हैं ने बोनस शेयरों के मामले पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया। इन 15 सीपीएसईज में से 5 सीपीएसईज को 2007-12 के दौरान बोनस शेयरों के मामले पर उनके प्रशासनिक मंत्रालय से कोई अनुदेश प्राप्त नहीं हुए।

[पैरा 7.2.2]

28 सीपीएसईज़ के पास 2012-17 की अवधि के दौरान विस्तार और विविधता के लिए नियोजित परियोजनाएं हैं।

[पैरा 7.3]

3 सीपीएसईज़ नामतः एन्ट्रीक्स कारपोरेशन लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड और दी शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड ने कोई पूँजीगत परिव्यय योजनाएं नहीं तैयार कीं।

[पैरा 7.3]

सभी 31 सीपीएसईज़ ने सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में उनकी निधियों के कम से कम 60% निवेश किया था

[पैरा 7.4.3]

अध्याय 1

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का वित्तीय निष्पादन

1.1 प्रस्तावना

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और मानी गई सरकारी कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत किए गए हैं। शब्द केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में कम्पनी के अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत गठित सरकारी स्वामित्व कम्पनियाँ और संसद की संविधियों के अन्तर्गत गठित सांविधिक निगम सम्मिलित हैं जिनकी लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) को सौंपी गई है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में एक **सरकारी कम्पनी** की परिभाषा ऐसी कम्पनी के रूप में दी गयी है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों, आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो इस प्रकार से परिभाषित कम्पनी की सहायक हो। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 बी के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियां भी इस प्रतिवेदन में **मानी गई सरकारी कम्पनियों** के रूप में संदर्भित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार संसद के विशेष नियमों के अधीन निगमों की स्थापना करती है जिन्हें **सांविधिक निगमों** के रूप में संदर्भित किया गया है।

सरकारी कम्पनियां

जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों, आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो और इसमें वह कम्पनी भी शामिल है जो इस प्रकार से परिभाषित कम्पनी की सहायक हो।

1.1.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और मानी गई सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों तथा उनके अधीन बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सीएजी कम्पनियों के लिए लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकार (सांविधिक लेखापरीक्षक) की नियुक्त करता है और अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के अतिरिक्त वे निर्देश देता है जिनके अनुसार लेखापरीक्षा की जाती है। कुछ सांविधिक निगमों को अधिशासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की अपेक्षा की गई है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को अधिशासित करने वाले अधिनियमों में वे प्रावधान निहित हैं जिनके द्वारा केन्द्र

सरकार इन निगमों के लेखाओं की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए किसी भी समय सीएजी को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। 2011-2012 के दौरान ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

1.1.2 इस प्रतिवेदन में क्या है

इस प्रतिवेदन में सरकारी कम्पनियों और निगमों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता तथा कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं से प्रकट उनके निष्पादन के मूल्यांकन की समग्र स्थिति को दर्शाया गया है। लेखाओं के संशोधन तथा वर्ष 2011-12 (अथवा पिछले वर्षों जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया गया हो) के लिए सीएजी द्वारा की गई केन्द्र सरकारी कम्पनियों की वित्तीय विवरणियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों, तथा सीपीएसईज़ की वित्तीय विवरणियों का प्रमाणीकरण करते समय सांविधिक लेखापरीक्षा द्वारा सूचित महत्वपूर्ण निष्कर्षों का प्रभाव इस प्रतिवेदन में दिया गया है। जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है, वहां इस प्रतिवेदन में सांविधिक निगमों की वित्तीय विवरणियों पर सीएजी द्वारा जारी टिप्पणियों का प्रभाव भी निहित है। इसके अतिरिक्त, इस प्रतिवेदन में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (क) अन्तर्गत सीएजी द्वारा उन्हें जारी निदेशों के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का सार भी दिया गया है।

प्रतिवेदन में कारपोरेट अभिशासन, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व आदि पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सीपीएसईज़ द्वारा पालन का भी वर्णन किया गया है।

1.1.3 सीपीएसईज़ और मानी गई सरकारी कम्पनियों की संख्या

31 मार्च 2012 को, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 481 सीपीएसईज और मानी गई सरकारी कम्पनियाँ थी। इनमें 338 सरकारी कम्पनियां, 6 सांविधिक निगम और 137 मानी गई सरकारी कम्पनियां शामिल थी। इस प्रतिवेदन में समग्र कवरेज तथा इन सीपीएसईज़ का स्वरूप निम्निलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

- **सरकारी कम्पनियाँ 338**
- **मानी गई सरकारी कम्पनियां 137**
- **सांविधिक निगम 6**
- **कुल सीपीएसईज़ 481**

सीपीएसई का स्परूप	सीपीएसईज की कुल संख्या	प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसईज की संख्या				प्रतिवेदन में शामिल न की गई सीपीएसईज़ की संख्या
		नवीनतम आंकड़े 2011-12	पहले के आंकड़े		जोड़	
			2010-11	2009-10		
सरकारी कम्पनियां	338	278	16	3	297	41
सांविधिक निगम	6	6	-	-	6	-
कुल कम्पनियां/निगम	344	284	16	3	303	41
मानी गई सरकारी कम्पनियां	137	115	2	2	119	18
जोड़	**481**	**399**	**18**	**5**	**422**	**59**

नई/बन्द सरकारी कम्पनियों/मानी गई सरकारी कम्पनियों के विवरण **परिशिष्ट I** में दिए गए हैं।

तथापि, इस प्रतिवेदन में 59 कम्पनियों (18 मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित) जिनके लेखे तीन वर्षों या उससे अधिक के लिए बकाया में थे अथवा समाप्त/परिसमापन के अन्तर्गत थे अथवा पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे अथवा पहले लेखे देय नहीं थे, को शामिल नहीं किया गया है। इन कम्पनियों को दो सितारों (**) के द्वारा **परिशिष्ट II** में दर्शाया गया है।

सीपीएसईज़ का आशुचित्र
(सरकारी कम्पनियाँ और सांविधिक निगम)

सीपीएसईज़ की संख्या	344
इस अध्याय में शामिल सीपीएसईज़	303
प्रदत्त पूंजी (303 सीपीएसईज़)	₹ 2,53,519 करोड़
दीर्घकालिन कर्ज़े (303 सीपीएसईज़)	₹ 6,27,368 करोड़
बाज़ार पूंजीकरण (44 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां)	₹ 12,56,013 करोड़
निवल लाभ (191 सीपीएसईज़)	₹ 1,27,021 करोड़
निवल हानि (96 सीपीएसईज़)	₹ 30,307 करोड़
घोषित लाभांश (112 सीपीएसईज़)	₹ 42,671 करोड़
उत्पादन का मूल्य (303 सीपीएसईज़)	₹ 12,30,126 करोड़
कुल परिसम्पत्तियां (303 सीपीएसईज़)	₹ 26,54,439 करोड़
निवल धन (303 सीपीएसईज़)	₹ 9,74,437 करोड़

1.2 सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में निवेश

2011-12 के अंत में 303 सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में इक्विटी निवेश और कर्ज़ निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। कुछ सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने भी इन सीपीएसईज में निवेश किया था। विवरण नीचे दिये गये हैं:

(₹ करोड़ में)

स्त्रोत	31 मार्च 2012 को			31 मार्च 2011 को		
	इक्विटी	दीर्घ कालीन कर्ज़े	जोड़	इक्विटी	दीर्घ कालीन कर्ज़े	जोड़
1.केन्द्रीय सरकार	204417	61410	265827	189995	60524	250519
2.केन्द्रीय सरकार की कम्पनियां/निगम	17467	30430	47897	16040	29002	45042
3.राज्य सरकारें/राज्य सरकार की कम्पनियां/निगम	16370	4802	21172	13944	5773	19717
4.वित्तीय संस्थाएं/अन्य	15265	530726	545991	14752	446684	461436
जोड़	253519	627368	880887	234731	541983	776714
कुल के प्रति केन्द्रीय सरकार की प्रतिशतता	80.63	9.79	30.18	80.94	11.17	32.25

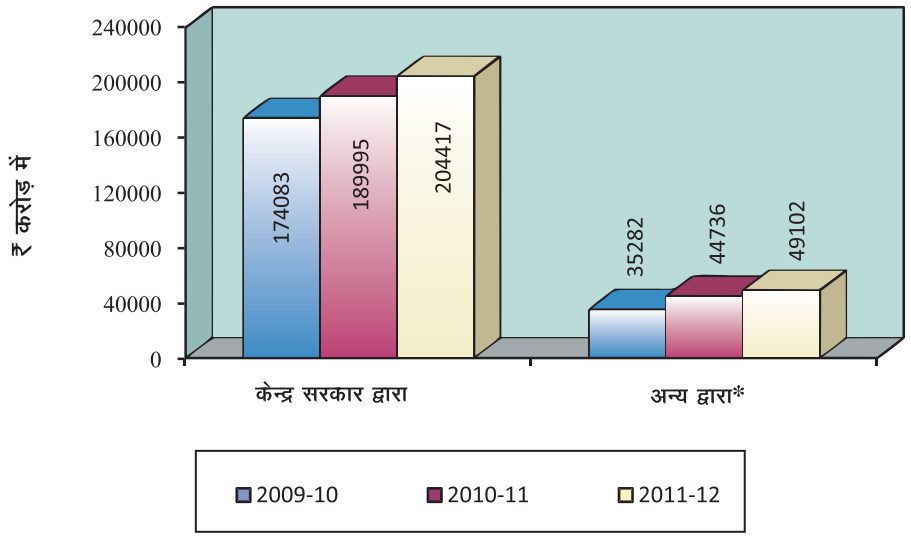
भारत सरकार, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों में धारित इक्विटी तथा दिए गए कर्ज़ों के मंत्रालय/विभाग वार विवरण **परिशिष्ट III** में दिए गए हैं।

1.2.1 इक्विटी निवेश

2011-12 के दौरान, इन सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के इक्विटी में निवेश ₹ 18,788 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज हुई। भारत सरकार ने सीपीएसईज़ के इक्विटी में 2011-12 में ₹ 14,842 करोड़ निवेश किए।

भारत सरकार ने सीपीएसईज़ के इक्विटी में 2011-12 में ₹ 14,842 करोड़ निवेश किए।

सरकारी कम्पनियों एवं निगमों में इक्विटी निवेश



सीपीएसईज़ की प्रदत्त पूंजी में 2011-12 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

सीपीएसईज का नाम	मंत्रालय का नाम	राशि (₹ करोड़ में)
सांविधिक निगम		
नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी आफ इण्डिया	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	9,590
सरकारी कम्पनियां		
भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	परमाणु ऊर्जा	875
दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड	शहरी विकास	759
बंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	शहरी विकास	601
अन्य		3,017
जोड		**14,842**

❖ वर्ष 2011-12 के दौरान नेशनल बिल्डिंगस कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) ने ₹ 30 करोड़ की राशि के पूर्णतः प्रदत्त बोनस शेयर जारी किए। भारत सरकार कम्पनी में इक्विटी के 100% धारक है। सरकार ने घरेलू बाजार में प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के माध्यम से इसके धारण में से एनबीसीसी की कुल प्रदत्त इक्विटी के 10% के विनिवेश का अनुमोदन किया। इसके कारण स्टॉक एक्सचेन्ज में एनबीसीसी ने अपने शेयरों का सूचीकरण किया।

❖ वर्ष 2011-12 के दौरान, भारत सरकार ने विनिवेश पर ₹ 40,000 करोड़ की बजटीय प्राप्ति के प्रति ₹ 13,894.05 करोड़ की उगाही की। विनिवेश कार्यवाहियाँ निम्नलिखित दो सीपीएसईज के संबंध में इसके शेयरों के माइनोरिटी शेयर होल्डिंग की बिक्री से थीं।

सीपीएसईज का नाम	विनिवेशित शेयरों की प्रतिशतता	शेयरों का अंकित मूल्य (₹ करोड में)	सरकार द्वारा उगाही की गई राशि (₹ करोड में)
ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड	4.91	210.21	12,749.50
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी)	5.00	57.39	1,144.55
जोड			**13,894.05**

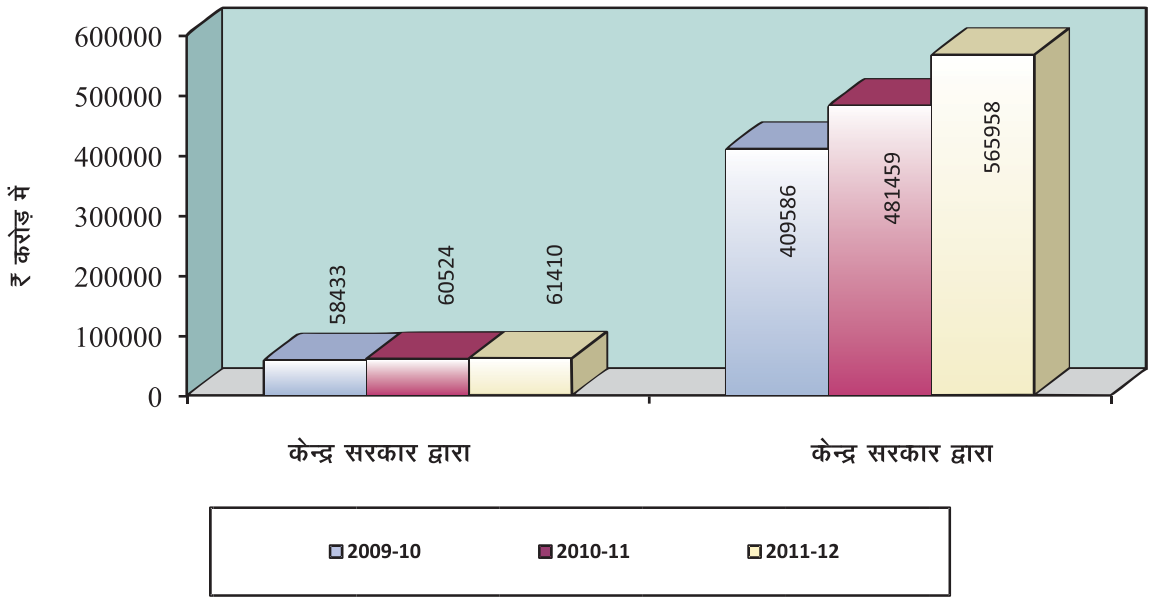
इसके अतिरिक्त ₹ 152.60 करोड़ अधिमान शेयरों के विमोचन के कारण प्राप्त हुए थे जैसा कि नीचे दिया गया है:

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम	राशि (₹ करोड में)
1	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	100.00
2	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	40.00
3	मेकॉन लिमिटेड	12.60
	जोड	**152.60**

1.2.2 सरकारी कम्पनियों और निगमों को दिए गए कर्ज़

2011-12 के दौरान सरकारी कम्पनियों और निगमों को दिए गए दीर्घकालीन कर्ज़ों ने ₹ 85,385 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की।

सरकारी कम्पनियों और निगमों को दिए गए दीर्घकालीन कर्ज़



❖ 31 मार्च 2012 को सभी स्त्रोतों से 303 कम्पनियों/निगमों में बकाया कुल दीर्घकालीन कर्ज़े ₹ 6,27,368 करोड़ के थे। 2011-12 के दौरान उनके दीर्घकालीन कर्ज़ों के प्रति कुल परिसम्पत्तियों की धनात्मक तथा ऋणात्मक कवरेज का विश्लेषण निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैः

	धनात्मक कवरेज				ऋणात्मक कवरेज			
	सीपीएसई की संख्या	दीर्घावधि कर्ज़	परिसम्पत्तियां	कर्जों के प्रति परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता	सीपीएसई की संख्या	दीर्घावधि कर्ज़	परिसम्पत्तियां	कर्जों के प्रति परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता
		₹ करोड़ मे				₹ करोड़ में		
सांविधिक निगम	4	39377	248393	630.81				
सूचीबद्ध कम्पनियां	32	359297	1233286	343.25	2	5405	676	12.51
असूचीबद्ध कम्पनिया	100	206661	589112	285.06	22	16627	1411	8.49
कुल	136	605335	2070791		24	22032	2087	

2 सूचीबद्ध कम्पनियों सहित 24 सीपीएसईज़ के उनकी कुल परिसम्पत्तियों की तुलना में अधिक कर्ज थे। वहाँ 143 सीपीएसई (2 सांविधिक निगम सहित) थीं जिनके ऊपर कोई दीर्घावधि कर्ज नहीं था।

❖ ब्याज कवरेज अनुपात का प्रयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक कम्पनी कितनी आसानी से बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान कर सकती है और इसकी गणना उसी अवधि के ब्याज के खर्चों को ब्याज एवं कर से पूर्व कम्पनी की आय (ईबीआईटी) से भाग करके की जाती है। जितना कम अनुपात होता है, उतना ही अधिक कम्पनी पर ऋण खर्च का भार होता है। 1 से नीचे ब्याज कवरेज अनुपात यह दर्शाता है कि ब्याज खर्च को पूरा करने के लिए कम्पनी पर्याप्त राजस्व का सृजन नहीं कर रही है। 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात के विवरण का सार नीचे दिया गया हैः

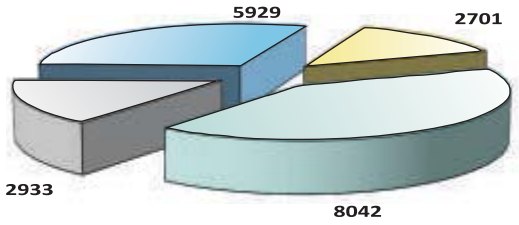
वर्ष	ब्याज	कर और ब्याज से पूर्व आय (ईबीआईटी)	पीएसईज़♣ की संख्या	1 से अधिक ब्याज कवर अनुपात वाले पीएसईज़ की सं.	1 से कम ब्याज कवर अनुपात वाले सीपीएसइज़ की सं.
	₹ करोड़ में				
सांविधिक निगम					
2009-10	2844	4357	4	3	1
2010-11	3813	5033	4	2	2
2011-12	6143	6586	4	2	2
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां					
2009-10	19292	118852	33	25	8
2010-11	24021	97756	32	26	6
2011-12	33098	98919	34	23	11
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां					
2009-10	12422	33767	125	56	69
2010-11	14047	30246	129	56	73
2011-12	15441	29925	122	49	73

यह देखा गया था कि एक से अधिक ब्याज कवरेज अनुपात वाली सीपीएसईज़ की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 2011-12 के दौरान घट गया था।

1.2.3 मानी गई सरकारी कम्पनियों में निवेश

केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों द्वारा तथा उनके द्वारा नियंत्रित कम्पनियों और निगमों द्वारा निवेशित पूंजी 119 मानी गई सरकारी कम्पनियों में निम्न प्रकार से थी।

मानी गई सरकारी कम्पनियों में शेयर पूंजी की रचना



वित्तीय संस्थाएं एवं बैंक - ₹ 5929 करोड़

अन्य-₹ 2933 करोड़

केन्द्र सरकार, केन्द्र सरकारी कम्पनियां एवं निगम-₹ 8042 करोड़

राज्य सरकार, राज्य सरकार कम्पनियां एवं निगम-₹ 2701 करोड़

♣ *उन सीपीएसईज़ को छोड़कर जिनका ब्याज पर कोई राजस्व व्यय नहीं है।*

31 मार्च 2012 को 119 मानी गई सरकारी कम्पनियों में इक्विटी ₹ 19,605 करोड़ थी । भारत सरकार, राज्य सरकारों, कम्पनियों तथा निगमों द्वारा अंशदान के विवरण ***परिशिष्ट IV*** में दिए गए हैं। इन कम्पनियों में इक्विटी ₹ 2,345 करोड़ बढ़ गई अर्थात 2010-11 में ₹ 17260 करोड़ से बढ़ कर 2011-12 में ₹ 19,605 करोड़ हो गई।

1.2.4 सरकारी कम्पनियों में इक्विटी निवेश का बाज़ार पूंजीकरण

बाज़ार पूंजीकरण पब्लिकली ट्रेडेड कम्पनी के बकाया शेयरों के बाज़ार मूल्य के आकार का माप है। 56 सरकारी कम्पनियों के शेयर भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए गए थे जिनमें 45 सरकारी कम्पनियां, सरकारी कम्पनियों की 5 सहायक कम्पनियां और 6 मानी गई सरकारी कम्पनियां शामिल हैं।

❖ 45 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के संबंध में, 2011-12 के दौरान 40 कम्पनियों के शेयरों में ट्रेडिंग* हुई थी। 31 मार्च 2012 को उनके इक्विटी शेयरों का कुल बाज़ार मूल्य ₹ 12,40,923 करोड़ था, जिनमें से, 31 मार्च 2012 को भारत सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाज़ार मूल्य ₹ 9,81,956 करोड़ था।

❖ 40 कम्पनियों में शेयरों का कुल बाज़ार मूल्य 31 मार्च 2011 की तुलना में 31 मार्च 2012 को ₹ 2,56,484 करोड़ (20.7 प्रतिशत) घट गया था। विवरण **परिशिष्ट V-क** में दर्शाए गए हैं। इस अवधि के दौरान, बीएसई सेंसेक्स 19,445,.22 (31.03.2011 को) से घटकर 17,404.20 (31.03.2012) हो गया, 10.5 प्रतिशत कम। सीपीएसई इंडेक्स 8,960.08 (31.03.2011 को) से घटकर 7,311.47 (31.03.2012 को) हो गया जो 18.4 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

❖ 31 मार्च 2012 को अधिकतम बाज़ार पूंजीकरण वाली 10 टॉप पीएसईज़ नीचे दर्शाई गई हैं:

क्र.सं.	पीएसई का नाम	बाज़ार पूंजीकरण (₹ करोड़ में)
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	2,28,688
2	कोल इण्डिया लिमिटेड	2,16,714
3	एनटीपीसी लिमिटेड	1,34,154
4	एमएमटीसी लिमिटेड	78,345
5	नेशनल मिनरल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	63,872
6	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	63,758
7	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	62,891
8	पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	49,955
9	गेल (इण्डिया) लिमिटेड	47,562
10	स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड	38,848

4 सीपीएसईज़ में बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई और अन्य 36 सीपीएसईज़ में कमी। बाज़ार पूंजीकरण में महत्वपूर्ण कमी वाले सीपीएसईज़ नीचे दिये गयें हैः

* *हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स (मैनुफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इण्डिया टूरिज़्म कार्पोरेशन लिमिटेड, केआईओसीएल लिमिटेड के शेयरों की 2011-12 में ट्रेंडिंग नहीं हुई थी।*

क्र. सं.	पीएसई का नाम	31/3/2011 को बाज़ार पूंजीकरण	31/3/2012 को बाज़ार पूंजीकरण	अंतर
1	नेशनल मिनरल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	112379.88	63871.57	-48508.31
2	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	100882.73	62891.08	-37991.65
3	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	70113.55	38847.59	-31265.96
4	एनटीपीसी लिमिटेड	159137.46	134153.71	-24983.75
5	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	248194.72	228688.21	-19506.51
6	इण्डिया ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	81154.31	63758.03	-17396.28
7	एमएमटीसी लिमिटेड	92650.00	78345.00	-14305.00
8	गेल (इण्डिया) लिमिटेड	58984.20	47561.56	-11422.64
9	नेशनल एल्यूमूनियम कंपनी लिमिटेड	24651.28	14097.49	-10553.79
10	एनएचपीसी लिमिटेड	31182.38	24170.96	-7011.42

❖ **कीमत अर्जन (पीई)** कीमत अर्जन अनुपात (पीई) कम्पनी की प्रति शेयर आय (ईपीएस) की तुलना में कम्पनी का वर्तमान शेयर कीमत मूल्यांकन है। कम पीई वाली कम्पनियों की तुलना में अधिक पीई भविष्य में अधिक वृद्धि की उमीद को दर्शाता है। एमएमटीसी लिमिटेड (1107.84) का कीमत अर्जन अनुपात अधिकतम था।

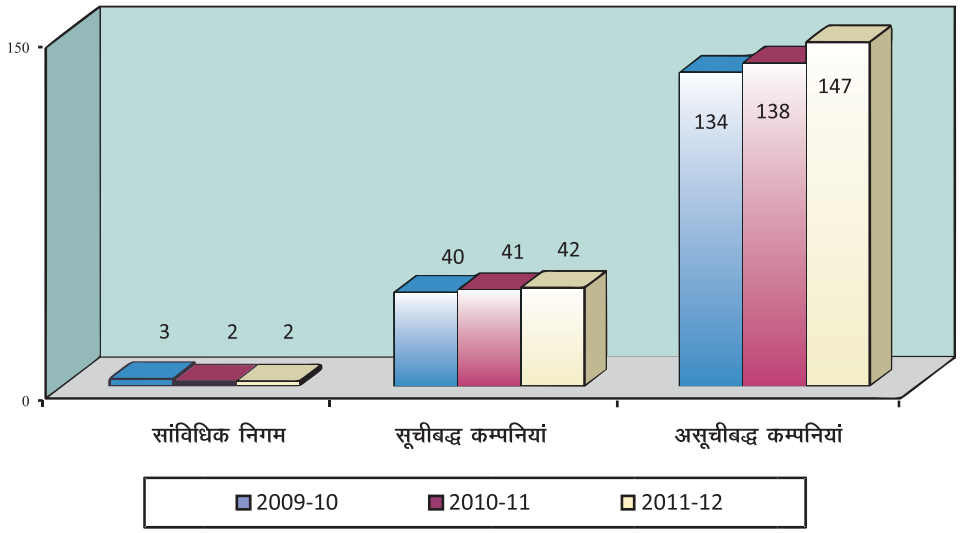
❖ उन 4* सहायक सरकारी कम्पनियों, जिनके शेयरों की ट्रेडिंग 2011-12 के दौरान हुई थी, के शेयरों का कुल बाज़ार मूल्य 31 मार्च 2012 को ₹ 15,089.67 करोड़ था। 4 सहायक कम्पनियों में सरकार द्वारा धारित शेयरों का कुल बाज़ार मूल्य 31 मार्च 2011 की तुलना में 31 मार्च 2012 को ₹ 5.80 करोड़ बढ़ गया। विवरण **परिशिष्ट V -बी** में दर्शाए गए हैं।

1.3 सरकारी कम्पनियों और निगमों में निवेश पर प्रतिफल

303 सरकारी कम्पनियों और निगमों में 2009-10 से 2011-12 के दौरान लगाई गई निवल सम्पत्ति और पूंजी पर प्रतिफल **परिशिष्ट VI** में दर्शाया गया है। तीन वर्ष की अवधि के दौरान लाभ कमाने वाली सरकारी कम्पनियों और निगमों की संख्या 2009-10 में 177 (₹ 1,11,892 करोड़) से थोड़ा सा बढ़कर 2011-12 में 191 (₹ 1,27,021 करोड़) हो गई।

* *इस्टर्न इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड के शेयर्स की 2011-12 के दौरान ट्रेडिंग नहीं की गई थी।*

लाभ कमाने वाले सांविधिक निगमों, सूचीबद्ध तथा असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों की संख्या



191 सीपीएसईज़ में से अधिक लाभ देने वाले उन क्षेत्रों, जिन्होंने ₹ 1,27,021 करोड़ का निवल लाभ कमाया, के विवरणों का सार नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	लाभ कामने वाले सीपीएसईज़	अर्जित निवल लाभ (₹करोड़ में)	कुल सीपीएसई लाभ के प्रति लाभ की प्रतिशतता
1. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	8	40159	31.62
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	5	2073	1.63
जोड़	13	42232	33.25
2. कोयला एवं लिग्नाईट			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	2	9476	7.46
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	7	13681	10.77
जोड़	9	23157	18.23
3. विद्युत			
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	4	16320	12.85
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां	18	3719	2.93
जोड़	22	20039	15.78
जोड़ (1) से (3)	**44**	**85428**	**67.26**

191 सीपीएसईज़ द्वारा अर्जित कुल लाभ में से 67 *प्रतिशत (₹ 85,428 करोड़) इन क्षेत्रों में 44 सरकारी कंपनियों एवं निगमों द्वारा दिया गया था ।*

2011-12 की टॉप दस लाभ कमाने वाली सीपीएसईज़ निम्नलिखित है:

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	निवल लाभ
1	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड	25,433
2	एनटीपीसी लिमिटेड	9,224
3	कोल इंडिया लिमिटेड	8,065
4	नेशनल मिनरल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	7,265
5	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	7,040
6	साउथ इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	4,099
7	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	3,955
8	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	3,682
9	गेल (इण्डिया) लिमिटेड	3,654
10	ऑयल इण्डिया लिमिटेड	3,469

1.3. 1 सरकारी कम्पनियों और निगमों का लाभकारिता विश्लेषण

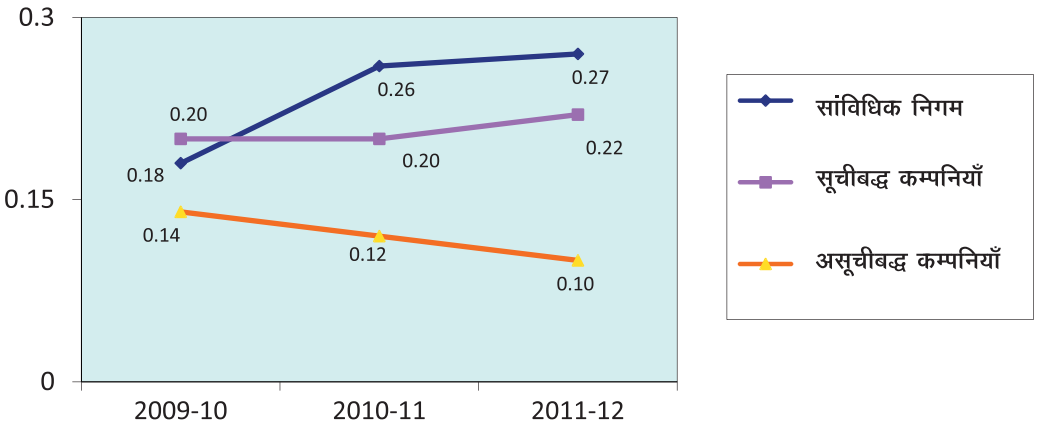
ब्याज और कर से पूर्व लाभ, लगाई गई पूंजी*, कर पश्चात लाभ, लाभांश, निवल सम्पत्ति, निवल सम्पत्ति के प्रति कर-पश्चात लाभ का अनुपात, लगाई गई पूंजी के प्रति ब्याज और कर से पूर्व लाभ का अनुपात तथा इक्विटी के प्रति लाभांश को दर्शाने वाली 303 सरकारी कम्पनियों और निगमों का लाभकारिता विश्लेषण **परिशिष्ट VI** में दिया गया है1

31 मार्च 2012 को समाप्त तीन वर्ष की अवधि के दौरान लगाई गई पूंजी के प्रति ब्याज और कर से पूर्व लाभ# तथा निवल सम्पत्ति के प्रति कर-पश्चात् लाभ का अनुपात ग्राफ में दिया गया है।

* *लगाई गई पूँजी का मतलब है निवल तय परिसंपत्ति और कार्यशील पूंजी। इसमे निवेश शामिल नहीं है। हालांकि विशेषकर वित्त और इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा उपकरणों में पर्याप्त निवेश है जो परिभाषा से बाहर हैं।*

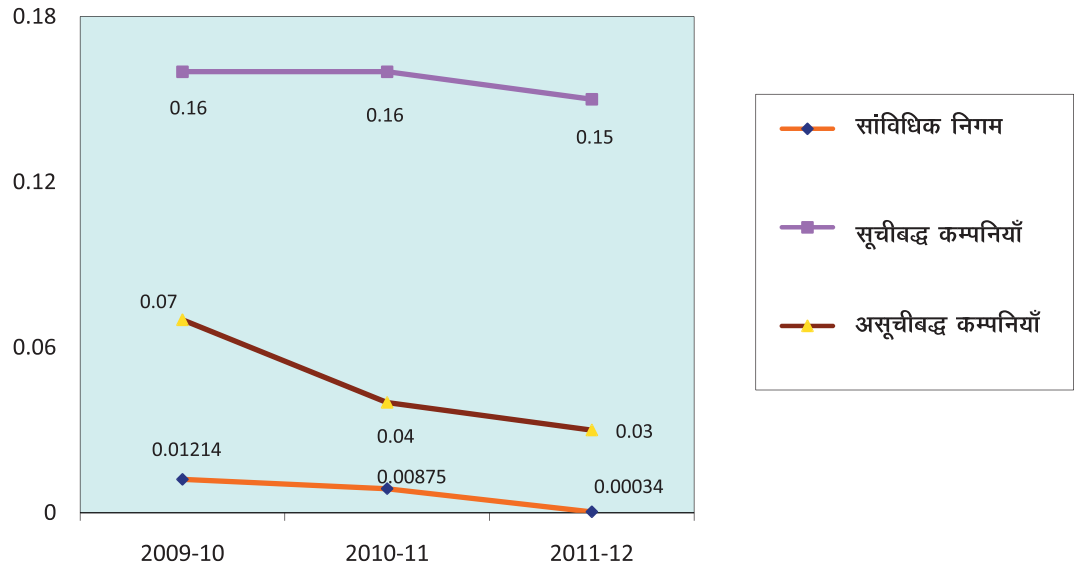
\# *ब्याज और कर से पूर्व लाभ (पीबीआईटी) में निवेश से प्राप्त आय शामिल है और अनुपात तद्नुसार निकाला गया।*

लगाई गई पूंजी के प्रति ब्याज और कर से पूर्व लाभ का अनुपात



2009-10 की तुलना में सूचीबद्ध कम्पनियों और सांविधिक निगमों के मामले में लगाई गई पूंजी के प्रति ब्याज और कर से पूर्व लाभ के अनुपात में वृद्धि हुई थी, और असूचीबद्ध सरकारी कंपनियो के मामले में कमी।

निवल सम्पत्ति के प्रति कर पश्चात् लाभ का अनुपात



सांविधिक निगमों, सूचीबद्ध कंपनियों और असूचीबद्ध सरकारी के संबंध में निवल सम्पत्ति* के प्रति कर-पश्चात् लाभ के अनुपात में कमी थी।

* *निवल संपति का मतलब दिये गये पूंजी शेयर और मुक्त संचित निधि और अतिरिक्त कम संचित हानि और विलंबित राजस्व व्यय का कुल जोड़ है। मुक्त संचित निधि का मतलब है लाभ और शेयर प्रीमियम खाते से प्राप्त सभी निधियां लेकिन इसमें परिसंपत्ति के पुर्नमूल्यांकन और मूल्यह्रास प्रावधानों के प्रतिलेखन से बनाई गई निधियां शामिल नहीं हैं।*

1.3.2 सरकारी कम्पनियों और निगमों का लाभांश भुगतान

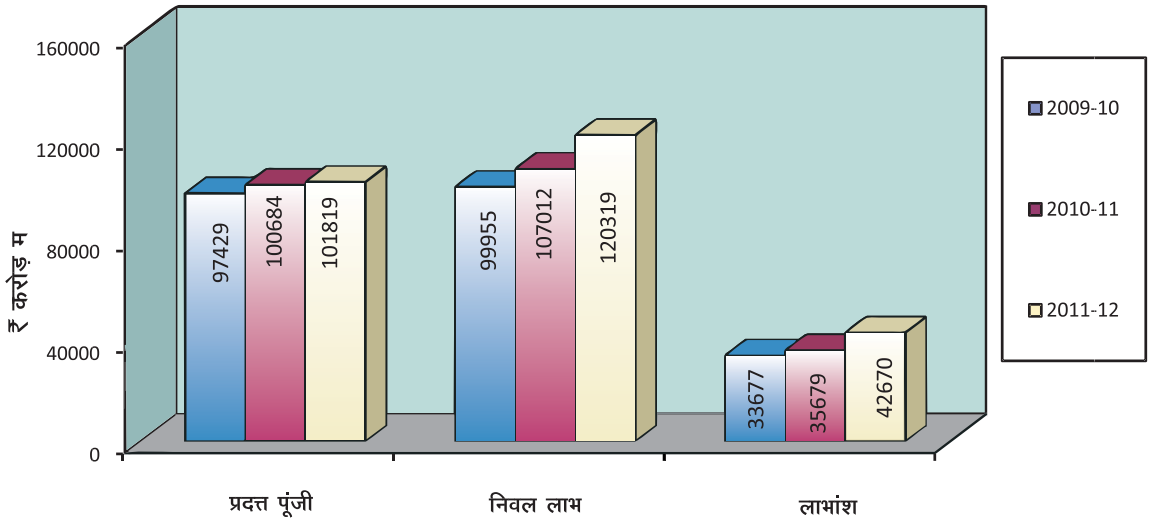
31 मार्च 2012 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान लाभांश की घोषणा करने वाली सरकारी कम्पनियों और निगमों की संख्या परिशिष्ट **VII** में दी गई है। लाभांश की घोषणा करने वाली सरकारी कम्पनियों और निगमों की संख्या 2011-12 में 112 (2 सांविधिक निगमों तथा 34 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों सहित) थी इन कम्पनियों और निगमों द्वारा अर्जित निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में घोषित लाभ 2009-10 में 33.69 *प्रतिशत* से थोड़ा सा बढ़ कर 2011-12 में 35.46 *प्रतिशत* हो गया। कुल मिलाकर, कम्पनियों और निगमों द्वारा 2011-12 में घोषित लाभांश 2009-10 में ₹ 33677.57 करोड़ से ₹ 8993.50 करोड़ बढ़कर 2011-12 में ₹ 42671.07 करोड़ हो गया।

सीपीएसईज़ द्वारा घोषित लाभांश 2009-10 में ₹ 33677 से बढ़कर 2011-12 में ₹ 42671 करोड़ हो गया।

79 सरकारी कम्पनियों/निगमों ने 2011-12 में ₹ 6702 करोड़ का लाभ कमाया परन्तु लाभांश की घोषणा नहीं की।

भारत सरकार ने 2,04,417 करोड़ के निवेश पर 27644 करोड़ का लाभांश प्राप्त किया।

निवल लाभ और प्रदत्त पूंजी की तुलना में घोषित लाभांश



वर्ष 2011-12 के दौरान 191 सीपीएसईज़ में से जिन्होंने लाभ कमाया उनमें से, केवल 112 सीपीएसईज़ ने लाभांश की घोषणा की। 79 सीपीएसईज़ सहित 8 सूचीबद्ध कंपनियों जिन्होंने ₹ 6,702 करोड़ का लाभ कमाया था 2011-12 के दौरान लाभांश की घोषणा नहीं की, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड में)

श्रेणी	कुल लाभ सीपीएसईज़ (सं.)	पीएसयूज़ जिन्होंने लाभ की घोषणा की				पीएसयूज़ जिन्होंने लाभ की घोणा की		
		सीपीएसईज	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ	घोषित लाभांश	सीपीएसईज	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ
सांविधिक निगम	2	2	724.58	959.47	199.09	--	--	--
सूचीबद्ध कम्पनी	42	34	59152.21	94593.68	31965.95	8	1578.34	557.16
असूचीबद्ध कम्पनियां	147	76	41943.06	24767.98	10506.03	71	31178.73	6145.33
जोड़	**191**	**112**	**101819.9**	**120321.13**	**42671.07**	**79**	**32757.07**	**6702.49**

- चालू वर्ष में 112 सरकारी कम्पनियों और निगमों द्वारा घोषित ₹ 42,671 करोड़ के कुल लाभांश में से, भारत सरकार द्वारा प्राप्य लाभांश ₹ 27644 करोड़* था। 303 सरकारी कम्पनियों और निगमों (6 सांविधिक निगमों, 50 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों सहित) की इक्विटी पूंजी में भारत सरकार द्वारा किए गए ₹ 2,04,417 करोड़ के कुल निवेश पर प्रतिफल 13.52 प्रतिशत था। इसी प्रकार, 33 सरकारी कम्पनियों ने विभिन्न सरकारी कम्पनियों की इक्विटी में ₹ 6128 करोड़ के दी गई पूंजी पर लाभांश के रूप में ₹ 8,993 करोड़ प्राप्त किए।

- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 11 सरकारी कम्पनियों ने ₹ 12,989 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो 2011-12 में विभिन्न कम्पनियों द्वारा घोषित ₹ 42,671 करोड़ के कुल लाभांश का 30 प्रतिशत था।

- 1995 तथा 1996 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में यह परिकल्पित था कि लाभ कमाने वाली सभी कम्पनियां, जो अनिवार्यतः वाणिज्यिक उद्यम थे, इक्विटी पर या कर-पश्चात् लाभ पर, जो भी अधिक हो, न्यूनतम 20 प्रतिशत लाभांश की घोषणा करेंगी। तेल, पेट्रोलियम, रसायन तथा अन्य आधारभूत क्षेत्रों में कम्पनियों द्वारा दिया जाने वाला न्यूनतम लाभांश कर-पश्चात् लाभ का 30 प्रतिशत था। तथापि, 43 कम्पनियों (7 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों सहित तथा 79 सरकारी कम्पनियों और निगमों को छोड़कर, जिन्होंने लाभांश की घोषणा नहीं की थी)। ने लाभांश की घोषणा करते समय संबंधित सरकारी निदेश का पालन नहीं किया, जैसा कि ***परिशिष्ट VIII*** में दिया गया है। इस के कारण कुल कमी 2011-12 में ₹ 8,506 करोड़ थी।.
- मंत्रालय ने इस बात पर भी ज़ोर दिया था कि सरकार का उद्देश्य समूचे बोर्ड में सभी सरकारी कम्पनियों और निगमों मे समग्र निवेश पर न्यूनतम पांच प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त करना था। सभी सरकारी कम्पनियों और निगमों की इक्विटी में भारत सरकार द्वारा किए गए ₹ 204417 करोड़ के कुल निवेश पर प्रतिफल ₹ 27644 करोड़ अर्थात 13.52 *प्रतिशत* था।

* ***भारत से द्वारा प्राप्त किया जाने वाला लाभांश सीधे केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण वाली 86 कम्पनियों के संबंधित था। बची हुई 26 कम्पनियां अन्य सरकारी कम्पनीं की सहायक कम्पनियां थी और उनमें भारत सरकार का प्रत्यक्ष निवेश नहीं था।***

1.3.3 मानी गई सरकारी कम्पनियों मे निवेश पर प्रतिफल

2009-10 से 2011-12 वर्षों के लिए मानी गई सरकारी कम्पनियों मे निवेश पर प्रतिफल के विवरण ***परिशिष्ट IV*** में दिए गए हैं। 119 मानी गई सरकारी कम्पनियों में से, 77 कम्पनियों ने ₹ 4,032 करोड़ का लाभ कमाया। इन 77 कम्पनियों में से, 38 ने ₹ 717 करोड़ का लाभांश घोषित किया जो उनकी कुल प्रदत्त पूंजी का 9.49 प्रतिशत था। बत्तीस कम्पनियों ने 2011-12 के दौरान ₹ 510 करोड़ का घाटा उठाया। शेष दस कम्पनियों ने अभी तक वाणिज्यिक प्रचालन शुरू नहीं किए थे।

1.3.3.1 2011-12 के दौरान 38 मानी गई सरकारी कम्पनियों द्वारा घोषित ₹ 717 करोड़ का लाभांश विभिन्न क्षेत्रों से आया जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	कम्पनियों की सं.	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ	लाभांश
वित्तीय सेवाएं	25	2712	1987	405
विद्युत	3	3782	1315	240
ठेका एवं निर्माण सेवाएं	1	250	84	25
परिवहन सेवाएं	1	164	36	41
इस्पात	1	603	29	0
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्श	5	3	15	3
व्यापार एवं विपणन	1	41	13	2
खनिज एवं धातु	1	1	3	1
जोड़	**38**	**7556**	**3482**	**717**

1.4 घाटे वाली सीपीएसईज़

घाटा उठाने वाली सीपीएसईज़ संख्या 2009-10 में 91 सीपीएसईज़ से 2011-12 में 96 बढ़ गई। इस अवधि के दौरान इन सीपीएसई द्वारा उठाये गये घाटे में भी ₹ 16,221 करोड़ स`₹ 30,307 करोड़ की वृद्धि हुई जिसका नीचे दी गई तालिका में विवरण है:

सूचीबद्ध/असूचीबद्ध वर्ष	घाटे वाली सीपीएसईज़* की संख्या	निवल सम्पत्ति	वर्ष का निवल घाटा	संचित घाटा (₹ करोड़ में)
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां				
2009-10	10	4333	-4734	18088
2010-11	9	-7193	-5082	22579
2011-12	8	-1246	-6893	27783
असूचीबद्ध सरकारी/कम्पनियों/निगम				
2009-10	81	71171	-11487	39449
2010-11	77	94677	-17605	45240
2011-12	88	93262	-23414	60636
जोड़				
2009-10	91	75504	-16221	57537
2010-11	86	87484	-22687	67819
2011-12	96	92016	-30307	88419

2011-12 में ₹ 500 करोड़ से अधिक की घाटा उठाने वाली सीपीएसईज़ की सूची निम्नलिखिते प्रकार हैं:

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	2011-12 में निवल हानि (₹ करोड़ में)
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	8851
2	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	4110
3	जनरल इंश्योरेंश कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	2469
4	दामोदर वैली कार्पोरेशन	858
5	हिन्दुस्तान केबिल्स लिमिटेड	648
6	फर्टिलाइज़र्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	553

* *फूड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया तथा इनलैंड वाटरवेज़ आथॉरिटी ऑफ इण्डिया, तथा नेशनल हाइवेज़ अथॉरिटी ऑफ इण्डिया जिनके घाटे की भारत सरकार द्वारा सब्सिडी/अनुदान के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है, इस तालिका में शामिल नहीं हैं।*

1.4.1 सरकारी कम्पनियों में पूंजी क्षरण

वर्ष 2011-12 के दौरान घाटा उठाने वाली 96 सीपीएसईज़ में से 84 ने ₹ 88,419 करोड़ का घाटा संचित किया। आगे 36 सीपीएसईज़ जिन्होंने वर्तमान वर्ष 2011-12 में घाटा नहीं उठाया ₹ 24,725 करोड़ का घाटा संचित किया था। इस प्रकार 31 मार्च 2012 को 120 सरकारी कम्पनियां और निगम (12 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों सहित) थे जिनका संचित घाटा ₹ 1,13,145 करोड़ था।

❖ 60 सरकारी कम्पनियों (120 में से) की इक्विटी पूंजी और संचित निधि संचित घाटे द्वारा पूरी तरह क्षरित हो गई थी और निवल संपत्ति कम थी। इन 60 कंपनियों में निवल संपत्ति 31 मार्च 2012 को ₹ 13,004 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति (-)₹ 70,946 करोड़ थी। इसमें 5 सूचीबद्ध कंपनियां शामिल है जिनकी निवल संपत्ति ₹ 861 करोड़ के इक्विटी निवेश के प्रति (-) ₹ 12,835 करोड़ थी। 60 कंपनियों में से, जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी, 10 सीपीएसईज़ ने 2011-12 के दौरान ₹ 1,981 करोड़ का लाभ प्राप्त किया।

60 सीपीएसईज़ में से 32 जिनकी पूंजी क्षरित हुई थी, बकाया सरकारी ऋण की राशि 31 मार्च 2012 को ₹ 22,088 करोड़ थी। इसमें ₹3,668 करोड़ के बकाया सरकारी ऋण वाली 4 सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं।

यदि किसी कम्पनी की निवल सम्पत्ति का 50 प्रतिशत संचित घाटे द्वारा क्षरित हो जाता है तो उसे सम्भावित रूग्ण कम्पनी माना जाता है। मार्च 2012 के अंत में 60 सीपीएसईज़ की निवल संपत्ति कम थी। 243 सीपीएसईज़ जिनकी निवल संपत्ति अधिक थी में से 15 सीपीएसईज़ की निवल संपत्ति 31 मार्च 2012 के अंत में ₹ 7,471 करोड़ की दी गई पूंजी के आधे से कम थी।

निम्नलिखित तालिका में 2011-12 के दौरान घाटा उठाने वाली सीपीएसईज़, जिनकी निवल सम्पत्ति का क्षरण 50 प्रतिशत से अधिक था, की सूची दी गई है।

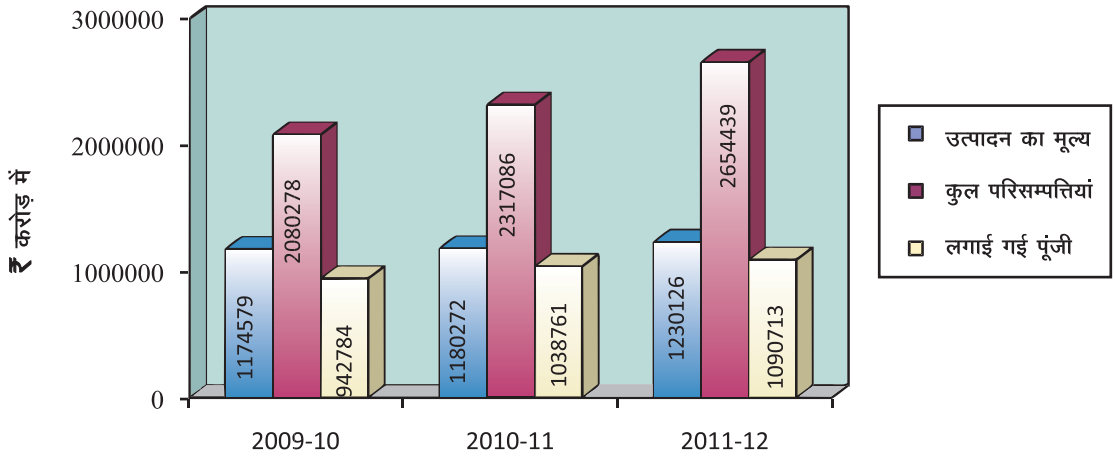
क्र.सं.	कम्पनी का नाम	2011-12 के दौरान घाटा	31 मार्च 2012 को निवल सम्पत्ति	दी गई पूंजी	निवल धन के क्षरण की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)			(प्रतिशत में)
1	एचएमटी लिमिटेड	82	536	1203	55.44
2	हिन्दुस्तान आर्गेनिक्स केमिकल्स लिमिटेड	78	14	337	95.85
3	टायर कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	21	8	30	73.33
4	बीको लॉरी लिमिटेड	20	10	75	86.67
5	सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	16	8	55	85.45
6	सेन्ट्रल ऐनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	2	2	4	50

1.5 सरकारी कम्पनियों की प्रचालन दक्षता

1.5.1 उत्पादन का मूल्य

तीन वर्ष की अवधि के दौरान कुल परिसम्पत्ति तथा लगाई गई पूंजी के प्रति उत्पादन के मूल्य को दर्शाने वाला सार ग्राफ नीचे दिया गया है:

उत्पादन का मूल्य, परिसम्पत्तियाँ और नियोजित पूँजी



पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2011-12 में नियोजित पूंजी और उत्पादन के मूल्य में थोड़ी सी वृद्धि हुई थी।

1.5.2 बिक्री एवं विपणन

2011-12 के दौरान 303 सीपीएसईज़ की कुल बिक्री ₹ 17,34,909 करोड़ थी। इनमें से 121 सीपीएसईज़ ने सरकारी विभागों को उनकी ₹ 10,14,540 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति ₹ 299739 करोड़ मूल्य की बिक्री की/सेवाएं प्रदान की। सरकारी क्षेत्र को उनकी कुल निवल बिक्री के संदर्भ में इन 121 सीपीएसईज़ की बिक्री की समग्र प्रतिशतता 29.5 प्रतिशत परिकलित की गई।

65 सीपीएसईज़ ने अपनी ₹ 11,78,449 करोड़ की निवल बिक्री के प्रति ₹ 91985 करोड़ मूल्य का माल निर्यात किया अथवा विदेश में सेवाएं प्रदान की जो 7.8 प्रतिशत परिकलित की गई। ₹ 5000 करोड़ से अधिक निर्यात बिक्री वाली सीपीएसईज़ निम्नलिखित हैं।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	निर्यात बिक्री (₹ करोड़ में)
1	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	24989
2	मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	23418
3	इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	19040
4	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड	6533
5	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	6311

1.5.3 अनुसंधान एवं विकास

निरन्तर वृद्धि के लिए विद्यमान उत्पादों को प्रौन्नत करने तथा नए उत्पाद, प्रक्रियाएं आदि विकसित करने के लिए प्रत्येक संगठन को अनुसंधान तथा विकास कार्य करने पड़ते हैं। 2011-12 के दौरान, 51 सीपीएसईज़ ने अनुसंधान और विकास पर ₹ 2,906 करोड़ लगाया। निम्नलिखित सीपीएसईज़ ने ₹ 100 करोड़ से अधिक का आर एंड डी व्यय किया:

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	कुल आर एंड डी व्यय (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)
1	हिन्दुस्तान एरोनोटिकल्स लिमिटेड	968	2539
2	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	468	830
3	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	330	25433
4	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	320	7040
5	इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	182	3955
6	स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	134	3682

अध्याय 2

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

2.1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त मानी गई सरकारी कम्पनी सहित सरकारी कम्पनी का लेखापरीक्षक (सांविधिक लेखापरीक्षक) इन कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है। इसके बाद की गई पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर सीएजी टिप्पणियां अथवा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपूरक जारी करता है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षा है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए और एक प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत किया जाए।

पूरक/नमूना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त सीएजी विशिष्ट विषयों और क्षेत्रों की निष्पादन लेखापरीक्षा भी करते हैं। लेखापरीक्षा बोर्ड मंत्रालय और प्रबन्धन के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के बाद अकेले निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देता है। लेखापरीक्षा बोर्ड तंत्र का पुनर्गठन 2006-07 के दौरान सीएजी के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अन्तर्गत किया गया था। बोर्ड जो स्वरूप में स्थाई हैं, की अध्यक्षता उपनियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक) द्वारा की जाती है और इसमें सीएजी के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित हैं। दो तकनीकी विशेषज्ञों को, यदि आवश्यक हो, विशेष आमंत्रिती के रूप में शामिल किया जाता है। सीएजी के कार्यालय के महानिदेशक (वाणिज्यिक)बोर्ड के सदस्य सचिव हैं। बोर्ड निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए संस्तुत विषयों का अनुमोदन करता है। यह निष्पादन लेखापरीक्षा करने के लिए दिशानिर्देश, लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड और कार्यप्रणाली का भी अनुमोदन करता है।

2.2 सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

2.2.1 सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति में वास्तविकता

मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 619(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में सीएजी द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए सीएजी द्वारा सनदी लेखाकारों के फर्म के एक पैनल का रखरखाव सनदी लेखाकारों के पात्र फर्मो से प्रत्येक वर्ष आवेदन पत्र मंगा कर किया जाता है। इस प्रकार गठित पैनल का उपयोग आगामी वित्त वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसईज) के सांविधिक लेखापरीक्षकों के चयन के लिए किया जाता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नियमित आधार पर वार्षिक की जाती है।

नियुक्ति के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का चयन सनदी लेखाकारों की प्रत्येक दर्ज फर्म लेखापरीक्षक समनुदेशन के आकार के साथ करते हैं, द्वारा अर्जित प्राप्तांक से सह संबंध

स्थापित करके किया जाता है। यह निर्धारित करने के लिए, प्राप्तांक फर्म के अनुभव, भागीदारों की संख्या और फर्म से उनका साहचर्य, सनदी लेखाकार कर्मचारियों की संख्या के आधार पर होता है कि फर्म के पूर्ववृत्त सुस्थापित हैं और फर्म आबंटित लेखापरीक्षा करने में समर्थ है।

प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सनदी लेखाकार फर्मों को लेखापरीक्षा का आबंटन वस्तुनिष्ठता से क्षमता की योग्यता के आधार पर किया जाता है।

2.2.2 वर्ष 2011-12 के लिए सीपीएसईज़ के सांविधिक लेखापरीक्षकों की समय से नियुक्ति

वर्ष 2011-12 के लिए सूचीगत कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति जुलाई 2011 तक की गई थी।

कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 210 के साथ पठित धारा 166 और 230 के अन्तर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए प्रत्येक कम्पनी के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली अपनी वार्षिक आम सभा (एजीएम) में शेयर धारकों के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षक एक एजीएम की समाप्ति से अगली एजीएम की समाप्ति तक कार्यालय धारण करता है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से सूचीबद्ध करार के खंड 41 में प्रावधान है कि स्टाक इक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध सभी इकाइयों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित और कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा "सीमित समीक्षा " के बाद अपनी त्रैमासिक वित्तीय समीक्षा (क्यूएफआर) में प्रकाशित करना चाहिए। समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति तिमाही की समाप्ति के दो महीने के अन्दर स्टाक एक्सचेंज को प्रस्तुत करनी होती है। वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही की सीमित समीक्षा तदनुसार की जानी है ताकि परिणामों का प्रकाशन वर्ष के अगस्त के अंत तक किया जा सके। सीपीएसईज को कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के अलावा किसी सनदी लेखाकार द्वारा क्यूएफआर बनवा कर प्राप्त करने का विकल्प है।

ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के समय से अनुपालन को सुगम बनाने के लिए मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा जुलाई 2011 तक वर्ष 2011-12 के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए की गई थी।

2.2.3 सरकारी कम्पनियों और मानी गई सरकारी कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता

सांविधिक लेखापरीक्षक का कम्पनी जिसकी वह लेखापरीक्षा करता है, के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र व्यावसायिक राय उपलब्ध कराना न्यासी कर्त्तव्य है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और हित के द्वंद के किसी अवसर के निवारण को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी अधिनियम,1956 की धारा 226 निम्नलिखित नियुक्ति कर निषेध करती है

- कम्पनी का अधिकारी अथवा कर्मचारी अथवा उनका भागीदार अथवा कर्मचारी,
- एक व्यक्ति जो कम्पनी का कर्जदार है और
- ऐसे व्यक्ति को जो कम्पनी के लेखापरीक्षक के रूप में वोटिंग अधिकार वाली किन्हीं प्रतिभूतियों का धारक है।

इसी प्रकार, सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 में सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान निहित है। सनदी लेखाकार अधिनियम,1949 की प्रथम अनुसूची का पैराग्राफ 10 फीस की स्वीकृति का निषेध करता है जो या तो लाभ से जुड़े है अथवा निष्कर्ष या रोजगार के परिणामों पर अन्यथा निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त, द्वितीय अनुसूची,भाग-1 का पैराग्राफ 4 कारोबार जिसमें वह अथवा उसकी फर्म अथवा उसके फर्म के एक भागीदार का पर्याप्त हित है, के वित्तीय विवरणों पर तब तक राय व्यक्त करने के लिए सनदी लेखाकार के लिए एक कदाचार का कार्य बनता है जब तक ऐसे हित का प्रकटन नहीं किया जाता है।

लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता

- गैर लेखापरीक्षा समनुदेशनों की स्वीकृति पर प्रतिबंध।
- प्रत्येक चार वर्षों में लेखापरीक्षकों का रोटेशन।

सरकारी कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की सांविधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सीएजी द्वारा निम्नलिखित और सुरक्षा उलब्ध कराई गई हैः

➢ **सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा गैर-लेखापरीक्षा समनुदेशनों की स्वीकृति**

सांविधिक लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और लेखापरीक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भागीदार अथवा संबंधी (पति,पत्नी, भाई, बहन अथवा कोई पूर्वज अथवा वंशज) अथवा सरकारी कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के संगठन* लेखापरीक्षा के वर्ष और फर्म के कम्पनी का सांविधिक लेखापरीक्षक के निवर्तन बाद एक वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा अथवा परामर्शी अथवा सरकारी कम्पनी को अन्य सेवाएं प्रस्तुत करने के लिए कोई समनुदेशन लेने से निषेध करता है। गैर-लेखापरीक्षा समनुदेशन की स्वीकृति जिसमें प्रबन्धन कार्य निष्पादन अथवा प्रबन्धन निर्णय देना शामिल है, भी लेखापरीक्षा के वर्ष के दौरान और फर्म के सांविधिक लेखापरीक्षक के निवर्तन के बाद एक वर्ष तक निषिद्ध है।

➢ **लेखापरीक्षकों का रोटेशन**

प्रत्येक चार वर्षों में सरकारी कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रोटेशन की प्रणाली अच्छी पद्धति के रूप में अपनाई गई है।

2.3 सीपीएसईज के लेखाओं का बकाया

2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 ए के अनुसार सरकारी कम्पनी के कामकाज और कार्यो पर वार्षिक रिपोर्ट इसकी एजीएम के तीन महीने के अन्दर तैयार करनी होती है और ऐसी तैयारी के बाद यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति और सीएजी द्वारा की गई उस पर कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाए। सांविधिक निगमों के विनियमन के लिए लगभग समान प्रावधान अलग अलग अधिनियमों में विद्यमान हैं। यह तंत्र भारत की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

** शब्द संगठन में (क) सनदी लेखाकारों की अन्य फर्में जिनमें कोई कर्मचारी अथवा लेखापरीक्षा फर्म का भागीदार हित रखता है (ख) लेखापरीक्षक फर्म का कोई कर्मचारी अथवा भागीदार जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सनदी लेखाकार के रूप में प्रेक्टिस कर रहा है, शामिल हैं।*

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 प्रत्येक कम्पनी से प्रत्येक कलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की एजीएम आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कथन है कि एक एजीएम और अगले एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय व्यतीत नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम ,1956 की धारा 210 में अनुबद्ध है कि उस दिन जिसको एजीएम के पूर्ववर्ती दिन से 6 महीने से अधिक नहीं होगा ,को समाप्त होने वाली अवधि के लेखापरीक्षित लेखे उनके विचार के लिए उक्त एजीएम को प्रस्तुत किए जाने हैं।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 210(5)और (6) में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए जिम्मेदार कम्पनी के निदेशक सहित व्यक्ति पर दंड और कारागार जैसी शास्ति के भी लगाने का प्रावधान है।

केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के लेखाओं में बकाया का मुद्दा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सीएजी द्वारा निरन्तर सूचित किया गया है। सीएजी द्वारा मामले को जनवरी 2007 मे निगम, कार्य, मंत्रालय, भारत सरकार और प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ भी उठाया गया था जिसने इन कम्पनियों के निदेशक मंडल को सरकारी निदेशक नियुक्त किया है। इसके बदले निगम कार्य मंत्रालय ने कम्पनी रजिस्ट्रार को ऐसी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 की उपधारा (5) और (6) के प्रावधानों की तरफ ध्यान केन्द्रित करने का निदेश दिया, और जिनके लेखे बकाया थे उन्हें शीघ्र अपने लेखाओं को पूरा करने का निदेश दिया ताकि कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों को अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को सीएजी द्वारा नवम्बर 2011 में लेखाओं के बकाया के निपटान के लिए पुनः अनुस्मारक दिया गया है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि इस संबंध में अननुपालन के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के निदेशकों सहित चूककर्ता व्यक्तियों के विरूद्ध कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 210 की उपधारा 5 और 6 के अन्तर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई है जबकि विभिन्न सीपीएसईज के वार्षिक लेखे लम्बित थे जिसका विवरण आगामी पैराग्राफ मे दिया गया है।

2.3.2 सरकारी कम्पनियों और मानी गई सरकारी कम्पनियों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

475 कम्पनियों में से 94 कंम्पनियों के लेखे बकाया में थे।

31 मार्च 2012 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 338 सरकारी कम्पनियां और 137 मानी गई सरकारी कम्पनियां थीं। इनमें से वर्ष 2011-12 के लेखे 329 सरकारी कम्पनियों और 136 मानी गई सरकारी कम्पनियों से बकाया थे। नौ सरकारी कम्पनियों और एक मानी गई सरकारी कम्पनी जो नई थी, से लेखे बकाया नहीं थे। 30 सितम्बर 2012 को अथवा पहले कुल 265 सरकारी कम्पनियों और 106 मानी गई सरकारी कम्पनियों ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। 64 सरकारी कम्पनियों और 30 मानी गई सरकारी कम्पनियों के लेखे विभिन्न अवधियों के लिए बकाया थे।

केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के बकाया लेखाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं:-

विवरण		केन्द्रीय सरकारी कम्पनियां जहां सीएजी पूरक लेखापरीक्षा करते हैं					
31.3.2012 को		सरकारी कम्पनी		मानी गई सरकारी कम्पनी		कुल	
		338		137		475	
		सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध
		50	288	6	131	**56**	**419**
घटाएं कम्पनियां जिनके 2011-12 के लेखे बकाया नहीं थे		0	9	0	1	**0**	**10**
कम्पनियां जिनसे 2011-12 के लेखे देय थे		50	279	6	130	**56**	**409**
कम्पनियों जिन्होंने 30 सितम्बर 2012 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत किए		49	216	6	100	**55**	**316**
प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए		0	2	0	2	**0**	**4**
बकाया लेखे		1	61	0	28	**1**	**89**
बकाया के ब्यौरे	(i) समापनाधीन	0	22	0	8	**0**	**30**
	(ii) समाप्त	0	4	0	6	**0**	**10**
	(iii) अन्य	1	35	0	14	**1**	**49**
"अन्य" वर्ग के प्रति बकाया का समय वार विश्लेषण	एक वर्ष (2011-12)	1	28	0	11	**1**	**39**
	दो वर्ष 2010-11 तथा 2011-12)	0	3	0	2	**0**	**5**
	तीन वर्ष और अधिक	0	4	0	1	**0**	**5**

इन कम्पनियों के नाम ***परिशिष्ट II*** में दर्शाए गए हैं।

सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप इन इकाइयों में निवेशित सार्वजनिक धन के प्रबंधन के ऊपर संसदीय नियंत्रण का मन्दन और सांविधिक प्रावधानों को उल्लंघन हुआ।

2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष 2011-12 के अपने लेखे 30 सितम्बर 2012 तक प्रस्तुत नहीं किए।

छः सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। पांच सांविधिक निगमों, जिनके मामले में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, में से चार, यथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने समय पर लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2011-12 के अपने लेखे प्रस्तुत किए। वर्ष 2011-12 के लिए भारतीय खाद्य निगम के लेखे 30 सितम्बर 2012

को प्रतीक्षित थे। केन्द्रीय भण्डारण निगम के मामले में सीएजी पूरक लेखापरीक्षा करते हैं और लेखे समय पर प्राप्त हुए थे।

2.4 सीएजी का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI में निर्धारित प्रपत्र में और लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों द्वारा सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

2.4.2 सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आबंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा पर्यवेक्षण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्ति का उपयोग करते हुए किया जाता है।

- कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना। धारा 619(3)(क) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा जारी निर्देशों का उद्देश्य प्राथमिक रूप से लेखापरीक्षिती संगठन में लेखाकरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन करना है और

- कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को पूरक करना या टिप्पणी करना।

2.4.3 वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए सीपीएसई के चयन का मापदंड

सीपीएसईज के वार्षिक लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा करने के लिए समय कम करने हेतु सीएजी ने पूरक लेखपरीक्षा की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 42 दिन निर्धारित किए हैं। सीएजी ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक संकेन्द्रण और लेखापरीक्षा संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए 28 जनवरी 2011 को सीपीएसईज के चयन के लिए मानदंड में भी संशोधन किया है। संशोधित मानदंड के अनुसार सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा उन सीपीएसईज के संबंध में वार्षिक रूप से की जाएगी जिनका टर्नओवर ₹ 5000 करोड़ अथवा उससे अधिक है या ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक प्रदत्त पूंजी है। अन्य सभी सीपीएसईज का चयन इस शर्त कि इनकी लेखापरीक्षा पांच वर्षों में कम से कम एक बार होगी, के अध्यधीन जोखिम निर्धारण के आधार पर किया जाएगा। पहले टर्नओवर का मानदंड

₹ 250 करोड़ या उससे अधिक तथा प्रदत्त पूंजी के लिए मांनदंड ₹ 100 करोड़ अथवा अधिक था और आवधिकता चार वर्षों में एक बार थी।

2.4.4 चयनित सीपीएसईज के वार्षिक लेखाओं की तीन चरणीय लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 1956 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी किसी इकाई के प्रबंधन की है।

तीन चरणीय लेखापरीक्षा

सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीएजी द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए एक गहन नवीकृत, संकेन्द्रित और परिणामोन्मुखी पहुंच लागू की गई।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक आईसीएआई के लेखापरीक्षण और आश्वासन मानकों तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा होती है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चुनी गई सरकारी कम्पनियों के प्रमाणित लेखे की समीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों, यदि कोई है, की सूचना वार्षिक आम सभा के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत दी जाती है।

तीन चरणीय लेखापरीक्षा

चरण-I
लेखाकरण नीति की समीक्षा और पूर्व लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई

↓

चरण-II
वित्तीय विवरणों की जांच, प्रन्धन को एक अवर देना और समय से उपचारी कार्रवाई करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना

↓

चरण-III
प्रबन्धन द्वारा अनुमोदन के बाद वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की अंतिम जांच

चूंकि, लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता में वृद्धि अर्थात पठनीयता, विश्वसनीयता और विभिन्न पणधारियों के लिए उपयोगिता में सहायता करना है, सीएजी ने "तीन चरणीय लेखापरीक्षा" की प्रणाली द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए अधिक गहन, नवीकृत, संकेन्द्रित तथा परिणामोन्मुख पहुंच प्रस्तुत किया है। तीन चरणीय लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रबंधन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ नई लेखापरीक्षा पहुंच के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली पर चर्चा के बाद मतैक्य के आधार पर 2008-09 के वित्तीय विवरणों के लिए "सूचीबद्ध", नवरत्न, "मिनीरत्न" और "सांवधिक निगमों की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले चुने गए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लागू किया गया था।

- सीपीएसईज द्वारा प्रस्तुत विवरणों से संबंधित असंगतियों और संदेहों को दूर करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रबंधन और सीएजी की लेखापरीक्षा के बीच प्रभावी सम्प्रेषण और समन्वित पहुंच स्थापित करना।

- सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के पूर्व त्रुटियों, चूक, अननुपालन आदि की पहचान करना और उजागर करना और सीपीएसईज के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा प्रबन्धन को समय से उपचारी कार्रवाई करने के लिए ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए अवसर प्रदान करना।

- सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के बाद सीएजी की लेखापरीक्षा के समय को कम करना।

इस प्रकार, तीन चरणीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों पर स्वीकृत टिप्पणियों में सुधार के लिए सीपीएसईज के प्रबंधन को समर्थ बनाकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में पर्याप्त गुणात्मक परिवर्तन लाती है।

नई लेखापरीक्षा पहुंच की सराहाना विभिन्न सीपीएसईज जिन्होंने इसका विकल्प दिया, के प्रबन्धन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षकों दोनों द्वारा की गई थी। चूंकि तीन चरणीय लेखापरीक्षा के पक्ष में भारी मतैक्य था इसलिए इस प्रणाली को जारी रखने का निर्णय लिया गया था।

नई लेखापरीक्षा पहुंच का चरण-I और चरण-II कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (क) के विस्तारित प्रावधान हैं। प्रथम दो चरणों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा टिप्पणियां प्रारंभिक टिप्पणियों के रूप में मानी जाती हैं और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (क) के अन्तर्गत उप-निर्देश के भाग के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षको को सूचित की जाती हैं। लेखापरीक्षा का अंतिम चरण (चरण III) प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के बाद किया जाता है जो वही है जैसा पहले किया जाता था।

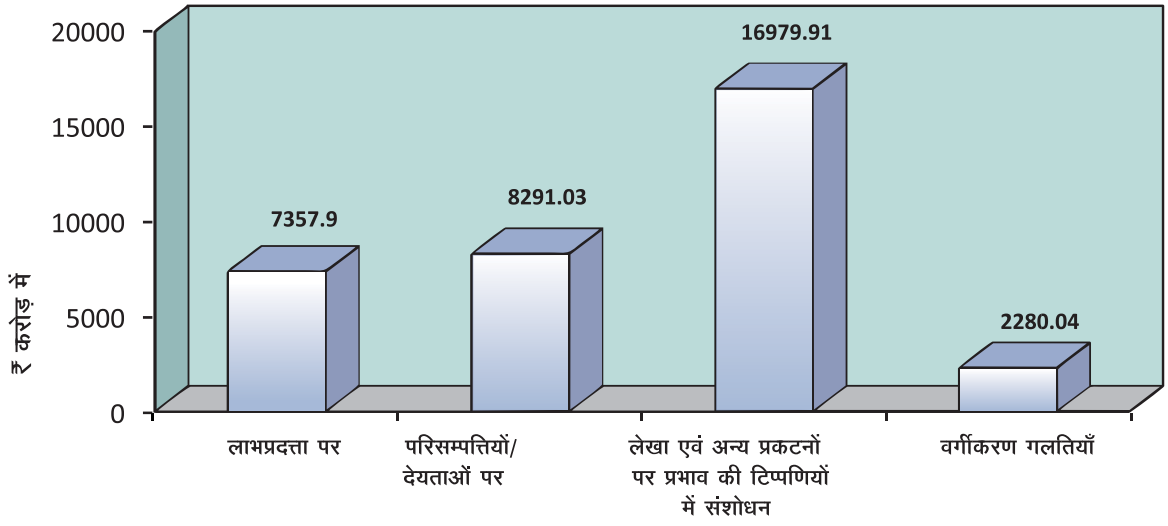
2.5 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.5.1 तीन चरण लेखापरीक्षा का प्रभाव

75 सीपीएसईज में की गई तीन चरणीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने वित्तीय विवरणों में सीपीएसईज द्वारा अनेक मात्रात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन किए गए थे जिसके कारण उनके वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

वर्ष 2011-12 के लिए 58 सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की तीन चरण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्द्धन निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया गया है:

तीन चरण लेखापरीक्षा का निवल प्रभाव



सीपीएसईज़ जहाँ महत्वपूर्ण मूल्य वर्धन किया गया:

क्र.सं.	सीपीएसई क नाम
1	एयरपोर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
4	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
5	नेवली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड
6	नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
7	एनटीपीसी लिमिटेड
8	न्यूमालिगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड
9	ऑयल एंड नैचूरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड
10	ऑयल इंडिया लिमिटेड
11	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
12	पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13	एसजेवीएन लिमिटेड
14	स्टील अथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
15	द शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

2.5.2 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों/मानी गई सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

सीएजी ने वर्ष 2011-12 के लिए 253 कम्पनियों और पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की समीक्षा की।

वर्ष 2011-12 के वित्तीय विवरण 265 सरकारी कम्पनियों (50 सूचीबद्ध कम्पनियों में से 49 सहित), 106 मानी गई सरकारी कम्पनियों (छः सूचीबद्ध कम्पनियों सहित) तथा पांच सांविधिक निगमों से 30 सितम्बर 2012 तक प्राप्त हुए थे। इनमें से 196 सरकारी कम्पनियों और 57 मानी गई

सरकारी कम्पनियों तथा पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

सारांशतः, सीएजी ने 30 सितम्बर 2012 तक प्राप्त लेखाओं में से 74 *प्रतिशत* सरकारी कम्पनियों और *54 प्रतिशत* मानी गई सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की समीक्षा की।

लेखाओं का संशोधन और इसका प्रभाव

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की सीएजी द्वारा आयोजित पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप सात सरकारी कम्पनियों ने अपने लेखे संशोधित किए। कम्पनियों की लाभप्रदत्ता[+] पर लेखाओं के संशोधन का मुख्य प्रभाव निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

सीएजी द्वारा लेखाओं की संमीक्षा के बाद कम्पनियों द्वारा लेखाओं के संशोधन से इन कम्पनियों के वित्तीय विवरणों पर ₹ 93.52 करोड़ का प्रभाव पड़ा था।

हानि में वृद्धि

क्रमांक	कंपनी का नाम	₹ करोड़ में
1.	नेपा लिमिटेड	5.58

लाभ में कमी

क्रमांक	कंपनी का नाम	₹ करोड़ में
1.	द ओरिएन्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	11.33

लाभ में वृद्धि

क्रमांक	कंपनी का नाम	₹ करोड़ में
1.	भारत डायनेमिक लिमिटेड	18.26
2.	विग्न्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	0.17

[+] *द हेंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और हसन मैंगलौर रेल डेवलेपमैंट कंपनी लिमिटेड ने भी अपने लेखे संशोधित किए परन्तु ऐसे संशोधन के संबंध में इन कम्पनियों की लाभप्रदत्ता पर कोई प्रभाव नहीं था, इसलिए तालिका में नहीं दर्शाया गया है।*

परिसम्पत्तियों में वृद्धि

क्रमांक	कंपनी का नाम	₹ करोड़ में
1.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	57.80
2.	विग्न्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	0.55

देयताओं में वृद्धि

क्रमांक	कंपनी का नाम	₹ करोड़ में
1.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	57.80
2.	विग्न्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	0.38

देयताओं में कमी

क्रमांक	कंपनी का नाम	₹ करोड़ में
1.	भारत डायनेमिक लिमिटेड	18.26

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संशोधन

31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की सीएजी द्वारा आयोजित पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप 10 सरकारी (दो सूचीबद्ध कंपनी सहित) तथा दो मानी गई सरकारी कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्टें संशोधित की। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण संशोधन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

12 कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट में संशोधन किया।

क्रमांक	कंपनी का नाम	संशोधन का स्वरूप
1.	बीईएमएल लिमिटेड	लेखापरीक्षक के रिपोर्ट में संशोधन किया क्योंकि गोवा की सरकार नीति में परिवर्तन तथा नया लाइसेंस जारी करने के कारण बकाया खरीद तथा रोकी गई अन्य वसूलियों से संबंधित टिप्पणी सं. 19(ए) को शामिल करने के लिए संशोधित की गई थी।
2.	भारत डायनेमिक्स	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संशोधन किया गया था

	लिमिटेड	(i) रिपोर्ट के पैरा 4 में "कंपनियों द्वारा (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) (संशोधित) आर्डर, 2004, के अनुसार संशोधन के अनुसार " शामिल करने के लिए। (ii) खण्डवार रिपोर्टिंग पर एएस 17 द्वारा आवश्यकतानुसार सूचना के गैर-प्रकटीकरण से संबंधित पैरा 5(एफ) (i) से " हालांकि, चालू वर्ष के लाभ पर इसका कोई प्रभाव नहीं है " को हटाने के लिए।
3.	हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड	संशोधित लेखाओं में दोबारा लिखी गई अधिक ग्रेच्युटी के प्रावधान से संबंधित अर्हताओ को हटाने के लिए संशोधन किया गया था।
4.	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंसट्रक्शन लिमिटेड	संशोधन, संबंधित पैराग्राफ के सही संदर्भों को शामिल करने के लिए किया गया था।
5.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट संशोधित की गई तथा कैश फ्लो स्टेटमेंट से संबंधित अतिरिक्त प्रकटीकरण किया गया।
6.	नेपा लिमिटेड	कंपनी द्वारा सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर लेखाओं के संशोधन के फलस्वरूप कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने संशोधित लेखाओं में कंपनी द्वारा किए गए सुधारों पर प्रकाश डालते हुए संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की।
7.	पोनमुडी रबर्स लिमिटेड (2010-11)	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का पैरा 5 (एफ)-" हमने आगे रिपोर्ट जो इस रिपोर्ट के अनुबंध-2 के पैरा 3 तथा 4 में देखा गया था, को मान लिया, चालू वर्ष में लाभ ₹10,72,603.68 (दर्शायी गई ₹ 13,67,896.68 की हानि के प्रति) रहा होता। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में संशोधित करके "₹ 13,67,896.68 " लाभ कर दिया गया।
8.	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्रा.लि.	शामिल किए जाने से संशोधनः (i) 31.03.2012 को समाप्त कैश फ्लोज़ के कैश फ्लो विवरण पर विचार तथा (ii) कंपनियों (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) की पैरा 4 एवं 5 में विनिर्दिष्ट आदेश, 2003 के मामले पर विवरण।

9.	सेल एवं मोइल फैरो एलायज़ प्राइवेट लिमिटेड	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट मे शामिल करते हुए संशोधन किया गया: (i) रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ में "उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण" (ii) " उस वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण नहीं तैयार किया गया" के स्थान पर" उस वर्ष के लिए शून्य लाभ एवं हानि का विवरण तैयार किया गया।
10.	सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	शामिल करने के लिए संशोधन किया गया (i) कैश फ्लो विवरण से संबंधित जिसके प्रति टिप्पणी की गई (क) लेखा पुस्तिका का करार (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 उप-धारा 3 (सी) का अनुपालन; (ग) कैश फ्लो का सही एवं मूल विचार (ii) सही किए गए विवरण कि (क) कोई भी सांविधिक शुल्क अदा नहीं किया गया/ भुगतान योग्य था क्योंकि उस अवधि के दौरान कंपनी ने कोई परिचालन शुरू नहीं किया था तथा इस प्रकार, सीएआरओ 2003 का पैरा (ix) लागू नहीं होता; (ख) कंपनी ने कोई भी अवधीय ऋण नहीं लिया था।
11.	सेल रिफैक्टरी कंपनी लिमिटेड	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट संशोधित की गई (i) लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मुखपृष्ठ पर प्राप्तकर्ता का नाम शामिल करने के लिए (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खण्ड (जी) के तहत जारी अधिसूचना की तारीख सही करने के लिए (iii) कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आर्डर 2003 की आवश्यकता के अनुपालन हेतु किसी विवाद के कारण जमा न किए गए आयकर, बिक्री-कर उत्पाद शुल्क तथा माल सांविधिक शुल्क के बकाये के प्रति पूरा विवरण शामिल करने हेतु।
12.	विग्न्यान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	लेखापरीक्षकों ने निम्नलिखित को शामिल करने के लिए रिपोर्ट मे संशोधन किया: (i) पैरा 2(ए)-" वर्ष के दौरान ग्राहक परिसर में स्टॉक "**तथा कार्य की प्रगति** का भौतक सत्यापन नहीं किया गया। इसलिए भौतिक सत्यापन की आवृत्ति पर

		टिप्पणी नहीं जा सकती।" (ii) पैरा 2 (सी)- बुक रिकार्ड की तुलना में कंपनी परिसर में की गई शुरआत (कार्य की प्रगति को छोड़कर) के भौतिक **सत्यापन** पर कोई सामग्री विसंगतियों नहीं पाई गई।" कंपनी के ग्राहक परिसर पर पड़े **इनोवेटरी** का समुचित अभिलेख नहीं रखा गया था। जबकि, प्रबंधन द्वारा प्रमाणित "₹ 1.34 करोड़ राशि के स्टॉक बीईएमएल डिविजन में पड़े थे। भौतिक सत्यापन तथा समुचित अभिलेखो के अभाव में, विसंगतियों पर टिप्पणी का प्रश्न ही नहीं उठता।"

2.5.3 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी सीएजी की टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2011-12 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की और सरकारी कंपनियों के लेखाओं पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं ।

❖ **सूचीबद्ध कंपनियाँ**

लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी

कंपनी का नाम	टिप्पण
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	• एमटीएनएल निर्धारित कटौतियों की अनुमति के साथ-साथ लाइसेंस करार में निर्धारित वास्तविक भुगतान के आधार के स्थान पर दूरसंचार विवाद निपटारा अपीली प्राधिकरण (टीडीएसएटी) के दिनांक 30 अगस्त 2007 के आदेश पर आधारित प्रोद्भवन के आधार पर बीएसएनएल को भुगतानयोग्य इंटरकनेक्शन प्रयोग प्रसारो के लाइसेंस शुल्क की गणना करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टीडीएसएटी आदेश पर तब से कोई निर्णय नहीं लिया (अक्तूबर 2011); दूरसंचार विभाग ने भी तद्नुसार सभी लाइसेंसियों को निर्देश जारी किया था (नवम्बर, 2011)। हालांकि एमटीएनएल ने प्रोद्भवन आधार पर भुगतानयोग्य लाइसेंस शुल्क त्रुटिपूर्ण गणना करना जारी रखा तथा लेखाओं की टिप्पणियों (मद सं. 15) में ₹ 1403.60 मिलियन की संभावित देयताओं का खुलासा किया।

	• डीओटी के स्पष्टीकरण के पश्चात् बीएसएनएल द्वारा सुनिश्चित की गई वास्तविक भुगतान पर कटौतियों का दावा करने के बाद एमटीएनएल को अपनी लाइसेंस शुल्क देयताओ की गणना करने की आवश्यकता है। लेखाओं की टिप्पणियो की मद सं. 11 पर विस्तृत टिप्पणी के साथ पठित सांविधिक लेखापरीक्षक योग्यता सं. 4(सी) में दर्शाये गए प्रावधान के अनुसार बीएसएनएल तथा एमटीएनएल के बीच अधिशेषों की सुलह के अभाव में, बताए नहीं गये लाइसेंस शुल्क तथा अन्य मौजूदा देयताओं और फलस्वरूप उस वर्ष के लिए एमटीएनएल की हानि के छुपाव की मात्रा निर्धारित नहीं की जा सकती ।
द बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	• भारत सरकार, खान मंत्रालय के तहत भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दिनांक 02 जनवरी 2004 को जारी परिपत्र सं. 19 तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कंपनी द्वारा वहन किए जाने, खान समापन तथा पर्यावरण लागत की बहाली के लिए प्रावधान न होने के कारण ₹ 0.39 करोड़ का दीर्घकालिक प्रावधान महत्वपूर्ण था। • लीज़ नवीनीकरण पर देय स्टाम्प शुल्क का परिशोधन न होने पर ह्रास और ऋणमुक्ति खर्च ₹ 0.36 करोड़ तक कम बताया गया था। • चार महीने से पड़े गैर समायोजित अग्रिमों हेतु प्रावधान न होने से ₹ 0.48 करोड़ का अन्य व्यय कम बताया गया था जिसके परिणामस्वरूप उसी सीमा की राशि तक पूंजीगत कार्य प्रगति को अधिक बताया गया।

प्रकटन पर टिप्पणियाँ

कंपनी का नाम	टिप्पण
द बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	कंपनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची-VI की आवश्यकतानुसार दीर्घावधि या लघुअवधि के अंतर्गत छूट्टी नगदीकरण के लिए अलग-अलग प्रावधान नहीं किया गया था।

❖ **गैरसूचीबद्ध कंपनियॉ**

लाभप्रदता पर टिप्पणी

कंपनी का नाम	टिप्पणी
बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	• ₹ 4.50 करोड़ लागत की स्क्रैप के समायोजन से सूची में दो बार शामिल हो गया। • सूची में शामिल ₹ 0.51 करोड़ मूल्य की 965.22 मी.टन. बीएससीएल मेटल शीट पाइल्स की कमी के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।
एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड	• कंपनी द्वारा अकेले तय किए गए परिनिर्धारित नुकसान (एलडी) के बराबर संयंत्र तथा उपकरण के कुल ब्लॉक की नेटिंग के कारण ₹ 13.54 करोड़ का संयंत्र तथा उपकरण बेकार था, परियोजना की संविदात्मक समापन तिथि के बाद देरी के लिए ठेकेदार से वसूल की जानी थी। उपर्युक्त तरीके से एलडी धनराशि की गणना करने से निम्नलिखित हुए: (i) संयंत्र एंव उपकरण के कुल ब्लॉक तथा "अन्य चालू देयताओं " प्रत्येक के लिए ₹ 13.54 करोड़ का छिपाव; (ii) संयंत्र एवं उपकरण के कुल ब्लाक के लिए ₹ 13.37 करोड़ का छिपाव; (iii) वर्ष के लिए मूल्यह्रास तथा हानि प्रत्येक लिए ₹ 0.17 करोड़ का छिपाव। • बिजली की खरीद और बिक्री के प्रति ₹ 1.67 करोड़ राजस्व तथा व्यय थे अर्थात् वर्ष के दौरान बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बीएसईबी) से बिजली

	लेना तथा देना। लेखाओं की टिप्पणी सं. 46 में बिजली का निर्यात ₹ 5.97 करोड़ के तारतम्य मे किया गया था। हालांकि टिप्पणी सं.21 ए में, बीएसईबी से/को बिजली की कुल खरीद या बिक्री के कारण बिजली की बिक्री से ₹ 4.30 करोड़ राजस्व बताया गया था। इसी प्रकार, यद्यपि बिजली आयात करने पर ₹ 2.00 करोड़ का व्यय हुआ था, इसको टिप्पणी सं.25 में ₹ 0.33 करोड़ दर्शाया गया। इस प्रकार बीएसईबी से को बिजली की कुल खरीद या बिक्री से उस वर्ष में बिजली खरीद के प्रति व्यय तथा संचालन से ₹ 1.67 करोड़ राजस्व छिपाया गया।
इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (2009-10)	31 मार्च 2010 को सीआईएसएफ ऋषिकेश, हैदराबाद तथा गुड़गॉव इकाइयों को देय ब्याज भुगतान के लिए ₹ 9.84 करोड़ की कुल माँग नहीं की गई।
इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड	मंग्लोर सेज लिमिटेड सीमारेखा के बाहर स्थित आईएसपीआरएल वाल्व स्टेशन तक पहुँच के लिए 2 मार्गी बाय-पास सड़क की पुनर्मार्गीकरण पर किए गये व्यय के प्रति ₹ 3.43 करोड़ गैर-मौजूदा परिसम्पत्ति, शामिल थी, जो कंपनी की परिसम्पत्ति नहीं थी। इसे राजस्व को प्रभारित न करने के बजाय पूँजीकृत किया गया है।
इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड	लेखा पुस्तिकाओं में ₹ 29.41 करोड़ राशि की आयकर देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया था।
मझगाँव डाक्स लिमिटेड	कंपनी को परिनिर्धारित नुकसान हुआ तथा 17 वर्ग मालवाहकों (जहाजों) के ग्राहकों को इसके प्रति की गई आपूर्तियों में देरी के प्रति आपूर्तिकर्ताओं से ₹ 21.09 करोड़ की विविध वसूलियाँ हुई। चूँकि जहाज कंपनी पर और तय कीमत पर था, लाभ ग्राहकों को नहीं मिलना चाहिए। इससे ₹ 21.09 करोड़ की उत्पाद लागत तथा विविध आय का छिपाव हुआ।

वित्तीय स्थितियों पर टिप्पणियाँ

कंपनी का नाम	टिप्पणी
भारत संचार निगम लिमिटेड	चालू खाते में महानगर दूरसंचार निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) की वसूली योग्य राशि और देय राशि क्रमशः ₹ 3,164.30 करोड़ और ₹ 924.48 करोड़ बताई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप एमटीएनएल से ₹ 2239.82 करोड़ की निवल वूसली योग्य राशि का पता चला। हालांकि, वर्ष 2011-12 के लिए एमटीएनएल के स्वीकृत वार्षिक खाते के अनुसार, कंपनी से वसूली योग्य राशि और देय राशि क्रमशः ₹ 3067.97 करोड़ और ₹ 1520.58 करोड़, जिसके परिणामस्वरूप बीएसएनएल से ₹ 1547.39 करोड़ की निवल वसूली योग्य राशि का पता चला। इस प्रकार, एक ही मंत्रालय के अंतर्गत दो सरकारी कंपनियों के बीच प्राप्य /देय राशि में ₹ 3787.21 करोड़ का निवल अंतर था। हालांकि, मामले की 2001-2002 से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षा द्वारा कई बार आलोचना की गई थी, यह स्पष्ट है कि उचित कार्रवाई नहीं की गई और अंतर वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है, जिसे तत्काल सामंजस्य की आवश्यकता है।
डैडिकेटेड फ्रैइट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	लघुकालिक ऋण और अग्रिम राशि में रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार ₹ 15 करोड़ की बजाय भूमि अधिग्रहण पर व्यय के लिए रेल मंत्रालय से दावा किया जा रहा ₹ 28.48 करोड़ मुआवजा शामिल है।
जम्मू एवं कश्मीर मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	परिनिर्धारित व्यय (समायोजित या न लिखि गई सीमा तक) कंपनी के अधिकृत शेयर पूंजी में बढ़त के प्रति कंपनी के रजिस्ट्रार को वर्ष 2010-11 के दौरान भुगतान किया गया निर्धारित शुल्क दर्शाता है। राजस्व प्रकृति वाली राशि को लाभ और हानि खाते में प्रभारित करना चाहिए। राशि को गैर-प्रभारित करने के कारण "परिनिर्धारित व्यय" का ₹ 0.30 करोड़ से अधिक बताया गया और उसी सीमा तक वर्ष के लिए हानि को कम बताया गया। इसकी वर्ष 2010-11 में कंपनी के खाते की लेखापरीक्षा में आलोचना की गई थी लेकिन कंपनी

	ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।
पैट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड	1. स्कंध क) 2003 में मान्यता प्राप्त पाइपलाइन परियोजना के अधिशेष परियोजना सामग्री के अधिमूल्यांकन के कारण ₹ 2.53 करोड़ से अधिक बताई गई। सामग्री की कीमत ₹ 6.08 करोड़ लगाई गई जबकि नीलामी द्वारा प्राप्त किया गया निष्पाद्य मूल्य केवल ₹ 3.55 करोड़ था। अतः लाभ ₹ 2.53 करोड़ से अधिक बताया गया। ख) 2003 में पाइप लाइन परियोजना की कमीशनिंग से स्टॉक में रखा हुआ समान और पुर्जों की ₹ 5.06 करोड़ कीमत शामिल है। पुर्जों की आवश्यकता मूल उपकरण निर्माताओं के मानकों के अनुसार थी और इसलिए मुख्य परिसंपत्ति के साथ पूंजीकृत किया जाना चाहिए और मुख्य परिसंपत्ति के उपयोगी कार्यकाल के दौरान बट्टे खाते में डाल दिया।
	2. लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम 2000 से 2003 में किये गये भूमि अधिग्रहण की संभावित लागत के लिए अदा किया गया अग्रिमों की गैर-पूंजीकरण के कारण ₹ 0.30 करोड़ की राशि बढा कर बताई गई। कम्पनी के पक्ष में स्वामित्व विलेख के पंजीकरण का जो प्रकटन लंबित था वह लेखा टिप्पणी में दिखाया जाना चाहिए था।
सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड	कम्पनी ने इस तथ्य को नहीं बताया कि एडम्स ब्रिज क्षेत्र में ड्रेजिंग कार्य का 9.52 एम.क्यूमी. करने का दावा भारत ड्रेजिंग कार्पोरेशन ने किया था जिसके लिए उसने अग्रिम के रूप में ₹ 99.42 करोड़ राशि प्रदान की, और ड्रेज्डकार्य एक संभावित उत्तरदायित्व के आधार पर मुख्य प्रगतिशील कार्य के अंतर्गत नहीं रखा गया।

प्रकटन पर टिप्पणियां

कंपनी का नाम	टिप्पणी
एनर्जीएफिशन्सी सर्विसेज़ लिमिटेड	वित्तीय विवरण की नोट सं. 2 इस हद तक अपूर्ण थी कि कंपनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची vi के अनुसार आवश्यक कम्पनी के शेयरों में "पाँच प्रतिशत से अधिक शेयरों के प्रत्येक शेयर होल्डर द्वारा रखे गये शेयरों की संख्या" को नहीं बता सका।
कोंकण रेलवे कार्पोरेट लिमिटेड	लंबी अवधि वाले ऋण और अग्रिमों की राशि ₹ 17.83 करोड़ कोंकण रेलवे वैलफेयर संस्था को बिना किसी समझौते के या ऋण के प्रति प्राप्त संपत्ति प्रभार के बिना दे दिया गया।
आरईसी पावर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	कम्पनी के खातों से जानकारी नहीं मिली: (i) एएस-20 के अनुसार प्रतिशेयर के उपार्जन की प्रक्रिया (ii) एएस -29 के अनुसार प्रावधानों और संचलन का विवरण
सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड	शिपिंग, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में, अक्तूबर 2008 में, ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ₹ 338.94 करोड़ का दावा किया जिस पर कम्पनी द्वारा विवाद किया था। इस संबंध में लेखा में कोइ देयता नहीं दर्शायी गई थी। ये तथ्य कम्पनी द्वारा उचित ढंग से प्रकट नहीं किये गये थे।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
दिल्ली एविऐशन फ्यूल फेसीलिटी प्राईवेट लिमिटेड	पूंजी की ह्रासित दर में परिवर्तन के समायोजन के संबंध में टिप्पणी में, ह्रास में परिवर्तन के कारण ह्रास में कमी और लाभ में ₹ 20.13 करोड़ की वृद्धि प्रकट नहीं की गई थी।
भारतीय रेलवे खानपान और	कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना के

पयर्टन कार्पोरेशन लिमिटेड	अनुपालन में, कम्पनी कीमत द्वारा रिकॉर्ड तैयार करने आवश्यक थे। कम्पनी कोई भी कीमत रिकार्ड रखने में विफल रही और लेखापरीक्षक भी उसकी रिपोर्ट देने में असफल रहे।
न्यू मैंगलोर पोर्ट बोर्ड कम्पनी लिमिटेड	लेखापरीक्षक की रिपोर्ट इस हद तक अपूर्ण थी कि न तो इसके प्राक्कथन में नकदी प्रवाह विवरण का जिक्र था न ही भारत के चार्टड एकाउंटेंटस संस्थान द्वारा जारी लेखापरीक्षा पर मानक (एसए) 700 के अनुसार 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षकों के विचार नकदी प्रवाह विवरण नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं दर्शाते थे।

अन्य टिप्पणियाँ

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
भारतीय रेल बिजली कम्पनी लिमिटेड	• अचल परिसंपत्ति की अधिप्राप्ति के लिए दर्शाई गई अग्रिम पूंजी ₹ 52.76 करोड़ के ऋण (अरक्षित) (टिप्पणी सं. 14) पर जारी सामग्री के साथ-साथ ठेकेदार और आपूर्तिकर्ता जिनका वर्गीकरण भारत के चार्टड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम ,1956 की संशोधित अनुसूची VI के मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार गैर-मौजूदा परिसंपत्तियों में किया जाना चाहिए था। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 52.76 करोड़ का "छोटी अवधि ऋण और अग्रिमों " को अधिक बताया गया जिसके फलस्वरूप इसी सीमा तक लंबी अवधि ऋण और अग्रिमों " (टिप्पणी सं. 12) को कम बताया गया। • पूंजीगत लेखा पर संविदा की संभावित राशि को क्रियान्वित करना शेष था और 31 मार्च 2012 (टिप्पणी सं. 22.13) तक प्रदान न की गई ₹ 345.74 करोड़ को अधिक बताने के कारण (i) देयता का गैर -समायोजन हुआ (₹ 122.58 करोड़) और (ii) गलत मूल्य लेना (क) विभिन्न संविदा पैकेज के संबंध में प्रशस्ति पत्र (₹ 79.29 करोड), (ख) पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम (₹ 52.90 करोड़) (ग) कार्यप्रगति हेतु की जाने वाली अदायगी

	(₹ 88.52 करोड़) और (iii) गणना त्रुटियां (₹ 2.45 करोड़)
इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (2009-10)	31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम्पनी के लेखों पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणी सं.1 को संदर्भ में लाया गया और मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए जीवप्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आर और डी परियोजनाओं के लिए मार्च 1990 भारत सरकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जीव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) से प्राप्त खर्च न किया गया "अनुदान " सी टिप्पणी को संदर्भ से जोड़ा गया। अनुदान की शर्तों के अनुसार, कम्पनी को अनुदान के लिए एक अलग बैंक खाता रखने की आवश्यकता थी, और खर्च न की गई शेष राशि सरकार को वापिस करनी थी और निधियां राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड के विशिष्ट अनुमोदन से आगे तक ले जाई जानी थी। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त पर अर्जित ब्याज की सूचना डीबीटी को दी जानी थी और अनुदान की आगे की किश्तों में समायोजित या परियोजना के अंत में वापस की जानी थी। हालांकि, 31 मार्च 2010 तक न तो कम्पनी ने खर्च न की गई शेष राशि को वापस किया न ही उसे अलग बैंक खाते में रखा।
आरईसी ट्रांसमीशन प्रोजेक्ट्स कम्पनी लिमिटेड	भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम,1956 की संशोधित अनुसूची VI पर मार्गदर्शन टिप्पणी के पैरा ग्राफ 8.8.4 और 6.4 के संबंध में वित्तीय विवरण की टिप्पणी सं. 9 इस हद तक अपूर्ण थी कि: (i) "नकद और नकद समकक्ष " की अपेक्षा नोट का नामकरण "नकद और बैंक बकाया" होना चाहिए था; (ii) 12 माह से अधिक के बैंक जमा की मैच्योरिटी को गलती से "शून्य " दिखाया गया था क्योंकि 12 माह से अधिक की मैच्यूरिटी के साथ कुल बैंक जमा ₹ 13.00 करोड़ बैंक जमा में शामिल है। ये बैंक जमा शीर्षक "नकदी और बैंक बकाया " के अन्तर्गत उप शीर्षक "अन्य बैंक बकाया" के अंतर्गत दिखाये जाने चाहिए थे।

❖ गैर सूचीबद्ध मानी गई सरकारी कंपनियां

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

कंपनी का नाम	टिप्पणी
भरूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड	₹12.72 करोड़ का निवेश वाला फिक्स्ड डिपोजिट कैनरा बैंक में सिक्योरिटी डिपोजिट ₹ 230 करोड़ का एक अवधि ऋण के प्रति बैंक का देय ब्याज की दो तिमाहियों की किश्तों के समान राशि को कवर करने के रूप में रखा गया। इसके परिणामस्वरूप निवेश अधिक बताए गए और "नकद और नकद समकक्षों " का कम बताए गए ।
बोकारों पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	टर्बो जनरेटरों 6,7 और 8 के लिए वर्ष 2009 में स्टोर और पुर्जों में शामिल बीमाकृत पूर्जों में ₹ 2.63 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। लेखा मानक 10 के प्रावधानों के अनुसार इन बीमाकृत पुर्जों के पूंजीकरण की अपेक्षा, यह दिखाई गई सूची और मूल्यह्रास की राशि ₹ 2.17 करोड़ (31.03.1012 तक) प्रावधानों के अनुसार नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप "नेट ब्लॉक" ₹ 0.46 करोड़ का कम बताए गए, ₹ 2.63 करोड़ की "इंवेन्ट्री" अधिक बताई गई और अवधि के लाभ के लिए ₹ 2.17 करोड़ अधिक बताया गया।

प्रकटन पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
भरूच दहेज रेलवे कम्पनी लिमिटेड	• मूर्त संपत्तियों के संबंध में टिप्पणी इस हद तक अपूर्ण थी कि गुजरात औद्योगिक विकास निगम से पट्टे पर ली गई ₹ 5.02 करोड़ की भूमि और पट्टे की अवधि को नहीं बता रही थी। • इन लेखों ने 28 फरवरी 2011 को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI की आवश्यकताओं के उल्लंघन में आबंटन लंबित शेयर आवेदन धन संबंधित निम्नलिखित विवरण का खुलासा नहीं किया:. ➢ नियम और शर्तें; ➢ वह अवधि जिसमें शेयरों को आबंटित किया

	गया था; और ➢ वह अवधि जिसके लिए आवंटन के समय के बाद भी शेयर आवेदन धन को लंबित होने के कारण शेयर आवेदन धन लंबित पड़ा हुआ था।
बोकारो पावर स्प्लाई कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	• 9वें बायलर परियोजना हेतु किये गये कार्य के लिए छः एंजेसियों द्वारा किया गया ₹41.94 करोड़ का दावा आकस्मिक देयता में शामिल नही किया गया था। • संविदा की अनुमानित राशि पूंजीगत खाते (अग्रिम का कुल) पर निष्पादित नहीं की गई और कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची -VI के प्रावधानों के अनुसार 2 x 250 मै. वा. पावर प्लांट परियोजना हेतु ₹ 24.78 करोड़ की राशि के प्रदान न करने को नहीं दर्शाया गया।

लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
सेल और मोईल फैरो एलॉयज प्राईवेट लिमिटेड	सांविधिक लेखापरीक्षक ने एक अस्वीकरण जारी करके कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रस्तुत करने में असमर्थता व्यक्त की। हालांकि , सांविधिक लेखापरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कानून के अनुसार आवश्यक "सही बही खाते " कम्पनी द्वारा रखे गये है; रिपोर्ट से बैलंस शीट बही खातों के साथ तालमेल खाती है; और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3) में संदर्भित लेखा मानकों का रिपोर्ट की बैंलस शीट द्वारा अनुपालन हो रहा है। सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अस्वीकरण जारी करना उचित नहीं था।

अन्य टिप्पियां

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
एलआईसी कार्डस सर्विसेज़ लिमिटेड	31 मार्च 2009, 31 मार्च 2010 और 31 मार्च 2011 को समाप्त लेखा अवधि के लिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा कम्पनी के लेखापरीक्षक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति नहीं की जाती। इसके अलावा, इस समयावधि के लिए कम्पनी द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अनुसार आवश्यक भारत के सीएंडएजी की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) के अंतर्गत भारत के सीएंडएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षक के लिए लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के साथ उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियां भी प्रस्तुत नहीं की। परिणामस्वरूप कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(5) के अनुसार आवश्यक इन वार्षिक लेखों के विवेचन हेतु की गई अपनी वार्षिक सामान्य बैठकों में उक्त अवधि के लिए अपने वार्षिक लेखों पर भारत के सीएंडएजी की टिप्पणियां प्राप्त करने में असफल रही।
नेशनल हाई पावर टैस्ट लेबोरेट्री प्राइवेट लिमिटेड	लेखापरीक्षक ने 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण की रिपोर्ट नहीं दी जो कम्पनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन था।
नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	आपूर्तिकत्ताओं को अग्रिम (टिप्पणी सं. 13) ₹ 18.66 करोड़ की राशि का जिसने परियोजना साईट पर ाअचल परिसंपत्ति के निर्माण हेतु ठेकेदारों /आपूर्तिकर्त्ताओं के पूंजी अग्रिम को दर्शाया, जो भारत के चार्टड एकाउटैंटस संस्थान द्वारा जारी कम्पनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची VI की मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में वर्गीकृत की जानी चाहिए थी।

❖ सांविधिक निगम जहाँ सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है।

सांविधिक निगमों जहाँ सीएजी एक मात्र लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करते हैं के लेखाओं पर सीएजी द्वारा जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे ब्यौराबद्ध है:

भारतीय खाद्य निगम-वर्ष 2010-11 के लिए लेखा

(i) प्रबन्धन ने सीएजी द्वारा की गई आपत्ति के आधार पर ₹ 8006.69 करोड़ तक के अनन्तियो लेखाओं में संशोधन किया था। इसके अतिरिक्त इसमें ₹ 388.50 करोड़ की चूक पाई गई।

(ii) उपरोक्त के आधार पर सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा आपत्ति का निवल प्रभाव निम्नवत है:

(क) दो परियोजनाओं में किए गए हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर व्यय के गैर पूँजीकरण के कारण ₹ 11.90 करोड़ तक अचल परिसम्पत्तियाँ कम बतायी गई थीं।

(ख) चावल के स्टॉक के गलत प्रयोग के समावेशन के कारण अंतिम स्टॉक ₹ 2.13 करोड़ तक अधिक बताया गया था।

(ग) विविध देनदार ₹ 11.86 करोड़ तक अधिक बताये गए थे।

(घ) प्राप्य दावे ₹ 355 करोड़ तक अधिक बताए गए थे।

(ड.) चालू देयताएँ ₹ 471.69 करोड़ तक अधिक बतायी गयी थी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(i) पीएंडएल लेखा के क्रेडिट शेष में एजेन्सी प्रभार, 31 मार्च 2008 तक की अवधि के लिए कल्पित रूप में पहचान की गई थी जबकि भारत सरकार से एजेंसी प्रभारों के लिए कोई संस्वीकृति नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत प्रगतिशील कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) सहित आरक्षित एवं अधिशेष को ₹ 411.99 करोड़ तक अधिक बताया गय।

(ii) भूमि अधिग्रहण के सक्षम प्राधिकरण के साथ संयुक्त बैंक खाते में राशि पर प्राप्त ब्याज की गैर -बुकिंग और गौंण ऋण पर ब्याज और टोल शुल्क, श्रमिक कल्याण उपकर निधि, स्वतंत्र सलाहकार के पारिश्रमिक के हिस्से , वित्तीय समापन में बिल्म्ब के लिए जुर्माना राजस्व के बंटवारे के प्रति समझौते के अनुसार ठेकेदारों/छूटग्राहियों से वसूली योग्य राशि के गैर -लेखांकन के कारण ₹138.45 करोड़ तक वसूली योग्य दावे कम बताए गए थे। इसके परिणमस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी ₹ 96.21 करोड़ तक अधिक बताया गया और वर्तमान देयताएं ₹ 42.24 करोड़ तक कम बताई गई।

(iii) विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों से बिना उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त किये सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत ₹ 10.08 करोड़ की राशि के लेखांकन के कारण निक्षेप कार्य के प्रति अग्रिम ₹10.08 करोड़ तक कम बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप "सीडब्ल्यूआईपी" ₹ 10.08 करोड़ तक अधिक बताया गया था।

(iv) लेखांकन नीति संख्या 8 के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी के अन्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/एजेंसियों को प्रदत्त अग्रिमों के गैर-लेखांकन के कारण निक्षेप कार्यों के प्रति अग्रिम ₹ 13.11 करोड़ तक अधिक बताया गया। परिणामस्वरूप, सीडब्ल्यूआईपी उक्त राशि तक अधिक बताया गया था।

(v) अप्रयुक्त अनुदान ₹ 36.46 करोड़ तक अधिक बताया गया क्योंकि उसमें एक बार उठाये गये कदम के रूप में, भारत सरकार द्वारा प्राप्त, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के बजाय राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए निक्षेप कार्य के लिए अग्रिम के प्रति प्राधिकरण के पास शेष राशि शामिल है। जिसे "अन्य के खाते में रखी गई जमा राशि " शीर्ष के अन्तर्गत बुक किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप "अन्य के खाते में रखी जमा राशि " ₹ 36.46 करोड़ तक कम बताई गई थी।

(vi) कानूनी मामले और मध्यस्थता प्राधिकरण के प्रति दावों के गैर- समावेशन के कारण आकस्मिक देयताएं ₹ 669.64 करोड़ तक कम बताई गई थीं।

(vii) पूर्ण हुई परियोजनाओं के पूँजीकरण/हस्तांतरण लम्बित होने पर प्राधिकरण ने न तो अचल परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण स्पष्ट किया न ही ₹ 49,813.50 करोड़ (बीओटी एनुनिटी प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में ₹ 6272.89 करोड़) और बीओटी टोल परियोजनाओं (नोट 20 के संदर्भ में) के सम्बन्ध में ₹ 2147.67 करोड़ की पूर्ण हुई परियोजनाओं पर मूल्यह्रास का प्रावधान किया जो लेखांकन मानक 6 का उल्लंघन है। पूँजीकरण के अभाव में वित्तीय स्थिति पर उपरोक्त का प्रभाव अभिनिश्चेय नहीं था।

(viii) उधार में ₹0.12 करोड़ के खाता मूल्य के साथ अहमदाबाद में एक फ्लैट के प्रति रक्षित पूँजी अभिलाभ कर मुक्त ब्रांड के सम्बन्ध में ₹ 5825.25 करोड़ के रक्षित कर्जे शामिल थे। प्रतिभूति कर्ज की राशि एवं फ्लैट के मूल्य को विचार करते हुए अपर्याप्त थी ।

(ix) लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर खाते में प्राधिकरण ने ₹ 1310 करोड़ तक की सीमा का सुधार किया, जैसा नीचे बताया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	इंटर हेड		इंट्रा हेड	
		डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
1	परिसंपत्तियां	976.65	81.52	333.35	333.35
2	देयताएं	---	895.13	---	---
	कुल	**976.65**	**976.65**	**333.35**	**333.35**

2.6 लेखांकन मानकों से विचलन

कम्पनी अधिनियम की धारा 211 की उप-धारा (3सी) और धारा 210ए की उप-धारा (1) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 642 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से लेखांकन मानक पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श से केन्द्रीय सरकार ने भारतीय लेखाकार संस्थान द्वारा यथा संस्तुत लेखांकन मानक 1 से 7 और 9 से 29 को नियत किया।

सांविधिक लेखापरीक्षक ने सूचित किया कि परिशिष्ट ix में ब्यौराबद्ध 50 कम्पनियाँ अनिवार्य लेखांकन मानकों से विचलित हुई।

तथापि, अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने पाया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया था:

लेखा मानक		कम्पनी का नाम	विचलन
एएस-2	स्कंध का मूल्यांकन	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	कम्पनी प्रगतिशील कार्य की लागत के विविध प्रत्यक्ष प्रभार के रूप में ₹146.16 करोड़ के लिए जिम्मेदार थी हालांकि ये व्यय के मद उत्पादन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित लागत का भाग नहीं बनता या उनके वर्तमान स्थान और स्थिति की सूची में लाता है।
		मझगांव डॉक्स लिमिटेड	कम्पनी ने संविदा के अनुसार कुल प्राप्तियोग्य मूल्य की अपेक्षा विभिन्न ग्राहकों से प्राप्त प्रस्ताव पर आधारित बहुउद्देशीय सहायक पोत हेतु प्रगतिशील कार्य को महत्व देने के परिणामस्वरूप प्रगतिशील कार्य के लिए ₹10 करोड़ अधिक बताए गए ।
एएस-10	अचल संपत्तियों के लिए लेखांकन	बोकारों पावर सप्लाई कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	"अचल संपत्तियों " के अन्तर्गत पूंजीकरण की अपेक्षा "सूचीं" के अन्तर्गत टर्बो जनरेटर के बीमाकृत पुर्जों को दर्शाया गया।
एएस-13	निवेशों का लेखांकन	इंडियन ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल लिमिटेड(2009-10)	कम्पनी ने सहायक कम्पनियों और संयुक्त उद्यमों में ₹ 29.79 करोड़ मूल्य का निवेश किया जिनके संबंध में सभी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के कुल निवल संपत्ति के प्रयोग के बावजूद मूल्य का कोई ह्रास नहीं हुआ।
एएस-22	आय पर कर का लेखांकन	एचपीसीएल बायोफ्यूलस लिमिटेड	₹ 29.25 करोड़ की कर देयता का विलम्बन और ₹ 16.68 करोड़ की कर संपत्ति के विलम्बन को मान्यता प्राप्त नहीं हुई। ₹ 12.57 करोड़ (₹ 29.25 करोड़- ₹ 16.68 करोड़)

			की कुल विलम्बित कर देयता 31 मार्च 2012 तक प्राप्त होनी चाहिए थी। विलम्बित कर देयता (कुल) और वर्ष की हानि ₹ 12.57 करोड़ कम बताई गई।
		प्राईज़ पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	कम्पनी के पास 31 मार्च 2012 तक बैलंस शीट में ₹10.56 करोड़ (कुल) विलंबित कर पूंजी (डीटीए) देय थी। वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग् तिथि पर विश्वसनीय और ठोस प्रमाण, अतिरिक्त डीटीएज़ की स्वीकृति के साथ भविष्य में कर योग्य आय के लिए यथार्थ निश्चितता के न होने के कारण और कुल डीटीए को आगे ले जाना एएस-22 के प्रावधानों का उल्लंघन था।

2.7 प्रबन्धन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और कॉरपोरेट इकाई के अभिशासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से व्युत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर संवाद स्थापित करना है।

पीएसईज के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आपत्तियाँ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सीएजी की टिप्पणियों के रूप में सूचित की गयी थी। इन टिप्पणियों के अलावा वित्तीय रिपोर्टें में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताएँ अथवा त्रुटियाँ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रबन्धन पत्र के माध्यम से प्रबन्धन को भी संसूचित की गई थी। ये त्रुटियाँ सामान्यतया निम्नलिखित से सम्बन्धित थीः-

- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं को लागू और व्याख्या करना,
- लेखापरीक्षा के अन्तर्गत व्युत्पन्न समायोजन जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सका था और
- कतिपय सूचना का अपर्याप्त अथवा प्रकटन न करना जिस पर सम्बन्धित पीएसई ने आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई आगामी वर्ष के लिए की गई होगी।.

वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा 105 कम्पनियों को प्रबन्धन -पत्र जारी किए गए थे।

2.8 सांविधिक निगमों/सरकारी निगमों के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की महत्वपूर्ण आपत्तियाँ

❖ सांविधिक निगम

वर्ष 2011-12 के लिए सांविधिक निगमों के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

क्रम संख्या	निगम का नाम	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1.	केन्द्रीय भंडारण निगम	• 66 पूर्ण स्वामित्व /पट्टा धृत भूमि साईटों के संबंध में स्वमित्व विलेख और 88 आवासीय फ्लैटों के संबंध में हस्तांतरण विलेख निगम के पक्ष में निष्पादन हेतु लंबित थे। • पट्टा धृति भूमि पर निर्मित भवनों पट्टा अवधि के दौरान मूल्यह्रास 1.63 *प्रतिशत* की दर पर मूल्य ह्रासित हुआ था जिसके परिणामस्वरूप लाभ और ऐसे भवनों के खाता मूल्य अधिक बताये गये। • पट्टा धृत भूमि हेतु अदा किया गया प्रिमियम, 90 वर्षों की पट्टा अवधि के मामले में कंटेनर यार्ड/खुले स्थान की लागत और उपरोक्त लीज की अवधि से अधिक लिखे जाने के परिणामस्वयप् ऐसे पट्टा धृत भूमियों, कंटेनर यार्ड/खुले क्षेत्र के लाभ और खाता मूल्य अधिक बताए गये।

❖ सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां

वर्ष 2011-12 के लिए सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीच दी गई है:

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	लेखपरीक्षक का टिप्पणी
1	ईस्टर्न इनवेस्टमेंट लिमिटेड	• ओंडल संपत्ति और संड्रा संपत्ति के भवन के संबंध में ब्लॉक और विकास पर मूल्यह्रास न तो अभिनिश्चित किया गया था न ही लेखाओं में प्रावधान दिया गया था। • कम्पनी के लारेंस संपत्ति पर किराया एंव उपकर का प्रावधान न तो अभिनिश्चित किया गया था न ही

		लेखाओं में प्रावधान किया गया था।
2	फर्टीलाइज़र्स और केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	1. थोक बिक्री के लिए अनुमोदित विक्रय मूल्य पर आधारित कुल निष्पाद्य मूल्यों की अपेक्षा आगे आने वाले पांच वर्षो की संभावित बिक्री के औसत विक्रय मूल्य पर अधारित स्टॉक का मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप जिप्सम के स्टॉक का ₹ 58.95 करोड़ का और उसी सीमा तक लाभ स्फीति का अधिक मूल्य निर्धारण हुआ। 2. (i) ₹ 7.18 करोड़ की ब्याज आय वर्ष के दौरान स्वीकृत की गई थी और वर्ष के अंत तक निष्पाद्यय में महत्वपूर्ण संदिग्धता को ध्यान में रखते हुए प्राप्य संचित ब्याज पर संदिग्ध ऋण पर एक ठेकेदार के अग्रिम संग्रहण पर प्रावधन नहीं थे। (ii) ठेके के निरस्तीकरण पर कम्पनी के विरूद्ध कम प्रभारों और हर्जानों के लिए ठेकेदार ने ₹ 1781.01 का दावा किया और यह विवाद अभी निर्णयाधीन था। उक्त दावा केवल आकस्मिक देयता के लिए दर्शाया गया था और संभावित देयता के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।
3	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमीकल्स लिमिटेड	विविध देनदार, विविध लेनदार, ऋण और अन्तिम, अन्य वर्तमान संपत्तियों के शेष और अन्य डेबिट/क्रेडिट शेष स्वीकृति और पुनर्विचार के लिए लंबित थे।
4	एचएमटी लिमिटेड	कम्पनी अपने अनुषंगी एचएमटी चाईनर वॉचिज लिमिटेड को 31 मार्च 2012 तक लगभग ₹ 76.65 करोड़ का ऋण और अग्रिम दे चुकी थी। चुंकि अनुषंगी की निवल संपत्ति कम हो गई थी और लगातार हानि को झेलने के कारण वसूली अनिश्चित समझी जानी चाहिए थी। परिणामस्वरूप वर्ष की हानि और संचित हानि कम बताई गई थी और इसी सीमा तक ऋण और अग्रिम अधिक बताये गये थे।
5	आईटीआई लिमिटेड	कम्पनी ने गारंटी फीस की अदायगी न करने के कारण लगाई गई ₹ 26.85 करोड़ की उद्ग्रहित शस्ति की व्यवस्था नहीं कि जिसके परिणामस्वरूप् हानि और वर्तमान देयताएं कम बताई गई।
6	महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड	• लाईसेंस समझौते की शर्तों के विरूद्ध जो वास्तविक प्रावधान उपचय के आधार पर तैयार

		किये गये थे, की अपेक्षा लाईसेंस फीस के रूप में दूरसंचार विभाग को ₹ 1403.63 मिलियन राशि दी जाने वाली राशि आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाई गई थी। जिसके अनुसार सकल राजस्व से व्यय/कटौतियां वास्तविक भुगतान आधार पर स्वीकार की गई थी। • दूरसंचार विभाग/ भारत संचार निगम लिमिटेड से वसूलीयोग्य राशि समाधान एवं पुष्टिकरण के अध्यधीन थी। एक दूसरे के दावों के सम्बन्ध विभिन्न लम्बित विवादों के मद्देनजर कम्पनी की लाभप्रदता पर उसके प्रभाव पर टिप्पणी नहीं की जा सकी। • इंजीनियरिंग विभाग द्वारा समापन प्रमाण पत्र को जारी करने की प्रणाली को सुदृढ करने की आवयश्यकता है। अचल संपत्तियों और मूल्यह्रास पर समापन प्रमाण पत्र के जारी करने मे देरी के कारण प्रभाव निश्चित नहीं था। • स्थापना संबंधी खर्चों और प्रशासनिक खर्चों से संबंधित कंपनी की नीति और अधिक वैज्ञानिक बनाने की आवश्यकता है और उक्त को श्रम और मशीनो के व्यर्थ प्रयोग के कारण पूंजी की हानि से बचाना चाहिए। • कंपनी ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची VI के अंतर्गत निम्नलिखित का प्रकटीकरण नहीं कियाः ➢ प्रतिभूति जमा राशि को ध्यान में न रखते हुए अरक्षित के रूप मे व्यापार प्राप्य का वर्गीकरण जिसे कम्पनी ने ग्राहकों से प्राप्त किया था; ➢ व्यापार प्राप्य की अपेक्षा ऋण और अग्रिम के रूप में बीएसएनएल से प्राप्य राशि का वर्गीकरण; ➢ आयातित और स्वदेशी भंडारों और पुर्जों की खपत और कुल खपत का प्रतिशत।

7	नवेली लिग्नाईट कार्पोरेशन लिमिटेड	भौतिक सत्यापन में विसंगतियों के कारण ₹ एक करोड़ की अनिश्चित हानि का प्रावधान किया गया।

❖ गैर-सूचीबद्ध कम्पनियां

वर्ष 2011-12 के लिए गैर-सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों और मानी गई सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे दी गई हैः

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1	एग्रीकलचरल इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कम्पनी ने ₹ 200 करोड़ की एक राशि भारत की समेकित निधि की परिभाषा के रूप में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का पुनर्निर्धारण करने के लिए और उक्त को बैलंस शीट मे "अग्रिम और अन्य संपत्तियों" के रूप में दर्शाया जाना जारी था। यह राशि प्रतिधारित लाभों/आरक्षित निधियो, उक्त योजना के लंबित पुनर्निर्धारण के समायोजित नही की गई थी।
2	अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रैसवे कम्पनी लिमिटेड	आयकर विभाग द्वारा प्राप्त ₹1.84 करोड़ का प्रतिदाय ठेकेदार से प्राप्य राशि को घटाकर विवरणों में प्रदर्शित हो रहा था। कम्पनी उक्त ठेकेदार से प्राप्य राशि के रूप में ₹ 1.84 करोड़ की राशि दर्शा रही थी।
3	अंडमान और निकोबार आईलैडस फोरेस्ट एंड प्लानटेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	कम्पनी के मुख्य उत्पाद लकड़ी की, की जार रही बिक्री अवैध हो गई थी, मंत्रालय का निर्णय इस मामले में लंबित रखते हुए, निगम के लेखे "चालू अवधारणा" के आधार पर तैयार किये गये थे।
4	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	सक्षम प्राधिकरण के समक्ष लंबित विवाद के कारण ₹ 88.46 करोड़ के सकल वैधानिक देय का भुगतान नहीं किया गया था।
5	भारत संचार निगम लिमिटेड	• दूरसंचार विभग से परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को लेने की प्रक्रिया अभी प्रगति में थी। • दूरसंचार विभाग से ली गई विभिन्न अचल सम्पत्तियों के मालिकाना हक कम्पनी के नाम मे अभी हस्तांतरित किए जाने थे।
6	ब्रहमपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड	मैसर्स पीडीआईएल की परियोजना व्यवहार्यता प्रतिवेदन के साथ-साथ एफआई सीसी की मूल्य निर्धारण नीति के साथ समानता रखने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 के अनुसार प्लांट और मशीनरी (पुनर्निर्माण) का मूल्य ह्रास 5.28 प्रतिशत के प्रति 6.33 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जा रहा था जिसका वित्तीय वर्ष 2002-03 के बाद से ₹ 41.62 करोड़ की सीमा तक हानि में संचयी प्रभाव हुआ और वर्ष के लिए

		₹ 6.23 करोड़ तक हानि में वृद्धि का प्रभाव हुआ।
7	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन (वर्ष 2010-11 का खाता)	• कम्पनी प्रत्येक 100 के 14 प्रतिशत संचयी विमोच्य वरीयता शेयर के लिए संचित लाभांश को प्रदान और प्रतिदान करने में लगातार चूक करती रही। आगे लाभांश के कारण देयताएं, ब्याज /देय जुर्माने को मामले की शर्तों की गैर-उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। • कम्पनी तय परिसंपत्ति के रूप में कुछ भूमि को दिखाना जारी रखती है, जिसका हस्तांतरण विलेख को लागू करने के लिए उसका आधिपत्य संबंधित क्रेता को "बिक्री करार" के प्रति दिया गया था। जिसके परिणामस्वरूप तय परिसंपत्ति की कीमत वर्तमान देयताएं और लाभ/हानि पर उनके प्रभाव की यथार्थता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।
8	ब्रोडकासट इंजीनियरिंग कंसलटेंटस इंडिया लिमिटेड	राष्ट्रमंडल खेल 2010 के संबंध में प्रसार भारती को प्रदान की गई अन्य सेंवाओ और प्रसारण सुविध के समायोजना के प्रति ₹ 25.65 करोड़ की आय बुक की गई थी जिसमें से ₹ 14.29 करोड़ समापक भुगतान और स्वीकृति के लिए थी।
9	सीमेंट कार्पोरेशन आफ् इंडिया	• कम्पनी अपने सात कारखानों की बिक्री के लिए दिनांक 3 मई 2006 के बीआईएफआर आदेश के आधार पर बीआईएफआर स्वीकृत योजना के अंतर्गत थी। (नयागॉव विस्तार के अन्तर्गत दो इकाईयां) • ऋण को शेयर आवेदन पत्र धन में रूपांतरित करने के परिणामस्वरूप, ₹ 41.75 करोड़ की एक राशि को शेयर निधि जमा के रूप में बताया जाना जारी रखा। विशिष्ट ऋण के प्रति विनियोग पर स्पष्टीकरण की कमी के कारण शेयर आबंटन लम्बित था। • बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा उठाई गई ₹19.64 करोड़ की कुल माँग के संबंध में निगम द्वारा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। • "क्लींकर" पर , जो सीमेंट उत्पादन की सामान्य प्रक्रिया में उत्पन्न होता था एंव राजबन इकाई पर उपयोग किया जाता था, उत्पाद शुल्क के संबंध में वर्ष के लिए (वर्ष तक ₹11.93 करोड़) ₹ 6.30 करोड़ की राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। परिणास्वरूप् उस वर्ष के लिए निगम का लाभ ₹ 6.30 करोड़ से अतिरंजित हो गया था। • निगम 10 वर्षों से अधिक की अवधि से देय इण्टर कार्पोरेट उधार के ₹37.00 करोड़ एंव उस पर ₹61.63 करोड़ के ब्याज का

		पुर्नभुगतान करने में चूक गया था।
10	सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड	बीएसईबी से ₹155.48 करोड़ की बकाया राशि जो 10 वर्ष से भी अधिक पुरानी है, के प्रति ₹84.90 करोड़ का प्रावधान पर्याप्त नहीं था।
11	सेन्द्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्यूरीटाइजेशन असेट रिकंस्ट्रक्शन एण्ड सिक्योरिटी इन्टरेस्ट ऑफ इंडिया	कम्पनी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत थी। आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकरण पर इस तरह की कम्पनी की आय पर छूट दी गई थी। चूक के कारण यह लागू नहीं की गई थी। अतः कम्पनी समय पर अग्रिम कर का भुगतान न करने के लिए ₹13.85 करोड़ के आय कर एंव ₹0.70 करोड़ के ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी।
12	इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड	• बिन कार्ड, संग्रह खाते एंव वित्तीय खाते समन्वित नही किये गए थे। • बेकार क्षतिग्रस्त एंव पुराने स्टोर निर्धारित करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन नहीं किये गए थे जिसके कारण निर्धारित ना किये गए बेकार/पुराने स्टोरों के लिए अनुचित प्रावधान हुए।
13	इलैक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	वर्ष 2010-11 के लिए लाभ एंव हानि के विवरण पर प्रभार्य कुल व्यय ₹ 134.00 करोड़ था। यद्यपि, कम्पनी ने वर्ष 2010-11 के दौरान समस्त राशि प्राप्त नहीं की एंव उपरोक्त राशि को 2010-11 से शुरू होने वाली ₹ 26.80 करोड़ की पॉच समान वार्षिक किश्तों में मुक्त कर दिया थ। तदनुसार, लेखापरीक्षा के अन्तर्गत वर्ष के लाभ एंव हानि के विवरण पर ₹ 26.80 करोड़ कम्पनी द्वारा लगाऐ गए एंव 31 मार्च 2012 को मुक्त की गई राशि ₹ 80.40 करोड़ थी। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए लाभ ₹ 26.80 करोड़ की राशि जितना कम बताया गया था। इसके अतिरिक्त भंडार एंव अधिशेष ₹ 80.40 करोड़ अधिक बताये गए थे एवं वर्तमान देनदारियों समान राशि जितनी कम बताई गई थी।
14	फर्टीलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	• सीडब्ल्यूसी से लिए गए ₹ 5.00 करोड़ के लिए संचित ब्याज ₹ 23.05 करोड़ (वर्तमान वर्ष ₹ 2.47 करोड़) की राशि का प्रावधान नहीं किया गया था। • तेल की आपूर्ति के लिए विलम्बित भुगतान पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन को देय ब्याज राशि ₹ 44.76 करोड़ (वर्तमान वर्ष ₹ 4.06 करोड़) के लिए प्रावधान नहीं किये गए थे।
15	हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड	• कम्पनी ने अचल परिसम्पत्तियों के पूरे विवरण दिखाने के लिए उचित अभिलेख नहीं बनाए थे। प्रबंधन ने वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच भी नहीं की थी। • सम्पत्ति सूची की प्रत्यक्ष जाँच नहीं की गई थी।

16	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाईड्स लिमिटेड	वित्तीय विवरण तुलन पत्र, लाभ एंव हानि लेखे तथा कैश फ्लो स्टेटमेंट के मामले में भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही एंव निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं देते ।
17	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड	₹3.05 की एक राशि "आय को हस्तांतरित दावा ना किये गए क्रेडिट शेष " के रूप में "अन्य गैर-परिचालन आय" शीर्षक के अन्तर्गत मानी गई थी। इसमें केरल सरकार को रॉयल्टी के रूप में भुगतान की जाने वाली ₹1.54 करोड़ की एक राशि एंव ब्याना धन जमा, प्रतिभूति जमा एंव ठेकेदरों को दण्ड स्वरूप रोकी गई ₹1.51 करोड़ की राशि सम्मिलित है। केरल सरकार अथवा राशि छोड़ने वाले ठेकेदार से वापस लिखने की कोई पुष्टि नहीं थी एंव इसलिए एक तरफा छोड़ देना आदेश मे नहीं था। आय उस सीमा तक अधिक बताई गई थी।
18	हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड	एससीओपीई मिनार काम्पलैक्स, लक्ष्मी नगर स्थित कार्यालय स्थानो के संबंध में स्वामित्व दस्तावेजों के साथ -साथ फैक्ट्री भूमि एंव इमारत के संबंध में हस्तांतरण एवं अथवा पट्टा दस्तावेज अभी तक निष्पादित नहीं किये थे। फैक्ट्री पर भूमि के संबंध में पट्टाधृत भूमि पर भुगतान किये गए भूमि प्रीमियम को पट्टा दस्तावेज के निष्पादन के अभाव में मुक्त नही किया जा सकता।
19	हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	• निर्माण कम्पनियों पर सेवा कर की शुरूआत के समय कम्पनी की कई इकाईयों में विधि के अनुसार सेवाकर नहीं लगाया/संग्रह किया गया था। परिणामस्वरूप, लेखों में सेवा कर देयता के लिए एंव सेवा कर का भुगतान न करने पर ब्याज शास्ति तथा रिटर्न ना भरने के लिए प्रावधान सुनिश्चित/उपलब्ध नहीं कराए गए थे। • स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त होने योग्य ब्याज छूट के रूप में दिलाए गए ₹ 23.03 करोड़ के लिए प्रावधान नहीं किये गए थे जो सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया गया था एंव समय की एक लम्बी अवधि तक बकाया पड़े थे। • आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड द्वारा 31 मार्च 2009 तक लगाए गए ₹ 30.63 करोड़ की राशि के दाण्डिक ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, अन्य लागतें एंव प्रभारों का विधिवत रूप से लेखा किया गया था एंव "भारत सरकार से प्राप्त होने योग्य स्वैच्छिक सेवानिवृति ऋण पर अर्जित ब्याज छूट" के रूप में दर्शाये गए। भारत सरकार से पुष्टि के अभाव में, उपरोक्त राशि की निर्गम क्षमता एंव इसके परिणामस्वरूप् प्रभाव को सुनिश्चित नही किया जा सका।
20	हिन्दुस्तान वेजिटेबल	• निगम के लेखे "गोइंग कन्सर्न " प्रत्याशा के आधार पर तैयार किये

	ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	गये थे जो गलत था। क्योंकि निर्माण इकाईयों के सभी संचालन बंद थे अथवा परिसमापन के लिए तय थे। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के सकल मूल्य में महत्पूर्ण कटाव था। • निगम ने वित वर्ष 2000-01 से कम्पनी रजिस्ट्रार के पास वित्तीय विवरणों को दाखिल नहीं किया था। दर्ज करने में ऐसे विलम्बों के परिणमस्वरूप उत्पन्न होने वाली शास्तियों के लिए लेखा में प्रावधान नही था।
21	एचओसी चेमाटूर लिमिटेड	कम्पनी मिथाईल डाई आईसोसियानेट के 20,000 एमटी प्रतिवर्ष निर्माण करने के लिए रासायनी, जिला रायगढ़ महाराष्ट्र में एक परियोजना स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रयास के रूप में बनाई गई थी। इस उद्देश्य के लिए, कम्पनी ने परियोजना वित्त प्राप्त करने के लिए परियोजना के मूल्यांकन के लिए आईडीबीआई से संपर्क किया। विलम्बों के कारण परिणामी लागत बढ़ती गई एंव परिणामस्वरूप, परियोजना लागत संशोधित की गई। इस संशोधन के आधार पर, आईडीबीआई से एक ताजा मूल्यांकन की मांग की गई, जो लम्बित है। इस मध्य उच्च इनपुट लागत एंव निम्न बिक्री मूल्य के कारण परियोजना की व्यवहार्यता पर असर पड़ा। इस कारण से , परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए क्षमता बढाने पर विचार किया जा रहा था। पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी के लेखे गोइंग कन्सर्न के आधार पर तैयार किये गए थे, जो मूल्याकन के सकारात्मक परिणाम, जारी वित्त एंव भविष्य पर निर्भर हैं।
22	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड	• अशोध्य एंव संदिग्ध ऋण एंव प्राप्तियों के लिए लेखाकरण नीति में परिवर्तन किया गया था जो पिछले दो वर्षों से अधिक के लिए प्राप्ती योग्य बकाया के डाले गए बट्टे खातों की तुलना में जो एक वर्ष से ज्यादा पुराने थे, अब बट्टे खाते डाल दिये गए। इसके परिणाम स्वरूप ₹ 0.50 करोड़ की बजाए ₹ 1.83 करोड़ के बट्टे खाते हुए। अतः लेखाकरण नीति में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ₹ 1.33 करोड़ का लाभ कम बताया गया। • सेवा प्रदान करने , सेवा उपलब्ध कराने के लिए बिलिंग के मामले में नई ईआरपी के आन्तरिक नियंत्रण को और सशक्त किये जाने की आवश्यकता है।
23	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	उपयुक्त अधिकारियों के सम्मुख मामलों के लम्बित होने के कारण कुल ₹ 18.78 करोड़ की विवादित वैधानिक देय राशियां जमा नहीं कराई गई थी।

24	मुरादाबाद टोल रोड कम्पनी लिमिटेड	कम्पनी ने मुरादाबाद बाईपास के टोल संग्रह अधिकार मैसर्स मुरादाबाद बरेली एक्सप्रैसवे लिमिटेड को हस्तांतरित कर दिए थे, अतः टोल राजस्व बन्द हो गया था एंव गोंइग कन्सर्न पर प्रभाव पड़ा।
25	नेशनल हैण्डीकेप्ड फाईनेंस एंड डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	निगम ने अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए 30 जून 2011 को "एनएचएफडीसी कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी योजना " के नाम से एक अलग उपदान न्यास बनाया। यद्यपि, आज तक निम्नलिखित अनिवार्य कार्यवाहियां नहीं की गई थीः क) न्यास विलेख आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं था। ख) नए न्यास द्वारा कोई अलग खाते नहीं बनाए गए थे। ग) कोई लेखापरीक्षक नियुक्त नहीं किये गए थे एंव परिणामस्वरूप 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए कोई लेखापरीक्षा पूरी नहीं हुई थी। घ) कोई आयकर परमानेन्ट एकाउंट नम्बर (पैन) प्राप्त नही किया गया था। यह निगम के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि न्यास विलेख के अनुसार, निधि इत्यादि के प्रशासन से संबंधित नये न्यास द्वारा खर्च किये गए सभी व्यय, निगम द्वारा वहन किये जाने थे। चूँकि न्यास अभी तक पंजीकृत नहीं था, न्यास को होने वाली कोई भी आय कर योग्य होगी एंव कर का भुगतान करना पड़गा, जो अन्त में अपनी जवाबदेही निगम पर डाल देगा।
26	नेशनल रिसर्च डेवेलेपमेंट कार्पोरेशन	संदिग्ध ऋधों के लिए प्रावधान अपर्याप्त थे, देनदारों की निरंतरता जो विधि के अनुसार कालातीत थे, पर मामला पर मामला आधार पर पुर्नविचार की आवश्यकता है।
27	नेशनल सफाई कर्मचारीज फाईनेन्स एंव डेवेलेपमेंट कार्पोरेशन	• स्टेट चेनलाइजिंग एजेन्सियों (एससीएज़) से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में पर्याप्त विलम्ब देखा गया था। • 31 मार्च 2012 को ₹ 357.02 करोड़ (31 मार्च 2012 तक ₹ 723.67 करोड़ के कुल संवितरण के विरूद्ध) के कुल ऋण बकाया में से निगम के पास ₹117.69 करोड़ की अप्रयुक्त राशि थी। • कई एससीएज ने निगम की ऋण नीति एंव निर्देशों में निर्धारित शर्तों के अनुसार मूल के पुर्नभुगतान में चूक की थी। उक्त एससीएज द्वारा कुल चूक ₹147.18 करोड़ (पिछले वर्ष ₹115.53 करोड़) की बताई गई।

		• मंत्रालय से प्राप्त ₹ 231 करोड़ के सहायता अनुदान में से , निगम ने बिना ब्याज के ₹60 करोड़ वापस लौटाए। जैसा 31 मार्च 2012 को स्थिति थी, निगम के पास ₹14.39 करोड़ एंव एससीएज़ तथा उच्च निगम के पास पड़े ₹53.75 करोड़ की राशि का अप्रयुक्त अनुदान था जो मंत्रालय को वापस लौटाना था। लेखों में अनुदान की अप्रयुक्त राशि पर 10 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाने के लिए कोई प्रावधान नही था। • दिनांक 21 मार्च 2002 के बोर्ड संकल्प के अनुसार ,एक विशेष निधि बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त अलग रखी गई निधि को राष्ट्रीयकृत बैंको में तीन वर्ष से अधिक की दीर्घावधि जमा में निवेश करना आवश्यक था। 31 मार्च 2012 तक, निगम ने विशेष आरक्षित कोष में ₹ 8.02 करोड़ जमा कर लिए थे यद्यपि ₹ 3.00 करोड़ के दीर्घावधि जमा केवल राष्ट्रीयकृत बैकों मे किये गए थे।
28	नेशनल शेडयूल्ड ट्राईब्ड फाइनेंस एंड डेवेलेपमेंट कार्पोरेशन	वर्षों से जमा कुल संवितरण में से विभिन्न स्टेट चेनलाइजिंग के पास ₹ 57.14 करोड़ राशि अप्रयुक्त पड़ी है जो पुर्नसमन्वय का विषय है।
29	नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	कम्पनी ने इस शर्त के साथ कि कम्पनी दो वर्षों की अवधि के लिए टैक्सटाईल मिलों के आधुनिकीकरण एंव पुनरूद्धार के लिए आरंभिक निवेश योजना बनाएगी, कपड़ा क्षेत्र के उद्धार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर पाँच संयुक्त उद्यमों (जेवीज) में प्रवेश किया। प्रचालन के द्वीतीय वर्ष में दो जेवी नामतःइंडिया युनाइटेड टैक्सटाइल मिल्स एंव न्यू सिटी आफ बाम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स ने मद संख्या 8 के अन्तर्गत जोड़ा व्यापारी दलाल के रूप में व्यापार करने के लिए एंव सभी प्रकार के बीज, ऑयल केक, डिआयल्ड केक ऑयल सम्बंधित पदार्थ , दालों, वनस्पति, घी, कृषि उत्पादन एंव उत्पाद, उप उत्पाद एंव सभी प्रकार की वस्तुएं तथा कृषि उत्पादों की खरीद, बिक्री, आयात एंव निर्यात करने के लिए।" सभी बदलाव कम्पनी के बीच किये गये शेयर सब्सक्रिप्शन एंव शेयर होल्डर करार के विपरीत थे।
30	ओरिएन्टल इंश्योरंश कम्पनी	तीसरे पक्षकार द्वारा सेवा प्रदत्त ₹ 990.20 करोड़ के मेडीक्लेम सत्यापित नहीं हुए क्योकि समर्थन ब्योरे /बिल सत्यापन के लिए उपलब्ध नहीं थे।
31	उड़ीसा ड्रग एंड केमीकल्स लिमिटेड	• सम्पत्ति सूची एंव निर्धारित परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था। • कम्पनी के आकार एंव इसके व्यापार की प्रवृति के अनुरूप कोई पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रिया नही थी।

32	सिक्योरिटी प्रींटिंग एंड मीन्टिग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	निम्नलिखित के प्रभाव को सुनिश्चित नही किया जा सकाः • भारतीय रिजर्व बैंक को बेचे गए करैंसी नोटों का बिक्री मूल्य उनके अनुमोदन के अधीन था। भारतीय रिजर्व बैंक ने अस्थाई आधार पर भुगतान मुक्त किया था एंव अन्तिम बिक्री मूल्य कम्पनी के लाभ को प्रभावित कर सकता है। • वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को बेचे गए सिक्कों का बिक्री मूल्य केवल वित्तीय वर्ष 2007-08 तक अनुमोदित था। वित्त मंत्रालय ने अस्थाई आधार पर भुगतान किया था एंव अन्तिम बिक्री मूल्य कम्पनी के लाभ को प्रभावित कर सकता है। • डाक लेखा सामग्री का बिक्री मूल्य लागत लेखा शाखा, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 में निर्धारित की गई दरों से भिन्न था। डाक प्राधिकारियों से प्राप्ति योग्य राशि मूल्य पुष्टि एंव अनुमोदन के अधीन थी।
33	स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन आफ इंडिया	कार्पोरेशन ने इकाईयों के आकडों को समेकित करते समय खड़ी फसल (गौर) का मूल्य ₹ 7.49 करोड़ से ₹ 3.52 करोड़ तक घटा दिया था। यदि शाखा वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रमाणित मूल्य संकलन के समय घटाना होता, निगम का निवल लाभ ₹ 3.97 करोड़ से बढ़ गया होता तथा खड़ी फसलों का मूल्य भी ₹ 3.97 करोड़ से अधिक हो गया होता।
34	एसटीसीएल लिमिटेड	• बैंको से अल्पावधि ऋण के अन्तर्गत दर्शाई गई ₹ 1815.40 करोड़ की एक राशि ₹ 3.40 करोड़ के छोटे से अनुमानित मूल्य को छोड़कर, पूर्णतः असुरक्षित थी। • कम्पनी के पास ऋणात्मक निवल धन सम्पत्ति थी। कम्पनी ने विकसित एलसी एवं ₹ 49.08 करोड़ के बैंकिंग क्रेडिट से व्युत्पन्न अल्पावधि कर्जे के प्रति ₹ 1766.31 करोड़ बैंक से लिए थे। कम्पनी के बैंको से कुल देनदारों और अग्रिम में से ₹ 1222.46 करोड़ की सीमा तक देनदार व अग्रिम संदिग्ध थे। कम्पनी के पास एक व्यापार योजना नहीं है जो इस प्रकार के दायित्व को पूरा करेगी। कंपनी की कमजोर आन्तरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं थी जो जारी थीं। प्रबंधन ने गोइंग कन्सर्न के रूप में लेखे तैयार करने के लिए कोई उचित औचित्य नहीं दिया था। यूको बैंक की एक सहित दो याचिकाएं कम्पनी के समापन के लिए दाखिल की गई थीं। बैंकरों ने ऋण वसूली ट्रिव्यूनल के पास कम्पनी के विरूद्ध दावे दर्ज किये थे एंव एसएआरएफएईएसआई अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत ज्ञापन जारी किया था एंव ब्याड़ी एवं छिदवाड़ा में फैक्ट्री भूमि एंव भवन पर दो कब्जा ज्ञापन जारी किये थे। गोईग कन्सर्न के

		रूप में जारी रहने के लिए कम्पनी की क्षमता पूरी नही की गई थी।
35	द न्यू इंडिया एश्योरंश कम्पनी लिमिटेड	• बीमा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों अथवा निकायों को।से देय शेष एंव अन्तर कार्यालय लेखों के शेष पुर्नसमन्वय/पुष्टि के लिए लम्बित थे। • विदेशी राष्ट्रों में शाखाओं के लिए कर देयता का लेखाकरण एएस - 22 आय पर करों के लिए लेखाकरण के अनुरूप नहीं है। क्योंकि यह आस्थगित कर परिसम्पत्यों एवं देयताओं को मान्यता नहीं देता। • कम्पनी के आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को लेखापरीक्षा कवरेज एंव अनुपालन के क्षेत्रों में मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
36	यूरेनियम कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	• राज्य सरकारों/निजी पक्षों से अधिग्रहण की गई ₹ 15.18 करोड़ लागत की 1548.09 एकड़ भूमि के संबंध में हस्तांतरण विलेख लम्बित था। • कम्पनी ने सरकार के जून 2003 के निर्देश के अनुसार ₹ 11.11 करोड़ की राशि वाली तुरामडीह परियोजना बंद होने के कारण ली गई परिसम्पत्तियों की सीमा तक भारत सरकार को शेयर जारी नहीं किये थे।
37	वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड	कम्पनी ने ₹ 10.05 करोड़ के पुराने चैकों का समायोजन/मिलान नहीं किया था।

2.9 सीएजी द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) (ए) के अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अपने पूरक प्रतिवेदनों में की गई महत्वपूर्ण आपत्तियां जो कम्पनियों के लेखाओं एवं लेखांकन प्रणाली की गुणवत्ता को प्रदशित करती हैं, को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

2.9.1 लेखांकन नीतियों एंव प्रथाओं में कमियां

सेंट्रल कोटेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड

- निगम के पास बकाया देय की समय पर वसूली की निगरानी की उचित प्रणाली नहीं है।

चेन्नै मेट्रो रेल लिमिटेड

- कम्पनी के पास लेखाओं एंव वित्तीय नियंत्रण के संबंध में दस्तावेजीकरण नीति नहीं थी।
- कम्पनी की कोई स्पष्ट क्रेडिट नीति नहीं है एवं पुराने ऋणों की वसूली प्रक्रिया कमजोर है।

डोन्यी पोलो अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड

- बकाया फुटकर देनदारों की समय पर वसूली की निगरानी की प्रणाली को सुदृढ करने की आवश्यकता है।
- स्टाक रजिस्टरों के रख रखाव की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। कम्पनी के पास उन ऋणों के जो अब वसूली योग्य नहीं हैं वट्टे खाते डालने के लिए कोई नीति नहीं है।

गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एंड इन्जिनियरिंग लिमिटेड

- कम्पनी के पास कोई लागत नीति नही थी।

मजगाँव डोक्स लिमिटेड

- कम्पनी ने कोई क्रेडिट नीति नहीं बनाई थी।

एमएसटीसी लिमिटेड

- कम्पनी के पास संदिग्ध कर्जे/बट्टे खाते डालने के लिए प्रावधानों के लिए कोई नीति नहीं थी।
- कम्पनी के पास कोई लागत नीति नहीं थी।

द ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड

- कर्मचारियो एंव कुछ पक्षों से बकाया देय राशियों की समय पर वसूली की निगरानी की कोई पर्याप्त प्रणाली नहीं है।
- बाहरी पक्षों के साथ दावों को दर्ज कराने एंव निगरानी की कोई पर्याप्त प्रणाली नहीं है।

2.9.2 कारोबार जोखिम

चेन्नै मेट्रो रेल लिमिटेड

- चिन्हित किये गए जोखिम, नये जोखिम या जोखिम न्यूनीकरण योजना की पर्याप्तता जैसा निर्धारित किया गया है, पर कोई समीक्षा तंत्र का प्रमाण नहीं था।

पीपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड

- कम्पनी के पास व्यापार जोखिम को चिन्हित करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया नही है।
- रिटर्न की आन्तरिक दर एंव ऋण वापसी की अवधि सहित प्रमुख पूँजी व्यय/विस्तार का कोई लागत लाभ विश्लेषण नहीं किया गया है।

राँची अशोक बिहार होटल कार्पोरेशन लिमिटेड

- कारोबार जोखिमों को चिन्हित करने के लिए कम्पनी द्वारा कोई प्रक्रिया उपयोग नहीं की गई थी।

द उड़ीसा मिनरल्स डेवेलेपमेंट कम्पनी लिमिटेड

- सरकारी नीति में कोई नयी वैधानिक अथवा नियामक आवश्यकता अथवा परिवर्तन नहीं था जो संस्था की वित्तीय स्थिरता अथवा लाभ प्रदता को प्रभावित कर सके। परन्तु राज्य के

साथ -साथ केद्र सरकार द्वारा खनन पट्टे के नवीकरण के निलंबन ने कम्पनी के सभी खनन संचालनों को एक ठहराव की स्थिति में ला दिया है। कम्पनी के खनन संचालन एक लम्बी अवधि से पूर्णतः निलंबित थे।

2.9.3 लेखा एव वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली

अर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

- संदिग्ध ऋणों/बट्टे खाते डालना एंव परिनिर्धारित नुक्सान के लिए प्रावधानों के लिए नीति एंव कोई लिखित क्रेडिट नीति नही थी।

भारत इम्यूनोलोजिकल एंड बायोलोजिकल्स कोर्पोरेशन लिमिटेड

- कम्पनी के पास संदिग्ध कर्जों/बट्टे खाते डालने एंव परिनिर्धारित नुक्सानों के लिए प्रावधान के लिए एक स्पष्ट क्रेडिट नीति नहीं है।

ब्रहमपुत्रा वैली फर्टीलाईजर कार्पोरेशन लिमिटेड

- काश्तकारी से ऋणों की वसूली की जाने की आवश्यकता है। किराये एंव अन्य प्रभारें के आधार पर पुराने फुटकर देनदारों से वसूली करने के प्रयास किये जाने चाहिए।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड

- ऋण एवं अग्रिम के संबंध में देनदारों से पुष्टि प्राप्त करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। अनुवृति कार्रवाई के क्षेत्र को वास्तविक समय आधर पर मजबूत करने की आवश्यकता है। (एचईईपी, सीएफएफपी, हरिद्वार एवं एचईआरपी, वाराणसी)।

भारत संचार निगम लिमिटेड

- कम्पनी के पास बकाया देय राशि की समय पर वसूली की निगरानी करने के लिए कोई प्रणाली नहीं है।
- कम्पनी के पास देनदारों से शेषों की पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रणाली नहीं है।
- कम्पनी की सभी ईकाइयों/सर्किलों में निर्माण कार्यों को ओवरहैडस की आबंटन की प्रणाली समान नही है।

बीओबी कार्डस लिमिटेड

- वसूली एंव समन्वय की प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।

बोकारो पावर सप्लाई कम्पनी (पी) लिमिटेड

- कम्पनी द्वारा प्राप्त की गई बैंक गारन्टियों को केन्द्रीय रूप से नही रखा गया था जो नियमित निगरानी में समस्याएं उत्पन्न करता था।

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटैन्टस इंडिया लिमिटेड

- कम्पनी के पास एक परिभाषित क्रेडिट नीति नही है।
- देय राशियों की वसूली की प्रक्रिया, विशेषकर छः माह से अधिक के लिए बकाया कर्जों से संबंधित, को तेज करने की आवश्यकता है।

सेन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड

- कम्पनी के पास परिनिर्धारित हानियों के लिए नीति नही है।

सेन्ट्रल रेलसाईड वेयर हाऊस कम्पनी लिमिटेड

- लेखा पुस्तिकाओं को उचित रखरखाव की आवश्यकता है। देनदारों, सेवा प्रदाताओं एंव अन्य लेनदेनों के लिए उप खाते सामने ही उपलब्ध नही है एंव संबंधित जानकारी, जैसे और जब आवश्यक हो, सामान्य खाते से निकाली जाती है।

सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड

- संचालन में देनदारों के प्रबन्धन के लिए नीति अथवा कोई क्रेडिट नीति नही है।

कोल इंडिया लिमिटेड

- अग्रिम खातो में कई क्रेडिट शेष है जिन्हे उचित समन्वय की आवश्यकता है।
- कई पुराने प्राप्तियोग्य है एंव जिनके विरूद्ध लेखों में संपूर्ण प्रावधान विद्यमान है जिनके उचित समन्वय के बाद बट्टे खाते डाले जा सकते है। इसके साथ ही, कई पुरानी देनदारियाँ अभी भी लम्बित हैं जिनकी उचित मामलों में वापस लिखने के लिए जाँच की जा सकती है।

सेन्ट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाईजेशन एसेट रिकन्सट्रक्शन एण्ड सिक्योरिटी इन्ट्रस्ट आफ इंडिया

- कम्पनी के पास बैंको/वित्तीय संस्थाओं इत्यादि से शेषो की पुष्टि की कोई नीति नही है।

डेडीकेटिड फ्राइट कोरिडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

- लेखा विभाग आउटर्सोस्ड है।

दिल्ली एवीऐशन फ्यूल फैसीलिटी प्राईवेट लिमिटेड

- कम्पनी के पास स्पष्ट क्रेडिट नीति नहीं है
- कम्पनी को बकाया देय राशियों की समय पर वसूली की निगरानी की प्रणाली को मजबूत करना चाहिए।

एनर्जी एफीसीऐन्सी सर्विसेज लिमिटेड

- कम्पनी के पास कोई स्पष्ट क्रेडिट नीति एंव संदिग्ध कर्जों के लिए प्रावधान के लिए नीति नहीं है।

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

- फुटकर देनदारों, फुटकर लेनदारों,अन्य देनदारियों, वसूली योग्य राशियों के शेषों के लिए पुष्टि की आवश्यकता है एंव आवश्यक समन्वय किया जाना है।
- उपयुक्त मामलों जैसे स्थिति जाँच शुल्क एंव प्रसंस्करण शुल्क में उपयुक्त सेवा कर के संग्रह की आवश्यकता है।

जनरल इन्श्योरेन्स कार्पोरेशन आफ इंडिया

- पुराने बकाया की वसूली के लिए पर्याप्त नियम बनाने की आवश्यकता है।

हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड

- कम्पनी ने संदिग्ध ऋणों/बट्टे खातों एंव परिनिर्धारित नुक्सानों के लिए कोई स्पष्ट क्रेडिट नीति निर्धारित नही की है।
- बाहरी पार्टियों से दावे को दर्ज करने की पर्याप्त प्रणाली नहीं है।

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड

- कम्पनी को देनदारो/लेनदारों एंव अन्य पक्षों के पास शेषो की पुष्टि प्राप्त करने एंव समन्वय की प्रणाली आरंभ करने की आवश्यकता है।

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड

- प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर शक्तियों के प्रत्यायोजन सहित कर्त्तव्यों/जिम्मेदारियों के आबंटन की समीक्षा की आवश्यकता है क्योकि कम्पनी द्वारा 2004 में अपने उत्पादन को निलंबित करने एंव उसके बाद अपनी गतिविधियों के विविधीकरण करने के बाद से यह की नहीं गई है।
- लेखा एवं वित्त की प्रणाली में आन्तरिक नियंत्रण का अभाव है। इसके अतिरिक्त डाटासुरक्षा, इसके बैक अप, भंडारण एवं सम्भलाई को मजबूत करने की आवश्यकता है।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड

- देनदारों की बडी संख्या है जो 6 महीने से अधिक से बकाया है एंव ऐसे मामलों में कम्पनी द्वारा वसूली के पालन में तेजी लाने की आवश्यकता है।

हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

- बाहरी पक्षों के साथ दावों को समय पर दर्ज करने के लिए कोई व्यवस्था नही है।

हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवेलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

- वित्तीय लेखांकन एंव ऋण लेखांकन पैकेजों को एकीकृत नही किया गया है।
- खुदरा वित पोषण के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में एकीकृत साप्टवेयर स्थापित किया जाना चाहिए।
- प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों में पीडीएस के एक समान केन्द्रीकृत कम्प्यूटर आधारित लेखांकन पैकेज स्थापित किये जाने चाहिए।

एचएमटी वाचेज लिमिटेड

- व्यापार देय राशि, व्यापार प्राप्त् योग्य एंव बैंक क्रेडिट के अन्तर्गत पुराने ऋणों/क्रेडिट शेषों की समीक्षा के लिए कोई प्रणाली नही है एंव बिना समन्वय के दर्शाये गए है।
- बकाया देय राशि की समय पर वसूली की निगरानी की प्रणाली को सुदृढ करने की आवश्यकता है।

एचएससीसी इंडिया लिमिटेड

- कम्पनी द्वारा कोई क्रेडिट नीति नहीं अपनाई गई है।

इंडियन वैक्सीन्स कम्पनी लिमिटेड

- पट्टे पर दी गई वस्तुओं का मूल्य निर्धारण एंव पट्टे का लागत लाभ विश्लेषण नहीं किया जाता है।

इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड

- बेहतर सूचना प्रवाह प्रणाली के लिए लेखा एंव वित्त नियंत्रण की प्रणालियों को मजबत करने की आवश्यकता है।

कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड

- लेखांकन माडयूल में प्रविष्टियों को अधिकृत करने के लिए कोई निर्धारित दिशानिर्देश नही हैं एंव राशि के वापस लिखने के संबंध में कोई निर्धारित वित्तीय अधिकार नहीं है। कम्पनी के पास संदिग्ध ऋणों अथवा बट्टे खाते डालने के लिए प्रावधान करने वाली कोई लिखित क्रेडिट नीति नहीं है।
- कम्पनी के पास सहायक खातों के रखरखाव के लिए कोई नीति नही है एंव भुगतान योग्य राशियाँ केवल एक खाते से जाती हैं।
- जमा कार्य का लेखांकन उपयुक्त नही था क्योकि सभी जमा कार्य केवल एक खाते से जाते हैं एंव किसी कार्य विशेष की प्रगति एंव कम्पनी के पास पड़े तदनुरूप जमा के बारे में पता करना बहुत कठिन है ।
- परियोजना के लाभ, स्थापना शुल्क एंव प्रशासनिक शुल्कों की प्राप्ति के आंबटन के संबंध में कम्पनी के पास मानक लेखांकन प्रक्रिया नहीं है।
- बीजक उठाने की कोई मानक प्रणाली/फार्मेट नही है।

मध्यप्रदेश अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड

- देनदारों से शेषों की पुष्टि प्राप्त करने की कोई प्रणाली नही है।

महानदी कोलफील्ड लिमिटेड

- क्षेत्र जिनमें सुधार की आवश्यकता है, विक्रेताओं, ठेकेदारें एंव कर्मचारियों के संबंध में प्राप्ति एंव व्यय को दर्ज करने में सहायक खाते है। कुछ क्षेत्रों में वैधानिक रजिस्ट्रो को उचित रूप से नही बनाय गया था।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

- बीएसएनएल एवं डीओटी के पास शेषों को शीघ्रता से समन्वित करने की आवश्यकता है।
- पट्टे पर दिये गए सर्किट की बिलिंग एंव पूंजीकरण के क्षेत्र को सुदृढ करने की आवश्यकता है।

एनटीपीसी एससीसीएल ग्लोबल वेन्चर्स प्राइवेट लिमिटेड

- कार्य प्रवाह एंव दस्तावेज प्रवाह परिभाषित नहीं है।

एनटीपीसी -बीएचईएल पावर प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड

- लेनदारों के शेषों को समय समय पर समन्वय एंव पुष्टि की आवश्यकता है।

न्यूकिलयर पावर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

- संदिग्ध ऋणों/अशोध्य ऋणों के बट्टे खाते डालने के लिए प्रावधान के लिए कोई नीति नहीं है।

पीईसी लिमिटेड

- व्यापार भुगतान योग्य के पुराने शेषों एंव अन्य देनदारियों के साथ डील करने के लिए कम्पनी को एक नीति बनाने एंव क्रियान्वित करने की आवश्यकता है।

पीएफसी कन्सलटिंग लिमिटेड

- कम्पनी जिसके साथ डील कर रही है उस संस्था के एमएसएमई स्थिति की पहचान करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली की आवश्यकता है ताकि वैधानिक आवश्यकताओं का पूर्णतः प्रकटीकरण किया जा सके।

पीपावाव रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड

- कम्पनी के पास ना तो एक क्रेडिट नीति है एवं नही संदिग्ध ऋणों/बट्टे खाते डालने एवं परिनिर्धारित हानियो के लिए प्रावधान बनाने के लिए कोई निति।

पावर सिस्टम ऑपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड

- कम्पनी को अभी भी देनदारों/लेनदारों एंव अन्य पक्षों से शेष की पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली अपनानी है।

एसटीसीएल लिमिटेड

- कम्पनी के पास देनदारों लेनदारों, एंव अन्य पक्षों से शेषों की पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली नही है।

- कम्पनी कम्पनी द्वारा प्राप्त की गई विभिन्न सेवाओं पर प्रदत्त सेवा कर के इनपुट क्रेडिटों का दावा करने के लिए कोई अभिलेख नहीं बना रही है जिससे सेवा कर का उच्चतम आउटफलो हो रहा है।

द शिंपिग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

- फुटकर लेनदारों, फुटकर देनदारों, ऋणों एंव अग्रिमों एंव जमा के समन्वय तथा पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली को अधिक तेज एंव सुदृढ करने की आवश्यकता है।

- देनदारों के खातों की समीक्षा की प्रणाली को अधिक सुदृढ करने की आवश्यकता है।

2.9.4 परिसम्पतियां (स्कंध सहित)

भारत इम्यूनोलोजिकल एंड बायोलोजिकल कार्पोरेशन लिमिटेड

- कम्पनी मात्रात्मक विवरण, स्थान परिसम्पत्ति वर्गीकरण पहचान संख्या, संचित मूल्यह्रास इत्यादि को दर्शाने वाले अचल परिसंपत्ति अभिलेख नही बना रही है । प्रबंधन द्वारा उचित जांच नहीं की गई है।

ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड

- कार्यशील पूंजी की भारी कमी के कारण मशीनों का क्षमता उपयोग कम है। अतः बहुत सारी मशीने एक लम्बे समय से उपयोग नही की गई है। आधुनिकीकरण योजनाओं के अन्तर्गत खरीदी गई मशीने अभी ऐसी योजना के अधूरे पूरा होना के लिए उपयोग होनी है।

भारत कुकिंग कोल लिमिटेड

- आर्थिक आदेश की मात्रा निर्धारित नही गई है।
- संपत्ति सूची को नियंत्रित करने के लिए एबीसी विश्लेषण को प्रभाव कारी तरीके से नही अपनाया गया।

भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड

- कुछ इकाइयों में स्टोरों की खरीद के लिए आर्थिक आदेश की मात्रा (इओयू) एंव स्टोरो एंव पुर्जो की अधिकतम एंव न्यूनतम सीमा के निर्धारण को प्रबन्धन द्वारा आवश्यक नहीं समझा गया।

सेन्द्रल कोलफील्ड लिमिटेड

- यद्यपि प्रबन्धन ने स्टोरों की अधिकतम एंव न्यूनतम सीमा निर्धारित की थी पर इसका क्रियान्वयन नहीं पाया गया था।
- आर्थिक आदेश की मात्रा निर्धारित नहीं की गई थी।
- संपत्ति सूची को नियंत्रित करने के लिए एबीसी विश्लेषण को प्रभावकारी तरीके से नही अपनाया गया था।

इस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

- स्टोरो के प्रबंधन के लिए इनकी अधिकतम, न्यूनतम सीमा एंव आर्थिक आदेश की मात्रा निर्धारित करने की कोई प्रणाली नहीं है।
- प्रत्यक्ष स्टॉक के साथ बिन कार्ड एंव स्टोर खाते के साथ बिन कार्ड के मध्य समन्वय के लिए पर्याप्त निगरानी की आवश्यकता है।
- सामान सूचि को नियंत्रण करने के लिए कम्पनी ने एबीसी विश्लेषण को नहीं अपनाया।
- यहाँ 5 वर्षों से अधिक के अस्थानांतरित भण्डार है

इस्टर्न इनवेस्टमेंट लिमिटेड

- कम्पनी द्वारा स्थायी परिसम्पति का रजिस्टर नही बनाया गया।

जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया

- कम्पनी ने वर्ष के दौरान निश्चित परिसम्पतियों की प्रत्यक्ष जाँच नही की।

हसन मैंगलोर रेल डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड

- कम्पनी द्वारा वैयक्तिक परिसम्पतियों की कोई प्रत्यक्ष जाँच नहीं की गई।

एचएमटी चिनार वॉचिज

- यहां प्रगतिशील कार्य मे स्लो मूविंग/नोन मूविंग वस्तुए/तत्व है लेकिन स्लो मूविंग या अप्रचलित स्टोक के लिए खातों में कोइ प्रावधान नहीं रखा गया।

एचएमटी वॉचिश लिमिटेड

- वॉच मर्किटिंग डिवीजन, बैंगलोर ने 2003 तक निश्चित परिसम्पति रजिस्टर को अद्यतन नही किया है। वॉच फेक्ट्री, बैंगलोर में स्टॉक-इन-ट्रेड (घड़ियां एवं पूर्जे) के लिए उचित रिकार्ड नहीं रखे गए थे।
- कम्पनी में आयूवार विश्लेषण करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

हिन्दूस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड

- सम्पति सूचि के लिए प्रणाली लेखापरीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।
- पैनिसिलिन संयंत्र, स्ट्रेप्टोमाइसीन संयंत्र, एसएसपी III, जेन्टामाईसीन, विट.सी छः वर्षों से अधिक समय से उपयोग मे नहीं है।

हिन्दूस्तान सॉल्टस लिमिटेड

- कम्पनी ने सम्पति सूचि प्रबंधन मे एबीसी विश्लेषण का नहीं अपनाया।
- नोन मूविंग और स्लो मूविंग मदों की पहचान नही की जा रही है।

हिन्दूस्तान वेजेटेबल ऑयल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

- भण्डारों के प्रबंधन के संबंध मे अधिकतम और न्यूनतम सीमा तथा अर्थिक मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।
- सम्पति सूचि को नियंत्रण करने के लिए निगम द्वारा एबीसी विश्लेषण नहीं किया गया है।
- वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा निश्चित परिसम्पतियों की प्रत्यक्ष जाँच नहीं की गई है।

इंडिया फर्ट लाईफ इन्सोरेंस कम्पनी लिमिटेड

- कम्पनी द्वारा निश्चित परिसम्पतियों की प्रत्यक्ष जांच नहीं की गई।

आईटीआई लिमिटेड

- कम्पनी में देनदारों/लेनदारों और अन्य पार्टियों से पुष्टि प्राप्त करने के लिए काई प्रणाली नहीं है।
- कम्पनी ने भण्डार और कलपूर्जो और भण्डारों की खरीद के लिए आर्थिक आदेश की मात्रा की अधिकतम तथा न्यूनतम सीमा निर्धारित नही की।

कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड

- कम्पनी द्वारा कोई मितव्ययी आदेश मात्रा नियत नही की गई है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

- प्रगतिशील कार्य में संयंत्र और मशीनरी, सिविल कार्य और रेलवे साइडिंग के तहत् लम्बे समय से लम्बित वस्तुए शामिल है।
- कम्पनी द्वारा आर्थिक सूचि को नियंत्रण करने के लिए एबीसी विश्लेषण को नहीं अपनाया गया।
- प्रबंधन ने भण्डार और पुर्जो की अधिकतम और न्यूनतम सीमा नियत नहीं की और इसने भण्डार की खरीद आदि के लिए आर्थिक आदेश की मात्रा निर्धारित नहीं की।

नेशनल सफाई कर्मचारी फाईनेंस एण्ड डवलपमेंट कॉरपोरेशन

- स्टोर/ आर्थिक सूचि नियंत्रण के प्रबंधन के लिए निश्चित नीति नही है।

नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड

- प्रबंधन ने भण्डार और कलपुर्जों की अधिकतम और न्यूनतम सीमा नियत नही की ओर स्टोर आदि की खरीद के लिए मितव्ययी आदेश मात्रा निश्चित नही की।

एनएचपीसी लिमिटेड

- कम्पनी की अधिकतम ईकाईयों ने आर्थिक सूचि के नियंत्रण के लिए एबीसी प्रणाली नहीं अपनाई।

एनटीपीसी लिमिटेड

- भण्डार के लिए कम्पनी द्वारा मितव्ययी आदेश मात्रा नही की।

पॉवर सिस्टम ओपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड

- कम्पनी ने परिसम्पतियों की क्षति के संबंध मे कोई नीति नहीं अपनाई है।

रेल टेल कार्पोरेशन ओफ इण्डिया लिमिटेड

- परिसम्पतियों की कोई प्रत्यक्ष जांच नहीं की गई है।

रत्नागिरि गैस एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड

- भण्डार और कलपुर्जो आदि की अधिकतम और न्यूनतम सीमा तथा भण्डार की खरीद के लिए आर्थिक आदेश की मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।
- कम्पनी द्वारा स्लो मूविंग और नोन मूविंग वस्तुओं का चिन्हित करने के संबंध में कोइ प्रणाली नहीं अपनाई गई।

साम्भर साल्ट लिमिटेड

- कम्पनी ने भण्डार और कलपुर्जों के लिए अधिकतम और न्यूनतम सीमा, आर्थिक आदेश की मात्रा निर्धारित नहीं की है।

- अधिशेष/अप्रचलित/नोन मूविंग वस्तुएं जिन्हे तीन वर्षों से उपयोग नहीं किया गया, इन्हे चिन्हित नही किया गया।

स्टेट फार्म्स कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

- परिसम्पतियों की मूल्यांकन प्रक्रिया मौजूद नहीं है। परिसम्पतियां खाता मूल्य पर निर्भर है।

ओडिशा मिनरल्स डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड

- भण्डार हानि के लिए मानक नियत नही है। विस्फोटक वस्तुए के स्टॉक को उनकी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए जांच नहीं की गई थी।

टीएचडीसी लिमिटेड

- कम्पनी ने सम्पति सूचि के नियंत्रण के लिए एबीसी विश्लेषण की प्रणाली को नही अपनाया।

तमिलनाडु टेलीकम्यूनिकेशन लिमिटेड

- भण्डार और कलपूर्जो के भण्डारण के लिए अधिकतम और न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

वेर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड

- प्रबंधन ने भण्डार और कलपूर्जों की अधिकतम और न्यूनतम सीमा निश्चित नहीं की है और भण्डारों आदि की खरीद के लिए मितव्ययी आदेश मात्रा निर्धारित नही की।

2.9.5 आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

चेन्नै मेट्रो रेल लिमिटेड

- वित्तिय नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावकारिता की समीक्षा के लिए कोई औपचारिक आन्तरिक लेखापरीक्षा यंत्र उपलब्ध नही था।
- जहां तक वित्त और लेखा का संबंध है कम्पनी में आंतरिक लेखापरीक्षा यंत्र नहीं था।

कोर्पबैंक सिक्योरिटी लिमिटेड

- कम्पनी में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।

डोन्यी पोलो अशोक होटल कार्पोरेशन लिमिटेड

- आन्तरिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देश/नियमावली अभी तक प्रस्तुत नहीं की गई।

डेडीकेटिड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

- कम्पनी की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को देखते हुए आंतरिक लिखापरीक्षा सैल को सशक्त करने की आवश्यकता है।
- आन्तरिक लेखापरीक्षा और आंतरिक नियंत्रण नियमावली को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

एनर्जी एफिसिएन्सी सर्विस लिमिटेड

- कम्पनी मे निर्धारित आंतरिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देश/ नियमावली नहीं है।

हसन मैंगलोर रेल डवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड

- कम्पनी ने आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य को बाह्य स्त्रोत सनदी लेखाकार फर्म को सौंप दिया। कोई लेखापरीक्षा मानक/नियमावली/दिशानिर्देश निर्धारित नही किए गए।

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड

- आंतरिक लेखापरीक्षा प्राक्रिया के साथ-साथ कार्य क्षेत्र को भी समीक्षा की आवश्यकता और अधिक सशक्त किए जाने की आवश्यकता है।
- आंतरिक लेखापरीक्षा मानक/नियमावली/दिशानिर्देशों को निर्धारित नही किया गया।

हिन्दुस्तान प्रेफब लिमिटेड

- आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्य क्षेत्र और कवरेज को कम्पनी के व्यापार के साईज और प्रवृति के अनुरूप विशिष्ट रूप से बढाने की आवश्यकता है।

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड

- कम्पनी मे कोई प्रथक आंतरिक लेखापरीक्षा नियमावली/दिशानिर्देश क्रियाशील नहीं है।

हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

- आंतरिक लेखापरीक्षा के कवरेज को बढाना चाहिए क्योंकि जवाबों की प्रस्तुति/अनुपालन पर शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

इंडिया टयूरिज्म डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

- आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कावरेज अपर्याप्त था। प्रतिवेदन नेमी मुद्दों तक प्रतिबंधित थे तथा आंतरिक लेखापरीक्षा का अनुपालन मौजूद नहीं था।

इन्डस्ट्रीयल इनवेस्टमेन्ट बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड

- आंतरिक लेखापरीक्षा दिशानिर्देश/नियमावली को अभी तक प्रस्तुत नही किया गया है।

कोलकाता मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड

- आंतरिक लेखापरीक्षा देशानिर्देश/नियमावली को अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया।

लोकटक डाऊनस्ट्रीम हाइड्रोइलेकट्रिक कार्पोरेशन लिमिटेड

- लेखापरीक्षा समिति द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा नहीं की गई।

मद्रास फर्टी लाईजर्स लिमिटेड

- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कम्पनी के आकार के अनुरूप नहीं है।

मध्यप्रदेश अशोक होटल कार्पोरशन लिमिटेड

- आंतरिक लेखापरीक्षा अर्धवार्षिक आधार पर सनदी लेखाकार की स्वतंत्र फर्म द्वारा की जा रही है। आंतरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षो का उचित रूप से अनुसरण नही किया गया।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

- आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र नहीं है क्योंकि नियुक्ति के साथ-साथ कार्यक्षेत्र और निष्कर्षो का अनुपालन लेखापरीक्षित विभाग पर ही निर्भर करता है।

नेशनल बिल्डिंग कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड

- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को कम्पनी के आकार और इसके व्यापार की प्रवृति के अनुरूप सुधार की आवश्यकता है।

नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड

- आंतरिक लेखापरीक्ष प्रणाली मे आगे सुधार के लिए स्कोप है।

पिपावव रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड

- कम्पनी ने कोई आंतरिक लेखापरीक्षा मानक/नियमावली दिशानिर्देश निर्धारित नही किए।

पावर सिस्टम ओपरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड

- लेखापरीक्षा समिति में आंतिरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा नहीं की गई थी।

पीएफसी केपिटल एजवाइजरी लिमिटेड

- आंतरिक लेखापरीक्षा मानक/नियमावली/दिशानिर्देश निर्धारित नहीं किए गए।

पंजाब अशोक होटल कम्पनी लिमिटेड

- कम्पनी में कोई आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं है।

साम्भर साल्ट्स लिमिटेड

- रिपोर्टिंग कार्य विस्तार आदि से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सशक्त किए जाने की आवश्यकता है।

शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

- आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली कम्पनी के आधार के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त, इआरपी और अन्य कार्यात्मक पैकेज के कार्यान्वयन को देखते हुए इसे और सशक्त करने की आवश्यकता है।

2.9.6 इडीपी लेखापरीक्षा

भारत संचार निगम लिमिटेड

- निगम कार्यालय में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए पर्याप्त सुरक्षा नीति नही थी। इसे प्रबंधन और कार्यान्वयन द्वारा समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

कोल इण्डिया लिमिटेड

- कम्पनी के पास समग्र रूप से कोई अनुमोदित रणनीति या योजना नही है। प्रत्येक युनिट उपलब्धता और/या आवश्यकता के आधार पर सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही हैं।

गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एण्ड इंजीरियरिंग लिमिटेड

- इडीपी को अभी भी उपक्रम/बाह्य स्त्रोत किया जाना है।

हसन मैंगलोर रेल डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

- कम्पनी में काई अनुमोदित आईटी रणनीति या योजना नहीं है।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

- कम्पनी को इसके ईआरपी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए उचित सुरक्षा नीति विकसित करनी थी।
- कम्पनी ईआरपी पैकेज मे अन्तर्निहीत कमियों की डि-बोटलिंग के प्रयत्न मे अभाव, पर्याप्त प्रशिक्षित स्टाफ और कार्यात्मक नियमावली के अभाव के कारण इआरपी पैकेज का पूरा लाभ उठाने मे असफल रही।
- कम्पनी ने अभी तक इसके इआरपी पैकेज के उचित दस्तावेजिकरण के लिए कोई प्रणाली कार्यान्वित नहीं की थी।

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड

- कम्पनी ने लेखांकन प्रणाली के लगभग सभी क्षेत्रों का कम्प्यूटरीकरण किया। तथापि, एसएपी में मानवीय हस्तक्षेप विभिन्न कारणों जैसे मालसूची का मूल्यांकन और क्रूड ऑयल का लेखांकन के कारण आवश्यक हो रहा था। एसएपी विपणन डिवीडन में कतिपय अवस्थितियों के लिए कार्यान्वित नहीं हुआ था।

एमएमटीसी लिमिटेड

- इआरपी प्रणाली मे बायर क्रेडिट मोड्यूल सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रणाली मे बायर क्रेडिट को हाथ से दर्ज किया जाता है।
- बीजक स्टॉक सुपुर्दगी या समय मूल्य निर्धारण के समय उत्पन्न नही है। यहां मूल्य निर्धारण तिथि से लगभग 15-20 दिनों तक औसत बैकलोग बीजक है।
- ईआरपी प्रणाली में पश्च तिथि ऐन्ट्री आसानी से की जा सकती है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

- कम्पनी कोलनेट अनुप्रयोग प्रोग्राम के समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन में विफल रही। कम्पनी के प्रचालन के आकार को ध्यान में रखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों के संवर्धन करने की तत्काल एवं अत्यावश्यकता थी। सिक्योरिटी नीति हाँलाकि अनुमोदित थी, फिर भी कार्यान्वित नहीं हुई। कम्पनी की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा सिक्योरिटी नीति के कार्यान्वयन की जाँच करने के लिए नहीं की गई थी। सिक्योरिटी नीति की आवधिक रूप में समीक्षा नहीं की गई थी और अद्यतन नहीं की गई थी।

नार्दन इर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड

- यद्यपि, उत्तर पूर्वी कोलफील्ड्स मे लेखा काफी पहले यंत्रीकृत/कम्प्यूटरीकृत किया जाता है लेकिन ब्रोड आधारित सूचना और इसके विश्लेषण के लिए मौजूद संस्करण के प्रकाश मे इसका अद्यतन करना बहुत आवश्यक है।

एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कम्पनी लिमिटेड

- कम्पनी में वर्तमान में कोई अनुमोदित आईटी रणनीति या योजना नही है।

एनटीपीसी-भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

- संगठन मे अनुमोदित आईटी उणनीति/योजना नहीं है।
- कम्पनी में आईटी संचालन समिति नहीं है।

नबीनगर पावर जेनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड

- कम्पनी ने हाल मे इसकी आरम्भिक गतिविधियां प्रारम्भ की और आईटी रणनीति को अभी भी सूत्रबद्ध किया जाना है।
- कम्पनी में ईडीपी विभाग के लिए प्रभावी आपदा वसूली योजना नहीं है।

पीएनबी इन्वेस्टमेंट सर्विस लिमिटेड

- इडीपी परिसर मे कोई आपदा वसूली योजना नहीं है।

पावर इक्विटि कैपिटल एडवाईजर्स प्राईवेट

- कम्पनी में अनुमोदित आईटी रणनीति या योजना नही है।

पीएफसी कैपिटल ऐडवाईजरी लिमिटेड

- कम्पनी में अनुमोदित आईटी रणनीति या योजना नही है।

पिपावव रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड

- कम्पनी मे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की सुरक्षा के लिए कोई नीति नही है।

रेल विकास निगम लिमिटेड

- कम्पनी मे अनुमोदित आईटी रणनीति या योजना नहीं है।

रत्नागिरि गैस एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड

- कम्पनी को अभी इसकी ईडीपी और आईटी प्रणाली विकसित करनी है।
- कम्पनी ने कोई आपदा वसूली योजना विकसित नहीं की है।

एसटीसीएल लिमिटेड

- कम्पनी में ओरेकल सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग नहीं किया गया था और राशि बट्टे खाते में डाल दी गई।

साउथ इर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड

- संगठन में अनुमादित आईटी रणनीति या योजना नही है।

एसजेवीएन लिमिटेड

- वर्ष 2011-12 के दौरान कोई ईडीपी लेखापरीक्षा नहीं की गई।

साम्भर साल्ट्स लिमिटेड

- कम्पनी ने औपचारिक रूप से आईटी योजना को अनुमोदित नही किया है।
- कम्पनी में आकड़ों की सुरक्षा के लिए कोई आपदा वसूली योजना नहीं है।

वेस्ट्रन कोलफील्ड्स लिमिटेड

- कम्पनी ने सूरक्षा नीति विकसित नही की है।

2.9.7 लागत प्रणाली

भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड

- सीएफसी, रूद्रपुर में आदर्श श्रम घण्टों और मशीन घण्टों को चिन्हित करने के लिए कोई प्रभावी प्रणाली नही है।

ब्रेथवेट कम्पनी लिमिटेड

- कम्पनी मे कोई औपचारिक लागत नहीं है।

कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

- कम्पनी मे कोई औपचारिक लागत नीति नहीं है।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड

- वित्तिय लेखों और लागत लेखों के बीच समन्वय नही रखा गया है।

हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड

- अलग लागत रिकार्ड नहीं बनाए गए है।
- मुख्य परिचालनों, कार्यों, प्रक्रियाओ और सेवाओं के लिए लागत शीट तैयार नहीं की गई है। केवल नमक के लिए वार्षिक लागत शीट और ब्रोमाइन के लिए मासिक लागत शीट तैयार की गई है।

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

- कम्पनी की काई औपचारिक लागत नीति नहीं है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

- कम्पनी मे कोई नीति नही है। हालांकि वर्ष 2011-12 से कम्पनी के लिए लागत लेखापरीक्षा अनिवार्य हो गई है।

एनटीपीसी-भेलपावर प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड

- कम्पनी में कोई लागत नीति नहीं है।

2.9.8 ठेके प्रदान और क्रियान्वित करना

ब्रह्मपुत्र वैली फर्टीलाईजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड

- ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओ को दिए गए अग्रिम की निगरानी और समन्वय प्रणाली को सशक्त करने की आवश्यकता है।

एचएमटी वॉच लिमिटेड

- ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओ को दिए गए अग्रिम की निगरानी और समायोजन के लिए पुष्टि और आवधिक समन्वय प्राप्त करने के लिए प्रभावी नहीं है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

- कम्पनी को ठेकेदारो/आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए अग्रिम की निगरानी और समायोजन के लिए प्रणाली को सशक्त करने की आवश्यकता है।

2.9.9 देनदारों एवं लेनदारों के शेषों की पुष्टि

अनुपूरक रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई आपत्तियों के आधार पर यह ध्यान में आया था कि देनदारों/लेनदारों के शेषों की पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली 27 सरकारी कम्पनियों और डीम्ड सरकारी कम्पनियों, जैसाकि **परिशिष्ट X** में दिया गया है, में त्रुटिपूर्ण था।

2.9.10 धोखे एवं जोखिम

अपनी पूरक रिपोर्टों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए निष्कर्षों के आधार यह देखा गया कि **परिशिष्ट XI** में वर्णित 52 कम्पनियों और डीम्ड सरकारी कम्पनियों मे धोखा/जोखिम एवं व्हिसल ब्लोइंग नीति नही थी।

2.10 वित्तीय रिर्पोटिंग पर आन्तरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, प्रचालनों की प्रभावकारिता एवं दक्षता, लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन और धोखाधड़ी एवं दुर्विनियोजन की जाँच के सम्बन्ध में इकाई के उद्देश्य की उपलब्धि के बारे में यथोचित आश्वासन के साथ प्रबन्धन द्वारा बनायी गयी एवं कार्यान्वित की गई प्रक्रिया है।

आंतरिक नियंत्रण उपाय संगठन के आकार एवं जटिलता के साथ भिन्न हो सकते हैं। प्रभावी एवं दक्ष आंतरिक नियंत्रण उपाय सुनिश्चित करते हैं कि

- तैयार किए गए वित्तीय विवरण सही एवं यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और
- विश्वसनीयता की मात्रा जिसे सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरणों पर भरोसा कर सकते हैं।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(क) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों से पर्याप्तता अथवा कम्पनी द्वारा अपनाये गए आंतरिक नियंत्रण उपाय और देनदारों, रोकड़ एवं बैंक शषों सहित स्थायी एवं चालू परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन रक्षा करने और सत्यापन के क्षेत्रों में सुधार, यदि कोई है, का सुझाव देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

निम्नलिखित के सम्बन्ध में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित त्रुटियाँ

- अचल परिसम्पत्ति रजिस्टर का अनुचित रख -रखाव,
- निवेश नीति का न होना,
- पृथक सतर्कता विभाग का सृजन न होना और

- मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित सरकारी कम्पनियों में भंडारण हानि इत्यादि के लिए प्रतिमान का नियतन न करना

विभिन्न कम्पनियों में आंतरिक नियंत्रण के अभाव के सम्बन्ध में ब्यौरे **परिशिष्ट XII** में दिए गए हैं। अन्तर्ग्रस्त कम्पनियों की संख्या के साथ त्रुटि का क्षेत्र नीचे दर्शाया गया है:

क्रम संख्या	त्रुटि का क्षेत्र	कम्पनियों की संख्या
1.	अचल परिसम्पत्तियाँ	4
2.	आंतरिक कार्यविधियाँ एवं प्रचालनात्मक दक्षता	5
3.	निवेश	3
4.	स्कंध	3
5.	आंतरिक लेखापरीक्षा	2
6.	आईटी नीति	1
7.	सतर्कता	3

अध्याय 3

निगमित अभिशासन

3.1 प्रस्तावना

निगमित अभिशासन पणधारी (शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकारों, सरकार एवं समुदाय) को सन्तुष्ट करने के लिए दीर्घकालिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने के मद्देनजर एक संगठन में संरचना, प्रचालन और नियंत्रण एवं विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने की एक प्रणाली है। निगमित अभिशासन कम्पनियों को निर्देश देने और नियंत्रण करने के रूप में है। यह कम्पनी और प्रबन्धन के नैतिक, नीतिपरक, उपयोगिता, आचरण एवं व्यवहार से संबंधित है। यह वह प्रणाली है जिसके द्वारा कम्पनियों को अधिक पारदर्शिता और बेहतर एवं समय से वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करते हुए पणधारियों और अन्य पणधारियों के सर्वोत्तम हित में प्रबन्धन द्वारा निर्देशित एवं नियन्त्रित किया जाता है। **अच्छे अभिशासन संरचनाओं के अभाव और अभिशासन सिद्धान्तों के पालन के अभाव से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रबन्धन द्वारा सौंपी गई शक्तियों के दुरूपयोग और भ्रष्टाचार से जोखिम में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है।**

3.1.1 भारत में निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन के निदेश की भारत में पहल की गई जिसमें मुख्यतः कम्पनी अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा आदेश दिए जाते हैं। जबकि कम्पनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न संशोधनों ने सम्पूर्ण देश में कम्पनियों को अभिशासन निदेश दिए इसलिए डीपीई ने सार्वजनिक क्षेत्र में अभिशासन पहलों का मार्ग उपलब्ध कराते हुए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज) के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए।

3.1.2 सीपीएसईज़ के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश

डीपीई ने निदेशक मंडल में गैर-कार्यालयीन निदेशकों के शामिल करने पर नवम्बर 1992 में निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए। डीपीई ने निदेशक मंडल में स्वतन्त्र निदेशकों के शामिल करने के लिए नवम्बर 2001 में पुनः दिशानिर्देश जारी किए।

सीपीएसईज़ के कार्यचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए सरकार ने जून 2007 में सीपीएसईज के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किये। ये दिशानिर्देश स्वरूप में अभिप्रेत थे। इन दिशानिर्देशों को एक वर्ष की प्रयोगात्मक अवधि के लिए लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर, मई, 2010 में डीपीई दिशानिदेर्शों को आशोधित करने एवं पुनः जारी करने का निर्णय लिया गया था। इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाया गया और ये सभी सीपीएसईज के लिए लागू हैं।

डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों ने निदेशक मंडल के गठन के क्षेत्रों, लेखापरीक्षा समिति जैसे निदेशक समितियों के गठन एवं कार्य, सहायक कम्पनियों के ब्यौरे, प्रकटन, रिपोर्ट एवं कार्यान्वयन

के लिए अनुसूचियों को कवर किया। इस अध्याय में डीपीई दिशानिर्देशों के लिए सभी सन्दर्भ मई 2010 में जारी किए गए डीपीई दिशानिर्देशों का उल्लेख करते हैं जो सभी सीपीएसईज के लिए अनिवार्य हैं।

3.1.3 निगम शासन के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान

कम्पनी अधिनियम, 1956 में निगमित अभिशासन के संबंध में कोई सीधा प्रावधान नहीं किया गया है लेकिन कम्पनी अधिनियम, 1956 के विभिन्न प्रावधानों में कतिपय प्रथाओं को निर्धारित किया गया कि सख्त, निगमित अभिशासन संरचना को बनाएं। कम्पनी अधिनियम, 1956 के कुछ ऐसे प्रावधानों को नीचे दिया गया है:

- धारा 217 (2एए) को दिसम्बर, 2000 से लागू किया गया जिसमें यह दर्शाते हुए बोर्ड की रिपोर्ट के भाग के रूप में निदेशक के जिम्मेवारी विवरण के लिए प्रावधान किया गया कि लागू लेखाकरण मानकों का लेखाओं के बनाने में अनुसरण किया गया और उनसे अलग सामग्री की सूचना दें कि कम्पनियों ने अपनी लेखाकरण पॉलिसियों का सुसंगत रूप से अनुसरण किया और सभी लेखाकरण अभिलेखों का रखरखाव कम्पनी अधिनियम, 1956 की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है।

- धारा 292 ए को दिसम्बर 2000 से लागू किया गया जिसमें ₹ 5 करोड़ से कम नहीं की प्रदत्त पूँजीगत वाली प्रत्येक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी में बोर्ड की समिति के रूप में लेखापरीक्षा समिति के गठन का प्रावधान है। लेखापरीक्षा समिति के सन्दर्भ की शर्तों में वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया, कम्पनी के आन्तरिक नियंत्रण और जोखिम प्रबन्धन प्रणाली, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निरीक्षण तथा अन्य कर्त्तव्यों के निष्पादन एवं बोर्ड द्वारा यथा निर्दिष्ट जिम्मेवारियों से संबंधित सभी मामलों को शामिल किया जाता है।

- अधिनियम की धारा 299 में कम्पनी के द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए ठेका अथवा करार (वर्तमान अथवा प्रस्तावित) में उसकी चिन्ता अथवा हित के स्वरूप की बोर्ड की मीटिंग में प्रकटीकरण करना कम्पनी के प्रत्येक निदेशक द्वारा आवश्यक है। कम्पनी को ऐसे संव्यवहारों का अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत ठेका रजिस्टर में दर्ज करना भी अपेक्षित है।

3.1.4 निगमित अभिशासन पर सेबी दिशानिर्देश

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने परिपत्र दिनांक 21 फरवरी 2000 के माध्यम से सूचीगत करार में एक नया खण्ड 49 शामिल किया। सूचीगत करार के खण्ड 49 में संशोधन अक्तूबर 2004 में किया गया और संशोधित खण्ड को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था। सूचीगत करार के खण्ड 49 में निदेशक मंडल के गठन, गैर-कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक, लेखापरीक्षा समिति के गठन और कार्य, सहायक कम्पनी की तुलना में नियन्त्रक-कम्पनी के निदेशक मंडल एवं लेखापरीक्षा समिति की भूमिका, प्रकटीकरण और अन्य मामलों के मध्य अनुपालन रिपोर्टों आदि का प्रावधान है।

3.1.5 निगमित अभिशासन प्रावधानों के अनुपालन पर लेखापरीक्षा समीक्षा

- 31 मार्च 2012 को, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 481 केन्द्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसईज) थे। इसमें 338 सरकारी कम्पनियों, 137 डीम्ड सरकारी कम्पनियों और 06 सांविधिक निगमों को शामिल किया गया। अधिकांश सीपीएसईज में महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न को शामिल किया गया जो लाभ अर्जन कर रही हैं और वर्षों से उनके वित्तीय निष्पादन में सुधार हुआ है। सीपीएसईज को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए सरकार की पॉलिसी के सन्दर्भ में निगमित अभिशासन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महारत्न योजना के अन्तर्गत सीपीएसईज से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों के बढ़ाने और विश्वव्यापी विशाल होने की प्रत्याशा की जाती है जिसके लिए प्रभावी निगमित अभिशासन अत्यावश्यक है।
- लेखापरीक्षा ने उनकी कार्पोरेट गॅवर्नेन्स अपेक्षाओ के अनुपालन की समीक्षा के लिए हेवी उद्यम और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय से संबंधित 36 सरकारी कम्पनियों (अनुलग्नक XIII) को कवर किया। मार्च 2012 को समाप्त एक वर्ष की अवधि को समीक्षा में कवर किया गया। समीक्षा की निष्कर्षों को नीचे पैराग्राफ मे प्रस्तुत किया गया है।

3. 2 निदेशक मण्डल

3.2.1 सरकारी नामिती निदेशक

डीपीई दिशानिर्देशों में प्रावधान है कि सरकारी निदेशक को निदेशक मंडल की वास्तविक क्षमता के छठवे हिस्से से अधिक नहीं होना चाहिए और बोर्ड में मात्र एक प्रतिनिधि रखना अधिमान्य है। तथापि, किसी भी मामले में, यह दो से अधिक नहीं होने चाहिए। निम्नलिखित कम्पनियों में सरकारी निदेशक दो से अधिक थेः

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	नेपा लिमिटेड
2	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एवं इस्ट्रूमैंट लिमिटेड
3	साम्भर साल्ट्स लिमिटेड
4	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

निम्नलिखित कम्पनियों के संबंध में, बोर्ड में कोई सरकारी नामिती निदेशक नही थे।

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम
1	हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड
2	यूले इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
3	यूले इंजिनियरिंग लिमिटेड

3.2.2 स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड निगमित अभिशासन का एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। प्रबन्धन के निर्णयों को चुनौती देने के लिए समर्थ बोर्ड में स्वतन्त्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को पणधारियों के हितों की सुरक्षा करने के साधन के रूप में व्यापक रूप से माना गया है। **सूचीगत करार के खण्ड 49(I)(ए)(ii) और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार जहाँ बोर्ड का अध्यक्ष गैर-कार्यकारी निदेशक है वहाँ कम से कम बोर्ड के एक तिहाई को स्वतन्त्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए और यदि वह एक कार्यकारी निदेशक है, तो कम से कम बोर्ड के आधे को स्वतन्त्र निदेशकों का बना हुआ होना चाहिए। नामिती निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक नहीं माना गया है।**

समीक्षित कम्पनियों के निदेशक मंडल के गठन से पता चला कि निम्नलिखित कम्पनियों के पास उनके बोर्ड मे स्वतंत्र निदेशको की अपेक्षित संख्या नही थीः

क्रम सं.	सीपीएसईज़ का नाम	वांछित	वास्तविक
1	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड	7	6
2	ब्रेथ वेट बर्न एवं जैसप कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड	2	1
3	ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी लिमिटेड	3	1
4	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	4	3
5	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड	3	1
6	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	2	1
7	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	3	1
8	इन्स्ट्रूमैन्टेशन लिमिटेड	4	1
9	नेपा लिमिटेड	3	1
10	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एवं इन्स्ट्रूमैन्ट्स लिमिटेड	2	1
11	साम्भर साल्ट्स लिमिटेड	4	1
12	तुंगभद्रा स्टील प्राडक्ट्स लिमिटेड	3	1
13	टायर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	2	1

निम्नलिखित सीपीएसईज़ में, बोर्ड मे कोई स्वतंत्र निदेशक नही था।

क्रम सं.	सीपीएसईज - गैर स्वतंत्र निदेशक
1	एन्ड्रयू यूले एवं कम्पनी लिमिटेड
2	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
3	भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वैसल लिमिटेड
4	भारत पम्प्स एवं कम्प्रैसर लिमिटेड

5	हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
7	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड
8	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
9	एचएमटी (एमटी) लिमिटेड
10	एचएमटी चिनार वॉचेज़ लिमिटेड
11	एचएमटी इन्टरनेशनल लिमिटेड
12	एचएमटी लिमिटेड
13	एचएमटी वॉचेज़ लिमिटेड
14	हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड
15	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
16	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड
17	नेशनल बाएसाईकल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
18	रिचर्डसन एण्ड क्रूडस (1972) लिमिटेड
19	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड
20	यूले इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
21	यूले इंजीनियरिंग लिमिटेड

3.2.3 बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक

सूचीगत करार के खण्ड 49 (I)(ए)(i) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1 और 3.2 में अनुबद्ध किया जाता है कि कम्पनी का निदेशक मंडल गैर-कार्यकारी निदेशकों के बने हुए निदेशक मण्डल के पचास प्रतिशत से कम नहीं के साथ कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशक/कार्यात्मक और गैर-कार्यात्मक निदेशकों का इष्टतम संयोजन होगा। निम्नलिखित कम्पनियों में गैर-कार्यकारी निदेशक कुल बोर्ड क्षमता के पचास प्रतिशत से कम थे।

क्रम सं.	सीपीएसईज का नाम	वांछित	वास्तविक
1	एन्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड	3	2
2	भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड	3	2
3	ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी लिमिटेड	3	2
4	हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	3	2
5	हिन्दुस्तान न्यूज प्रिन्ट लिमिटेड	2	1
6	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड	3	1

7	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैनूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	2	1
8	एचएमटी (एमटी) लिमिटेड	2	1
9	एचएमटी बैरिंग लिमिटेड	2	1
10	इन्स्ट्रूमैन्टेशन लिमिटेड	4	3
11	स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड	2	1

3.2.4 कम्पनी के कार्यकलापों और मामलों पर सूचना

डीपीई दिशानिर्देशों और सूचीगत करार के खण्ड 49 के कम्पनी के कार्यकलापों और मामलों के बारे में न्यूनतम सूचना निर्धारित की गई है जिसे बोर्ड को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऐसी सूचना में वार्षिक परिचालन योजनाओं, बजट, त्रैमासिक परिणामों, लेखापरीक्षा समिति बैठकों के कार्यवृत्त, बोर्ड स्तर से थोड़ा कम वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों की भर्ती एवं परिश्रमिक पर सूचना, संयुक्त उद्यम के ब्यौरे, विदेशी विनिमय आदि को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित कम्पनियों के बारे में अपेक्षित सूचना बोड को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

क्रम सं.	सीपीएसई के नाम	न्यूनतम सूचना प्रस्तुत नहीं की गई
1	भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लिमिटेड	• बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत।
2	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	• बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति और अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत।
3	हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	• कम्पनी और इसके परिचालन डिवीजनों या व्यापार खण्डों के तिमाही परिणाम। • बोर्ड स्तर से थोडा कम वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और परिश्रमिक पर सूचना जिसमें मुख्य वित्तीय अधिकारी और कम्पनी सचिव की नियुक्ति अथवा पदच्युति शामिल है। • घातक या गम्भीर दुर्घटनाए, खतरनाक घटनाएं, कोई भौतिक बहिस्त्राव या प्रदूषण समस्याएं। • विदेशी विनिमय अरक्षतिता के त्रैमासिक ब्यौरे और प्रतिकूल विनिमय दर गति के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम।
4	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड	• लेनदेन जिनमें साख, ब्रांड या बौद्धिक सम्पदा, सामग्री की बिक्री, निवेश का स्वरूप, सहायक लेन-देन, परिसम्पत्तियों के प्रति पर्याप्त भुगतान शामिल हैं, जो व्यापार के सामान्य स्वरूप में नहीं है।
5	एचएमटी (एमटी) लिमिटेड	• पूंजी बजट और अन्य अद्यतन

6	एचएमटी चीनार वॉचेज लिमिटेड	• वार्षिक प्रचालन योजनाएं और बजट तथा कोई अद्यतन है।
7	एचएमटी लिमिटेड	• पूंजीगत बजट व कोई अद्यतन है। • विदेशी विनिमय अरक्षितता के त्रैमासिक ब्यौरें और प्रतिकूल विनिमय दर गति के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबन्धन द्वारा उठाए गए कदम, यदि वे ठोस हो।
8	नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	• वार्षिक प्रचालन योजनाएं तथा बजट एवं कोई अद्यतन है, पूंजीगत बजट तथा कोई अद्यतन है। • कम्पनी और उसके कारोबार सेगमेंटस के परियोजन डिवीजनों के लिए त्रैमासिक परिणाम
9	राजस्थान इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्सट्रुमेन्टस लिमिटेड	• लेखापरीक्षा समिति की बैठकों और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त

3.2.5 जोखिम प्रबंधन

उद्यम जोखिम प्रबंधन ईकाई की प्रतिष्ठा और संबंध परिणामों की क्षति का परिहार करने और जोखिम का प्रबंध करने में प्रबंधन की सहायता करता है। निगमित प्रबंधन नीतियों की योजना में जोखिम प्रबंधन के महत्व पर विचार करते हुए इसका निरीक्षण बोर्ड/प्रबंधन की मुख्य जिम्मेवारियों मे से एक होना चाहिए। डीपीई दिशानिर्देशों में जोर दिया जाता है कि बोर्ड को निगमित एवं प्रचालन उद्देश्यों के साथ जोखिम प्रबंध प्रणाली का एकीकरण और सरेखन सुनिश्चित करना चाहिए और यह भी कि जोखिम प्रबंधन को सामान्य कारोबार प्रथा के भाग के रूप मे लिया गया है और न की निर्धारित समय में अलग कार्य के रूप में। निम्नलिखित कंपनियों के बारे में जोखिम पालिसी अभी विकसित की जानी है।

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1	एन्ड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड
2	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
3	भारत हेवी प्लेटस एण्ड वेसल्स लिमिटेड
4	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
5	ब्रेथ वेट बर्न एण्ड जेसप कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
6	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
7	इन्जीनियरिंग प्रोजक्टस इण्डिया लिमिटेड
8	हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
9	हिन्दुस्तान न्यूज प्रिन्ट लिमिटेड
10	हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड

11	हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड
12	एचएमटी चीनार वॉचेस लिमिटेड
13	हुगली प्रिन्टिंग कम्पनी लिमिटेड
14	इन्स्ट्रुमेन्टेशन लिमिटेड
15	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
16	नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड
17	नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
18	नेपा लिमिटेड
19	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड इन्स्ट्रुमेन्टस लिमिटेड
20	रिचार्डसन एण्ड क्रूड्डास (1972) लिमिटेड
21	साम्भर साल्टस लिमिटेड
22	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
23	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड
24	यूले इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेउ
25	यूले इन्जीनियरिंग लिमिटेड

3.2.6 कार्यात्मक गैर-कार्यात्मक, स्वतंत्र निदेशकों के पदो का भरा जना

निदेशकों, के पदो में रिक्तियों का समय से भरा जाना कम्पनी के प्रबंधन में अपेक्षित निपुणता और सुविज्ञता की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। रिक्तियों के भरने में कोई भी विलम्ब निर्णय लेने वाली प्रक्रिया की प्रभावकारिता में बाधा डाल सकता है। निम्नलिखित कम्पनियों के बारे में 31 मार्च 2012 को निदेशकों - कार्यात्मक, गैर-कार्यात्मक, स्वतंत्र आदि के पदो को भरने में छः माह या उससे अधिक विलम्ब हुआ था।

क्रम संख्य	सीपीएसईज का नाम	पद का नाम	माह की संख्या
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड	निदेशक (वित्तीय)	7
2	भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक-2	24
3	भारत पम्प एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक-2	7
4	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	निदेशक (वित्तीय)	16
5	इन्जीनियरिंग प्रोजेक्टस इण्डिया लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक-2	16
6	हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	निदेशक (विपणन)	17
7	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	सीएण्डएमडी	21
8	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक -2	33

		निदेशक (वित्तीय)	15
9	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्ययुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक	7
10	हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड	नामांकित निदेशक	6
11	नेपा लिमिटेड	निदेशक (वित्तीय)	125
12	रचार्डसन एण्ड क्रूड्डास (1972) लिमिटेड	निदेशक	45
13	साम्भर साल्टस लिमिटेड	नामांकित निदेशक-2	6
14	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	सरकारी नामांकित	99
15	टायर कारपोरेशन इण्डिया लिमिटेड	निदेशक (वित्तीय)	15

3.3. लेखापरीक्षा समिति

3.3.1 सूचीगत करार के खंड 49(II) (ए) और डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 4 में अनुबद्ध किया जाता है कि न्यूनतम तीन निदेशकों की एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसके दो तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे। निम्नलिखित कम्पनियों में कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं थी:

क्रम संख्या	सीपीएसई का नाम
1	एन्ड्रीव यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड
2	हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान न्यूज प्रिंट लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान पेपर कारपारेशन लिमिटेड (16.10.2011 से कार्यात्मक नहीं है)
5	एचएमटी (एमटी) लिमिटेड
6	एचएमटी बीयरिंग्स लिमिटेड
7	एचएमटी चिनार वाचेज लिमिटेड
8	एचएमटी लिमिटेड
9	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड
10	हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड
11	इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड
12	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
13	नागालैंड पल्प एंड पेपर कम्पनी लिमिटेड
14	नेशनल वाय साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
15	रिचर्डसन एंड क्रुडडास (1972) लिमिटेड
16	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
17	त्रिवेणी स्ट्रक्चर्ल्स लिमिटेड
18	यूले इलेक्ट्रिकल लिमिटेड
19	यूले इंजीनियरिंग लिमिटेड

3.3.2 लेखापरीक्षा समिति की संरचना

निम्नलिखित कम्पनियों के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के दो तिहाइ सदस्य यथाअपेक्षित स्वतन्त्र निदेशक नहीं थे।

संख्या	सीपीएईज-जिसमें अपर्याप्त स्वतन्त्र निदेशक है
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड
3	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
4	ब्रीज एंड रूफ कम्पनी लिमिटेड
5	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
7	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
8	नेपा लिमिटेड
9	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
10	साम्भर साल्टस लिमिटेड
11	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड

3.3.3 लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष

सूचीकरण करार ओर डीपीई दिशानिर्देश के अनुसार लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र होंगे। निम्नांकित मामले में, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र नहीं थेः

क्र.सं.	सीपीईज जिसमें -लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक नहीं थे
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड
3	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
6	नेपा लिमिटेड
7	सम्भर साल्ट्स लिमिटेड
8	तुंगभद्रा स्टील प्रोड्क्ट्स लिमिटेड

3.3.4 सूचीकरण करार और डीपीई दिशानिर्देश के क्लॉज 49II (ए) (iv) यह अपेक्षा करता है कि लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को शेयरधारक के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में उपस्थित रहना चाहिए। हालांकि, निम्नलिखित सीपीएसईज की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष 2011-12 के दौरान आयोजित एजीएम की बैठक में भाग नहीं लिया।

सीपीएसई	सीपीएसई का नाम
1	भारत भारी उद्योग निगम निमिटेड
2	भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड
3	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
4	ब्रीज एंड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड

5	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
6	नेपा लिमिटेड
7	साम्भर साल्ट्स लिमिटेड

3.3.5 यह सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय की आवश्यकता के अनुरूप समिति का कार्य है के लिए लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ में शर्तों की आवधिक समीक्षा की प्रणाली होनी चाहिए। निम्नांकित कम्पनियों के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ को शर्तों की समीक्षा करने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
3	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
5	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल)
6	साम्भर साल्ट्स लिमिटेड

3.3.6 लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की नियुक्ति पत्र जारी करने की अच्छी पद्धति है जिसमें उनकी नियुक्ति और उद्देश्य अपेक्षित वचनबद्धता, पारिश्रमिक, मूल्यांकन, समर्थन और प्रशिक्षण जिसे वे लेंगे, उम्मीद आचरण, नियुक्ति की अवधि और कितनी बार इसे नवीकृत किया जाता है और शर्तों को समाप्त किया जा सकता है को स्पष्ट करता है। निम्नांकित कम्पनियों में लेखापरीक्षा के सदस्यों की नियुक्ति पत्र जारी करने की कोई प्रणाली नहीं थी।

क्र.सं.	सीपीएई का नाम
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड
3	भारत पम्प्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड
4	ब्रेथ वेट बर्न एंड जेस्सोप कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
5	ब्रीज एंड रूफ को (इंडिया) लिमिटेड
6	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड
8	हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
9.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
10.	नेपा लिमिटेड
11.	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एंड इंस्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड
12.	साम्भर साल्ट्स लिमिटेड
13.	तुंगभद्र स्टील प्रोडेक्ट्स लिमिटेड

3.3.7 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सूचीगत करार के खंड 49 II (बी) और डीपीई दिशानिदेशों के (पैरा 4.4) के अध्याय 4 में आवश्यक है कि लेखापरीक्षा समिति को वर्ष में कम से कम चार बार मुलाकात करनी चाहिए। समीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि निम्नलिखित कंपनियों के संदर्भ में वर्ष 2011-12 के दौरान चार से कम बैठकें हुई थी।

क्र. सं.	सीपीएसईएस-लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की अपेक्षा	आयोजित की गई बैठकों की संख्या
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड़	1
2	भारत पम्पस व कम्प्रैसर्स लिमिटेड	1
3	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3
4	इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड	2
5	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	1
6	नेपा लिमिटेड	3
7	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड	1
8	टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0

3.3.8 **ब्लू रिबन समिति*** की एक सिफारिश यह थी कि लेखापरीक्षा समीति को कम्पनी के वित्तीय अधिकारी/प्रबंधन की उपस्थिति के बिना वर्ष में एक बार कम्पनी के सांवधिक लेखापरीक्षकों से मुलाकात करनी चाहिए। **इसी अच्छी प्रक्रिया का अनुसरण निम्नलिखित कम्पनियों द्वारा किया जा रहा थाः**

क्र.सं.	सीपीएसईजेड-ब्लू रिबन समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करना
1	ब्रीज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया लिमिटेड)
2	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड

3.3.9 किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करने का उतरदायित्व भी लेखापरीक्षा समिति का है। यह देखा गया था कि, निम्नलिखित कम्पनियों में लेखापरीक्षा समिति ने आन्तरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा नही की गई।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर लिमिटेड
2	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ् इंडिया लिमिटेड
3	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैम्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
4	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रूमेन्टस लिमिटेड

3.3.10 चेतावनी देने वाला तंत्र

(ए) सूचीगत करार के खंड 49 II (डी) 12 तथा डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.2.12 में अपेक्षा की गई है कि कम्पनी में विद्यमान होने पर चेतावनी देने वाले तंत्र की क्रियाकलापों की लेखापरीक्षा समिति समीक्षा करें। सूचीगत करार में अपेक्षा की गई कि कम्पनी कर्मचारियों द्वारा प्रबन्धन को

* *एक समिति संयुक्त राज्यों में लेखापरीक्षा समिति के प्रभावकारिता में सुधार करने पर एक रिपोर्ट का प्रकाशन किया।*

अनीतिगत व्यवहार, वास्तविक या आशांकित धोखाधड़ी या कम्पनी की आचरण संहिता अथवा नीतिगत नीतियों के बारे में सूचना देने के लिए एक तंत्र की स्थापन करें। यह तंत्र उन कर्मचारियों को जो इस तंत्र का उपयोग करेंगे के शोषण के प्रति पर्याप्त सुरक्षा भी उपलब्ध करवाएगा तथा कुछ अपवादात्मक मामलों में लेखापरीक्षा के अध्यक्ष तक भी सीधा सम्पर्क करवाएगा। एक बार स्थापित होने के बाद, तंत्र के विधमान होने की सूचना संगठन में समुचित रूप से प्रसारित की जाए। निम्नलिखित कम्पनियों में चेतावनी वाला तंत्र नहीं था।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
3	भारत हेवी प्लेटस एवं वेसल्स लिमिटेड
4	भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैसर्स लिमिटेड
5	ब्रेथ वेट ब्रन एण्ड जिसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
6	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7	नेपा लिमिटेड
8	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड

(बी) निम्नलिखित कंपनियों में, हालांकि चेतावनी देने वाला तंत्र विधमान था, लेखापरीक्षा समिति ने इसकी समीक्षा नहीं की:

क्र.सं.	सीपएसई का नाम
1	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रूमेन्टस लिमिटेड

(सी) चेतावनी देने वाले तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना लेखापरीक्षा समिति के उत्तरदायित्व का उपसिद्धांत है, जैसा कि पहले के पैराग्राफ में चर्चा की गई है धोखाधड़ी के विरूद्ध और भ्रष्टाचार के विरूद्ध नीतियों तथा पद्धतियों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की भी एक प्रणाली होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे यथास्थान है तथा प्रभावी रूप से काम कर रही है। निम्नलिखित कंपनियों में धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार के विरूद्ध नीतियां नहीं थी।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत पम्प्स एवं कम्प्रैशर लिमिटेड
3	ब्रथ वेट ब्रन एण्ड जिसोप कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
4	सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड
6	नेपा लिमिटेड
7	तंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड

3.3.11 सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा

डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 49(II) (डी) तथा पैरा 4.2.10 में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा आरंभ करने से पूर्व सांवधिक लेखापरीक्षकों को लेखापरीक्षा प्रवृत्ति तथा क्षेत्र पर चर्चा करने के साथ लेखापरीक्षा के बाद भी चिन्ता के विषय सुनिश्चित करने के लिए चर्चा करनी चाहिए।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत हेवी प्लेटस एण्ड बेसेल्स लिमिटेड
3	भारत पम्पस व कम्प्रैसर्स लिमिटेड
4	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
5	इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस इंडिया लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
7	हिन्दुसतन साल्ट्स लिमिटेड
8	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रूमेंटस लिमिटेड
9	सांभर साल्ट्स लिमिटेड

3.3.12 वार्षिक रिपोर्टों की तैयारी

समीक्षा के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित कम्पनियों में लेखापरीक्षा समिति के कामों पर वार्षिक रिपोर्टों की तैयारी की कोई प्रणाली नहीं थी।

क्र.सं.	सीपीएसई
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत हेवी प्लेटस एण्ड बेसेल्स लिमिटेड
3	भारत पम्प्स व कम्प्रैसर्स लिमिटेड
4	ब्रेथवेट बर्न एण्ड जोसेफ कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
5	सीमेन्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	इंजीनियरिंग प्राजेक्टस इंडिया लिमिटेड
7	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
8	नेपा लिमिटेड
9	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रूमेन्टस लिमिटेड
10	तुंगभ्रदा स्टील प्रोडेक्टस लिमिटेड

3.3.13 बोर्ड की नियमित रिपोर्ट भेजने की प्रणाली

लेखापरीक्षा समिति सांविधिक लेखापरीक्षकों आन्तरिक लेखापरीक्षा के कार्यों की निगरानी करती है और इस प्रकार की स्थिति में वित्त और विधि के अनुपालन तथा नियामन आदि की दृष्टि से बोर्ड को उसके रणनीति निर्णयों पर परामर्श दे सके। बोर्ड को लेखापरीक्षा समिति द्वारा नियमित रिर्पोटिंग से कमियों को पहचाने तथा तुरन्त सुधारात्मक कार्रवाई करने में बोर्ड की सहायता करेगा। अतः रिपोर्ट के रूप में बोर्ड को नियमित रिपोर्टिंग की प्रणाली होनी चाहिए। नीचे दिए गई समीक्षा के अन्तर्गत कम्पनियों के बहुमत में नियमित रिपोर्टों की तैयारी करने की कोई प्रणाली नहीं है। बोर्ड को केवल लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का कार्यवृत प्रस्तुत किया जाता था। तथापि, रिपोर्ट के रूप में

लेखापरीक्षा की बैठकों के निष्कर्ष, अवलोकन और सिफारिशें एक बेहतर समझ प्रदान करेगी तथा बेहतर विचार प्राप्त करने मे सक्षम होगें।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत हेवी प्लेटस एण्ड वेसल्स लिमिटेड
3	भारत पम्प्स और कम्प्रैसर्स लिमिटेड
4	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
6	हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड
7	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रूमेन्टस लिमिटेड
8	सांभर साल्ट लिमिटेड
9	तंगभ्रदा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड

3.4 बोर्ड के सभी सदस्यों हेतु आचार संहिता

सूचीगत करार के खण्ड 1(डी) तथा डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.4 में अनुबद्ध किया जाता है कि बोर्ड के सभी सदस्यों तथा कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए बोर्ड आचार संहिता निर्धारित करेगा। आचार संहिता का परिचालन किया जाएगा तथा कम्पनी की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा। सभी बोर्ड सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक वार्षिक आधार पर संहिता के अनुपालन की पुष्टि करेंगे। कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में मुख्य कार्यकारी द्वारा हस्तक्षारित घोषणा भी शामिल की जाएगी। निम्नलिखित मामलों में व्यवसायिक आचरण और नीति की आर्दश संहिता परिचालित नहीं की गई थी।

क्र.सं.	सीपीएसईएस-व्यापार आचरण और नीतियों की आदर्श संहिता परिचालित नहीं की गई थीः
1	एन्ड्रयू एण्ड कम्पनी लिमिटेड
2	ब्रेथ वेट ब्रुन एण्ड जेसोप कन्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
3	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
4	हेवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
5	एचएमटी इन्टरनेशनल लिमिटेड
6	एचएमटी चिनार वाचस लिमिटेड
7	एचएमटी वॉचस लिमिटेड
8	हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड
9	इन्सट्रूमेंटशन लिमिटेड
10	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
11	नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड
12	नेपा लिमिटेड

13	तुंगभद्रा स्टील प्रोडेक्टस लिमिटेड
14	यूले इलैक्ट्रिक्ल्स लिमिटेड
15	यूले इंजिरियरिंग लिमिटेड

3.5 सचिवीय लेखापरीक्षा

निम्नलिखित कम्पनियों में सचिवीय लेखापरीक्षा नहीं थी।

क्र.सं.	आचरण सीपीएसईएस सचिवीय लेखापरीक्षा प्रणाली ध्यान नहीं दी गई
1	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
2	भारत हेवी प्लेटस एण्ड वेसल्स लिमिटेड
3	भारत हेवी पम्पस एण्ड कम्प्रैसर्स लिमिटेड
4	ब्रीज एण्ड रूफ कम्पनी लिमिटेड
5	सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
7	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड
8	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड
9	हिन्दुस्तान फोटों फिल्मस मैनूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड
10	हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड
11	एचएमटी चिनार वॉचेज मिटेड
12	हुगली प्रिटिंग कम्पनी लिमिटेड
13	इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड
14	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
15	नागलैंड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड
16	नेपा लिमिटेड
17	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इन्सट्रुमेन्टस लिमिटेड
18	सांभर साल्टस लिमिटेड
19	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड
20	टायर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
21	यूले इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड
22	यूले इंजीनियरिंग लिमिटेड

3.6. निष्कर्ष

अनिवार्य होते हुए भी कुछ सीपीएसईएस मे डीपीई के निगम सुशासन दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं हो रहा। बोर्डों में स्वतंत्र निदेशकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं लेखापरीक्षा समितियों का काम और रिर्पोटिंग आदि डीपीई दिशानिर्देशों की अभिपुष्टि नहीं करते थे।

3.7. सिफारिशें

सीपीएसईएस में निगमित सुशासन के स्तर को सुधारने की निम्नलिखित सिफारिशें की जाती है।

- **भारत सरकार को सीपीएसईएस के निदेशक मंडल में स्वतंत्र सदस्यों का अपेक्षित संख्या में होना सुनिश्चित करें।**
- **सीपीएसईएस के प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी की जाए।**


1.7900
1.7855
1.7810
1.7765
14.56
19.00
05.14

अध्याय 4

भारतीय लेखांकन मानकों का आईएफआरएस के साथ सम्मिलन

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 भारत में सम्मिलन हेतु मान्यता

कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 13 मई 2008 को सूचना दी कि भारतीय लेखांकन मानकों के अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय रिर्पोटिंग मानकों (आईएफआरएस) से मिलाने लेखांकन मानकों की 2006 में अधिसूचना से लागू आईएफआरएस के साथ 2011 तक सम्मिलन के उद्देश्य से सरकार द्वारा 2001 में शुरू की गई पहल जारी रहेगी। आईएफआरएस के साथ भारतीय लेखा मानकों के परिवर्तन के लिए एमसीए द्वारा अधिसूचित प्रारंभिक सड़क मानचित्र अभी लागू किया जाना है और संशोधित सड़क मानचित्र एमसीए के विचाराधीन था।

4.2 भारत में सम्मिलन प्रक्रिया

4.2.1 प्रशासनिक मंत्रालय

भारत में, आईएफआरएस के साथ सम्मिलन की प्रक्रिया एमसीए द्वारा सभी संबद्ध हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श तथा प्रतिभागिता अभ्यासों के माध्यम से की गई है।

4.2.2 रोड़ मैप

जुलाई 2009 में एमसीए के सचिव की अध्यक्षता में सम्मिलन के लिए रोड़ मैप तैयार करने के नियामक निकायों (भारतीय रिजर्व बैंक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण, पैन्शन फन्ड नियामक तथा विकास प्राधिकरण) वित्त मंत्रालय, भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स संस्थान (आईसीएआई), चैम्बर्स एवं औद्योगिक निकायों तथा विशेषज्ञों के प्रतिनिधियों को मिला कर एक कोर ग्रुप का गठन किया गया था। कोर ग्रुप के सहातार्थ दो उप वर्ग थे। कोर ग्रुप ने चरणों में सम्मिलन लेखांकन मानकों (इंड-एएस) के लागू करने के लिए विभिन्न नियामकों और रोड़ मैप द्वारा किये जाने वाले अपेक्षित परिवर्तनों को सूचित किया था। मार्च 2010 में एमसीए द्वारा घोषित रोड़ मैप के अनुसार, 1 अप्रैल 2011 के वित्तीय वर्ष से प्रारंभिक चरणों में कम्पनियों की विशिष्ट श्रेणी के लिए इन्ड-एस लागू किये जाने थे। इन्ड-एएस तथा समेकित दोनों वित्तीय विवरणियों के लिए लागू किये जाने होगें।

4.2.3 इन्ड-एएस को अधिसूचित करना

विधि तथा न्याय मंत्रालय के व्यवस्थापिका विभाग द्वारा पुनरीक्षण के पश्चात् कम के कम 35 परिवर्तित सम्मिलन लेखांकन मानक (इन्ड-एस के रूप में जाने जाते हैं) एमसीए द्वारा फरवरी 2011 में अपनी बेबसाइट पर दर्शाये जा चुके हैं। फिर भी,इन्ड-एएस को लागू करने की तिथि अधिसूचित की जानी थी। इन्ड-एएस,आईसीएआई द्वारा मसौदा तैयार करने, लेखांकन मानकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएएस) द्वारा अनुमोदन,एमसीए में तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण, एमसीए में तकनीकी समिति द्वारा परीक्षण, मंत्री द्वारा अनुमोदन, एमसीए तथा विधि तथा न्याय मंत्रालय के व्यवस्थापिका विभाग द्वारा पुनरीक्षण की प्रक्रिया से गुजर चुके हैं।

4.2.4 कारपोरेट विधि में परिवर्तन

फरवरी 2011 में, एमसीए ने कंपनी अधिनियम 1956, की संशोधित अनुसूची VI में अधिसूचित संशोधन जिसकी आवश्यकता इंड-एएस को लागू करने हेतु हो सकती थी उदारणतः परिसम्पत्तियों और देयताओं के समूह "चालू" और "गैर-चालू" के रूप में बनाये गये है समाविष्ट थे कि इन्ड-एएस यानि परिसम्पत्तियों का समूह और देयताओं को "चालू" और "गैर -चालू" के रूप किया जाना अपेक्षित था।

एक नया कम्पनी बिल दिसम्बर 2012 में लोकसभा में पास किया गया परन्तु यह अभी राज्य सभा में पास होना बाकी है।

बिल में उल्लेख किया जाता है कि वितीय विवरणों में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित लेखाकरण मानकों का अनुपालन किया जाएगा और कम्पनियों के वर्ग अथवा वर्गों के लिए मुहैया कराए गए फार्म अथवा फार्मों में होंगे। यह चरणों में इन्ड-एएस के कार्यान्वयन को सरल बनाएगा।

परिसम्पत्तियों और देयताओं का उचित मूल्यांकन आईएफआरएस के महत्वपूर्ण पहलू हैं, कम्पनी बिल में पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा मूल्यांकन के लिए संबद्ध खण्ड मूल्यांकन के उत्तरदायित्व के रूप में भी सम्मिलित है।

4.2.5 अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

एमसीए ने 26 जुलाई 2010 को जापान के साथ आईएफआरएस से सम्मिलन के संबंधित जानकारी प्रभावी रूप से बांटने के उद्देश्य से समझौते ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए है। एमओयू के अनुसार दोनों देश 2010 से तीन वर्षों हेतु वार्षिक इंडिया जापान आईएफआरएस संवाद को रखने में आपसी सहयोग के लिए सहमत हुए। एमओयू के अधीन पांच संयुक्त कार्यकारी ग्रुप स्थापित किये गये थेः आईएफआर से संबंधित मामले संबंधित करने के लिए अपनी जानकारी एवं अनुभव को दोनों देशों के नियामक, लेखांकन मानक सैटर्स, सनदी/प्रमाणित लेखा संस्थान, औद्योगिक प्रतिनिधियों और शेयर बाजर को सांझा करने के लिए।

4.3 इन्डएएस को लागू करने की स्थिति

4.3.1 रोड़ मैप के अनुसार इन्ड-एएस कार्यान्वित नहीं किया गया

लेखापरीक्षा ने देखा कि एमसीए इसके कार्यान्वयन पर आम सहमति के अभाव के आधार पर मुख्य रूप से इसके अधिसूचित रोड़ मैप के अनुसार इन्ड-एएस के कार्यान्वयन की तिथि अधिसूचित नहीं कर सका। अन्य कई विनियामक मुद्दों का भी समाधान किया जाना चाहिए था जैसे बैंकों, बीमा तथा विद्युत वितरण कम्पनियों जैसी नियामक इकाईयों द्वारा अपनाए जाने वाला दृष्टिकोण।

4.3.2 आईएफआरएस में संशोधन

कई आईएफआरएस में संशोधन चल रहा था तथा कुछ नये आईएफआरएस प्रक्रिया अधीन थे। इसमें नये इन्ड-एएस की अधिसूचना की तरह अधिसूचित इन्ड-एएस में संशोधन एवं सुधार की आवश्यकता है।

4.3.3 आईएफआरएस से विभिन्नताएं

अभी तक अधिसूचित इन्ड-एएस में आईएफआरएस से कुछ विभिन्नताएं थी। ये विभिन्नताएं उन अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों/शेयर धारकों के बीच चिंता का विषय थी जो विभिन्नताओं से संतुष्ट नहीं थे। नये विचलनों के प्रभाव का सम्मिलन के लाभों को पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी।

4.3.4 उचित बाजार मूल्यांकन

पूर्ण सटीकता के साथ देयताओं ओर विभिन्न परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य के सत्यापन और सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय तंत्र और बुनियादी ढांचा विद्यमान है सुनिश्चित करना आवश्यक है। परिवर्तन, अन्यथा, वित्तीय विवरण में वस्तुनिष्ठता और आस्थिरता ला सकता है।

4.3.5 अनिश्चिता के दौरान प्रारंभिक प्रयास

पर्याप्त बुनियादीढांचा, पेशेवर दक्षता प्राप्त और आईटी एप्लीकेशन के संबंध में विनिमय के प्रति सरल पारगमन के लिए अनिवार्य है। वर्तमान में, पणधारियों को लागू करने की तिथि सपष्ट नहीं है। पणधारी रोड़ मैप संशोधन होने तथा उचित निश्चितता सहित अधिसूचित होने तक अपने प्रारंभिक प्रयास करने में देरी कर सकते हैं।



अध्याय 5

डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन

5.1 प्रस्तावना

सार्वजनिक उपक्रमों के ब्यूरो (बीपीई) की 1965 में स्थापना केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसईज) को नीतिगत तथा सम्पूर्ण दिशानिर्देश देने तथा सीपीएसईज के निष्पादन को निरन्तर मूल्याँकन करने वाली केन्द्रीय समन्वय इकाई के रूप में काम करने के लिए की गई थी। मई, 1990 में बीपीई को अलग से एक पूरे विभाग का दर्जा प्रदान किया गया तथा अब इसे भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रमों के मंत्रालय में सार्वजनिक उपक्रमों के विभाग (डीपीई) के रूप में जाना जाता है।

डीपीई की सीपीएसईज को दिशानिर्देश/निदेश जारी करने में भूमिका

- प्रशासकीय मंत्रालयों अथवा डीपीई द्वारा सीपीएसईज को निर्देश/अनुदेश अध्यक्षीय निदेशों के साथ ही साथ दिशानिर्देशों द्वारा जारी किए जाते हैं।
- **अध्यक्षीय निदेश** प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा सम्बद्ध सीपीएसईज को परिस्थितिवश आवश्यक होने तथा **अनिवार्य** प्रवृति के होने पर ही जारी किए जाते हैं। समानता बनाए रखने के उद्देश्य से ये निदेश किसी एक सीपीएसई से सम्बन्धित होने पर डीपीई के परामर्श तथा यदि ये एक से अधिक सीपीएसई पर लागू हों तो डीपीई की सहमति से जारी करने होते हैं।
- **दिशानिर्देश** या तो प्रशासकीय मंत्रालयों अथवा डीपीई द्वारा जैसा भी मामला हो जारी किए जा सकते हैं तथा ये **परामर्श** प्रवृति के होते हैं। सीपीएसईज के निदेशक मंडल के पास इन दिशानिर्देशों को लिखित में कारण देकर न अपनाने का स्वयं निर्णय करने का अधिकार होता है। इस विषय पर कारण बताते हुए बोर्ड का संकल्प सम्बद्ध प्रशासकीय मंत्रालय के साथ साथ डीपीई दोनों को अग्रेषित करना होता है।

5.2 डीपीई दिशा निर्देशों का अननुपालन

डीपीई, सीपीएसईज से सम्बद्ध निष्पादन सुधार तथा मूल्यांकन, वित्तीय प्रबन्धन, कार्मिक प्रबन्धन, बोर्ड संरचना, मजदूरी निपटान, प्रशिक्षण, औद्योगिक सम्बन्ध, सतर्कता, निष्पादन मूल्यांकन इत्यादि जैसे क्षेत्रों सम्बन्धी नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है।

लेखापरीक्षा में ऐसे मामले देखे गए जहाँ सीपीएसईज ने डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था। वर्ष 2011-12 की सीएजी की रिपोर्ट सं. 3 में डीपीई दिशानिर्देशों के सीपीएसईज

द्वारा उल्लंघन संबंधी लेखापरीक्षा पैराग्राफ 7 छापे गए थे। संक्षेप में उनका वर्णन नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:

क्रमांक	विषय क्षेत्र	संख्या			(₹ करोड़ में)		उन मामलों की संख्या जिनमें उल्लंघन जारी है	(₹ करोड़ में)
		लेखापरीक्षा पैराग्राफ	सीपीएसईज	मामले	मौद्रिक मूल्य	अनियमित भुगतान की वसूली		बाद में की गई अनियमित अदायगी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	अनुलाभ कर की वसूली न करना	1	18*	18	363.38	7.45*	6*	167.40*
2	अनुलाभ और भत्तों का भुगतान	1	1	1	359.55	शून्य	शून्य	शून्य
3	मकान किराए का अधिक भुगतान	2	4	2	30.68	शून्य	शून्य	शून्य
4	अनुग्रह राशि का भुगतान	1	1	1	18.61	शून्य	शून्य	शून्य
5	स्वर्ण जयन्ती प्रोत्साहन राशि का भुगतान	1	1	1	173.70	शून्य	शून्य	शून्य
6	अर्जित अवकाश का नकदी करण	1	2*	2	0.59	शून्य *	शून्य *	शून्य *
जोड़		**7**		**27**	**946.60**	**7.45**	**6**	**167.40**

* रेल मंत्रालय के अन्तर्गत छः सीपीएसईज ने लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गई उपचारी कार्यवाही की सूचना नहीं दी।

27 में से अब 13 मामलों में अनियमितता नहीं हो रही। 6 मामलों में अनियमितताएँ अभी तक जारी हैं तथा 8 मामलों में रेल मंत्रालय के तहत सीपीएसईज सहित वाले आठ मामलों में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि डीपीई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ₹ 946.60 करोड़ तक की राशि के अनियमित भुगतान/निवेशों पर ब्याज की व्यापक हानि हुई जैसाकि वर्ष 2011-12 के लिए सीएजी के प्रतिवेदन सं. 3 में सूचित किया गया था। वास्तव में, देखी गई ये अनियमितताएँ केवल नमूना जांच का परिणाम थी तथा ऐसे अनियमित भुगतानों के ज्यादा मामले हो सकते थे।

7 मामलों में ₹ 167.40 करोड़ का अनियतिम भुगतान भी हुआ, इसमें ऐसा एक मामला शामिल है जिसमें अनियमितता बाद में रूक गई।

संक्षेप में, शामिल अनियमितताओं के परिणाम को देखते हुए, डीपीई को सभी सीपीएसईज को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी करने चाहिएं कि सीपीएसईज दिशानिर्देशों का उल्लंघन न करें तथा बताए गए अनियमित भुगतान पर समयानुसार कार्यवाई की जाए।

5.3 अननुपालन पर "की गई कार्यवाही" की स्थिति

लेखापरीक्षा में सीपीएसईज द्वारा अनियमित भुगतानों तथा भविष्य में अनुपालन के लिए निर्देश जारी किए जाने तथा इससे अधिक महत्वपूर्ण डीपीई द्वारा अनियमित भुगतान की वसूली सुनिश्चित करने

तथा सीपीएसईज द्वारा लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए मामलों पर की गई उपचारी कार्रवाई की समीक्षा की गई जिसकी नीचे चर्चा की गई है:

5.3.1 अनुलाभ कर की वसूली न होना

मार्च 2000* में जारी डीपीई के दिशानिर्देश में मूल वेतन के 50 प्रतिशत की सीमा रेखा से इतर भत्तों/प्रोत्साहनों की स्पष्ट सूची दी गई है तथा सूची में अनुलाभ कर का भुगतान शामिल नहीं है। लेखापरीक्षा में देखा गया कि 18 सीपीएसईज द्वारा इन दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया था अनुलाभ करके रूप में ₹ 363.38 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹ 363.38 करोड़ का अनियमित भुगतान करने वाले इन 18 सीपीएसईज में से केवल एक सीपीएसई ने ₹ 7.45 करोड़ की वसूली की तथा अनियमित भुगतान को रोक भी दिया। 11 सीपीएसईज ने कोई भी वसूली नहीं की तथा छः सीपीएसईज ने अनियमित भुगतान की वसूली की सूचना ही नहीं दी।

बाद में हुए अनियमित भुगतान के बारे में, सात सीपीएसईज ने बाद में ₹ 167.40 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया, सात सीपीएसईज ने इसकी सूचना नहीं दी तथा चार सीपीएसईज ने अनियमित भुगतान रोक दिया।

5.3.2 अनुलाभों तथा भत्तों का भुगतान

जून 1999+ में डीपीई ने 1 जनवरी 1997 से सीपीएसईज के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के दिशानिर्देश जारी किए तथा कर्मचारियों को दिए जाने वाल अनुलाभों तथा भत्तों (विभिन्न प्रोत्साहन, कैंटीन सहायता राशि, कर तथा भवन अनुलाभों तथा शिक्षण संस्थान को सहायता राशि को छोड़कर) के भुगतान की सीमा मूल वेतन के 50 प्रतिशत पर रख दी। उपरोक्त दिशानिर्देशों में यह भी अभिकल्पित था कि मूल वेतन के 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक का भुगतान पूरी तरह से निष्पादन संबंधी भुगतान की प्रवृत्ति की होने चाहिएं और इसके अतिरिक्त दिशानिर्देशों ने किसी उपक्रम के वितरणयोग्य लाभ के 5 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की थी जो ऐसे भुगतानों के प्रति खर्च किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि अनुलाभों तथा भत्तों के लिए उपरोक्त दिशानिर्देशों के विपरीत एक सीपीएसई ने अधिकारियों तथा असगठित पर्यवेक्षकों के लिए ₹ 359.55 करोड़ का अधिक व्यय किया था। सीपीएसई को अनियमित भुगतानों की वसूली अभी करनी थी परन्तु इसने लेखापरीक्षा अभियुक्ति के पश्चात अनियमित भुगतान करना बन्द कर दिया था।

5.3.3 मकान किराए का अधिक भुगतान

जून 1999≠ के डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में सीपीएसईज के कर्मचारियों को मकान किराया सरकार द्वारा अधिसूचित नगरों की पुनःवर्गीकृत सूची के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू दरों पर देय था। जनवरी 2011 में, डीपीई ने स्पष्ट

** डीपीई का का.ज्ञा.सं. 2(15)/2000-डीपीई (डब्ल्यूसी)- जीएल XIX दिनांक 27 मार्च 2000*

+ डीपीई का का.ज्ञा.सं. 2(49)/98 -डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 25 जून 1999

≠ डीपीई का का.ज्ञा.सं. 2(49)/98 -डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 25 जून 1999

किया कि सीपीएसईज के कर्मचारियों को एचआरए संशोधित वेतन पर पुरानी दरों पर लेने की अनुमति होगी जहाँ शहरों के नए वर्गीकरण के अनुसार एचआरए की दो पुरानी दरों से कम हो। इन दिशानिर्देशों का चार सीपीएसईज ने उल्लंघन किया तथा ₹ 30.68 करोड़ की राशि का अनियमित भुगतान किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा निष्कर्ष के उपरान्त सभी चारों सीपीएसईज ने अनियमित भुगतान बन्द कर दिया परन्तु अनियमित भुगतान की कोई वसूली किसी भी सीपीएसईज ने नहीं की तथा ₹ 30.68 करोड़ की पूरी राशि बिना वसूली के ही रही।

5.3.4 अनुग्रह राशि का भुगतान

नवम्बर 1997[ξ] में डीपीई ने निदेश जारी किए कि प्रति मास ₹ 3500 प्रति मास से अधिक की मजदूरी या वेतन लेने वाले कर्मचारियों (अप्रैल 2006 से इसे बढा कर ₹ 10,000 प्रति मास कर दिया गया) को अनुग्रह राशि, मानदेय, पुरस्कार इत्यादि नहीं दिए जायेगें जब तक कि निर्धारित पद्धति के अनुसार प्रोत्साहन योजनाओं में विधिवत प्राधिकृत करने हेतु अनुमत न हो।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीपीई के इन दिशानिर्देशों के उल्लंघन में एक सीपीएसई ने अनुग्रह राशि पर ₹ 18.61 करोड़ खर्च किए। हालांकि सीपीएसई ने अनियमित भुगतान बन्द कर दिया परन्तु अनियमित भुगतानों की वसूली नहीं की।

5.3.5 स्वर्ण जयन्ती प्रोत्साहन का भुगतान

एक सीपीएसई ने अपने स्वर्ण जयन्ती महोत्सव के भाग के रूप में अपने प्रत्येक कर्मचारियों को ₹ 50,000 का सीधा भुगतान करते हुए ₹ 173.70 करोड़ की राशि खर्च कर दी। हालांकि, ये भुगतान अनुग्रह राशि, मानदेय, पुरस्कार आदि पर नवम्बर 1997[*] डीपीई के दिशानिर्देशों तथा निष्पादन संबंधी भुगतानों के जून 1999[÷] के डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं थे। इस मामले में कोई वसूली नहीं हुई परन्तु एक बार की घटना होने के कारण बाद में कोई अनियमित भुगतान नहीं हुआ।

5.3.6 अर्जित अवकाश का नकदीकरण

डीपीई के अप्रैल 1987[Ψ] के दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक सीपीएसई इस विषय में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के दिशानिर्देशों के विस्तृत मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए अवकाश नियमावली बना सकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दो सीपीएसईज ने अर्जित अवकाश नकदीकरण के लिए 30 दिनों के स्थान पर 26 दिनों का एक महीना माना था, हालांकि केन्द्रीय सिविल सेवा (अवकाश नियमावली, 1972) में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। इसके फलस्वरूप इन दो सीपीएसईज के कर्मचारियों को ₹ 0.59 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर क्या उपचारी कार्यवाही की गई इसकी कोई सूचना दोनों सीपीएसईज ने नहीं दी।

ξ डीपीई का का.ज्ञा.सं. 2(22)/97 -डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 20 नवम्बर 1997

** डीपीई का का.ज्ञा.सं. 2(22)/97 -डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 20 नवम्बर 1997*

÷ डीपीई का का.ज्ञा.सं. 2(49)/98 -डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 25 जून 1999

Ψ डीपीई का का.ज्ञा.सं. 2(27)/85 -डीपीई (डब्ल्यूसी) दिनांक 24 अप्रैल 1987

5.4 डीपीई की निरीक्षण भूमिका

सीपीएसईज के मामलों की नोडल एजेन्सी होने के कारण डीपीई से यह आशा की जाती है कि वह सीपीएसईज के बोर्डों से इसके दिशानिर्देश स्वीकार करवाएं तथा इन दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी भी करें।

हांलाकि डीपीई के दिशानिर्देश परामर्श प्रवृत्ति के होते हैं परन्तु अच्छे निगम सुशासन के उद्देश्य से प्रशासकीय मंत्रालयों तथा सीपीएसईज द्वारा इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए जबावदेही निर्धारित करने के लिए एक समुचित तंत्र होना चाहिए।

डीपीई के पास इन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध संस्थागत प्रबंधन की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि:

- **यह जानने के लिए कि कौन सी सीपीएसईज के बोर्ड ने उसके दिशानिर्देशों को अपनाया है डीपीई के पास कोई डाटा बेस नहीं रखा गया था।**
- **डीपीई के पास उसके दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कोई तन्त्र नहीं था।**
- **डीपीई ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए अनियमित भुगतानों की वसूली के लिए सीपीएसईज को नहीं लिखा था।**

संक्षेप में, सीपीएसईज द्वारा अपने दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीपीई की भूमिका प्रभावी नहीं थी।

डीपीई ने बताया (जनवरी 2012) कि जिस मंत्रालय के अधीन सम्बद्ध सीपीएसईज थे उस प्रशासकीय मंत्रालय के किए गए कार्यों के वार्षिक परिणाम ढांचा दस्तावेज (आरएफडी) में "डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुपालन" को एक अनिवार्य उद्देश्य के रूप में शामिल करवाने के लिए वे केबिनट सचिवालय (सचिव, निष्पादन प्रबन्धन) को प्रस्ताव भेज रहे थे।

5.5 उद्योग पर स्थाई संसदीय समिति के निदेश

उद्योग पर विभाग से सम्बन्धित स्थाई संसदीय समिति ने 19-4-2010 को संसद के समक्ष प्रस्तुत अपनी 216वीं रिर्पोट में सिफारिश की थी "कि एक सार्थक तथा प्रभावी भूमिका अदा करने तथा सीपीएसईज द्वारा नीतियों तथा दिशानिर्देशों को लागू करवा पाने के लिए अपने द्वारा समय समय पर तैयार नीतियों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में डीपीई को सीपीएसईज से एक अनुपालन रिर्पोट मंगवानी चाहिए, तथा इन पर डीपीई के वार्षिक प्रतिवेदन में अलग पैराग्राफ शामिल किया जाना चाहिए"।

तदनुसार, जुलाई 2010 तथा जून 2011 में डीपीई ने प्रशासकीय मंत्रालयों को हर वर्ष के जून तक सीपीएसईज द्वारा उसके द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन/अननुपालन सम्बन्धी रिर्पोट भेजने का अनुरोध किया। डीपीई ने 5 के अनिवार्य भार के साथ 2012-13 के एमओयूज़ के एक प्राचल के रूप में अपने कुछ दिशानिर्देशों का अनुपालन शुरू किया। 2013-14 के एमओयू के दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुपालन आवश्यक मापदण्ड नहीं होगा, परन्तु अननुपालन की डिग्री/गंभीरता को देखते हुए टास्क फोर्स को 5 अंक तक करने की शास्ति लगाने की छूट होगी।

5.6 सिफारिशें

- बेहतर निगम सुशासन सुनिश्चित करने के लिए अपने दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीपीई को उपयुक्त संस्थागत प्रबन्ध करने चाहिएं।
- लेखापरीक्षा में बताए गए अननुपालन के विषयों के बारे में, डीपीई/ प्रशासनिक मंत्रालयों को समय पर उपचारी कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

अध्याय 6

निगमित सामाजिक दायित्व

6.1 प्रस्तावना

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कम्पनी की अपने हितधारकों के हितों को पहचानते हुए आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थिर ढंग से संचालन करने की प्रतिबद्धता है।

1992 में सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसईज़) के सामाजिक दायित्व से सम्बन्धित मुद्दे की जांच की और पाया कि ""राज्य" का हिस्सा होने के नाते, प्रत्येक सार्वजनिक उद्यम (पीएसई) की नैतिक जिम्मेवारी है कि वह कल्याण राज्य को दिये गये सामाजिक दायित्व के निर्वहन के लिए सक्रिय भूमिका निभाये, जो कि उद्यम के वित्तीय स्वास्थ्य के अधीन होगा"। कोपू की सिफारिशों पर आधारित, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने नवम्बर 1994 में सामान्य दिशानिर्देश जारी किये। इन दिशानिर्देशों ने आवश्यक रूप से पीएसई के निदेशक बोर्ड पर छोड़ दिया कि अपने संबन्धित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सामान्य मार्गदर्शन के अधीन संस्था के अंतर्नियमों के अनुसार सामाजिक रूप से जिम्मेदार कारोबार प्रथाओं को खोज निकाले।

6.2 सीएसआर पर डीपीई के नये दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं

डीपीई ने 9 अप्रैल 2010 को सीएसआर पर नये दिशानिर्देश जारी किये, जो विशिष्ट और व्यापक थे जिसमें संबंधित सीपीएसई को सामाजिक और पर्यावरणीय चिन्ताओं के साथ एकीकृत करके सीएसआर के तहत कारोबार योजना बनाना अपेक्षित है। ये दिशानिर्देश सीएसआर के साथ सतत् विकास के लिंक पर ज़ोर देते हैं और सीएसआर को एक दर्शन के रूप में परिभाषित करते हैं जहां संगठन अपने कार्यकलापों के ग्राहकों, कर्मचारियों अंशधारकों, समुदायों तथा अपने परिचालनों के सभी पहलुओं में पर्यावरण पर प्रभाव की जिम्मेदारी लेकर समाज के हित की सहायता करते हैं।

दिशानिर्देश सीपीएसई द्वारा सीएसआर के लिए कार्यकलापों का जनादेश और कार्यक्षेत्र निर्दिष्ट करते हैं तथा कार्यकलापों, परियोजनाओं, व्यय और सीपीएसईज़ के सीएसआर पहलुओं के प्रलेखन और मानीटरिंग के लिए एक चार्टर के स्वरूप में हैं।

दिशानिर्देशों की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं विस्तृत रूप से नीचे दी गई हैं :

- ❖ सीएसआर योजनाओं/परियोजनाओं की डीपीई द्वारा पहचान के लिए निर्दिष्ट मापदंडों पर सीपीएसईज़ को विचार करना चाहिए।
- ❖ सीएसआर के तहत पहचानी गई परियोजनाएं विशेष एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जानी चाहिए न कि उसके अपने स्टाफ द्वारा।
- ❖ सीएसआर कार्यकलापों को डील करने के लिए सीपीएसई को स्वतंत्र मण्डल, विभाग, अनुभाग, सैल आदि स्थापित करने चाहिए परन्तु स्टाफ वेतन सीएसआर बजट/व्यय का हिस्सा नहीं होगा।

- ❖ किसी सीएसआर परियोजना को आरम्भ करने से पहले सीपीएसई द्वारा सृजित किये जाने वाले बेसलाइन डाटा के संदर्भ में सीएसआर कार्य-कलापों का प्रभाव संभावित सीमा तक परिमाणित किया जाना चाहिए।
- ❖ सीएएसआर प्रस्तावों, नीतियों, कार्यक्रमों, व्यय, खरीद आदि से संसबंधित अतिसावधान प्रलेखन तैयार किया जाना चाहिए और उसे सार्वजनिक क्षेत्र में रखा जाना चाहिए (विशेषकर इंटरनेट के माध्यम से)।
- ❖ प्रत्येक सीपीएसइ में भौतिक तथा वित्तीय प्रगति से संबंधित सीएसआर कार्यकलापों/परियोजना के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट में एक पृथक पैराग्राफ/अध्याय शामिल होना चाहिए।

6.3 सीएसआर कार्य-कलापों का मानीटरिंग तंत्र

प्रत्येक सीपीएसई और संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय/ भारत सरकार के विभाग द्वारा एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर प्रत्येक वर्ष हस्ताक्षर किये जाते हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डीपीई द्वारा वर्ष 2010-11 और 2011-12 के लिए निर्धारित एमओयू दिशा-निर्देशों में 5 *प्रतिशत* अनिवार्य भारिता के साथ "गैर-वित्तीय पैरामीटरों" के अधीन "सीएसआर" को आवश्यक तत्व के रूप मे शामिल किया गया था। चूंकि सीएसआर पर डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन एमओयू पैरामीटरों में विभाजित किया गया है, अतः प्रशासनिक मंत्रालयों/डीपीई को अब सुनिश्चित करना चाहिए कि सीपीएसईज़, सीएसआर के अधीन अपना निष्पादन निर्धारित करने के लिए अपने लक्ष्य नियत करते हैं और इन कम्पनियों का निष्पादन नियमित रूप से मानीटर किया जाता है।

6.4 2011-12 के दौरान सीपीएसईज द्वारा सीएसआर बजट/व्यय में कमी

डीपीई के सीएसआर पर दिशानिर्देशों में अपेक्षित है कि एक बोर्ड संकल्प के माध्यम से निवल लाभ की प्रतिशतता के रूप में निम्नलिखित तरीके से सीपीएसई बजट अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष सृजित किया जाना चाहिए।

कर के उपरान्त निवल लाभ (पूर्व वर्ष) सीपीएसईज़ के प्रकार	*एक वित्तीय वर्ष में सीएसआर के लिए व्यय रेंज (कर के उपरांत निवल लाभ का प्रतिशत)*
(i)100 करोड़ से कम	3% - 5%
(ii) ₹ 100 करोड़ ₹ 500 करोड़	2% - 3% (₹ 3 करोड़ के न्यूनतम के अधीन)
(iii) ₹ 500 करोड़ से अधिक	0.5% - 2%

दिशानिर्देशों में आगे स्पष्ट किया गया था कि बजट की बिना व्यय की गई राशि सीएसआर निधि में हस्तांतरित की जायेगी, जो संचित हो जायेगी और व्यपगत नहीं होगा। सीएसआर कार्य-कलापों के लिए हानि उठाने वाले सीपीएसईज़ अधिदेशित नहीं है।

110 सीपीएसईज़ के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान सीपीएसईज़ के द्वारा सीएसआर बजट/व्यय की लेखापरीक्षा समीक्षा की गई, जिसने वर्ष 2010-11 के दौरान ₹ 10 करोड़ से अधिक निवल लाभ अर्जित किया । सीएसआर पर डीपीई दिशानिर्देशों के सीपीएसई की संख्या के रूप में अनुपालन की स्थिति, निवल लाभ के साइज़ के विभिन्न क्लासों के अधीन नीचे संक्षेप में दी गई है:

कर के उपरान्त निवल लाभ (2010-11 के दौरान रेंज)	डीपीई दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट न्यूनतम राशि की तुलना में वर्ष 2010-11 के दौरान सीपीएसईज की संख्या, जो सीएसआर के लिए व्यय/प्रावधान कर रहे हैं।			
	कुल	न्यूनतम अपेक्षित	कमी	अधिक
	(आंकड़े "सीपीएसईज की संख्या" में)			
₹ 500 करोड़ से अधिक	39	0	5	34
₹ 100 करोड़ - ₹ 500 करोड़	27	6	12	9
₹ 10 करोड़- ₹ 100 करोड़	44	6	30	8
कुल	**110**	**12**	**47**	**51**

मुख्य 10 सीपीएसईज़ का ब्यौरा, जो वर्ष 2011-12 के दौरान सीएसआर बजट/व्यय के लिए न्यूनतम अपेक्षा पूरी नहीं कर सके, नीचे दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	सीपीएसई का नाम	निवल लाभ	दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम सीएसआर बजट/व्यय	सीएसआर पर व्यय की गई राशि	सीएसआर के लिए उपलब्ध की गई राशि	न्यूनतम निर्दिष्ट सीएसआर की तुलना में कमी
		2010-11	2011-12			
(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)	(छ = घ+ ड़. + ग)
1	इन्डियन रेलवे फाइनैन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	485.20	9.70	0.01	3.00	-6.69
2	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	1093.69	5.46	0	0	-5.46
3	मझगांव डॉक लिमिटेड	243.52	4.87	1.07	0	-3.80
4	कान्टेनर कॉरपोरेशन आफ इन्डिया लिमिटेड	875.95	4.38	0.75	0	-3.63
5	कोच्चिन शिपयार्ड लिमिटेड	227.53	4.55	1.58	0	-2.97
6	अन्तरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड	138.86	2.77	0	0	-2.77

7	गोवा शिपयार्डस लिमिटेड	176.13	3.52	0.79	0	-2.73
8	मंगलौर रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड	1176.63	5.88	3.26	0	-2.61
9	रेल टेल कॉरपोरेशन आफ इन्डिया	95.41	2.86	0.27	0	-2.59
10	मद्रास फर्टिलाइर्जस लिमिटेड	169.86	3.4	0.81	0	-2.57

लेखापरीक्षा ने निष्कर्ष निकाला कि:

- **₹10 करोड़ से अधिक लाभ अर्जित करने वाले 110 सीपीएसईज़ में से 47 सीपीएसईज़ ने न्यूनतम सीएसआर बजट/व्यय के रूप में डीपीई दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया। इस प्रकार, सीपीएसईज की संख्या के रूप में अनुपालन लगभग 57 प्रतिशत था।**
- **₹10 करोड़ और ₹100 करोड़ के बीच लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसईज़ के मामले में अनुपालन आशाप्रद नहीं था क्योंकि 44 सीपीएसईज में से 30 ने दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया।**
- **₹100 करोड़ और ₹ 500 करोड़ के बीच लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसईज़ के मामले में अनुपालन संतोषजनक नहीं था, क्योंकि 27 सीपीएसईज़ में से 12 सीएसआर बजट/व्यय की न्यूनतम अपेक्षा का पालन करने में विफल रहे ।**
- **तथापि, बड़े सीपीएसईज़ जिन्होंने ₹ 500 करोड़ से अधिक लाभ अर्जित किया, के बीच अनुपालन आशाप्रद था क्योंकि 39 सीपीएसई में से केवल 5 में कमी थी और 34 सीपीएसईज़ ने सीएसआर के लिए न्यूनतम अपेक्षा से अधिक राशि व्यय/उपलब्ध कराया था।**

6.5 सीएसआर पर डीपीई के दिशानिर्देशों में अप्रैल 2013 से प्रभावी परिवर्तन

डीपीई ने सीएसआर पर अपने दिशानिर्देशों में परिवर्तन किया है जोकि 1 अप्रैल 2013 से प्रभावी हैं। संशोधित दिशानिर्देशों में नीति सामग्री में बड़ी मात्रा में निषेचन हुआ है। सरकार सहित मुख्य हितधारकों की आशाएं सीएसआर के नीतिगत निर्णय तथा निरंतरता का निर्माण करती है।

संशोधित दिशानिर्देशों में हुए मुख्य परिवर्तन नीचे दर्शाए गए हैं:-

- सीपीएसईज से आशा की जाती है कि वे अपने आन्तरिक परिचालनों, क्रियाकलापों तथा प्रक्रियाओं के साथ ही साथ बाह्यों के प्रति अपने दायित्वों के संबंध में सीएसआर तथा स्थिरता के सभी पहलुओं पर एक समान संतुलित भार बनाते हुए अपनी नीतियों को तैयार करें। पुराने दिशानिर्देश मुख्यतः बाहरी हितधारकों के लिए सीएसआर क्रियाकलापों पर केन्द्रित थे।
- सीपीएसईज को पिछड़े जिले के विकास के लिए आवश्यक रूप से एक बड़ी परियोजना शुरू करनी है।

- सीपीएसईज से पूरे समय सामाजिक उत्तरदायित्वों में रह कर आचरण करने की आशा की जाती है। सीपीएसईज को अपने कारबारी के सामान्य क्रियाकलापों में भी प्रयास करना चाहिए कि व्यापार इस प्रकार से किया जाए कि वह व्यापार और समाज दोनों के लिए लाभप्रद हो।

- मंडल स्तरीय समिति तथा एक वरिष्ठ अधिकारी जो मंडल स्तर से नीचे एक रैंक से कम न हो, के नेतृत्व वाले द्विस्तरीय ढांचे जिसका गठन सीपीएसईज हेतु अनिवार्य है, से आशा की जाती है कि उसके पास इतना अधिकार एवं प्रभाव हो जो सीएसआर तथा सीपीएसई की स्थिरता की कार्यसूची को सम्भाल सके।

- पूरे वर्ष के लिए सीएसआर तथा स्थिरतापूर्ण क्रिया कलापों के लिए आवंटित बजट के पूरी तरह उपयोग न कर पाने के लिए सीपीएसईज को कारण बताने होंगे।

- उनकी संख्या की बजाए अब सीएसआर तथा स्थिरतापूर्ण परियोजना पर उनके आकार तथा प्रभाव के लिए उसकी मापक्रमणीयता पर जोर दिया जाता है।

- संशोधित दिशानिर्देशों द्वारा कम्पनी द्वारा अपनी सीएसआर तथा निरंतरता बजट से बनाई गई मूलभूत सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति कर्मचारियों को प्रदान की गई है बशर्ते सुविधाएं मूल रूप से बाहरी हितधारकों के लिए अनिवार्य रूप से बनाई गई हों, तथा सीपीएसईज के कर्मचारियों (आन्तरिक हितधारकों) द्वारा सुविधा का उपयोग प्रतीतात्मक है तथा लाभधारियों की कुल संख्या के 25 प्रतिशत से कम तक सीमित रहे।

- विगत वर्ष में कर उपरान्त ₹ 500 करोड़ से अधिक का लाभ कमाने वाले सभी सीपीएसईज के लिए सीएसआर तथा स्थिरता के कार्यकलापों के लिए बजट का आबंटन पहले 0.5% -,2% के बीच से 1% - 2% तक बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त पिछले वर्ष कर उपरान्त ₹ 100 से ₹ 500 करोड़ तक का लाभ कमाने वाले सीपीएसईज के लिए, सीएसआर हेतु बजट की न्यूनतम आवश्यकता हटा दी गई है।

अध्याय 7

सीपीएसईज़ द्वारा अधिशेष रोकड़ का प्रबंधन

7.1 प्रस्तावना

केन्द्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसईज) का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। 1991 के बाद से, देश में आर्थिक सुधारों के कारण भारत में सीपीएसईज ने निष्पादन में महत्वपूर्ण सुधार के साथ ही साथ कारबार में भी स्थाई विकास दर्ज किया है। 31 मार्च 2012 के अनुसार 481 सीपीएसईज (338 सरकारी कम्पनियाँ; 138 डीम्ड सरकारी कम्पनियाँ; तथा 6 सांविधिक निगम) थे। 399 कार्यशील सीपीएसईज* के विषय में वर्ष 2011-12 की वित्तीय स्थिति निम्वत है:

(₹ करोड़ में)

प्रदत्त पूंजी	रिर्जव तथा आधिक्य	टर्नओवर	पीबीटी	पीएटी+
2,70,095	**8,09,797**	**18,51,956**	**1,67,604**	**1,09,274**

टिप्पणी:- पीबीटी: कर पूर्व लाभ; पीएटी: कर उपरान्त लाभ;

2011-12 में सीपीएसईज का जीडीपी का अंशदान ₹ 271,448 करोड़ (पीबीटी: ₹ 1,67,604 करोड़ जमा श्रमशक्ति लागत ₹ 1,03,844 करोड़) था जोकि 2011-12 में ₹ 88,55,797 करोड़ की कुल जीडीपी का 3.07 प्रतिशत था। अतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सीपीएसईज महत्वपूर्ण शक्ति है।

लाभांश सरकार को सीपीएसईज में अपनी इक्विटी के लिए प्राप्त हुई आय है तथा उसके लिए राजस्व का महत्वपूर्ण स्त्रोत है। वर्ष 2011-12 के लिए, सीपीएसईज ने ₹ 43,388 करोड़ के लाभांश की घोषणा की जिसमें से भारत सरकार का हिस्सा ₹ 27,631 करोड़ का बना।

2007-08 तथा 2010-11 के दौरान सीपीएसईज में नकदी के प्रवाह की प्रवृत्ति निम्नवत थी:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सीपीएसईज की संख्या	कार्यशील सीपीएसईज़ की संख्या	कार्यशील सीपीएसईज में शेष नकदी
2007-08	419	366	2,67,954
2008-09	438	392	2,95,726
2009-10	451	404	3,04,630
2010-11	466	406	3,11,371

** 82 सीपीएसईज के मामले में खाते बकाया है वि.व. 2011-12 के लिए खाते देय नहीं हैं।*

+ दिखाया गया कर उपरान्त लाभ (पीएटी) सीपीएसईजी द्वारा वहन की गई निवल हानि है।

7.1.1 विषय के चयन हेतु औचित्य

सीपीएसईज के पास बढती नगदी शेष की मात्रा से यह आभास मिलता है कि सीपीएसईज अपने हितधारकों (मुख्यतया भारत सरकार (जीओआई)) का पर्याप्त रूप से वापिस कमाई करके (लाभांशों के रूप में) नहीं दे रहे तथा उनके पास इस नकदी के प्रभावी उपयोग के लिए पर्याप्त योजनाएँ/अवसर नहीं हैं। जबकि ये सीपीएसईज अपने नकदी बैंक में जमा करवा रहें हैं उनकी प्रमुख हितधारक भारत सरकार बाजार से कर्जे ले रही है। इन हालातों में हमें इस बात की जांच करने की जरूरत हुई कि क्या सीपीएसईज लाभांश पर्याप्त रूप से संवितरित कर रहे हैं तथा क्या उनके पास अपनी नकदी का प्रभावी प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए योजनाएँ हैं।

7.1.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा के मुख्य उद्देश्य निम्नवत थेः

- यह सुनिश्चित किया जाए कि क्या सीपीएसईज की लाभांश संवितरण करने की नीति सार्वजनिक उपक्रमों के ब्यूरो (डीपीई) के दिशानिर्देशों के अनुरूप है तथा क्या निवेशकों को समुचित रूप से पुरस्कार दिया जाता है;
- यह सुनिश्चित किया जाए कि क्या सीपीएसईज ने फालतू नकदी के उपयोग के लिए योजनाएं बनाई;
- यह सुनिश्चित किया जाए कि क्या सीपीएसईज ने फालतू नकदी के लिए कोई निवेश योजना बनाई है और यदि है तो क्या यह सुरक्षा, सरल प्रवाह तथा लाभप्रदयता के विषयों को समुचित रूप से निपटाती है; तथा
- विशाल नकदी रिजर्वस पर निदेशक मंडल तथा मंत्रालय द्वारा किए गए संज्ञान तथा उस पर की गई कार्यवाही पर टिप्पणी करना।

7.1.3 लेखापरीक्षा के मापदंड तथा लेखापरीक्षा का कार्यपद्धति

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के आंकलन हेतु लेखापरीक्षा द्वारा अपनाए गए लेखापरीक्षा मापदंड निम्नवत थेः

- डीपीई/मंत्रालय के दिशानिर्देश/निर्देश;
- नकदी के उपयोग की योजनाएं; तथा
- सीपीएसईज के निर्णय।

लेखापरीक्षा मापदंडों के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपनाई गई कार्यपद्धति में संबन्धित अभिलेखों की जांच, उनके विश्लेषण एवं सीपीएसईज के अधिकारियों से वार्ता करना शामिल है।

7.1.4 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक पांच वर्षों की अवधि को शामिल किया गया। ₹ 1,77,862 करोड़ के कुल नकद शेष वाले 31 सीपीएसईज वाले नमूने का चयन किया गया था। नमूना चुनने की प्रक्रिया के विवरण निम्नवत हैं:

विषय	सीपीएसईज़ की संख्या	नकदी व बैंक में जमा शेष (31 मार्च 2011 के अनुसार)
कुल नकद एवं बैंक में शेष	406	₹ 3,11,371 करोड़
घटाएः डिफैन्स सीपीएसईज का नकद तथा बैंक शेष	11	₹ 36,312 करोड़
बाकी सीपीएसईज का नकद व बैंक में शेष जमा	395	₹ 2,75,059 करोड़ (100%)
उपरोक्त 395 सीपीएसईज में से ₹ 1000 करोड़ से अधिक नकद व बैंक में जमा शेष वाले सीपीएसईज	47	
47 सीपीएसईज में से ₹ 1000 करोड़ से अधिक निवल नकद शेष* वाले सीपीएसईज अर्थात जमा शेष में से ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम घटाकर	40	
वित्त/बीमा से संबंधित सीपीएसईज को शामिल न करके तैयार नमूना	34	₹ 1,88,185 करोड़
जमाः- रिजर्वस तथा अधिक्य, उनके प्रदत्त पूंजी के तिगुणे तथा ₹ 500 करोड़ से अधिक का लाभ कमाने वाले सीपीएसईज (बीमा तथा वित्तीय सीपीएसईज के अतिरिक्त)	4	₹ 2,879 करोड़
जोड़	**38**	**₹ 1,90,954 करोड़ (69%)**
चयनित नमूना	**31**	**₹ 1,77,862 करोड़ (65%)**

समीक्षा क्षेत्र में डिफेन्स के सीपीएसईज को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि बहुत बड़े नकदी शेष विभिन्न आदेशों के प्रति सेना/ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों के हैं। इस प्रकार यह परिचालनों से अर्जित फालतू नकदी नहीं है।

वित्त एंव बीमा क्षेत्र से संबंधित सीपीएसईज को भी शामिल नहीं किया गया है क्योंकि इन कम्पनियों को अपने रोजमर्रा के कामों तथा अचानक आए खर्चों के लिए बहुत सी नकदी शेषों की आवश्यकता होती है।

38 सीपीएसईजी में से निम्नलिखित सात सीपीएसईज आगे दिए गए कारणों के चलते शामिल नहीं किए गए हैः

- क्योंकि ये कम्पनियाँ या तो अपने प्रचालन के प्रारंभिक वर्षों में है अथवा परियोजना निष्पादनाधीन है इसलिए दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड तथा चेन्नई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड शामिल नहीं किए गए हैं।

* *निवल नकद शेष का आशय हाथ में जमा नकद और बैंक में नकदी में से ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम को घटाकर शेष से है।*

- बिजली क्षेत्र को वित्त पोषित करने के लिए समर्पित तथा बिजली एवं संबन्धित क्षेत्रों के समुचित विकास हेतु वचनबद्ध पावर फाइनैन्स कारपोरेशन लिमिटेड तथा रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड वित्तीय कम्पनियों की प्रवृत्ति की हैं उनके कार्यपरिचालन के प्रवृति बहुत अधिक नकद शेष रखने तथा काम में लाने की है।

- भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लिमिटेड विदेश व्यापार नीति के अधीन बुलियन के आयात हेतु नामित एजेंसियों में से एक है तथा कम्पनी की नकदी बुलियन व्यापार के तहत बहुमूल्य धातु के आयात हेतु विदेशी वाणिज्यिक उधारियों के प्रति ग्राहकों से प्राप्त धन का अंश होती है।

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव तथा प्रबंध का उत्तर दायी है। परियोजना के कार्यान्वयन हेतु प्राधिकरण सरकारी अनुदानों, उधारियों तथा बाह्य सहायता पर निर्भर है तथा इसीलिए बैलेन्स शीट में प्रस्तुत नकदी शेष फालतू जमा में से नहीं है।

- भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत है तथा अपने सदस्यों को किसी प्रकार के लाभांश अथवा बोनस के भुगतान की मनाही करता है तथा अपने लाभ यदि कोई हो तो अथवा अन्य आय को अपने उद्देश्यों के संवर्धन में लगाना चाहता है। क्योंकि यह एक गैर-लाभकारी संगठन है इसे इस समीक्षा के क्षेत्र के बाहर रखा गया है।

बाकी 31 सीपीएसईज 2007-08 से 2011-12 तक के पांच वर्षों की अवधि वाली लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए हमारे अन्तिम नमूने (**परिशिष्ट**-XIV) के भाग हैं। **31 मार्च 2012** को इन 31 सीपीएसईज के प्रमुख वित्तीय विवरण निम्नवत हैं:

(₹ करोड़ में)

प्रदत्त पूंजी	रिजर्वस तथा आधिक्य	टर्नओवर	पीबीटी	पीएटी	नकद व बैंक में शेष
78,064	4,28,548	4,99,875	1,26,037	89,793	1,75,332

7.1.5 आभार

इस लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों पर विभिन्न सीपीएसईज के प्रबंधकों द्वारा प्रदत्त सहयोग हेतु लेखापरीक्षा विभाग आभार व्यक्त करता है।

7.2 लाभांश* भुगतान तथा बोनस शेयर

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विभाग (डीपीई) सीपीएसईज को नीति एवं समग्र दिशानिर्देश देने हेतु उत्तरदायी है। डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देश परामर्शी प्रवृति के हैं तथा सीपीएसईज के निदेशक मंडल लिखित में कारण देकर इन दिशानिर्देशों को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। डीपीई ने अक्तूबर

* *किसी कम्पनी द्वारा उसके लाभों (अथवा रिजर्वस) में से अपने हितधारकों को निर्यात (सामान्यतया वार्षिक) रूप से अदा की गई राशि लाभांश है*

2004 मे दिशानिर्देश[#] जारी किए थे जिनके अनुसार यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि "सभी लाभ कमा रही सीपीएसईज इक्विटी का न्यूनतम *20 प्रतिशत का* लाभांश अथवा कर उपरान्त लाभों के *20 प्रतिशत* का न्यूनतम लाभांश पेआउट्ट जो भी अधिक हो घोषित करें। तेल, पैट्रोलियम, कैमिकल तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के सीपीएसईज के बारे में न्यूनतम लाभांश पेआउट्ट कर उपरान्त लाभों का *30 प्रतिशत* का होगा"।

7.2.1 लाभांश का भुगतान

नमूने के रूप में चुने गए सीपीएसईज में से किसी के पास उसकी अपनी विशिष्ट लाभांश नीति नहीं थी। उन्हें इस सम्बन्ध में[+] डीपीई द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों का अनुसरण करना था। कोल इन्डिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों सभी पांच सीपीएसईज को कोल इन्डिया ने पीएटी का *60 प्रतिशत* न्यूनतम लाभांश देने का निदेश दिया।

1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 की अवधि के लिए 30 सीपीएसईज द्वारा प्रदत्त लाभांश के विवरण नीचे दिए गए हैं।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	इक्विटी*	पीएटी*	वास्तव में प्रद्रत्त लाभांश	लाभांश पेआउट्ट अनुपात (डीपीआर)
	(क)	(ख)	(ग)	(ग)/(ख) *100
2007-08	66,627	61,962	21,948	35
2008-09	67,521	62,601	21,329	34
2009-10	68,805	66,488	24,096	36
2010-11	72,130	76,134	26,537	35
2011-12	72,160	89793	34,500	38

टिप्पणीः- डीपीआर लाभाश के रूप में प्रदत्त पीएटी की प्रतिशतता का सूचक है।

*नैशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन के विवरण शामिल नहीं किए गए हैं क्योंकि कम्पनी लगातार घाटा उठा रही है तथा इसलिए लाभांश के भुगतान हेतु दायी नहीं है।

हमने देखा कि कोल इन्डिया लिमिटेड (सीआईएल) जोकि खनन के कार्य में है तथा अपनी आय प्राकृतिक प्रदार्थ (कोयला) की बिक्री से प्राप्त करती है, भारत सरकार/शेयर होल्डरों को पीएटी के 47 से 81 प्रतिशत का लाभांश लगातार देती रही है। इसके अतिरिक्त इसने अपनी सभी सहायक कम्पनियों को वर्ष 2007-08 से उनके पीएटी के *60 प्रतिशत* की दर से लाभांश का भुगतान करने का निदेश दिया। सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को छोड़कर इसकी सभी सहायक कम्पनियों मे पीएटी के 60 प्रतिशत का लाभांश के रूप में भुगतान किया। हालांकि दूसरे सीपीएसई एनएमडीसी लिमिटेड (एनएमडीसी) जोकि खनन में ही कार्यरत है तथा अपनी आय प्राकृतिक पदार्थ (लौह अयस्क) की बिक्री से ही प्राप्त करती है ने पीएटी के केवल *20 से 25 प्रतिशत* के लाभांश का

[#] *डीपीई का का.ज्ञा.सं.15 (10)/2004 डीपीई (जीएम) दिनांक 18 अक्तूबर 2004*

[+] *न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) जिसे भारत सरकार ने डीपीई के दिशानिर्देश लागू करने से छूट दे रखी है के अतिरिक्त वित्त मंत्रालय (एमओएफ) ने परमाणु ऊर्जा विभाग को एनपीसीआईएल के मामले में 30 प्रतिशत की दर से लाभांश के भुगतान का निदेश दिया (मार्च 2006)।*

भुगतान किया। नीचे दी गई तालिका मार्च 2012 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान कोल इन्डिया लिमिटेड तथा एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा प्रदत्त पीएटी तथा लाभांश दर्शाती है।

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई	2007-08			2008-09			2009-10			2010-11			2011-12		
	पीएटी	डीपी	%	पीएटी	डीपी	%	पीएटी	डीपी	%	पीएटी	डीपी	%	पीएटी	डीपी	%
सीआईएल	2,454	1,995	**81**	3,295	1,705	**52**	3,780	2,210	**58**	4,696	2,209	**47**	8,065	6,245	**77**
एमएमडीसी	3,251	652	**20**	4,372	876	**20**	3,447	694	**20**	6,499	1,308	**20**	7,265	1,784	**25**

डी.पी.-प्रदत्त लाभांश

हालांकि समग्र रूप से इन 30 सीपीएसईज ने बेहतर लाभांश पेआउट अनुपात दर्शाया है, व्यक्तिगत रूप में सात सीपीएसईज ने डीपीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम लाभांश (तेल/आधारभूत सुविधा वाली कम्पनियों के लिए पीएटी का *30 प्रतिशत* तथा अन्यों के लिए *20 प्रतिशत*) तक नहीं दिया। हमने देखा कि:

गेल (इन्डिया) लिमिटेड ने 2010-11 में न्यूनतम लाभांश के भुगतान में यह कहते हुए चूक की कि चालू परियोजनाओं मे निवेश कम्पनी की विशेष पूंजीगत योजना है। लाभांश के भुगतान में आई कमी ₹ 117.30 करोड़ की थी।

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान एनएचडीसी ने न्यूनतम लाभांश भुगतान में चूक की। 2008-12 के दौरान लाभांश के भुगतान में हुई कमी ₹ 275.56 करोड़ की थी।

मार्च 2012 को समाप्त पांच वर्षों के दौरान उड़ीसा मिनर्लस डेवलपमैन्ट कम्पनी लिमिटेड ने *20 प्रतिशत* के बजाए पीएटी के *15 प्रतिशत* के लाभांश का भुगतान किया जिसके फलस्वरूप पांच वर्षों के लिए ₹ 20.79 करोड़ तक के लाभांश का भुगतान हुआ।

ओएनजीसी के पूर्ण अधिकाराधीन सहायक कम्पनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने कोई लाभांश नहीं दिया तथा लाभों को नई/चल रही परियोजनाओं के लिए लगाती रही। 2007-12 के दौरान लाभांश में ₹ 2,244.53 करोड़ की कमी हुई। कम्पनी के ₹ 6,223 करोड़ तक के पूंजीगत निर्माण चल रहे हैं।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने 2007-08 के दौरान लाभांश का भुगतान नहीं किया तथा बाकी वर्षों में न्यूनतम सीमाओं से कम के लाभांश का भुगतान किया। इससे ₹ 742.77 करोड़ तक का भुगतान कम हुआ। प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2012) कि दीर्घकालिक विकास योजना तथा विद्यमान संयंत्र एवं कलपुर्जों के आधुनिकीकरण एवं सुधार हेतु पैसे की आवश्यकता के मद्देनजर लाभांश कम दिया गया था।

वर्ष 2008-09 के लिए स्टील आथारिटी आफ इन्डिया लिमिटेड ने ₹ 160 करोड़ तक का लाभांश कम देने की चूक की। हालांकि इसने बाद के वर्षो के लिए डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया।

मैगंलौर रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड ने हालांकि लाभांश का भुगतान किया परन्तु किए गए भुगतान का अनुपात डीपीई के दिर्शानिर्देशों में निर्धारित 30 प्रतिशत से कम था जिससे लाभांश के भुगतान में ₹ 682.13 करोड़ तक की कमी आई। प्रबंधन ने बताया कि आगामी परियोजनाओं के लिए आवश्यक पैसे को ध्यान में रखते हुए लाभांश की सिफारिश की गई थी।

यदि सभी सातों सीपीएसईज ने डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार लाभांश का भुगतान किया होता, 2007-12 के दौरान सरकार तथा अन्य शेयरहोल्डर्स ने ₹ 4243.08 करोड़ के अतिरिक्त लाभांश का भुगतान प्राप्त किया होता।

पैराग्राफ 7.2 में वर्णित डीपीई के दिशानिर्देशों में निर्धारित हैं कि सभी लाभ कमाने वाली सीपीएसईज (क) पीएटी के *20 प्रतिशत* (तेल/मूलभूत सुविधा वाली कम्पनियों के मामले में *30 प्रतिशत*) या (ख) इक्विटी के *20 प्रतिशत* जो भी अधिक हो की दर से लाभांश का भुगतान करें। क्योंकि लाभांश सीपीएसई द्वारा अर्जित लाभों में से दिया जाना है उपरोक्त प्रावधान (क) का अनुपालन अर्थात लाभ के निश्चित *प्रतिशत* का लाभांश के रूप में भुगतान संभव है। फिर भी उपरोक्त भाग (ख) का अनुपालन कर पाना हमेशा संभव नहीं है जैसाकि नीचे वर्णन किया गया है।

यह संभव है कि पीएटी इक्विटी के *20 प्रतिशत* की बराबर की राशि से कम हो। यदि किसी को लाभांश का भुगतान जैसाकि डीपीई के दिशानिर्देशों में वर्णित हैं "जो पीएटी तथा इक्विटी के *20 प्रतिशत* जो भी अधिक है" का भुगतान लाभांश के रूप में करना पड़ता है, कम्पनी को उसको पीएटी से अधिक का भुगतान करना पड़ेगा क्योंकि उसकी इक्विटी का *20 प्रतिशत* पीएटी से अधिक है। उदाहरणार्थ 2010-11 में एनएचडीसी लिमिटेड की इक्विटी ₹ 1962.58 करोड़ तथा पीएटी ₹ 304.13 करोड की थी। डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार भाग (क) के अन्तर्गत लाभांश भुगतान अपेक्षा ₹ 91.24 करोड़ (पीएटी का 30%) बनती है तथा भाग (ख) के अन्तर्गत ₹ 392.52 करोड़ (इक्विटी का *20 प्रतिशत*)। दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है कि भुगतान किए जाने वाला लाभांश उनसे अधिक होना चाहिए। इसलिए यदि एनएचडीसी को डीपीई के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना है, उसे ₹ 392.52 करोड़ का भुगतान लाभांश के रूप में करना होगा। उसने हालांकि ₹ 304.13 करोड़ की ही पीएटी अर्जित किया। क्योंकि लाभांश लाभ में से बांटा जाना है; एनएचडीसी ₹ 304.13 करोड़ से अधिक का भुगतान कर ही नहीं सकती। इस प्रकार जैसाकि डीपीई के दिशानिर्देशों में अपेक्षित है यह ₹ 392.53 करोड़ के लाभांश का भुगतान नहीं कर सकती है।

मंत्रालय ने अपने उत्तर मे बताया (मार्च 2013) कि व्यय विभाग ने अपने दिनांक 24.09.2004 के का.ज्ञा. के द्वारा सीपीएसईज़ द्वारा लाभांश घोषित करने के बारे में दिशा निर्देश जारी किये हैं, जो सभी सीपीएसईज़ को अनुपालन हेतु प्रेषित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय द्वारा बताया गया कि कंपनी अधिनियम की धारा 205 के अधीन वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ में से या पूर्व वित्त वर्षों के लाभ में से या दोनों में से लाभांश का भुगतान किया जायेगा।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकृत नहीं है क्योंकि यह सीपीएसई के लिए संभव नही हो सकता है कि वर्षों तक पूर्व वित्तीय वर्षों के लाभ में से लाभांश का भुगतान करता रहे ताकि "जो भी अधिक हो" खण्ड का अनुपालन किया जा सके। अतः डीपीई दिशानिर्देशों के दूसरे भाग अर्थात इक्विटी के 20 प्रतिशत के बराबर लाभांश का भुगतान करने का अनुपालन करना हमेशा संभव नहीं था।

उपयुक्त के परिदृश्य में, डीपीई के लाभांश भुगतान दिशानिर्देशों में उस हद तक कमी है और उनको संशोधित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त डीपीई तेल/ढांचागत क्षेत्र की कंपनियों द्वारा 30 प्रतिशत पैट का लाभांश के रूप में भुगतान करने की अपेक्षा करता है। तथापि अन्य कंपनियों के लिए उसे पैट का 20 प्रतिशत तक रखा गया है। 2011-12 के लाभ और किये गये भुगतान के

अनुसार, सभी कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत के निर्धारित न्यूनतम लाभांश के भुगतान से शेयरधारकों का लाभांश और ₹ 869 करोड़ बढ जाता।

7.2.2 बोनस शेयर जारी करना

डीपीई ने अपने नवम्बर 1995 में जारी किये गये दिशानिर्देशों* पर नवम्बर 2011† में सीपीएसई द्वारा जारी बोनस शेयरों को जारी करने के लिए परिकल्पित प्रक्रिया पर फिर से जोर दिया। इन दिशानिर्देशों के अनुसारः

- सीपीएसईज़, जिनके पास अपनी प्रदत्त पूंजी के प्रति भारी आरक्षित निधियां है, उनको आरक्षित निधियों को पूंजी में परिवर्तित करने के लिए बोनस शेयर जारी करने चाहिए;
- सीपीएसईज़ को जारी बोनस शेयरों को समायोजित करने के लिए अपनी प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि करने पर विचार करना चाहिए; और
- प्रत्येक प्रशासनिक मंत्रालय अपने नियंत्रण के अधीन उद्यमों को निर्देश दे सकते हैं कि जिन सीपीएसईज़ की आरक्षित निधियां प्रदत्त पूंजी से तीन गुणा अधिक है, उनको बोनस शेयर जारी करने पर तत्काल विचार करना चाहिए।

बोनस शेयरों को जारी करने के संदर्भ में हमने देखा कि 31 सीपीएसईज़ में से आठ को बोनस शेयर जारी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनकी प्रदत्त उनकी आरक्षित निधियों की तीन गुणा से कम थी। अन्य आठ सीपीएसई जो अन्य सीपीएसई की सहायक हैं, के मामले में, नियंत्रक कंपनी को बोनस शेयर जारी करने से कोई प्रभाव नहीं पडेगा। शेष 15 सीपीएसईज़ द्वारा बोनस शेयर जारी करना अपेक्षित था क्योंकि उनकी प्रदत्त पूंजी की तुलना में आरक्षित निधि अनुपात 1:3 से अधिक था। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि 15 सीपीएसईज़ में से 10 सीपीएसई ने पहले ही 2007-12 के दौरान बोनस शेयर जारी किये थे और तब भी उनका अनुपात अधिक था जैसे कि नीचे दर्शाया गया हैः

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई	प्रदत्त पूंजी (मार्च 2012)	आरक्षित निधियां (मार्च 2012)	कितने गुणा आरक्षित निधियां थी	2007-12 के दौरान जारी बोनस शेयर्स
1.	एन्ट्रीक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	1.00	779.90	780	जारी नहीं किया गया
2.	गेल (इण्डिया) लिमिटेड	1268.48	20356.00	16	2008-09 में 2:1 के अनुपात में
3.	मोईल लिमिटेड	168.00	2273.31	14	अक्टूबर 2006 में 0.82706:1 और दिसम्बर 2009 के दौरान 5:1 के अनुपात में
4.	एमएमटीसी लिमिटेड	100.00	1321.40	13	अगस्त 2010 में 1:1 के अनुपात में जारी किया गया
5.	नेशनल एलुमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को)	1288.62	10426.46	8	मार्च 2011 में 1:1 के अनुपात में
6.	नेवेली लिगनाइट	1677.71	10362.18	6	जारी नहीं किया गया

** डीपीई ओ.एम. सं. डीपीई/12(6)/95-वित्त दिनांक 10 नवम्बर 1995*

† डीपीई ओ.एम. सं. डीपीई/13(21)/1-वित्त दिनांक 25 नवम्बर 2011

	कॉरपोरेशन लिमिटेड				
7.	एनएमडीसी लिमिटेड	396.47	24009.89	61	कम्पनी ने मई 2008 में धारित प्रत्येक शेयर के लिए 2 बोनस शेयर आवंटित किये।
8.	एनटीपीसी लिमिटेड	8245.46	65045.71	8	जारी नहीं किया गया
9.	ऑयल इण्डिया लिमिटेड	240.45	17499.09	73	कम्पनी ने अप्रैल 2012 में धारित प्रत्येक 2 शेयरों के लिए 3 बोनस शेयर्स आवंटित किये।
10.	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी)	4277.80	108659.95	25	नवम्बर 2006 में 1:2 के अनुपात में और फरवरी 2011 में 1:1 के अनुपात में
11.	पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल)	4629.73	18,858.05	4	जारी नहीं किया गया
12.	स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	4131.00	35,681.00	9	जारी नहीं किया गया
13.	दी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एससीआई)	465.80	6,268.52	13	नवम्बर 2008 में 1:2 के अनुपात में
14.	इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड	9.90	1,733.04	175	अक्टूबर 2012 में 1:1 के अनुपात में
15.	कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	129.98	5,476.45	42	2008-09 में 1:1 के अनुपात में

यद्यपि 15 सीपीएसईज़ में से 10 ने 2007-12 के दौरान बोनस शेयर जारी किए, फिर भी उनकी आरक्षित निधियां उनकी प्रदत्त पूंजी से 3 गुणा अधिक है। अतः इन सीपीएसईज़ को डीपीई के दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बोनस शेयर को कई बार और बड़े अनुपात में जारी करना चाहिए था। बोनस शेयर जारी करने के संबंध में सीपीएसईज़ के प्रबन्धन ने निम्नलिखित उत्तर दिए:

- गेल (इण्डिया) लिमिटेड ने बताया कि वित्तीय सलाहकार का मत था (फरवरी 2012) कि बोनस शेयर जारी करने के लिए समय उपयुक्त नहीं था;
- नालको ने बोनस शेयर जारी न करने के कारण 2008 की वैश्विक धन समस्या और उसके परिणामस्वरूप कीमतों और लाभ में कमी बताया;
- एनएमडीसी ने बताया कि इस्पात मंत्रालय से निर्देश प्राप्त होने पर 2008 में बोनस शेयर जारी किये;
- एनटीपीसी ने बताया कि कंपनी की क्षमता विस्तार योजनाओं के प्रस्ताव को ध्यान मे रखते हुए बोनस शेयर जारी करना व्यवहार्य नहीं होगा;
- ओएनजीसी ने आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति 2011 के निर्देशानुसार बोनस शेयर जारी किये और डीपीई के दिशानिर्देशों के अननुपालन का कारण मंत्रालय से आरक्षित निधियो की पूंजी में परिवर्तित करने के संबंध में विस्तार और अनुपात के लिए निर्देशों के अभाव को बताया;
- पीजीसीआईएल ने XII योजना में इक्विटी निधियों में भारी आवश्यकताओं और निकट भविष्य में इक्विटी के माध्यम से निधियों को जुटाने को बोनस शेयर जारी न करना आरोपित किया;

- स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के मामले में इस्पात मंत्रालय ने कंपनी के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बोनस शेयरों को जारी करने के संबंध में प्रस्ताव की जांच एवं अनुमोदन करने की सलाह दी परन्तु चल रहे आधुनिकीकरण/विस्तार योजना पर व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित निधियों के बहि प्रवाह के मद्देनज़र बोर्ड में इस पर विचार नहीं किया गया।
- एससीआई ने 2008 के बाद बोनस शेयर जारी न करने का कारण शिपिंग उद्योग में मंदी बताया।

मंत्रालय ने उत्तर में बताया (मार्च 2013) कि बोनस शेयर जारी करने के संबंध में सीपीएसईज के निदेशक बोर्ड द्वारा 10.11.1995 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार पूंजी आधार, संवर्धित इक्विटी आदि सेवा की क्षमता में वृद्धि, सहित विभिन्न कारकों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाता है। डीपीई ने दिनांक 25.11.2011 के का.ज्ञा द्वारा इन दिशानिर्देशों को फिर से दोहराया। इस विषय पर डीपीई के दिशानिर्देश 2012-13 के लिए एमओयू दिशानिर्देशों के तहत सीपीएसई का निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक मानक है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि तथ्य यही है कि दिनांक 25.11.2011 के डीपीई के का ज्ञा में समाविष्ट बोनस शेयरों को जारी करने के लिए डीपीई दिशानिर्देशों का 15 सीपीएसईज़ ने अनुपालन नहीं किया।

हमने आगे देखाः

- मार्च 2012 को एनट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के पास ₹ 1 करोड़ की प्रदत्त पूंजी थी जबकि उसकी आरक्षित निधि ₹ 779.90 करोड़ थी। फिर भी इसने बोनस शेयर जारी नहीं किये थे। प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2012) कि कंपनी ने सरकार के साथ बोनस शेयर जारी करने के मामले पर पत्र-व्यवहार किया था और उसे मौखिक रूप से सूचना दी कि चूंकि कम्पनी सामरिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में काम कर रही थी और इसकी कई परियोजनाएं इसरों की सुविधाओं का प्रयोग करके कार्यान्वित की जा रही थी, अतः बोनस शेयर जारी करने के विचार पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था क्योंकि इसका प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड सकता था। तथापि भारत सरकार से कोई लिखित पत्र प्राप्त नहीं हुआ था। यह स्पष्ट नहीं है कि भारत सरकार द्वारा बोनस शेयर पाने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर कैसे प्रभाव पडता।
- नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के मामले में कोयला मंत्रालय ने वर्ष 2012-13 के एमओयू में बोनस शेयर जारी करना एक मानक के रूप में शामिल किया।
- एनटीपीसी लिमिटेड के मामले में वर्ष 2012-13 के लिए मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत निष्पादन मूल्याकन के भाग के रूप में बोनस शेयर जारी करना शामिल किया।
- कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के मामले में मंत्रालय ने कंपनी को बोनस शेयर जारी करने के बारे में निर्देश जारी किये।

एन्ट्रीक्स कारपोरेशन लिमिटेड (अंतरिक्ष विभाग), गेल (इण्डिया) लिमिटेड (पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (विधुत मंत्रालय), एमएमटीसी लिमिटेड (वाणिज्य मंत्रालय) और नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (कोयला मंत्रालय) ने 2007-12 के

दौरान अपने प्रशासनिक मंत्रालयों से बोनस शेयर जारी करने के बारे में कोई अनुदेश प्राप्त नहीं किये।

7.2.3 शेयरों की वापस खरीद

डीपीई ने दिनांक 26 मार्च 2012 को शेयरों को वापस खरीदने के लिए दिशानिर्देश जारी किये। इन दिशानिर्देशों* के अनुसारः

- सीपीएसईज़ को बाज़ार से धन जुटाने के लिए कम्पनी में निवेशक का निरन्तर हित बनाए रखने और कम्पनी की योग्यता के दीर्घावधि हित में उनको बाज़ार पूंजीकरण से बचाने के लिए अपने शेयरों को बाय बैंक करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना; और
- सीपीएसईज़ अपने संस्था के अन्तर्नियमों (एओए) संशोधित करेंगे ताकि शेयरों को वापस खरीदा जा सके, यदि ऐसा प्रावधान उनके अन्तर्नियमों में मौजूद नहीं हो।

इस संबंध में, हमने पाया किः

ये प्रावधान आठ सीपीएसईज़*, जो अन्य सीपीएसईज़ की सहायक है, को लागू नहीं होंगे। इन प्रावधानों से पांच सीपीएसइज़ अर्थात एनएचडीसी लिमिटेड, एनट्रिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड और न्यूकलियर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड जिसमें भारत सरकार/राज्य सरकारों की 100 प्रतिशत इक्विटी धारिता है, पर अधिक प्रभाव नहीं पडेगा।

ये प्रावधान 18 सीपीएसईज़ (**परिशिष्ट XV**) के लिए अधिक सुसंगत है। संस्था के अन्तर्नियमों (एओए) में 16 सीपीएसईज़ के मामले में शेयरों को वापस खरीदने का प्रावधान है और दो सीपीएसईज़ (एसजेवीएन लिमिटेड और केआईओसीएल लिमिटेड) के मामले में, प्रबन्धन शेयरों की वापस खरीद के लिए प्रावधान बनाने के लिए एओए को संशोधित करने की प्रक्रिया में है।

7.3 सीपीएसईज़ द्वारा नकदी उपयोग करने की योजनाएं

सीपीएसईज़ का एक निवेश नीति बनाने का उद्देश्य होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप इष्टतम प्रतिफल प्राप्त हो सके। सीपीएसईज़ ने विस्तार और विविधीकरण परियोजनाएं आरम्भ की है जिनमें वित्तपोषण की आवश्यकता है। मार्च 2012 तक समग्र तस्वीर नीचे प्रस्तुत की हैः

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	नकद और बैंक शेष	अनुमानित योजनाएं	टिप्पणियां
1.	एनएमडीसी लिमिटेड	20,265.00	30,072.00	नियोजित परियोजनाएं यथासमय सृजित आन्तरिक स्रोतों से पूर्ण रूप से वित्त पोषित करना प्रस्तावित है।
2. to 7.	कोल इण्डिया लिमिटेड और इसकी पांच सहायक कम्पनियां	54692.81	90,330.00	

* *डीपीई का ज्ञा सं. डीपीई/14(24)/2011-वित्त दिनांक 26 मार्च 2012*

* *आठ सीपीएसईज़ हैंः साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, नादर्न कोलफील्डस लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, सैन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड, महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड और द उडीसा मिनिरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड।*

8.	कन्टेनर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	2762.00	6000.00	
9.	मोइल लिमिटेड	2,088.42	3,102.75	
10.	नेवेली लिगनाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड	3,329.10	40,278.00	नियोजित परियोजनाएं, यथासमय सृजित आन्तरिक स्रोतों तथा उधारी/नई इक्विटी जारी करके वित्त प्रेषित करना प्रस्तावित है।
11.	मैंगलोर रिफानरी एण्ड पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	2,234.72	6,138.63	
12.	ऑयल इण्डिया लिमिटेड	10,935.48	19,003.02	
13.	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड	20,099.00	1,63,956.00	
14.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	344.73	92,860.00	
15.	नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड	1,680.57	1,053.36*	
16.	गेल (इण्डिया) लिमिटेड	931.33	29,963.93	
17.	एनएचडीसी लिमिटेड	1,707.00	2,000.00	
18.	एनएचपीसी लिमिटेड	6,003.97	29,000.00	
19.	पॉवर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	2,336.88	1,02,034.00	
20.	एसजेवीएन लिमिटेड	1,888.76	10,400.00	
21.	एनटीपीसी लिमिटेड	16,146.11	2,19,613.00	
22.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	2,068.34	11,183.00	
23.	केआईओसीएल लिमिटेड	1,464.54	3,080.00	
24.	दी ओडिशा मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	701.00	1,178.00	
25.	स्टील अथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	6,416.00	45,000.00	
26.	नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड	4,168.35	14,233.00	
27.	न्यूक्लीयर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	5,160.55	5,460.00[12]	
28.	इरकोन इन्टरनेशनल लिमिटेड	2623.23	2,954	
29.	एन्ट्रीक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	989.04		कोई पूंजी व्यय योजना नहीं बनाई गई। नगदी की आंतरिक उत्पत्ति या परियोजना में नगदी के निवेश पर कोई प्रक्षेप नहीं किया गया।
30.	एमएमटीसी लिमिटेड	2,853.12		
31.	दी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	1,442.41		
	कुल	**175,332.46**	**9,28,892.69**	

* *केवल 2012-13 के लिए योजना व्यय*

जैसा कि उपर्युक्त से देखा जा सकता है कि तीन सीपीएसईज़ (उक्त तालिका में क्र.सं. 29,30 और 31), को छोडकर, अन्य सीपीएसईज़ ने परिभाषित किया है और नकद शेषों का उपयोग दर्शाते हुए भविष्य के लिए पर्याप्त पूंजी परिव्यय योजनाएं बनाई है।

28 सीपीएसईज़ से संबंधित अधिशेष नकदी के उपयोग के लिए योजनाओं का विवरण **(परिशिष्ट XVI)** में दिया गया है। कुछ आपत्तियां बाकी तीन सीपीएसईज़ के संबंध में उठाई गई हैं :

- एन्ट्रीक्स के निदेशक बोर्ड ने अन्य निवेश अवसरों पर विचार किया (जून 2009) जो कम्पनी के मुख्य उद्देश्यों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है जैसा कि सैटेलाईट प्राप्त करना, स्पेस क्राफ्ट में निवेश और सोलर सैल्स को विकसित करना आदि। तथापि, कम्पनी द्वारा कार्य की पहल नही की गई और इसका सावधि जमा और म्युचूअल फण्ड मे निवेश जारी है। इसके अतिरिक्त, मार्च 2012 मे एन्ट्रीक्स के ₹ 989 करोड़ नकदी और बैंक शेष में से ₹ 462 करोड़ रक्षा मंत्रालय से प्राप्त किए उपयोग न किए गए अग्रिम से संबंधित है।

- एमएमटीसी लिमिटेड के पास अधिशेष नकदी के उपयोग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित दीर्घावधि योजना नही है। जैसे कि कम्पनी अधिशेष नकदी से संबंधित अनुमानों को तैयार नहीं करती, पाँच वर्षों के दौरान, समीक्षा की जाने वाले पूंजी परिव्यय योजना को भी तैयार नहीं किया गया था।

 31 मार्च 2012 को कम्पनी के पास ₹ 2,853.12 करोड़ नकदी और बैंक अधिशेष था। चूंकि, यहां "पूंजी परिव्यय योजना" का कोई तंत्र नही था, परियोजनाओं में नकदी की आंतरिक उत्पत्ति या नकदी के निवेश पर कोई प्रक्षेषण नही बनाया जा सका था।

- शिपिंग मंत्रालय के मैरीटाईम एजेंडा के अनुसार 2010-20 के दौरान शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के लिए प्रक्षेपित पूंजी परिव्यय योजना ₹ 26,716 करोड़ थी। बोर्ड ऑफ शिपिंग कार्पोरेशन ने शिपिंग उद्योग द्वारा अनुभव किए गए प्रचलित डाऊनटर्न और एससीआइ के राजस्व उत्पाद पर इसके प्रभाव के कारण वर्ष 2012-13 के दौरान नए अधिग्रहण न करने का निश्चय किया (फरवरी 2012)।

7.3.1 ऋणों का पुनर्भुगतान

डीपीई ने अपने 14 दिसम्बर 1994 के दिशानिर्देशों[*] द्वारा सीपीएसईज़ को सुझाव दिया कि "पीएसई द्वारा निधियों का निवेश एक विशेष समयावधि के लिए विशेष ब्याज की दर पर नही करना चाहिए जबकि पीएसई उसी समयावधि के लिए अपनी आवश्यकताओं के लिए ब्याज के समान या उच्च दर पर उधार ले रहे हो"।

31 सीपीएसईज़ में से, 12 सीपीएसईज़ की मार्च 2012 तक भारी दीर्घावधि उधारी (₹ 1,500 करोड़ से अधिक) थी। 12 सीपीएसईज़ में से दो सीपीएसईज़ गेल (इंडिया) लिमिटेड और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने कम नकदी के कारण दीर्घावधि उधारी का सहारा लिया। दस सीपीएसईज़ में से छः सीपीएसईज़[†] (मुख्य रूप से बिजली क्षेत्र से संबंधित) ने उधारी का सहारा लिया क्योंकि उन्हें परियोजनाओं को निधियन 70:30 के ऋण-इक्विटी अनुपात में करना था और टैरिफ लागत प्लस

[*] ***डीपीई का ज्ञा सं. 4/6/94-वित्त दिनांक 14 दिसम्बर 1994***

[†] ***नेवेली लिगनाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड; एनटीपीसी लिमिटेड; एनएचडीसी लिमिटेड; पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; और एसजेवीएन लिमिटेड।***

आधार पर नियंत्रित करनी थी। उस मामले में यदि कम्पनियों के पास उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को ऋण के पुनर्भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है तो टैरिफ में कमी के कारण कम्पनियों की लाभ प्रदता पर दोहरा प्रभाव और अतिरिक्त निधि लगाने से ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय की हानि होगी। अतिरिक्त निधियों पर घरेलू बाजार की ब्याज दर जो कि 6.75 से 11.95 प्रतिशत के बीच रहती है की तुलना में एसजेवीएन लिमिटेड से संबंधित उधारियों पर ब्याज की दर 2.76 से 4.01 प्रतिशत के बीच थी। एनएचपीसी लिमिटेड और पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अतिरिक्त ब्याज व्यय को बचाने के लिए अपने ऋणों का पहले ही भुगतान कर दिया था। (एनएचपीसी द्वारा ₹ 384.29 करोड़ और पावरग्रिड द्वारा ₹ 49.31 करोड़)।

बकाया चार सीपीएसईज़ के संबंध में 31 मार्च 2012 तक नकदी और बैंक शेष और दीर्धावधि ऋण निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	रोकड और बैंक शेष	दीर्धावधि ऋण	टिप्पणियाँ
1.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	2,234.72	3,891.91	2011-12 के दौरान बैंकों में निवेश की गई निधियों की ब्याज दर 7.48 से 13.21 प्रतिशत के बीच थी। तथापि, उधारी का मुख्य हिस्सा एक और सीपीएसई ओएनजीसी से है, जोकि एमआरपीएल का मुख्य शेयर धारक है (71.62 प्रतिशत)।
2.	स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	6,416.00	11,586.66	सेल ने 2007-08 के दौरान ₹ 89.50 करोड़ का अल्पावधि सावधिजमा किया जोकि 2011-12 तक बढ कर ₹ 2,903.59 करोड़ हो गया जिसके प्रति कम्पनी ने अवधि के दौरान ₹ 76.05 करोड़ से ₹ 2,646.00 करोड़ के अल्पावधि ऋण 0.48 से 1.06 प्रतिशत के बीच के ब्याज की उच्च दर पर प्राप्त किया।
3.	शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,442.41	5,525.78	कम्पनी 80:20 के ऋण इक्विटी अनुपात का अनुसरण कर रही थी। यूएसडी ऋण के लिए कम्पनी द्वारा दत्त ब्याज की दर 0.22 से 2.80 प्रतिशत के बीच थी और रूपयें के ऋण के लिए 6.25 से 10.75 प्रतिशत थी। जबकि अर्जित ब्याज 1 से 13.60 प्रतिशत के बीच था। तथापि, उधारी दीर्धावधि के लिए कम से कम 10 वर्ष के लिए थी जबकि अतिरिक्त निधियों का निवेश 18 से 359 दिनों के लिए था। इसलिए दत्त और अर्जित ब्याज की तुलना नही की जा सकी।
4.	न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5,160.55	14,453.89	विदेशी तकनीक और रिएक्टर परियोजनाओं को लगाने के लिए आवश्यक भारी पूंजी के लिए निधि लगाने के लिए कम्पनी निधि के लिए भारतीय बैंको और रूस पर निर्भर कर रही थी जिसकी प्रस्तावित मूल कीमत निर्धारण के समायोजन के बाद ब्याज अस्थायी दरों पर आधारित था।

निष्कर्षत, सामान्यतया सीपीएसईज़ के पास अतिरिक्त नकदी के उपयोग के लिए योजना होती है।

7.4 निवेश नीति

डीपीई ने अपने 27 जून 1994* और 14 दिसम्बर 1994 के दिशानिर्देशो में सुझाव दिया किः

- निवेश नीतियाँ स्पष्ट और पारदर्शी होनी चाहिए;
- निवेश अधिकतम सुरक्षा वाली योजनाओं में ही किया जाना चाहिए;
- अधिशेष उपलब्धता सीपीएसईज़ द्वारा निधियों की उपलब्धता के सही अनुमान तैयार करके बनाई जा सकती है और प्रशासनिक मंत्रालय को सूचित रखा जा सकता है; और
- सभी गैर-वित्तीय सीपीएसईज़ के बोर्ड निदेशकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि के निवेश से संबंधित निर्णय पारदर्शी हो और ये केवल प्रत्यायुक्त प्राधिकारी द्वारा लिए गए हो और ऐसे उचित प्राधिकार की निगरानी बोर्ड द्वारा की जाती है।

7.4.1 नीति का अस्तित्व

इस संबंध में हमने देखा कि 9* सीपीएसईज़ के संबंध मे कोई विशेष निवेश नीति नही थी। वे अधिशेष निधि के निवेश के लिए दिशानिर्देशों का अनुसरण करते है। अन्य सीपीएसईज की निवेश नीति साधारणतः (i) उत्तरदायित्व और प्राधिकरण; (ii) बैंक ब्याज कार्ड दर प्राप्त करने के लिए मानदण्ड (iii) अधिशेष निधि और निवेश तिथि को निश्चित करने की प्रक्रिया; (iv) निवेश सैल के कार्य; (v) निवेश प्रस्तावों की सिफारिश के लिए प्रक्रिया; (vi) भुगतान उन्मुक्ति के लिए अनुमोदन आदि पर केन्द्रित होती है।

7.4.2 निवेश के लिए उप-समिति का गठन

दिनांक 27 जून 1994 के डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार एक वर्ष की परिपक्वता के लिए लघु अवधि निधियो के निवेश सहित निवेश पर निर्णय पदनामित निदेशक (को) जिसमे निश्चित रूप से सीएमडी और निदेशक (वित्त)/वित्त प्रमुख शामिल हो, को निवेश की निर्धारित सीमा तक दिया जा सकता है। जहां ऐसा प्रतिनिधिमण्डल बनाया गया हो वहां प्रतिनिधि क्रम को प्रत्येक अधिकारी के अनुमोदन और शक्ति स्तर को स्पैल आऊट किया जाना चाहिए जिसका दृढता से अनुपालन करना चाहिए।

* *डीपीई ओ.एम. डीपीई/4/3/92-वित्त दिनांक 27 जून 1994*

* *एसजेवीएन लिमिटेड; मोइल लिमिटेड; ऑयल इंडिया लिमिटेड एण्ड उडिसा मिनरल डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड (मार्च 2012 तक); एमएमटीसी लिमिटेड; द शिपिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; केआईओसीएल लिमिटेड; एनएमडीसी लिमिटेड; एवं मैंगलोर रिफाईनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड।*

तथापि, निम्नलिखित चार सीपीएसईज़ के मामलों में हमने देखा कि शक्तियां केवल अध्यक्ष/निदेशक (वित्त) मे केन्द्रित थी और डीपीआई द्वारा वांछित किसी उप-समिति का गठन नहीं किया गया था।

- मोइल लिमिटेड;
- एमएमटीसी लिमिटेड;
- इरकोन इन्टरनेशनल लिमिटेड; और
- केआईओसीएल लिमिटेड।

7.4.3 निवेश की रचना

31 सीपीएसईज़ के निवेश की रचना इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

	नकदी	बैंक/एफडी	सरकारी बॉंड आदि	इक्विटी एवं म्युचुअल फंड	निगम जमा	विविध	कुल
31 मार्च 2012 तक निवेश	948	1,72,166	12,162	40,076	7,589	747	**2,33,688**
कुल का %	0.4	73.7	5.2	17.2	3.2	0.3	**100**

डीपीई के दिनांक 11 अप्रैल 2008[†] को जारी निर्देशानुसार, अधिशेष निधि के निवेश के संबंध मे स्पष्ट है कि "मंत्रालय/विभाग/अन्य एजेंसियों के अन्तर्गत कम से कम निधियों के 60 प्रतिशत तक को सार्वजनिक क्षेत्र बैंको (पीएसबीज़) मे रखा जाना चाहिए" ।

हमने देखा कि:

- सभी सीपीएसजईज़ ने अपनी निधियों के कम से कम 60 प्रतिशत को सार्वजनिक क्षेत्र बैंको मे निवेश किया।
- एन्ट्रीक्स ने वर्ष 2007-12 के दौरान फ्लैक्सी जमा मे परिवर्तित किए बिना भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक के चालू खातों में कुछ शेष रखा जिससे उन्हे कुछ ब्याज अर्जित को सकता था जिसके परिणाम स्वरूप ₹ 2.66 करोड़ के ब्याज की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने सीमा से अधिक अवधि तक निधियों को बेकार रखा, दिसम्बर 2001 में यूरो/डालर[*] खाते में यूएसडी 1 मिलियन निर्धारित रखा गया। प्रबन्धन ने उत्तर दिया (सितम्बर 2012) कि सीमाओं के लिए बोर्ड पुनरीक्षा को रखते हुए कम्पनी ने विदेश मुद्रा शेष को भारतीय रूपये में तब परिवर्तित किया जब निधियों की तुरन्त आवश्यकता नही थी या दर उचित थी। तथ्य यही है कि कम्पनी ने निर्दिष्ट सीमा से अधिक रोकड़ रखा हुआ था।

[†] *डीपीई ओ.एम. डीपीई/11(47)/2006-वित्त दिनांक 11 अप्रैल 2008*

[*] *एन्ट्रीक्स ने राशि को एक्सचेंज अरनरज़ फोरन करंसी खाते में रखा, जो कि एक शून्य ब्याज धारित खाता है।*

- कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक इकाई नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (एनईसी) मारगेरीटा, असम, का छः बैंकों के साथ लेन देन हैं। एनईसी ने शुरू से ही केवल पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ किन्तु अन्य बैंकों के साथ दिसम्बर 2010 से स्वतः समायोजन व्यवस्था प्रारंभ की। सीआईएल ने दिसम्बर 2010 तक पीएनबी के अलावा अन्य बैंकों से रखे गए शेष पर कोई ब्याज अर्जन नही किया और पीएनबी के मामले में, ब्याज दर स्वतः समायोजन दर तक सीमित थी जो कि अल्पावधि जमा पर ब्याज से कम था। इस कारण सीआईएल को अप्रैल 2009 से मार्च 2012 तक ₹ 9.96 करोड़ की अनुमानित हानि हुई। मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2013) में बताया कि मामला कोयला मंत्रालय को उनकी टिप्पणी/स्पष्टीकरण हेतु संदर्भित है।

7.4.4 अनुमान तैयार करना और कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की गणना

निवेश का निर्णय लेने से पहले निवेश की प्रत्येक अवस्था में अधिशेष का अनुमान किया जाना चाहिए जिससे जमा की पूर्व परिपक्व वापसी या उच्च दरों पर नकदी ऋण लेने की परिस्थितियों से बचा जा सके।

निम्नलिखित तीन सीपीएसईज़ के संबंध मे, हमने पाया कि निवेश का निर्णय लेने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया थाः

- एन्ट्रीक्स कारपोरेशन लिमिटेड के पास कार्यशील पूंजी की आवश्यकता तैयार करने की प्रणाली नही थी।
- एमएमटीसी लिमिटेड में निवेश की प्रत्येक अवस्था में अधिशेष नकदी की गणना अलग से नही की गई थी।
- केआईओसीएल लिमिटेड में निवेश का निर्णय करते समय कार्यशील पूंजी की आवश्यकता की गणना नही की गई और रिकार्ड में नही रखा गया।

7.4.5 निवेश की सुरक्षित अभिरक्षा और प्रत्यक्ष सत्यापन

निवेश को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए और धोखाधडी से बचने के लिए समय समय पर स्वामित्व और प्रत्यक्ष उपस्थिति का सत्यापन किया जाना चाहिए। सत्यापित किए जाने वाले दस्तावेजो में (i) सावधि जमा/मियादी जमा प्राप्तियाँ (ii) निवेश की इलैक्ट्रानिक नियंत्रण दर्शाते बैंको के खाता के विवरण इत्यादि। सभी सीपीएसईज़ के मामले में निवेश की सुरक्षित अभिरक्षा की व्यवस्था है।

मोइल लिमिटेड, नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड को छोडकर 28 सीपीएसईज़ के मामले स्वामित्व के आवर्धिक प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली मौजूद है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के मामले में, सभी निवेश नियंणक कम्पनी ओएनजीसी द्वारा किए और आयोजित किए जाते थे। तथापि, मोइल लिमिटेड और नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड के मामले में, निवेश के स्वामित्व के प्रत्यक्ष सत्यापन का कोई रिकार्ड नही था। मोइल के प्रबन्धन ने आश्वासन दिया कि निवेश का आवधिक प्रत्यक्ष सत्यापन आन्तरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा।

7.4.6 अन्तर्-निगम ऋण में निवेश

डीपीई ने 14 दिसम्बर 1994 के अपने दिशानिर्देशों और 1 नवम्बर 1995 के स्पष्टीकरणों द्वारा अन्तर्-निगम ऋणों में निवेश से संबंधित निर्देश जारी किए थे। इन दिशा निर्देशों के अनुसारः

- अन्तर्-निगम ऋण केवल सीपीएसईज़ को दिया जाना अनुमत हैं, जिन्होनें उस अवधि के लिए ऋणों के लिए स्थापित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा उच्चतम क्रेडिट रेटिंग प्राप्त कर ली हो
- सीपीएसईज़ केवल ऐसी रेटिंग के आधार पर निधि निवेश कर सकते है।

31 मार्च 2012 तक, पांच सीपीएसईज़ द्वारा अन्तर्-निगम जमा (आईसीडीज़) में ₹ 7,589 करोड़ का निवेश किया था। यह 31 सीपीएसईज़ द्वारा किए गए कुल निवेश का केवल 3.2 प्रतिशत बनता था। ओएनजीसी ने उच्चतम क्रेडिट रेटिंग वाले सेन्ट्रल "नवरत्न" पीएसईज़ के अन्तर्-निगम ऋण में ₹ 3000 करोड़ का निवेश किया था। साउथ ईस्ट्रन कोलफील्डस लिमिटेड, नार्थरन कोलफील्डस लिमिटेड और महानदी कोलफील्डस लिमिटेड ने कोल इंडिया लिमिटेड में जमा के रूप में ₹ 4,144 करोड़ निवेश किया था। आयल इंडिया लिमिटेड ने आईसीडीज़ में ₹ 445 करोड़ निवेश किया था।

हमने आगे पाया कि कन्टेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 43.14 करोड़), गेल (इंडिया) लिमिटेड (₹ 79.35 करोड़), मैंगलौर रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (₹ 600.98 करोड़), न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (₹ 300.00 करोड़) और नेशनल टेक्सटाइलस कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 77.16 करोड़) ने अपनी सहायक कम्पनियों/जेवी कम्पनियों/तेल उत्पादक कम्पनियों को ऋण दिया।

7.4.7 ट्रेज़री बिलों और भारत सरकार की प्रतिभुतियों में निवेश

डीपीई ने अपने 1 नवम्बर 1995 के का.ज्ञा. में स्पष्ट किया कि "सीपीएसईज़ अधिशेष निधियों के निवेश हेतु तीन वर्षों की परिपक्वता अवधि के लिए ट्रेज़री बिल और भारत सरकार की प्रतिभूतियों का भी चयन कर सकती हैं"।

हमने पाया कि किसी भी सीपीएसईज़ ने ट्रेज़री बिलों में निवेश नही किया। हमने यह भी पाया कि मुख्य रूप से एनएचपीसी लिमिटेड, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंव पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, इरकान इन्टरनेशनल लिमिटेड, कन्टेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड और महानदी कोलफील्डस लिमिटेड द्वारा ₹ 12,162 करोड़ की राशि का निवेश सरकारी प्रतिभूतियों जैसे तेल बांड, बिजली बांड, राज्य विधुत बोर्ड बांड, भारतीय रेलवे वित्त निगम बांड इत्यादि में किया गया था।

7.4.8 म्युचुअल फंड और इक्विटी में निवेश

हमने पाया कि 21 सीपीएसईज़ ने ₹ 40,076 करोड़ तक का निवेश म्युचुअल फंड इक्विटी में किया था। यह 31 सीपीएसईज़ द्वारा किए गए कुल निवेश का 17.2 प्रतिशत था। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सहायक कम्पनियों में इक्विटी के रूप में ₹ 6,319 करोड़ का निवेश किया; ओएनजीसी ने अपनी सहायक कम्पनियों में इक्विटी के रूप में ₹ 2,041, संयुक्त उद्यम (जेवीज़) एवं सहायकों में

₹ 509 करोड़ अन्य सीपीएसईज़ में ₹ 1,617 करोड़ का निवेश किया; ओएनजीसी विदेश ने पूर्ण स्वामित्व/ आशिक रूप से स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों और संयुक्त इकाईयों में इक्विटी के रूप मे ₹ 13,736 का निवेश किया; एनटीपीसी लिमिटेड ने अपनी सहायक कम्पनियों/जेवी में इक्विटी के रूप में ₹ 4,673 करोड़ का निवेश किया और गेल (इंडिया) लिमिटेड ने सहायक कम्पनियों/जेवी/सहायकों में इक्विटी के रूप में ₹ 3,539 करोड़ का निवेश किया। इस प्रकार, सीपीएसईज़ द्वारा निवेश किया गया अधिकतर धन दीर्धकालिक परिसम्पतियों के सृजन के लिए था।

म्युचुअल फंडो में निवेश सेबी विनियमित सार्वजनिक क्षेत्र म्युचूअल फण्डों में डीपीई के दिनांक 31 अगस्त 2007[*], 15 अप्रैल 2008[†] और 12 जनवरी 2009[*] के अपने दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित किया गया था। जिसमे यह सुझाव दिया गया था कि म्युचुअल फंडों में निवेश किया जा सकता है बशर्ते संबंधित सीपीएसई द्वारा ऐसी योजनाओं में उपलब्ध अधिशेष निधियों का निवेश 30 प्रतिशत से अधिक न हो।

7.5 बोर्ड द्वारा अभिशासन और मंत्रालय द्वारा निरीक्षण

7.5.1 बोर्ड द्वारा नियंत्रण

निदेशक बोर्ड कम्पनी के निष्पादन के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है और कम्पनी में निवेश के निर्णयों पर सुझाव देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सीपीएसईज़ अधिशेष निधियों के निवेश के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन करती हैं और उनके पास नकदी के उपयोग के लिए योजना भी है। हमने पाया कि एन्ट्रीक्स कारपोरेशन लिमिटेड के मामले में हालांकि बोर्ड ने कम्पनी को निवेश में विविधता के लिए कार्रवाई शुरू करने के निर्देश (जून 2009) दे दिए थे, प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई शुरू नही की गई और बोर्ड ने इस पर कोई फीडबैक नही लिया था। मंत्रालय ने अपने उत्तर (मार्च 2013) में बताया कि मामला अंतरिक्ष विभाग को उनकी टिप्पणी हेतु भेजा गया है।

7.5.2 मंत्रालय द्वारा निरीक्षण

प्रशासनिक मंत्रालय उनके साथ सीपीएसईज़ द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के माध्यम से सीपीएसईज़ के निष्पादन की मानिटरिंग करते है। सीपीएसईज़ प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रेषित डीपीई दिशानिर्देशों का पालन करती हैं और उनके पास अधिशेष रोकड के उपयोग के लिए पर्याप्त योजनाएं होती हैं। निम्न को छोडकर बोर्ड द्वारा नियंत्रण या मंत्रालय द्वारा निरीक्षण से संबंधित कोई बडे मुद्दे नही हैंः

[*] *डीपीई ओ.एम. सं. डीपीई/11/47/2006-वित्त दिनांक 31 अगस्त 2007*

[†] *डीपीई ओ.एम. सं. डीपीई/11/47/2006-वित्त दिनांक 15 अप्रैल 2008*

[*] *डीपीई ओ.एम. सं. डीपीई/11(15)/08 -वित्त दिनांक 12 जनवरी 2009*

- 15 सीपीएसईज़, जिनका रिर्ज़व उसकी प्रदत्त पूंजी से तीन गुना से अधिक था ने बोनस शेयर जारी नही किए जैसा कि डीपीई द्वारा निर्धारित था और यह भी पाया गया कि पैरा 7.2.2 में संदर्भित पाँच सीपीएसईज़ को कवर करने वाले पाँच मंत्रालयों ने 2007-12 के दौरान सीपीएसईज़ को बोनस शेयर जारी करने के लिए कोई अनुदेश जारी नही दिए।

- इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा शेयरों को वापस खरीदने के मुद्दे पर भी कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नही किए गए थे।

7.6 निष्कर्ष

- नमूने के अनुसार सीपीएसईज़ ने सामान्य तथा डीपीई दिशानिर्देशों का पालन किया और उनके पास अधिशेष नकदी के उपयोग के लिए पर्याप्त योजनाएं हैं। 30 सीपीएसईज़ ने ₹ 34,500 करोड़ के कुल लाभांश का भुगतान किया है (2011-12 में 38 प्रतिशत लांभाश भुगतान अनुपात)।

- 15 सीपीएसईज़ के मामले में रिर्ज़व उनकी प्रदत्त पूंजी से तीन गुना अधिक था। तथापि, डीपीई द्वारा अपेक्षित बोनस शेयर जारी नही किए गए थे। इन 15 सीपीएसईज़ में से 5 ने बोनस शेयर बिल्कुल भी जारी नही किए। 10 सीपीएसईज़ के मामले में, बोनस शेयर जारी करने के बाद भी उनके रिर्ज़व उनकी प्रदत्त पूंजी से तीन गुना अधिक बने रहे। वे डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बोनस शेयर के मुद्दे पर विचार कर सकते हैं। 18 सीपीएसईज़ के मामले में वापिस खरीदने के विकल्प पर विचार करने की आवश्यकता है।

- सीपीएसईज़ डीपीई द्वारा निर्धारित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में निवेश करते रहें है क्योंकि इन बैकों को अधिक सुरक्षित समझा जाता है। यद्यपि, डीपीई ने नवरत्न/मिनिरत्न सीपीएसईज़ द्वारा म्यूचुअल फंडों में 30 प्रतिशत से अधिक निर्धारित किया है परन्तु यह देखा गया कि सीपीएसईज़ म्यूचुअल फंडों में केवल एक अल्प राशि निवेश करने में रूढीवादी हैं।

7.7 सिफारिशें

- डीपीई को पैरा 7.2.1-लाभांश का भुगतान "20% पीएटी तथा 20% इक्विटी - जो भी अधिक हो, " में बताई गई त्रुटियों के समाधान से संबंधित अपने लाभांश भुगतान दिशानिर्देशों में संशोधन पर विचार करना चाहिए।

- 15 सीपीएसईज़ पहले ही बोनस शेयर जारी करने में चूक कर चुके हैं। डीपीई को प्रशासनिक मंत्रालयो के परामर्श से शेयरों की वापिस खरीद पर डीपीई के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन को मानिटर करना चाहिए।

अमित कुमार पटनायक

नई दिल्ली
दिनांक: 28 मार्च, 2013

(ए. के. पटनायक)
उप-नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
एवं अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

नई दिल्ली
दिनांक: 1 अप्रैल, 2013

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक


NATIONAL STOCK EXCHANGE

परिशिष्ट-I

(जैसा पैरा संख्या 1.1.3 में संदर्भित है)
नई/बंद की गई सरकारी कंपनियों/मानित सरकारी कंपनियों की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम
नई सरकारी कंपनियां	
1	ऐग्रीनोवेटिव इण्डिया लिमिटेड
2	भारत ब्रोडबेंड नेटवर्क लिमिटेड
3	बायोटेक्नोलाजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल
4	सेन्ट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्यूरिटियेशन ऐसेट रिकंस्ट्रक्शन एण्ड सेक्युरिटी ऑफ इण्डिया
5	डीजीईएन और उत्तराखण्ड ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
6	एचएलएल बायोटेक लिमिटेक
7	आईडीबीआई इनफ्राफिन लिमिटेड
8	आईआईएफसीएल ऐसेट मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
9	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
10	केरल गेल गैस लिमिटेड
11	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
12	नार्थ इस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
13	नागापट्टिनम-मधुगिरी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
14	एनएमडीसी पावर लिमिटेड
15	एनपीसीआईएल इण्डियन ऑयल न्युक्लीयर एनर्जी कार्पोरेशन लिमिटेड
16	एनपीसीआईएल-एनएएलसीओ पावर कंपनी लिमिटेड
17	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड
18	प्राइज़ पैट्रोलियम कंपनी लिमिटेड
19	सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड
20	सेल रिफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड
21	सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया
22	विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड
नई मानित सरकारी कंपनियां	

1	बारूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड
2	दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रयल कॉरीडोर डेवलपमैंट कार्पोरेशन लिमिटेड
3	कृष्णापटनम रेल कंपनी लिमिटेड
4	तमिलनाडू टेलीकम्यूनीकेशन लिमिटेड
सरकरी बंद कंपनियां	
1.	भोपाल धूले ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
2.	क्रास कंटरी (द्वीव) होटल लिमिटेड
3.	इंडियन ऑयल टेक्नालजी लिमिटेड
4.	जबलपुर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
5.	कर्नाटक मीट एंड पोलट्री मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
6.	महाराष्ट्र इलैक्ट्रोसमैल्ट लिमिटेड (सेल में संद्यटित)
7.	पीपावैव पावर डैवलपमैंट कंपनी लिमिटेड
8.	पाईराईट्स फॉस्फेट एंड केमीकल्स लिमिटेड
9.	स्वदेशी माइनिंग और मेन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड
बंद की गई मानित सरकारी कंपनियां	
1.	मदन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड

परिशिष्ट II

(पैरा सं. 1.1.3 एवं 2.3.2 देखें)

बकाया लेखे या परिसमानाधीन कम्पनी

क. सरकारी कम्पनियां और निगम

क्रम सं./ मंत्रालय/विभाग का नाम	साक्षेउ का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखे 30 सितम्बर 2012 तक प्राप्त नहीं हुए
सांविधिक निगम		
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण		
#1.	भारतीय खाद्य निगम	2011-12
सूचीवद्ध सरकारी कम्पनियां		
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम		
2.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स (मैनुफेक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड	2011-12
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां		
कृषि		
#3.	लक्ष्यद्वीप डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2011-12
रसायन एवं पेट्रोरसायन		
**4.	बंगाल केमिकल्स एण्ड फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2009-10 से 2011-12
**5.	बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**6.	बिहार ड्रग्स एण्ड आग्रनेटिक केमिकल्स लिमिटेड	2009-10 से 2011-12
**7.	आईडीपीएल तमिलनाडु (प्रा.) लिमिटेड	2006-07 से 2011-12
8.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2010-11 और 2011-12
**9.	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**10.	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	अप्रचलित
**11.	उड़ीसा ड्रग्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**12.	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
#13	राजस्थान ड्रग्स एण्ड फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	2011-12
**14.	साउदर्न पेस्टीसाईड कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
नगर विमानन		
15.	एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	2011-12
16.	एयर इंडिया चार्टर्स लिमिटेड	2011-12
17.	एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज कम्पनी लिमिटेड	2011-12
18.	एयरलाइन्स एलायड सर्विसेज लिमिटेड	2011-12
19.	होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2011-12
20.	एयर इंडिया लिमिटेड	2011-12
21.	पवन हंस हेलिकाप्टर्स लिमिटेड	2011-12
22.	वायुदूत लिमिटेड	2011-12
वाणिज्य एवं उद्योग		
**23.	टी ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी		
**24.	इलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड एवं टेकनोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**25.	भारत ब्रांडबेंड नेटवर्क लिमिटेड	लेखा देय नहीं
वित्त		
**26.	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट लिमिटेड	लेखा देय नहीं

वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखे जो कि सितम्बर 2012 के बाद परन्तु 31 दिसम्बर से पहले प्राप्त हुए।

परिशिष्ट II (जारी)

क्रम सं./	साक्षेउ का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखे 30 सितम्बर 2012 तक प्राप्त नहीं हुए
**27.	आईआईएफसीएल एस्सेट मेनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	लेखा देय नहीं
**28.	आईडीबीआई इन्फ्राफिन लिमिटेड	लेखा देय नहीं
**29.	सूती टेक ऑप्सन्स लिमिटेड	लेखा प्राप्त नहीं हुए
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम		
**30.	भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्वस लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**31.	भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**32.	भारत ओष्थालमिक ग्लास लिमिटेड	परिसमापनाधीन
#33.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2011-12
**34.	भारत प्रोसेस एण्ड मेकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**35.	भारत यंत्र निगम लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**36.	साईकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**37.	माईनिंग एण्ड एलायड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**38.	रिहाबिलीटेशन इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	अप्रचलित
**39.	रेरोल बर्न लिमिटेड	परिसमापनाधीन
40.	रिचार्डसन एण्ड क्रूड्डास लिमिटेड	2011-12
**41.	टेन्नरी एण्ड फूटवेयर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**42.	दि मंड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**43.	दि नेशनल इंड्स्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**44.	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड	परिसमापनाधीन
45.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरलस लिमिटेड	2011-12
46.	हुगली प्रिंटिग कम्पनी लिमिटेड	2011-12
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
**47.	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	लेखा देय नहीं
#48.	इंडियन मेडिसीन्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड	2011-12
पेट्रोलियम		
**49.	केरल गेल गैस लिमिटेड	लेखा देय नहीं
#50.	बिइको लौरी लिमिटेड	2011-12
विद्युत		
**51.	डीजीईएन एण्ड उत्तराखण्ड ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	लेखा देय नहीं
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग		
**52.	इंडियन रोड कंसट्रक्शन कम्पनी	परिसमापनाधीन
रेलवे		
#53.	भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड	2011-12
जहाजरानी		
54.	हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	2010-11 और 2011-12
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी		
**55.	एनपीसीआईएल-एनएएलसीओ पॉवर कम्पनी लिमिटेड	लेखा देय नहीं
**56.	बॉयोटेक्नोलॉजी इन्डस्ट्री रिसर्च असिस्टेन्ट लिमिटेड	लेखा देय नहीं
#57.	सेन्टर इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	2011-12
इस्पात		
**58.	एनएमडीसी पॉवर लिमिटेड	लेखा देय नहीं
**59.	इस्को उज्जैन पाईप एण्ड फाउंड्री कम्पनी लिमिटेड	परिसमापनाधीन
#60.	सेल रिफ्रेक्टरी कम्पनी लिमिटेड	2011-12

क्रम सं./	साक्षेउ का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखे 30 सितम्बर 2012 तक प्राप्त नहीं हुए
कपड़ा		
#61.	बर्डस जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड	2011-12
**62.	ब्रशवेयर लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**63.	कोनपोर टेक्सटाईल्स लिमिटेड	अप्रचलित
64.	दि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड	2011-12
**65.	दि इल्गिन मिल्स कम्पनी लिमिटेड	अप्रचलित
#66.	नेशनल जूट मेनुफैक्चरर्स कारपोरेशन लिमिटेड	2011-12
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन		
**67.	चंडीगढ़ चाइल्ड एंड वूमेन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2006-07 से 2011-12
68.	चंडीगढ़ इंड्स्ट्रीयल एण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2011-12
69.	चंडीगढ़ शेडयूल्ड कास्ट फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2010-11 और 2011-12
70.	अण्डमान एण्ड निकोबार आईलेन्डस इन्टीग्रेटिड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2011-12
71.	अण्डमान फिशरिस लिमिटेड	2011-12
#72.	ओमनीबस इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ दमन, दयू एण्ड दादर एण्ड नागर हवेली लिमिटेड	2011-12
शहरी विकास		
#73	कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	2011-12
जल संसाधन		
#74.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	2011-12

परिशिष्ट II
बकाया पडे लेखे या परिसमापनाधीन/अप्रचलित कम्पनी
(पैरा सं. 1.1.3 एवं 2.3.2 देखें)
ख. मानी गई सरकारी कम्पनियां

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	वर्ष जिसके लिए लेखे 30 सितम्बर 2012 तक प्राप्त नहीं हुए
**1.	एक्यूमेजर्स (पंजाब) लिमिटेड	परिसमापनाधीन
#2.	अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे कम्पनी लिमिटेड	2011-12
**3.	एलाईड इंटरनेशनल प्रोड्क्ट्स लिमिटेड	अप्रचलित
**4.	बेकर ग्रे एण्ड कम्पनी लिमिटेड	अप्रचलित
**5.	बिहार इंडस्ट्रीयल एण्ड टेकनीकल कंस्लटेन्सी ऑर्गेनाईजेसन लिमिटेड	अप्रचलित
**6.	चंडीगढ़ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	लेखा देय नहीं
#7.	चेन्नई-इंनोर पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड	2011-12
#8.	कोरडेक्स इंडिया लिमिटेड	2011-12
**9.	दिल्ली मुम्बई इंडस्ट्रीयल कारिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	लेखा देय नहीं
**10.	एक्सेलियर प्लांट्स कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**11.	गंगावती शुगर लिमिटेड	परिसमापनाधीन
12.	गैस एण्ड पावर इनवेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड	2010-11 और 2011-12
**13.	इंडिया क्लियरिंग एण्ड डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड	परिसमापनाधीन
**14.	जे एण्ड के इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट एण्ड टेक्नीकल कंस्लटेंसी ऑर्गेनाईजेशन लिमिटेड	अप्रचलित
#15	कृष्णापट्नम रेल कम्पनी लिमिटेड	2011-12
**16.	एमएएमसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड	लेखा देय नहीं
#17.	मिनाचिल ट्रिटेड रबवुड (पी) लिमिटेड	2011-12
**18.	मिलेनियम इनफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड	परिसमापनाधीन
#19.	मुरादाबाद टोड रोड कम्पनी लिमिटेड	2011-12
**20.	नलंदा सेरामिक्स एण्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	अप्रचलित
**21.	नार्थ बंगाल डोलोमाईट लिमिटेड	2009-10 से 2011-12
22.	नार्थ इस्टर्न इंडस्ट्रीयल एण्ड टेकनीकल कंस्लटेंसी ऑर्गेनाईजेसन लिमिटेड	2010-11 और 2011-12
**23.	उडीसा इंडस्ट्रीयल एण्ड टेकनीकल कंस्लटेंसी ऑर्गेनाईजेसन लिमिटेड	अप्रचलित
#24.	पम्बा रबर्स लिमिटेड	2011-12
**25.	पजासी रबर्स (पी) लिमिटेड	परिसमापनाधीन
26.	पोनुमदी रबर्स (पी) लिमिटेड	2011-12
27.	रबर पार्क इन्डिया (पी) लिमिटेड	2011-12
#28.	रबरवुड इण्डिया (पी) लिमिटेड	2011-12
**29.	टेक्टाइल्स प्रोसेसिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन
#30.	टूटिकोरिन पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड	2011-12
**31.	वैगन इंडिया लिमिटेड	परिसमापनाधीन

वर्ष 2011-12 के वार्षिक लेखे जो की सितम्बर 2012 के बाद परन्तु 31 दिसम्बर 2012 से पहले प्राप्त हुए।

परिशिष्ट -III
(पैरा सं. 1.2 देखें)
क. संविधि निगमों में इक्विटी निवेश/ सांविधिक निगमों को दिए गए कर्जे

₹ करोड़ में

मंत्रालय/वर्ष	साक्षेउ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
नगर विमानन									
2009-10	1	इक्विटी	623.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	623.34
		कर्जे	49.57	0.00	0.00	0.00	40.57	304.00	394.14
2010-11	1	इक्विटी	655.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.61
		कर्जे	32.28	0.00	0.00	0.00	4.00	638.96	675.24
2011-12	1	इक्विटी	656.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	656.56
		कर्जे	0.95	0.00	0.00	0.00	4.00	1457.29	1462.23
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण									
2009-10	2	इक्विटी	2590.16	0.00	0.00	0.00	25.65	4.95	2620.75
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5504.60	5504.60
2010-11	2	इक्विटी	2625.16	0.00	0.00	0.00	25.66	4.93	2655.75
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4044.20	4044.20
2011-12	2	इक्विटी	2687.09	0.00	0.00	0.00	25.66	4.94	2717.69
		कर्जे	3914.50	0.00	0.00	0.00	0.00	44.84	3959.34
विद्युत									
2009-10	1	इक्विटी	1594.32	0.00	3060.2	0.00	0.00	0.00	4654.55
		कर्जे	864.61	0.00	0.00	0.00	26.45	10610.39	11501.45
2010-11	1	इक्विटी	1728.77	0.00	3291.6	0.00	0.00	0.00	5020.44
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	14135.2	801.78	14937.00
2011-12	1	इक्विटी	1820.67	0.00	3466.2	0.00	0.00	0.00	5286.90
		कर्जे	1700.00	0.00	0.00	0.00	23.26	14854.87	16578.12
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग									
2009-10	1	इक्विटी	44448.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44448.09
		कर्जे	1085.78	0.00	0.00	0.00	619.55	3088.82	4794.15
2010-11	1	इक्विटी	55195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55195.06
		कर्जे	1035.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5539.88	6575.47
2011-12	1	इक्विटी	64785.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64785.35
		कर्जे	893.39	0.00	0.00	0.00	659.13	15825.25	17377.77
जहाजरानी									
2009-10	1	इक्विटी	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	1	इक्विटी	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सभी मंत्रालयों का जोड़									
2009-10	**6**	इक्विटी	**49256.85**	**0.00**	**3060.23**	**0.00**	**25.65**	**4.95**	**52347.67**
		कर्जे	**1999.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**686.57**	**19507.81**	**22194.34**
2010-11	**6**	इक्विटी	**60205.55**	**0.00**	**3291.67**	**0.00**	**25.66**	**4.93**	**63527.81**
		कर्जे	**1067.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14139.22**	**11024.83**	**26231.91**
2011-12	**6**	इक्विटी	**69950.60**	**0.00**	**3466.23**	**0.00**	**25.66**	**4.94**	**73447.43**
		कर्जे	**6508.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**686.38**	**32182.25**	**39377.46**

परिशिष्ट -III

(पैरा सं. 1.2 देखें)
ख. सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों में इक्विटी निवेश/ सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों को दिए गए कर्जे

₹ करोड़ में

मंत्रालय/वर्ष	साक्षेउ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
जैव प्रौद्योगिकी									
2009-10	1	इक्विटी	25.59	0.00	0.00	0.00	13.07	4.52	43.18
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	1	इक्विटी	25.59	0.00	0.00	0.00	13.07	4.52	43.18
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	25.59	0.00	0.00	0.00	13.07	4.52	43.18
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रसायन एवं उर्वरक									
2009-10	6	इक्विटी	2032.41	11.07	2.59	0.87	10.03	151.40	2208.37
		कर्जे	749.04	37.53	0.00	0.00	4.03	494.85	1285.45
2010-11	6	इक्विटी	2032.42	11.06	2.59	0.87	14.58	146.85	2208.37
		कर्जे	966.16	38.74	0.00	0.00	47.89	505.22	1558.02
2011-12	6	इक्विटी	2032.41	11.06	2.59	0.87	17.09	144.35	2208.36
		कर्जे	1000.85	18.71	0.00	0.00	244.35	1634.01	2897.92
कोयला									
2009-10	2	इक्विटी	7886.00	0.00	0.00	0.00	73.73	34.34	7994.07
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	2303.90	3237.76	5541.66
2010-11	2	इक्विटी	7254.37	0.00	0.00	0.00	79.50	660.21	7994.07
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	2547.50	2826.97	5374.47
2011-12	2	इक्विटी	7254.37	0.00	0.00	0.00	80.18	659.52	7994.07
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	2282.50	2512.02	4794.52
वाणिज्य एवं उद्योग									
2009-10	2	इक्विटी	104.28	0.00	0.00	0.00	1.33	4.39	110.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	2	इक्विटी	153.94	1.01	0.00	0.00	0.64	4.41	160.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	2	इक्विटी	153.94	0.00	0.00	0.00	1.21	4.85	160.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी									
2009-10	2	इक्विटी	621.84	300.00	0.31	0.00	132.25	163.60	1218.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	7.28
2010-11	2	इक्विटी	621.84	300.00	0.31	0.00	132.26	163.59	1218.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2553.97	2553.97
2011-12	2	इक्विटी	621.85	300.00	0.31	0.00	118.52	177.33	1218.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00	7000.00

परिशिष्ट-III (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/वर्ष	साक्षेउ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
रक्षा									
2009-10	2	इक्विटी	83.19	0.00	0.00	0.00	10.63	27.95	121.77
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.22	156.22
2010-11	2	इक्विटी	83.19	0.00	0.00	0.00	9.72	28.87	121.77
		कर्जे	0.00	140.90	0.00	0.00	0.00	0.41	141.31
2011-12	2	इक्विटी	83.19	0.00	0.00	0.00	11.03	27.55	121.77
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	138.10	109.61	247.70
वित्त									
2009-10	1	इक्विटी	13.25	0.00	0.00	0.00	0.03	8.92	22.20
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	1	इक्विटी	13.25	0.00	0.00	0.00	0.74	8.21	22.20
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	13.25	0.00	0.00	0.00	0.37	8.58	22.20
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम									
2009-10	6	इक्विटी	1783.69	0.00	0.00	0.00	4.39	651.24	2439.32
		कर्जे	2053.88	4.30	6.15	0.00	0.00	1074.00	3138.33
2010-11	6	इक्विटी	1787.09	0.00	0.00	0.00	3.15	649.07	2439.31
		कर्जे	2520.31	4.30	6.15	0.00	289.19	673.00	3492.95
2011-12	6	इक्विटी	1788.59	0.00	0.00	0.00	64.28	586.43	2439.31
		कर्जे	3237.32	0.00	0.00	0.90	1503.13	1300.42	6041.76
खान									
2009-10	2	इक्विटी	1022.21	0.00	0.00	0.00	35.09	49.62	1106.92
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	2	इक्विटी	1583.71	0.00	0.00	0.00	66.49	101.03	1751.23
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	2	इक्विटी	1583.71	0.00	0.00	0.00	67.79	99.73	1751.23
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस									
2009-10	10	इक्विटी	4840.39	2181.85	5.82	0.00	352.98	1378.58	8759.62
		कर्जे	0.00	2072.25	274.26	0.00	7165.02	19685.76	29197.29
2010-11	10	इक्विटी	6510.78	2397.80	5.82	0.00	593.71	1502.69	11010.80
		कर्जे	21.25	1723.75	274.26	2278.8	10688.4	19024.81	34011.39
2011-12	10	इक्विटी	6300.57	2503.28	5.82	91.89	836.58	1268.06	11006.21
		कर्जे	496.50	1745.13	0.00	0.00	13454.1	24732.45	40428.18
ऊर्जा									
2009-10	6	इक्विटी	25997.31	0.00	1027.2	0.00	1551.24	2440.03	31015.78
		कर्जे	268.42	4753.05	0.00	0.00	42121.8	157008.76	204152.04
2010-11	6	इक्विटी	25161.42	0.00	1055.0	0.00	1082.07	4149.29	31447.79
		कर्जे	1036.13	5259.25	0.00	0.00	44797.7	197049.45	248142.59
2011-12	6	इक्विटी	25104.03	0.00	1055.0	0.00	1011.99	4448.92	31619.95
		कर्जे	1413.58	2877.16	0.00	0.00	38177.0	242754.46	285222.26

परिशिष्ट-III (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/वर्ष	साक्षेउ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
रेलवे									
2009-10	2	इक्विटी	91.87	0.00	0.00	0.00	13.21	34.80	139.88
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.29	5.29
2010-11	2	इक्विटी	91.87	0.00	0.00	0.00	8.48	39.53	139.88
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	2	इक्विटी	91.87	0.00	0.00	0.00	8.31	39.70	139.88
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687.20	687.20
सड़क परिवहन और राजमार्ग									
2009-10	1	इक्विटी	339.28	0.00	0.00	0.00	65.56	18.61	423.45
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	2379.36	317.50	2696.86
2010-11	1	इक्विटी	296.94	0.00	0.00	0.00	15.19	153.67	465.80
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	213.50	4501.65	4715.15
2011-12	1	इक्विटी	296.94	0.00	0.00	0.00	90.19	78.67	465.80
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	357.78	5178.02	5535.80
जहाजरानी									
2009-10	1	इक्विटी	22.00	0.00	0.00	0.00	2.74	3.26	28.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	1	इक्विटी	22.00	0.00	0.00	0.00	2.74	3.26	28.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	22.00	0.00	0.00	0.00	1.04	4.96	28.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	259.95	0.00	259.95
इस्पात									
2009-10	5	इक्विटी	4667.68	0.00	30.97	0.00	343.54	288.64	5330.83
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	454.63	7128.29	7582.92
2010-11	5	इक्विटी	4650.14	0.76	14.17	0.00	252.97	412.80	5330.83
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	1250.00	8912.25	10162.25
2011-12	5	इक्विटी	4650.14	0.76	14.17	0.00	141.24	524.65	5330.96
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	4003.15	7584.25	11587.40
पर्यटन									
2009-10	1	इक्विटी	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.52	140.52
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	1	इक्विटी	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77	85.77
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77	85.77
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़									
2009-10	**50**	इक्विटी	**49609.98**	**2492.92**	**1066.88**	**0.87**	**2609.82**	**5321.44**	**61101.90**
		कर्जे	**3071.34**	**6867.14**	**280.41**	**0.00**	**54428.74**	**189115.71**	**253763.34**
2010-11	**50**	इक्विटी	**50367.54**	**2710.63**	**1077.90**	**0.87**	**2275.30**	**8034.75**	**64467.00**
		कर्जे	**4543.85**	**7166.95**	**280.41**	**2278.88**	**59834.29**	**236047.73**	**310152.10**
2011-12	**50**	इक्विटी	**50101.45**	**2815.10**	**1077.90**	**92.76**	**2462.88**	**8084.60**	**64634.68**
		कर्जे	**6148.25**	**4640.99**	**0.00**	**0.90**	**60420.12**	**293492.44**	**364702.69**

परिशिष्ट -III

(पैरा सं. 1.2 देखें)

ग. असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों में इक्विटी निवेश/ असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों को दिए गए कर्जे

₹ करोड़ में

मंत्रालय/वर्ष	साक्षेउ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
कृषि									
2009-10	3	इक्विटी	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.61
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.65	93.65
2010-11	3	इक्विटी	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.61
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	4	इक्विटी	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	49.95	108.61
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.25	33.25
परमाणु उर्जा									
2009-10	5	इक्विटी	14445.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14445.85
		कर्जे	6274.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9209.34	15484.04
2010-11	5	इक्विटी	14843.43	30.00	0.00	0.00	0.00	9.11	14882.54
		कर्जे	5880.84	0.00	0.00	0.00	9186.00	2853.62	17920.46
2011-12	6	इक्विटी	15756.54	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15817.54
		कर्जे	5047.49	0.00	0.00	0.00	5786.00	3798.85	14632.34
जैव प्रौद्योगिकी									
2009-10	1	इक्विटी	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26	18.79
		कर्जे	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1.41	2.81
2010-11	1	इक्विटी	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26	18.79
		कर्जे	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	1.01
2011-12	1	इक्विटी	12.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26	18.79
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रसायन एवं उर्वरक									
2009-10	13	इक्विटी	2080.55	31.90	0.00	1.15	0.00	9.10	2122.70
		कर्जे	18912.88	155.82	43.35	0.00	0.00	70.31	19182.36
2010-11	13	इक्विटी	2084.98	34.71	0.00	5.52	0.00	33.31	2158.52
		कर्जे	20039.75	39.19	43.00	0.00	84.31	0.91	20207.16
2011-12	13	इक्विटी	2087.52	35.95	0.00	5.53	0.00	37.93	2166.92
		कर्जे	12322.28	171.89	43.00	0.45	0.00	78.85	12616.48
नगर विमानन									
2009-10	8	इक्विटी	1049.32	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1183.14
		कर्जे	15.97	37.87	0.00	0.00	9703.86	13027.28	22784.97
2010-11	8	इक्विटी	2270.32	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2499.99
		कर्जे	15.97	117.09	0.00	0.00	12863.84	3086.96	16083.86
2011-12	8	इक्विटी	2270.32	229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2499.99
		कर्जे	15.97	117.09	0.00	0.00	12863.84	3086.96	16083.86

परिशिष्ट-III (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/वर्ष	साक्षेउ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
कोयला									
2009-10	10	इक्विटी	0.00	6374.03	0.00	0.00	0.00	7.53	6381.56
		कर्जे	789.97	2025.38	0.00	0.00	155.65	254.99	3225.99
2010-11	10	इक्विटी	0.00	6377.80	0.00	0.00	0.00	3.77	6381.56
		कर्जे	0.00	2113.55	0.00	0.00	8.98	1000.71	3123.24
2011-12	11	इक्विटी	0.00	6458.80	0.00	0.00	0.00	12.82	6471.61
		कर्जे	0.00	244.91	0.00	0.00	729.00	14563.51	15537.42
वाणिज्य एवं उद्योग									
2009-10	8	इक्विटी	972.25	3.77	10.00	0.25	20.00	10.52	1016.78
		कर्जे	0.00	7.97	0.00	0.00	0.00	22.61	30.58
2010-11	8	इक्विटी	970.25	5.76	10.00	0.25	20.00	10.52	1016.78
		कर्जे	0.00	24.34	0.00	6.23	0.00	0.00	30.58
2011-12	8	इक्विटी	974.25	1.76	10.00	0.25	20.00	10.52	1016.78
		कर्जे	0.00	24.12	0.00	6.23	0.00	0.00	30.35
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी									
2009-10	4	इक्विटी	12545.20	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12548.08
		कर्जे	1533.70	0.08	0.00	0.00	0.00	55.00	1588.78
2010-11	4	इक्विटी	12545.20	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12548.08
		कर्जे	1845.74	0.08	0.00	0.00	39.50	0.00	1885.32
2011-12	4	इक्विटी	12545.20	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12548.08
		कर्जे	983.18	0.00	0.00	0.00	37.50	0.00	1020.68
उपभोक्ता मामलें, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण									
2009-10	1	इक्विटी	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
		कर्जे	289.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.15
2010-11	1	इक्विटी	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
		कर्जे	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	214.68	310.30
2011-12	1	इक्विटी	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
रक्षा									
2009-10	8	इक्विटी	781.49	33.44	0.00	0.00	1.32	0.59	816.83
		कर्जे	44.20	0.00	0.00	0.00	12.20	82.49	138.89
2010-11	8	इक्विटी	756.75	33.44	0.00	0.00	1.32	0.59	792.09
		कर्जे	35.17	0.94	0.00	0.00	5.00	81.75	122.86
2011-12	8	इक्विटी	756.75	33.44	0.00	0.00	1.32	4.59	796.09
		कर्जे	19.80	0.00	0.00	0.00	1.91	93.00	114.71
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास									
2009-10	2	इक्विटी	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
		कर्जे	41.44	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.44
2010-11	2	इक्विटी	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
		कर्जे	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.15
2011-12	2	इक्विटी	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.62
		कर्जे	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.09

परिशिष्ट-III (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/वर्ष	साक्षेउ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
पर्यावरण एवं वन									
2009-10	1	इक्विटी	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
		कर्जे	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.83
2010-11	1	इक्विटी	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
		कर्जे	80.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.83
2011-12	1	इक्विटी	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.59
		कर्जे	156.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.21
वित्त									
2009-10	10	इक्विटी	3005.00	0.24	0.00	0.00	0.00	221.14	3226.38
		कर्जे	498.87	0.00	0.00	0.00	2500.00	16462.24	19461.11
2010-11	10	इक्विटी	3205.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.11	3205.30
		कर्जे	323.87	0.00	0.00	0.00	2500.00	20342.88	23166.75
2011-12	11	इक्विटी	3730.05	0.19	0.00	0.00	2.75	0.06	3733.05
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	22771.63	23721.63
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग									
2009-10	1	इक्विटी	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	1	इक्विटी	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण									
2009-10	3	इक्विटी	23.96	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	24.94
		कर्जे	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	12.97	13.52
2010-11	3	इक्विटी	24.96	0.00	0.98	0.00	0.00	9.00	34.94
		कर्जे	0.65	0.00	0.00	0.00	10.18	0.00	10.82
2011-12	3	इक्विटी	57.96	0.00	0.98	0.00	0.00	28.00	86.94
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.55	18.55
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम									
2009-10	30	इक्विटी	2975.90	968.60	4.47	2.08	0.00	163.09	4114.15
		कर्जे	3479.61	864.65	62.00	2.71	4.09	138.30	4551.37
2010-11	30	इक्विटी	2684.90	972.68	4.47	2.57	0.24	77.29	3742.15
		कर्जे	3373.23	565.16	2.14	0.00	6.03	258.20	4204.76
2011-12	30	इक्विटी	2689.74	972.68	4.47	6.00	0.00	161.28	3834.16
		कर्जे	3149.87	127.18	67.67	1.00	1.49	309.32	3656.53
ग्रह मामले									
2009-10	1	इक्विटी	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		कर्जे	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2010-11	1	इक्विटी	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट-III (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/वर्ष	साक्षेउ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन									
2009-10	2	इक्विटी	2136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2136.67
		कर्जे	52.96	0.00	0.00	0.00	4881.94	10365.57	15300.48
2010-11	2	इक्विटी	2136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2136.67
		कर्जे	52.96	0.00	0.00	0.00	6311.01	9314.69	15678.66
2011-12	2	इक्विटी	2136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2136.67
		कर्जे	52.96	0.00	0.00	0.00	3451.07	10218.96	13722.99
मानव संसाधन विकास									
2009-10	1	इक्विटी	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	1	इक्विटी	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सूचना एवं प्रसारण									
2009-10	2	इक्विटी	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.36
		कर्जे	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.40
2010-11	2	इक्विटी	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.76
		कर्जे	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96
2011-12	2	इक्विटी	46.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.76
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
खान									
2009-10	2	इक्विटी	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.61
		कर्जे	1123.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1123.09
2010-11	2	इक्विटी	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.61
		कर्जे	1177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1177.85
2011-12	2	इक्विटी	170.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.61
		कर्जे	224.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.81
अल्प संख्यक मामले									
2009-10	1	इक्विटी	644.77	0.00	145.97	0.00	0.00	0.60	791.34
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	1	इक्विटी	760.36	0.00	172.81	0.00	0.00	0.00	933.17
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	875.36	0.00	196.83	0.00	0.00	0.01	1072.19
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
नई एवं नवीकरण ऊर्जा									
2009-10	1	इक्विटी	539.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539.60
		कर्जे	241.85	0.00	0.00	0.00	1358.09	1154.86	2754.81
2010-11	1	इक्विटी	589.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589.60
		कर्जे	239.08	0.00	0.00	0.00	415.44	1820.67	2475.19
2011-12	1	इक्विटी	639.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.60
		कर्जे	233.03	0.00	0.00	0.00	570.33	3340.47	4143.83

परिशिष्ट-III (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/वर्ष	साक्षेउ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस									
2009-10	12	इक्विटी	24.10	3085.44	119.91	0.00	0.00	98.65	3328.10
		कर्जे	0.00	85.26	0.00	0.00	0.00	19122.58	19207.84
2010-11	13	इक्विटी	24.10	3410.03	129.16	0.00	0.00	1220.87	4784.16
		कर्जे	0.00	18014.61	0.00	0.00	429.33	2905.14	21349.08
2011-12	14	इक्विटी	24.10	4049.71	179.73	4.16	0.00	1992.87	6250.57
		कर्जे	0.00	17766.85	0.00	0.00	650.00	3272.42	21689.26
विद्युत									
2009-10	24	इक्विटी	5709.63	1554.18	1899.69	61.54	0.00	438.89	9663.93
		कर्जे	15.31	471.59	0.00	0.00	2591.61	4715.41	7793.92
2010-11	25	इक्विटी	5730.43	1883.48	2093.55	119.80	0.00	814.34	10641.61
		कर्जे	15.31	894.04	0.00	0.00	2865.06	4867.07	8641.48
2011-12	34	इक्विटी	5846.93	2465.82	2135.83	322.67	0.00	549.74	11321.00
		कर्जे	163.13	7250.75	2.10	89.35	717.64	1419.02	9642.00
रेलवे									
2009-10	14	इक्विटी	8358.71	198.04	445.42	7.00	0.00	35.26	9044.42
		कर्जे	3840.89	415.51	4.75	0.00	4376.88	31995.68	40633.70
2010-11	15	इक्विटी	9292.71	204.44	445.42	7.00	0.00	52.02	10001.58
		कर्जे	2535.96	34.32	187.40	0.00	7209.55	34729.66	44696.89
2011-12	16	इक्विटी	10315.22	195.84	445.42	7.00	0.00	329.77	11293.25
		कर्जे	4233.46	50.92	187.18	0.00	10003.46	41067.11	55542.14
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी									
2009-10	2	इक्विटी	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.19
		कर्जे	22.57	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	24.26
2010-11	2	इक्विटी	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.69
		कर्जे	20.82	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	21.29
2011-12	2	इक्विटी	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.19
		कर्जे	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	40.05	58.37
जहाजरानी									
2009-10	6	इक्विटी	1348.36	0.00	244.65	0.00	0.00	105.50	1698.51
		कर्जे	833.45	0.00	0.00	0.00	0.00	473.67	1307.11
2010-11	6	इक्विटी	1348.36	110.00	0.15	0.00	0.00	240.00	1698.51
		कर्जे	887.81	0.00	0.00	0.00	336.49	346.73	1571.03
2011-12	6	इक्विटी	1308.36	110.00	0.15	0.00	0.00	240.00	1658.51
		कर्जे	887.81	0.00	0.00	0.00	0.00	371.58	1259.39

परिशिष्ट-III (जारी)
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों को दिए गए कर्जे

₹ करोड़ में

मंत्रालय/वर्ष	साक्षेउ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
लघु उद्योग									
2009-10	1	इक्विटी	232.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.99
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.59	58.59
2010-11	1	इक्विटी	232.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.99
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.20	57.20
2011-12	1	इक्विटी	387.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.99
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	59.69	0.00	59.69
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता									
2009-10	5	इक्विटी	1462.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1462.91
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	5	इक्विटी	1667.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1667.91
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	5	इक्विटी	1842.91	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	1887.91
		कर्जे	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	42.83
अंतरिक्ष									
2009-10	1	इक्विटी	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	1	इक्विटी	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1180.30	1180.30
इस्पात									
2009-10	7	इक्विटी	8049.53	6.75	0.00	1.52	0.00	0.20	8057.99
		कर्जे	953.30	0.00	0.00	0.00	0.00	669.63	1622.93
2010-11	7	इक्विटी	8049.53	6.75	0.00	1.52	0.00	0.20	8057.99
		कर्जे	1052.64	0.00	0.00	0.00	559.13	75.00	1686.77
2011-12	9	इक्विटी	7936.93	7.18	0.00	2.72	0.00	0.20	7947.04
		कर्जे	1166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	26.82	1192.94
कपड़ा									
2009-10	14	इक्विटी	3215.09	18.18	7.28	0.00	0.98	17.67	3259.20
		कर्जे	533.59	106.74	10.67	0.00	0.00	0.00	651.00
2010-11	14	इक्विटी	3215.09	18.18	7.28	0.00	0.98	17.67	3259.20
		कर्जे	934.85	28.49	7.37	0.00	0.00	0.00	970.72
2011-12	14	इक्विटी	3215.09	18.23	7.27	0.00	0.98	17.62	3259.19
		कर्जे	1042.25	35.35	14.49	0.00	0.00	0.00	1092.09
पर्यटन									
2009-10	8	इक्विटी	0.97	8.58	0.49	3.14	0.00	0.00	13.19
		कर्जे	0.00	5.89	0.00	0.00	0.00	2.86	8.75
2010-11	8	इक्विटी	0.97	8.59	0.49	3.14	0.00	0.00	13.19
		कर्जे	0.00	2.80	0.00	0.00	2.86	0.00	5.66
2011-12	8	इक्विटी	2.25	7.31	1.72	1.91	0.00	0.00	13.19
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90

परिशिष्ट-III (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/वर्ष	साक्षेउ की सं.	स्वरूप	संघ सरकार	संघ सरकारी कम्पनियां/ निगम	राज्य सरकार	राज्य सरकारी कम्पनियां	वित्तीय संस्थान	अन्य	जोड़
जनजाति मामले									
2009-10	1	इक्विटी	230.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.50
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	1	इक्विटी	277.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277.33
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1	इक्विटी	312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312.33
		कर्जे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन									
2009-10	6	इक्विटी	55.85	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.85
		कर्जे	0.00	0.00	0.58	1.32	0.00	0.97	2.87
2010-11	6	इक्विटी	68.85	1.00	0.00	0.00	0.00	0.20	70.05
		कर्जे	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.97	2.87
2011-12	6	इक्विटी	69.15	1.00	0.00	0.00	0.00	4.60	74.75
		कर्जे	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	0.97	2.87
शहरी विकास									
2009-10	2	इक्विटी	4176.71	0.00	4086.71	0.00	0.00	97.30	8360.71
		कर्जे	13758.75	0.00	767.09	24.80	0.00	0.00	14550.64
2010-11	5	इक्विटी	6037.64	0.00	6568.85	0.00	0.00	1893.39	14499.87
		कर्जे	16238.47	0.00	2940.72	25.10	0.00	848.07	20052.35
2011-12	5	इक्विटी	7978.26	0.00	8399.47	0.00	0.00	1170.90	17548.62
		कर्जे	18878.34	0.00	4387.72	0.00	362.45	2063.37	25691.87
जल संसाधन									
2009-10	3	इक्विटी	777.69	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	778.74
		कर्जे	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.32	12.35
2010-11	3	इक्विटी	197.80	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	198.85
		कर्जे	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03
2011-12	3	इक्विटी	198.80	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	199.85
		कर्जे	63.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.73
सभी मंत्रालयों का जोड़									
2009-10	224	इक्विटी	75216.31	12420.84	6965.62	77.66	22.30	1212.30	95915.04
		कर्जे	53361.46	4180.45	913.44	28.83	25584.33	107992.71	192061.22
2010-11	230	इक्विटी	79421.74	13329.58	9434.19	139.80	22.54	4388.65	106736.50
		कर्जे	54912.06	21835.09	3182.53	31.33	42832.70	82805.41	205599.13
2011-12	247	इक्विटी	84365.45	14651.46	11382.90	350.24	25.05	4662.12	115437.21
		कर्जे	48752.87	25789.05	4704.06	97.03	36184.38	107760.72	223288.11
सकल जोड़									
2009-10	**280**	इक्विटी	174083.1	14913.76	11092.73	78.53	2657.77	6538.69	209364.6
		कर्जे	58432.76	11047.59	1193.85	28.83	80699.64	316616.2	468018.9
2010-11	**286**	इक्विटी	189994.8	16040.21	13803.76	140.67	2323.5	12428.33	234731.3
		कर्जे	60523.77	29002.04	3462.94	2310.21	116806.2	329878	541983.1
2011-12	**303**	इक्विटी	204417.5	17466.56	15927.03	443	2513.59	12751.66	253519.3
		कर्जे	61409.95	30430.04	4704.06	97.93	97290.88	433435.4	627368.3

परिशिष्ट-IV

(पैरा सं. 1.2.3 और 1.3.3 देखें)

मानी गई सरकारी कम्पनियां

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों/ निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
कृषि आधारित उद्योग														
1 मीनाचील ट्रीटेड रबरवूड (प्रा.) लिमिटेड														
2009-10	1.82	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	1.43	4.45	-1.73	2.59	-0.26	-0.02	-0.24	0.00
2010-11	1.82	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	1.43	4.58	-1.90	2.95	-0.15	-0.03	-0.12	0.00
2011-12	1.82	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	1.43	4.74	-2.14	2.80	-0.19	-0.02	-0.17	0.00
2 पम्बा रबर्स लिमिटेड														
2009-10	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	2.38	-0.81	27.07	-0.04	0.00	-0.04	0.00
2010-11	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	2.25	-0.68	45.86	0.12	0.00	0.12	0.00
2011-12	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	2.50	-0.93	43.56	-0.24	0.00	-0.24	0.00
3 पोनमुदी रबर्स (प्रा.) लिमिटेड														
2009-10	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	5.96	-4.02	1.30	-0.17	-0.01	-0.16	0.00
2010-11	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	5.96	-3.88	2.15	-0.08	0.00	-0.08	0.00
*2011-12	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27	5.96	-3.88	2.15	-0.08	0.00	-0.08	0.00
4 रबर पार्क इंडिया (प्रा.) लिमिटेड														
2009-10	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	30.15	2.76	1.95	0.33	1.62	0.00
2010-11	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	29.68	7.30	0.63	1.10	-0.47	0.00
*2011-12	20.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	29.68	7.30	0.63	1.10	-0.47	0.00
5 रबरवूड इंडिया (प्रा.) लिमिटेड														
2009-10	3.53	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	3.19	14.80	-8.53	9.47	-1.95	0.00	-1.95	0.00
2010-11	3.53	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	3.19	17.83	-11.55	9.87	-3.02	0.00	-3.03	0.00
2011-12	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	20.72	-13.04	8.83	-2.88	0.00	-2.89	0.00

* *अपनाये गये अनंतिम आंकड़े*

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों/ निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
कोल एवं लिग्नाइट														
6 इन्टरनेशनल कोल वेंचर्स प्रा. लिमिटेड														
2009-10	1.68	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.30	1.31	0.00	-0.30	0.00	-0.30	0.00
2010-11	9.80	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	-4.41	0.00
2011-12	13.80	0.00	0.00	9.80	0.00	0.00	4.00	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कोल एवं लिग्नाइट														
7 एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड														
2009-10	455.00	0.00	0.00	422.00	33.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	500.00	0.00	0.00	445.00	55.00	0.00	0.00	0.04	499.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	841.50	0.00	0.00	445.00	55.00	0.00	341.50	0.04	841.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ठेका एवं निर्माण सेवाएं														
8 कच्छ रेलवे कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	200.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	92.00	0.00	280.26	291.18	97.85	9.25	88.60	20.00
2010-11	200.00	0.00	8.00	100.00	0.00	0.00	92.00	0.00	298.67	300.54	60.37	18.95	41.42	20.00
2011-12	250.00	0.00	10.00	125.00	0.00	0.00	115.00	0.00	354.10	380.06	123.20	38.71	84.49	25.00
9 पीपावव रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड														
2009-10	196.00	98.00	0.00	0.00	0.00	10.00	88.00	98.49	97.51	76.61	-23.80	0.04	-18.03	0.00
2010-11	196.00	98.00	0.00	0.00	0.00	10.00	88.00	95.03	100.97	89.56	3.45	0.00	3.45	0.00
2011-12	196.00	98.00	0.00	0.00	0.00	10.00	88.00	39.73	160.67	151.28	43.67	-11.63	55.30	0.00
वित्तीय सेवाएं														
10 कृषि विकास वित्त (तमिलनाडु) लिमिटेड														
2009-10	9.98	0.00	1.80	0.00	0.00	7.78	0.40	0.07	10.50	0.52	0.61	0.14	0.47	0.00
2010-11	9.98	0.00	1.80	0.00	0.00	7.78	0.40	0.00	11.12	0.57	1.17	0.25	0.92	0.00
2011-12	9.98	0.00	1.80	0.00	0.00	7.78	0.40	0.00	12.35	2.66	1.54	0.61	0.93	0.00

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों/ निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
11 कृषि वित्त निगम लिमिटेड														
2009-10	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	19.38	30.43	1.58	0.52	1.07	0.00
2010-11	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.71	49.78	1.71	0.38	1.33	0.00
2011-12	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	22.59	56.43	4.69	1.94	2.75	0.75
12 एग्रीक्लचरल इंशोरेन्स कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड														
2009-10	200.00	0.00	0.00	140.00	0.00	60.00	0.00	0.00	2664.42	1022.52	36.42	3.02	33.40	0.00
2010-11	200.00	0.00	0.00	140.00	0.00	60.00	0.00	0.00	2924.74	1275.92	572.94	192.65	380.29	20.00
2011-12	200.00	0.00	0.00	140.00	0.00	60.00	0.00	0.00	1592.11	1320.21	744.55	242.42	502.13	25.00
13 आलबैंक फाईनेंस लिमिटेड														
2009-10	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	44.59	10.51	9.63	2.48	7.15	0.00
2010-11	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	47.36	5.59	4.36	1.56	2.80	0.00
2011-12	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	50.26	1.11	3.52	0.62	2.90	0.00
14 आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड														
2009-10	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	18.31	-13.31	1.08	0.92	0.15	0.77	0.00
2010-11	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	17.60	-12.60	0.96	0.77	0.06	0.71	0.00
2011-12	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	12.69	-7.69	1.47	6.14	1.23	4.92	0.00
15 एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड														
2009-10	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	116.46	8.23	4.80	1.06	3.74	0.00
2010-11	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	119.06	14.47	12.51	4.19	8.32	4.90
2011-12	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	121.72	19.91	12.70	2.05	10.65	4.90
16 बैक नोट पेपर मिल इंडिया प्रा. लिमिटेड														
2010-11	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	2.79	197.21	0.00	-2.79	0.00	-2.79	0.00
2011-12	400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	2.81	397.19	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों/ निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
17 भारतीय रिर्जव बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड														
2009-10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	118.51	11.11	9.25	2.80	6.45	0.00
2010-11	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	122.57	10.65	5.96	1.90	4.06	0.00
2011-12	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	129.94	17.70	11.18	3.81	7.37	0.00
18 बीओबी कपिटल मार्केट लिमिटेड														
2009-10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	118.51	11.11	9.25	2.80	6.45	0.00
2010-11	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	122.57	10.65	5.96	1.90	4.06	0.00
2011-12	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	129.94	17.70	11.18	3.81	7.37	0.00
19 बीओबी कार्डस लिमिटेड														
2009-10	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	71.83	103.17	65.48	-7.16	3.47	-10.63	0.00
2010-11	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	61.56	113.44	59.37	10.37	0.10	10.27	0.00
2011-12	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	0.00	53.38	126.24	58.63	13.42	0.62	12.80	0.00
20 बीओआई शेयरहोल्डिंग कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.98	0.00	21.85	13.24	10.26	3.29	6.97	2.00
2010-11	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.98	0.00	24.50	12.68	7.46	2.47	4.98	2.00
2011-12	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.98	0.00	24.86	8.25	3.98	1.30	2.68	2.00
21 कैनरा बैंक सिक्योरिटिज लिमिटेड														
2009-10	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	109.22	14.66	8.13	1.35	6.78	4.00
2010-11	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	110.93	13.28	7.97	1.58	6.39	4.00
2011-12	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	115.26	32.80	11.23	2.21	9.02	4.00
22 केनरा रेवको एसेट मैनेजमेंट कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85	10.25	0.00	34.80	35.85	7.40	1.17	6.23	0.00
2010-11	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85	10.25	0.00	40.91	39.34	8.64	2.53	6.11	0.00
2011-12	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9.85	10.25	0.00	45.10	39.93	4.64	0.44	4.20	0.00

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों/ निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
23 कैनबैंक फैक्टर्स लिमिटेड														
2009-10	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	145.41	84.34	36.55	12.18	24.37	3.20
2010-11	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	159.98	93.62	29.02	10.77	18.25	0.00
2011-12	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	173.13	118.12	25.50	8.64	16.86	3.20
24 कैनबैंक फाईनेंसियल सर्विसिज लिमिटेड														
2009-10	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	127.23	-97.23	0.37	3.10	0.52	2.58	0.00
2010-11	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	119.86	-89.86	0.97	8.57	1.20	7.37	0.00
2011-12	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	109.32	-79.32	0.00	13.18	2.64	10.54	0.00
25 कैनबैंक वेंचर्स कैपिटल फन्ड लिमिटेड														
2009-10	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	4.54	1.15	1.08	0.37	0.71	0.12
2010-11	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	8.33	6.37	6.12	2.03	4.08	0.25
2011-12	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	15.10	10.13	10.45	3.38	7.06	0.25
26 सैंट बैंक होम फाईनेंस लिमिटेड														
2009-10	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	49.31	26.06	7.20	1.76	5.45	2.00
2010-11	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	55.21	28.35	12.14	2.74	9.39	3.00
2011-12	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	57.44	34.41	7.93	2.21	5.71	3.00
27 सैंटबैंक फाईनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड														
2009-10	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	12.09	7.64	6.58	2.25	4.33	0.00
2010-11	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	19.32	36.86	11.01	3.77	7.23	0.00
2011-12	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	28.17	16.81	15.07	5.06	10.02	1.00
28 कार्पबैंक सेक्यूरीटीज लिमिटेड														
2009-10	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	125.79	8.11	9.20	1.79	7.40	0.00
2010-11	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	132.58	9.45	9.74	2.95	6.79	0.00
2011-12	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	138.12	13.81	14.33	2.27	12.07	0.00
29 कार्डेक्स इंडिया लिमिटेड														
2011-12	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	14.19	0.00	0.72	0.23	0.49	0.00

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों/ निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
30 क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड														
2009-10	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.87	2.64	0.00	218.99	137.88	124.22	37.03	87.19	4.76
2010-11	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.34	3.18	0.00	302.75	170.87	134.10	43.15	90.96	6.19
2011-12	28.55	0.00	0.00	0.00	0.00	21.58	6.97	0.00	377.11	206.29	149.51	41.97	107.54	28.55
31 आईडीबीआई एसैट मैनेजमेंट लिमिटेड														
2010-11	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	26.52	23.48	3.05	-25.06	1.46	-26.52	0.00
2011-12	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	25.00	17.64	27.19	8.94	-19.25	1.24	-20.49	0.00
32 आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड														
2009-10	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10	0.00	0.00	297.72	52.07	15.71	1.06	14.64	12.81
2010-11	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10	0.00	0.00	299.17	62.35	5.35	0.93	4.43	2.56
2011-12	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10	0.00	0.00	309.84	93.57	37.97	12.40	25.57	12.81
33 आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड														
2009-10	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13	0.00	0.00	19.36	122.69	5.56	1.92	3.64	0.00
2010-11	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13	0.00	0.00	22.52	143.73	7.01	2.32	4.69	1.31
2011-12	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	13.13	0.00	0.00	25.79	184.39	4.89	0.85	4.04	0.66
34 आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड														
2010-11	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.23	0.17	0.03	0.01	0.03	0.00
2011-12	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.44	0.46	0.30	0.09	0.21	0.00
35 आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड														
2009-10	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.01	0.00	39.63	24.17	18.36	6.29	12.07	1.01
2010-11	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.03	0.00	51.69	28.97	23.84	7.90	15.94	3.32
2011-12	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.03	0.00	65.88	34.58	31.44	10.24	21.20	6.03
36 इन्डबैंक हाउसिंग लिमिटेड														
2009-10	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	2.40	76.22	-60.39	2.49	-3.82	0.00	-3.82	0.00
2010-11	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	2.40	79.14	-63.30	3.92	-3.98	-1.07	-2.92	0.00
2011-12	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	2.40	91.62	-75.79	0.38	-8.00	4.48	-12.48	0.00

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों/ निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
37 इन्डबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड														
2009-10	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	28.77	15.60	0.00	50.48	23.57	2.30	3.96	-1.65	0.00
2010-11	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	28.77	15.60	3.83	40.55	6.58	-8.60	1.33	-9.93	0.00
2011-12	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	28.77	15.60	3.71	40.66	7.78	1.46	1.35	0.11	0.00
38 इन्डफन्ड मैनेजमेंट लिमिटेड														
2009-10	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	48.71	0.00	8.59	40.12	0.07	5.46	1.87	3.59	0.00
2010-11	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	48.71	0.00	0.00	59.36	5.15	5.83	4.64	1.19	0.00
2011-12	48.71	0.00	0.00	0.00	0.00	48.71	0.00	0.00	64.80	6.59	6.00	2.35	3.65	0.00
39 इंडिया फर्स्ट लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	52.04	453.14	201.60	-44.79	0.00	-44.79	0.00
2010-11	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	116.79	338.27	798.13	-64.75	0.00	-64.75	0.00
2011-12	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	150.00	189.37	415.80	1294.38	-72.57	0.00	-72.57	0.00
40 इंडिया एसएमई एसैट रीकंस्ट्रसंन कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.70	0.30	0.00	101.40	0.25	3.25	1.13	2.11	0.00
2010-11	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.70	0.30	0.00	103.74	0.95	3.57	1.23	2.34	0.00
2011-12	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.70	0.30	0.00	105.28	1.95	2.31	0.76	1.54	0.00
41 एलआईसी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड														
2011-12	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.86	-1.86	0.31	-0.90	0.00	-0.89	0.00
41 एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड														
2010-11	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	14.73	0.03	-0.22	0.00	-0.22	0.00
2011-12	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.15	14.73	1.39	-0.22	-0.07	-0.15	0.00
43 एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड														
2010-11	53.79	0.00	0.00	0.00	0.00	47.87	5.92	143.88	375.62	1.57	-57.80	0.00	-57.80	0.00
2011-12	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.10	41.81	146.80	372.86	59.86	-2.92	0.00	-2.92	0.00

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों/ निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
44 नाबार्ड कंसलटेंसी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड														
2009-10	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99	0.01	0.00	21.63	9.97	6.63	2.31	4.32	0.50
2010-11	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99	0.01	0.00	26.85	14.81	8.73	2.94	5.79	0.50
2011-12	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	32.66	17.37	9.62	3.12	6.50	0.60
45 नाबार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड														
2009-10	6.31	0.00	0.36	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	9.99	0.05	0.59	0.18	0.41	0.00
2010-11	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16.01	0.00	0.00	19.78	2.20	0.18	0.10	0.09	0.00
2011-12	42.08	0.00	10.36	0.00	0.00	31.72	0.00	0.00	47.95	17.18	3.52	1.42	2.10	0.00
46 नेशनल पेमेंट कारपोरेशन लिमिटेड														
2009-10	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	40.30	17.58	11.51	0.00	11.51	0.00
2010-11	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	97.75	70.67	43.82	16.67	27.15	0.00
2011-12	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	124.14	99.11	38.43	12.95	25.48	0.00
47 नार्थ इस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड														
2009-10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	30.00	0.00	340.46	44.06	51.20	17.95	33.25	3.00
2010-11	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	30.00	0.00	382.08	63.15	62.43	16.78	45.65	4.00
2011-12	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	30.00	0.00	461.11	99.82	80.53	25.33	55.20	6.00
48 पीएनबी गिल्टस लिमिटेड														
2009-10	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	105.61	29.40	0.00	560.60	101.22	56.03	19.33	36.70	13.50
2010-11	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	105.35	29.66	0.00	572.28	100.79	44.04	13.47	30.58	16.20
2011-12	135.01	0.00	0.00	0.00	0.00	105.32	29.69	0.00	577.65	164.69	29.64	8.59	21.05	13.50

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों/ निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
49 पीएनबी हाऊसिंग फाईनेंस लिमिटेड														
2009-10	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	7.80	0.00	274.73	307.58	94.08	27.32	66.76	6.00
2010-11	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	7.80	0.00	336.43	358.97	97.51	28.14	69.37	6.60
2011-12	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.20	7.80	0.00	403.97	454.37	102.58	27.38	75.20	6.60
50 पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड														
2011-12	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	21.95	0.14	2.03	0.81	1.21	0.00
51 पीएनबी इंवेस्टमेंट सर्विसेज लिमिटेड														
2009-10	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.30	1.60	1.56	0.53	1.03	0.63
2010-11	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	24.68	10.63	10.06	3.34	6.72	2.00
2011-12	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	28.34	9.69	8.89	2.91	5.98	2.00
52 पीएनबी लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड														
2011-12	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.63	0.37	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
53 एसबीआई केपिटल मार्किट लिमिटेड														
2009-10	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	58.03	0.00	0.00	551.08	266.45	195.13	58.02	137.11	81.25
2010-11	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	58.03	0.00	0.00	655.12	633.46	545.82	171.09	374.73	232.13
2011-12	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	58.03	0.00	0.00	771.20	462.65	364.86	113.88	250.98	116.07
54 एसबीआई कार्डस एण्ड पेमेंटस सर्विसेज लिमिटेड														
2009-10	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.00	276.00	555.97	174.98	593.44	-153.53	1.06	-154.59	0.00
2010-11	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	314.00	550.29	281.00	713.73	38.75	0.81	37.94	0.00
2011-12	785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.00	314.00	519.93	315.70	713.73	38.75	0.81	37.94	0.00
55 एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड														
2009-10	290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	277.27	13.64	0.00	1112.69	112459.85	135.01	45.78	89.23	36.36
2010-11	218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	218.18	0.00	0.00	856.58	88712.49	85.36	28.42	56.94	27.27
2011-12	218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	218.18	0.00	0.00	875.91	98554.22	65.04	21.53	43.50	20.73

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों /निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
56 एसबीआई फन्ड मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड														
2009-10	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	18.50	0.00	232.46	196.81	113.85	37.97	75.87	24.00
2010-11	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	18.50	0.00	277.58	239.76	116.90	38.06	78.85	29.00
2011-12	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50	18.50	0.00	304.39	223.65	83.79	23.27	60.52	29.00
57 एसबीआई जनरल इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	39.00	10.99	642.11	-0.18	-9.54	1.45	-10.99	0.00
2010-11	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	39.00	37.82	615.28	-6.60	-26.81	0.00	-26.81	0.00
2011-12	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	39.00	133.16	519.99	-8.31	-95.46	-0.11	-95.35	0.00
58 एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड														
2009-10	154.26	0.00	0.00	0.00	0.00	154.26	0.00	0.00	575.17	433.69	10.79	4.21	6.58	0.95
2010-11	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	159.89	0.00	0.00	487.26	237.14	-152.34	-26.72	-125.62	2.22
2011-12	159.89	0.00	0.00	0.00	0.00	159.89	0.00	0.00	421.52	284.50	-90.44	24.71	-115.15	0.00
59 एसबीआई लाईफ इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	260.00	0.00	28143.12	10080.48	287.50	11.05	276.46	0.00
2010-11	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	260.00	0.00	39525.81	12204.47	394.51	28.17	366.34	0.00
2011-12	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	260.00	0.00	46916.46	12562.48	604.14	48.32	555.82	50.00
60 एसबीआई म्यूचुअल फन्ड ट्रस्टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड														
2009-10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	7.73	3.55	4.07	1.25	2.82	0.00
2010-11	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	10.44	3.91	4.06	1.35	2.72	0.00
2011-12	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	13.66	4.41	44.63	1.42	3.21	0.00
61 एसबीआई पेमेंट सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड														
2010-11	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	-0.76	0.00	-0.76	0.00

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों /निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
62 एसबीआई पेंशन फन्ड्स प्राईवेट लिमिटेड														
2009-10	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.07	0.01	0.04	0.01	0.03	0.00
2010-11	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.07	0.03	0.04	0.04	0.00	0.00
2011-12	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.26	19.74	0.04	-0.50	-0.17	-0.33	0.00
63 एसबीआई एसजी ग्लोबल सेक्यूरीटीज सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड														
2009-10	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	28.00	6.05	73.95	0.02	-4.16	0.13	-4.29	0.00
2010-11	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	28.00	7.43	72.57	5.93	-1.83	-0.48	-1.35	0.00
2011-12	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	28.00	0.00	72.82	10.01	0.37	0.12	0.25	0.00
64 एसआईडीबीआई ट्रस्टीज़ कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	2.30	0.55	0.68	0.21	0.47	0.00
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	2.82	0.55	0.74	0.22	0.52	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	3.39	0.58	0.83	0.26	0.57	0.00
65 एसआईडीबीआई वेंचर कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	19.99	11.51	8.73	2.99	5.75	3.75
2010-11	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	20.70	10.53	7.61	2.52	5.09	3.75
2011-12	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	21.83	11.97	8.53	3.05	5.49	3.75
66 एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड														
2009-10	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	4.97	7.72	7.15	12.58	1.15	0.10	1.06	0.00
2010-11	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42	5.45	4.45	10.42	17.24	3.96	0.69	3.27	0.00
2011-12	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	9.54	5.33	0.00	13.15	19.23	3.36	0.64	2.72	0.00

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनिया /निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
67 स्टार यूनियन डाई-ईची लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	65.00	41.06	907.35	530.09	-21.40	0.00	-21.40	0.00
2010-11	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	65.00	72.05	347.88	932.56	-19.97	0.00	-19.97	0.00
2011-12	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	65.00	123.74	295.37	1270.53	-51.70	0.00	-51.70	0.00
68 एसटीसीआई इंश्योरेंश लिमिटेड														
2009-10	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.90	30.10	0.00	784.35	9354.69	29.66	9.67	19.98	0.00
2010-11	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.90	30.10	0.00	789.69	8162.31	55.70	15.43	40.27	30.40
2011-12	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.90	30.10	0.00	800.94	147.88	68.35	21.82	46.52	30.40
69 सिंडबैंक सर्विसेज लिमिटेड														
2009-10	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	2.28	2.37	1.43	0.48	0.94	0.00
2010-11	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	3.11	2.37	1.24	0.41	0.83	0.00
2011-12	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	4.08	2.24	1.41	0.44	0.97	0.00
70 यूनियन केबीसी एसैट मैनेजमेंटस कम्पनी लिमिटेड														
2010-11	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.45	46.55	12.55	107.45	0.00	-5.54	0.21	-5.75	0.00
2011-12	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.45	46.55	37.29	82.71	2.18	-24.38	0.35	-24.74	0.00
71 यूनियन केबीसी ट्रस्टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड														
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.04	0.01	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.02	0.03	0.07	0.02	0.01	0.01	0.00
72 यूनीट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट एडवाईजरी सर्विसिज लिमिटेड														
2009-10	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	9.60	0.92	3.26	0.31	2.94	0.00
2010-11	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.00	0.00	10.05	0.91	0.62	0.18	0.45	0.00
2011-12	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	0.00	10.12	0.85	0.30	0.09	0.21	0.00

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों /निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
73 यूटीआई एसैट मैनेजमेंटस कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	749.80	442.75	266.47	95.02	171.45	43.13
2010-11	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	848.97	420.40	195.10	57.60	137.50	34.38
2011-12	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	0.00	943.92	388.38	181.95	46.80	135.15	34.38
74 यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नालॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड														
2009-10	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	98.77	64.66	12.17	1.98	10.18	0.30
2010-11	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25	0.00	0.00	138.80	125.99	37.15	13.05	24.10	3.12
2011-12	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	31.25	0.00	0.00	161.73	134.53	42.38	15.20	27.18	0.00
75 यूटीआई ट्रस्टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड														
2009-10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.91	1.45	1.20	0.41	0.79	0.00
2010-11	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.02	0.34	0.16	0.05	0.11	0.00
2011-12	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.10	0.25	0.12	0.04	0.08	0.00
इंड्रस्ट्रीयल डिवलपमैंट एंड टेक्नीकल कंसलटेंसी														
76 एप्टीको लिमिटेड														
2009-10	0.32	0.00	0.00	0.00	0.07	0.24	0.01	0.00	15.67	15.42	5.06	1.74	3.31	0.06
2010-11	0.97	0.00	0.00	0.00	0.21	0.72	0.04	0.00	17.57	11.94	3.15	1.08	2.07	0.15
2011-12	0.97	0.00	0.00	0.00	0.21	0.72	0.04	0.00	19.98	15.12	3.84	1.27	2.57	0.15
77 केंनबैंक कम्प्यूटर सिर्विसेज लिमिटेड														
2009-10	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	9.39	9.68	1.65	0.54	1.10	0.00
2010-11	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	10.64	12.24	1.90	0.64	1.26	0.00
2011-12	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	13.74	20.50	4.65	1.55	3.10	0.00

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों /निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
78 इंडिया एसएमई टेकनोलोजी सर्विसेज लिमिटेड														
2009-10	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00	4.97	0.13	0.25	0.08	0.17	0.00
2010-11	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	0.00	5.10	0.21	0.20	0.07	0.14	0.00
2011-12	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.40	0.00	5.35	0.46	0.36	0.11	0.25	0.00
79 इन्टैलीजेंट कम्यूनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड														
2009-10	1.00	0.00	0.00	0.36	0.40	0.00	0.24	0.00	2.17	14.13	1.10	0.37	0.73	0.00
2010-11	1.00	0.00	0.00	0.36	0.40	0.00	0.24	0.00	4.19	41.17	3.14	1.06	2.08	0.05
2011-12	1.00	0.00	0.00	0.36	0.40	0.00	0.24	0.00	7.14	44.24	4.77	1.65	3.12	3.12
80 आईटीसीओटी कंसलटेंसी एण्ड सिर्विसेज लिमिटेड														
2009-10	0.20	0.00	0.00	0.00	0.05	0.13	0.02	0.00	5.01	8.76	2.42	0.82	1.60	0.08
2010-11	0.20	0.00	0.00	0.00	0.05	0.13	0.02	0.00	6.74	9.28	2.74	0.91	1.83	0.09
2011-12	0.20	0.00	0.00	0.00	0.05	0.13	0.02	0.00	7.89	12.25	1.85	0.60	1.25	0.09
81 केआईटीसीओ लिमिटेड														
2009-10	0.20	0.00	0.01	0.00	0.01	0.10	0.08	0.00	10.47	16.23	5.81	1.93	3.88	0.04
2010-11	0.20	0.00	0.01	0.00	0.01	0.10	0.08	0.00	15.29	20.65	7.18	2.30	4.87	0.05
2011-12	0.20	0.10	0.01	0.04	0.01	0.04	0.00	0.00	22.43	28.56	10.64	3.44	7.20	0.05
82 नार्थ इस्टर्न इंडस्ट्रीयल एण्ड टेकनीकल कंसलटेंसी आर्गेनाइजेसन लिमिटेड														
2009-10	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	-3.10	0.43	-0.28	0.00	-0.28	0.00
*2010-11	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	-3.10	0.43	-0.28	0.00	-0.28	0.00
*2011-12	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	-3.10	0.43	-0.28	0.00	-0.28	0.00

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों /निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
83 यूपी इंडस्ट्रीयल एण्ड टेकनीकल कंसलटेंट्स लिमिटेड														
2009-10	0.30	0.00	0.00	0.00	0.02	0.28	0.00	0.00	2.59	4.69	0.31	0.13	0.18	0.00
2010-11	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.02	0.00	4.96	8.69	0.87	0.28	0.60	0.06
2011-12	0.30	0.00	0.00	0.15	0.02	0.13	0.00	0.00	5.15	9.20	-0.25	0.01	-0.26	0.00
84 वेस्ट बंगाल कंसलटेंसी आर्गेनाइजेशन लिमिटेड														
2009-10	0.15	0.00	0.00	0.00	0.04	0.11	0.00	0.00	2.38	4.63	0.87	0.27	0.60	0.04
2010-11	0.15	0.00	0.00	0.04	0.04	0.06	0.01	0.00	2.72	4.56	0.55	0.17	0.38	0.03
2011-12	0.15	0.00	0.00	0.00	0.05	0.10	0.00	0.00	3.17	6.65	0.70	0.22	0.48	0.03
खनिज एवं धातु														
85 दि विसरा स्टोन लाईम कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	87.29	43.34	0.00	43.88	0.00	0.03	0.03	81.64	5.67	47.53	620.63	0.00	620.63	0.00
2010-11	87.29	43.34	0.00	43.88	0.00	0.03	0.03	87.10	0.22	48.70	-5.45	0.00	-5.45	0.00
2011-12	87.29	43.34	0.00	43.88	0.00	0.03	0.03	93.96	-6.64	27.23	-6.87	0.00	-6.86	0.00
86 दि उड़ीसा मिनरल्स डिवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	0.60	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.20	0.00	793.16	78.18	112.26	37.82	74.44	11.16
2010-11	0.60	0.00	0.00	0.30	0.00	0.10	0.20	0.00	799.52	39.68	13.35	5.63	7.72	1.16
2011-12	0.60	0.00	0.00	0.30	0.01	0.09	0.19	0.00	802.36	1.53	8.28	4.84	3.44	0.52
पेट्रोलियम														
87 पेट्रोनेट सीसीके लिमिटेड														
2009-10	100.00	0.00	0.00	49.00	0.00	5.03	45.97	42.84	57.16	45.71	5.01	0.60	4.41	0.00
2010-11	100.00	0.00	0.00	49.00	0.00	5.03	45.97	33.93	66.07	49.75	11.13	2.22	8.91	0.00
2011-12	100.00	0.00	0.00	49.00	0.00	4.99	46.01	13.58	86.42	63.01	25.45	5.10	20.34	0.00

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों /निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
88 पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड														
2009-10	100.00	0.00	0.00	60.00	0.00	20.00	20.00	41.30	61.03	0.00	-0.95	0.00	-0.95	0.00
2010-11	100.00	0.00	0.00	60.00	0.00	20.00	20.00	42.77	59.56	0.00	-1.46	0.00	-1.47	0.00
2011-12	100.00	0.00	0.00	60.00	0.00	20.00	20.00	43.02	59.31	0.00	-0.25	0.00	-0.25	0.00
89 पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड														
2009-10	548.70	0.00	0.00	315.68	0.00	189.64	43.38	147.66	401.04	61.99	12.40	7.41	4.99	0.00
2010-11	548.70	0.00	0.00	315.68	0.00	189.64	43.38	167.10	381.60	69.35	-44.98	-25.54	-19.44	0.00
2011-12	548.71	0.00	0.00	359.02	0.00	189.69	0.00	130.60	418.11	71.47	52.78	0.00	52.78	0.00
90 रत्ना गिरी गैस एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड														
2009-10	2297.00	0.00	314.20	1185.80	0.00	500.00	297.00	650.74	1646.26	3739.19	48.80	-0.03	48.83	0.00
2010-11	2297.00	0.00	411.20	1385.80	0.00	500.00	0.00	145.83	2151.17	4498.94	566.13	61.22	504.91	0.00
2011-12	2583.36	0.00	411.20	1553.80	0.00	500.00	118.36	0.00	3383.53	5177.15	1361.74	272.50	1089.2	123.25
ऊर्जा														
91 अरावली पावर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड														
2009-10	1317.05	0.00	0.00	658.53	658.52	0.00	0.00	0.55	1316.34	0.00	-0.33	0.00	-0.33	0.00
2010-11	1967.99	0.00	0.00	658.53	658.52	0.00	650.94	38.20	1929.79	47.18	-37.64	0.00	-37.64	0.00
2011-12	2214.03	0.00	0.00	1089.51	1089.51	0.00	35.01	4.04	2209.99	1406.76	42.70	8.55	34.15	0.00
92 बोकारो पावर सप्लाय कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड														
2009-10	218.05	0.00	0.00	168.05	0.00	0.00	50.00	0.00	440.46	589.49	58.63	21.55	37.07	2.71
2010-11	218.05	0.00	0.00	168.05	0.00	0.00	50.00	0.00	472.67	622.40	52.89	17.54	35.35	2.71
2011-12	248.05	0.00	0.00	168.05	0.00	0.00	80.00	0.00	530.79	671.13	45.26	13.99	31.27	2.71
93 सीआईएल एनटीपीसी उर्जा प्रा. लि.														
2010-11	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.10	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05	0.08	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों /निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
94 गैस एण्ड पावर इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	0.55	2.20	175.48	-0.08	0.00	-0.08	0.00
*2010-11	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	0.55	2.20	175.48	-0.08	0.00	-0.08	0.00
*2011-12	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	0.55	2.20	175.48	-0.08	0.00	-0.08	0.00
95 नेशलन हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड														
2009-10	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	2.24	1.26	0.00	-2.24	0.00	-2.24	0.00
2010-11	10.50	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	2.30	8.20	0.00	-0.06	0.00	-0.06	0.00
2011-12	56.38	0.00	0.00	10.50	0.00	0.00	45.88	2.30	54.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96 एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड														
2009-10	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	3.11	46.89	2.30	-1.49	0.72	-2.21	0.00
2010-11	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.23	105.11	16.22	6.96	9.26	2.50
2011-12	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.30	143.83	17.70	4.64	13.06	0.00
97 एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	905.50	0.00	425.00	425.00	0.00	0.00	55.50	1.13	904.37	0.00	-0.07	0.00	-0.07	0.00
2010-11	1282.00	0.00	581.00	581.00	0.00	0.00	120.00	1.20	1280.80	0.00	-0.07	0.00	-0.07	0.00
2011-12	1798.00	0.00	844.00	844.00	0.00	0.00	110.00	2.52	1795.48	0.00	-1.32	0.00	-1.32	0.00
98 एनटीपीसी-सेल पावर सप्लाय कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड														
2009-10	950.50	0.00	0.00	950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1134.55	945.11	126.37	42.44	83.93	29.00
2010-11	950.50	0.00	0.00	950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1204.48	1411.85	285.05	93.71	191.34	104.56
2011-12	950.50	0.00	0.00	950.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1266.15	1748.46	311.94	117.72	194.23	114.06
99 एनटीपीसी-एससीसीएल ग्लोबल वेंचर्स प्राईवेट लिमिटेड														
2009-10	0.10	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.01	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.10	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.01	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.10	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.01	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों /निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
इस्पात														
100 नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड														
2009-10	421.15	0.00	0.00	307.74	105.12	0.00	8.29	0.00	833.11	1476.14	57.47	19.53	37.93	0.00
2010-11	681.55	0.00	0.00	339.74	152.84	0.00	188.98	0.00	1000.09	1531.80	-173.14	0.00	-173.14	0.00
2011-12	602.65	0.00	0.00	411.14	160.47	21.36	9.69	0.00	997.67	1931.22	43.59	14.14	29.44	0.00
101 आरआईएनएमओआईएल फेरो एलवाईज प्राईवेट लिमिटेड														
2009-10	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
2010-11	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102 सेल एमओआईएल फेरो एलाय लिमिटेड														
2009-10	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	4.20	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	4.00	0.01	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
व्यापार एवं विपणन														
103 सेंट्रल रेलसाईड वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	40.56	0.00	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	54.37	35.36	11.18	3.03	8.15	0.00
2010-11	40.56	0.00	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	60.17	50.91	11.39	4.12	7.33	1.22
2011-12	40.56	0.00	0.00	40.56	0.00	0.00	0.00	0.00	71.12	73.88	19.32	6.01	13.31	2.03
दूरसंचार सेवाएं														
104 तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेश लिमिटेड														
2009-10	22.66	0.00	0.00	6.95	6.68	0.11	8.92	0.00	-23.16	35.03	-2.10	0.00	-2.10	0.00
2010-11	45.68	0.00	0.00	22.38	6.68	7.69	8.92	0.00	3.19	13.64	-6.48	0.00	-6.48	0.00
2011-12	45.68	0.00	0.00	22.38	6.68	7.69	8.92	66.59	-10.14	10.99	-13.32	0.00	-13.33	0.00

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों /निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
परिवहन सेवाएं														
105 अहमदाबाद बडोदरा एक्सप्रेसवे कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	312.85	0.00	0.00	312.85	0.00	0.00	0.00	50.40	262.45	93.81	24.58	4.42	20.17	0.00
2010-11	312.85	0.00	0.00	312.85	0.00	0.00	0.00	14.09	298.76	115.77	45.35	9.04	36.31	0.00
2011-12	312.85	0.00	0.00	312.85	0.00	0.00	0.00	0.00	348.56	137.28	66.08	16.29	49.80	0.00
106 भरूच दहेज रेलवे कम्पनी लिमिटेड														
2011-12	131.35	0.00	0.00	32.50	27.06	0.00	71.79	0.84	130.51	2.75	-0.46	0.38	-0.84	0.00
107 कलकत्ता हल्दिया पोर्ट रोड़ कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	156.60	0.00	0.00	156.60	0.00	0.00	0.00	1.79	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	156.60	0.00	0.00	156.60	0.00	0.00	0.00	1.79	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	156.60	0.00	0.00	156.60	0.00	0.00	0.00	1.79	154.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108 चैन्नई-ईन्नोर पोर्ट रोड़ कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	122.80	0.00	30.00	46.05	0.00	0.00	46.75	0.00	122.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	180.80	0.00	30.00	70.05	0.00	0.00	80.75	0.00	180.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	228.95	0.00	30.00	70.05	0.00	0.00	128.90	0.00	228.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109 कोचिंन पोर्ट रोड़ कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	57.51	0.00	0.00	57.51	0.00	0.00	0.00	0.00	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	57.90	0.00	0.00	57.90	0.00	0.00	0.00	2.68	54.99	0.00	-2.68	0.00	-2.68	0.00
2011-12	45.00	0.00	0.00	44.80	0.00	0.00	0.20	22.53	22.47	6.34	-19.86	0.00	-19.86	0.00
110 दिल्ली एविएशन फ्यूल फैसिलीटी प्रा. लि.														
2010-11	164.00	0.00	0.00	121.36	0.00	0.00	42.64	0.00	198.67	96.05	53.77	19.10	34.67	0.00
2011-12	164.00	0.00	0.00	121.36	0.00	0.00	42.64	0.00	186.94	122.75	54.29	18.38	35.91	41.00
111 कृष्णापट्टनम रेल कम्पनी लिमिटेड														
2011-12	131.35	0.00	0.00	32.50	27.06	0.00	71.79	0.84	130.51	2.75	-0.46	0.38	-0.84	0.00

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों /निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
112 मुरादाबाद टोल रोड कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	60.34	-30.34	10.84	-13.41	0.00	-13.41	0.00
2010-11	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	63.80	-33.80	7.17	-3.46	0.00	-3.45	0.00
2011-12	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	73.44	-43.44	0.00	-9.64	0.00	-9.64	0.00
113 मूरूमूगांव पोर्ट रोड़ कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	58.30	0.00	0.00	43.50	0.00	0.00	14.80	0.00	62.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	62.30	0.00	0.00	43.50	0.00	0.00	18.80	0.00	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	58.40	0.00	0.00	43.50	0.00	0.00	14.90	0.00	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
114 मुम्बई जेएनपीटी पोर्ट रोड़ कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	146.05	0.00	0.00	97.05	9.00	0.00	40.00	0.00	231.90	42.75	10.69	1.96	8.73	0.00
2010-11	148.66	0.00	0.00	99.66	9.00	0.00	40.00	0.00	241.98	47.81	9.17	1.70	7.47	0.00
2011-12	148.66	0.00	0.00	97.05	9.00	0.00	42.61	0.00	274.70	66.78	41.21	8.49	32.72	0.00
115 न्यू मंगलोर पोर्ट रोड़ कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	78.60	0.00	0.00	58.95	0.00	0.00	19.65	0.00	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	78.60	0.00	0.00	58.95	0.00	0.00	19.65	0.00	78.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	96.91	0.00	0.00	58.95	0.00	0.00	37.96	0.00	96.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
116 परादीप पोर्ट रोड़ कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	190.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	40.00	21.59	167.41	8.09	-21.60	-0.01	-21.59	0.00
2010-11	190.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	40.00	48.94	140.31	17.64	-27.35	0.00	-27.35	0.00
2011-12	190.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	40.00	103.48	86.03	20.42	-54.54	0.00	-54.53	0.00

परिशिष्ट-IV (जारी)

₹ करोड़ में

श्रेणी/कम्पनी का नाम/वर्ष	31 मार्च को प्रदत्त शेयर पूंजी	केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकार द्वारा धारित शेयर पूंजी	केन्द्र सरकारी कम्पनियों/ नगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	राज्य सरकारी कम्पनियों/ निगमों द्वारा धारित शेयर पूंजी	वित्तीय संस्थानों/ बैंकों द्वारा धारित शेयर पूंजी	अन्य द्वारा धारित शेयर पूंजी	संचित हानि	निवल धन	कुल/ बिक्री	कर के पहले लाभ/ (हानि)	कर के लिए प्रावधान	कर के बाद लाभ/ (हानि)	लाभांश
117 सेल एससीआई शिपिंग प्रा. लिमिटेड														
2010-11	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.16	0.00	-0.04	0.00	-0.04	0.00
2011-12	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.03	0.17	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
118 तूतीकोरीन पोर्ट रोड़ कम्पनी लिमिटैड														
2009-10	74.36	0.00	0.00	69.36	0.00	0.00	5.00	0.00	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	76.63	0.00	0.00	69.36	0.00	0.00	7.27	0.00	76.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	84.36	0.00	0.00	69.36	0.00	0.00	15.00	0.00	83.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119 विशाखापतनम पोर्ट रोड़ कम्पनी लिमिटेड														
2009-10	37.30	0.00	0.00	18.70	0.00	0.00	18.60	17.90	19.29	4.99	-5.58	0.22	-5.80	0.00
2010-11	37.30	0.00	0.00	18.70	0.00	0.00	18.60	21.61	15.32	5.40	-3.56	0.16	-3.72	0.00
2011-12	37.30	0.00	0.00	18.70	0.00	0.00	18.60	23.46	13.84	5.94	-1.85	0.00	-1.85	0.00
सभी सैक्टरों के जोड़														
2009 – 10 (102)	**15041.57**	**141.57**	**779.37**	**5970.64**	**823.69**	**5579.73**	**1746.52**	**2229.60**	**51451.32**	**146137.14**	**2704.44**	**653.71**	**2056.49**	**306.36**
2010 – 11 (113)	**17259.65**	**141.57**	**1032.01**	**6660.50**	**893.53**	**5893.97**	**2638.05**	**2057.54**	**65890.15**	**126888.22**	**3352.54**	**1004.99**	**2343.23**	**571.68**
2011 - 12 (119)	**19605.52**	**141.67**	**1342.37**	**7900.21**	**1358.91**	**5928.98**	**2933.34**	**2106.45**	**76059.07**	**133349.99**	**4900.26**	**1339.08**	**3521.15**	**717.19**

परिशिष्ट-V

(पैरा सं.. 1.2.4 देखें)

क. सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के शेयरों/सरकारी शेयरों का बाजार पूँजीकरण

₹ करोड़ में

मंत्रालय/कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूँजी	31.3.2011 को बाजार मूल्य	31.3.2012 को बाजार मूल्य*	वर्ष 2011-12 के दौरान बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी	सरकारी शेयर का अंकित मूल्य	निवल धन का सरकारी शेयर	31. 3. 2011 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	31. 3.2012 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	वर्ष 2011-12 के दौरान बाजार मूल्य में की वृद्धि/कमी	पीई अनुपात
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जैव प्रौद्योगिकी										
1. भारत इम्युनोलोजिकल्स एण्ड बायोलोजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड										
	43.18	58.21	35.32	-22.89	25.59	16.59	34.49	20.93	-13.56	2.81
रसायन एवं उर्वरक										
2. हिन्दुस्तान आर्गेनीक केमिकल्स लिमिटेड										
	337.27	220.66	121.92	-98.74	309.48	12.85	129.70	71.66	-58.04	--
3. मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड										
	162.14	360.87	143.70	-217.17	95.85	-202.77	214.71	85.50	-129.21	1.28
4. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड										
	490.58	5129.00	3522.35	-1606.65	479.00	1712.60	5007.95	3439.22	-1568.73	27.79
5. राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड										
	551.69	4385.92	3125.31	-1260.61	510.31	2008.16	4057.00	2890.93	-1166.07	12.54
6. दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रेवैनकोर लिमिटेड										
	647.07	2546.23	1950.92	-595.31	637.77	158.68	2509.61	1922.86	-586.75	98.54
कोयला										
7. कोल इंडिया लिमिटेड										
	6316.36	219240.99	216714.44	-2526.55	5684.73	17608.52	197316.91	195043.02	-2273.89	26.87
8. नेयवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लिमिटेड										
	1677.71	17439.79	14386.36	-3053.43	1569.64	10970.67	16313.90	13457.60	-2856.30	10.19
वाणिज्य										
9. एमएमटीसी लिमिटेड										
	100.00	92650.00	78345.00	-14305.00	99.33	1411.50	4601.52	77821.03	73219.51	1107.84
10. दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड										
	60.00	1470.00	1530.90	60.90	54.61	527.02	1338.03	1393.47	55.44	92.95

बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में 31 मार्च अथवा पहले व्यापार के बन्द होने पर बाजार कीमत।

परिशिष्ट-V (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूँजी	31.3.2011 को बाजार मूल्य*	31.3.2012 को बाजार मूल्य*	वर्ष 2011-12 के दौरान बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी	सरकारी शेयर का अंकित मूल्य	निवल धन का सरकारी शेयर	31. 3. 2011 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	31. 3.2012 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	वर्ष 2011-12 के दौरान बाजार मूल्य में की वृद्धि/कमी	पीई अनुपात
संचार										
11. आईटीआई लिमिटेड										
	288.00[1]	924.48	681.12	-243.36	267.47	-480.81	858.57	632.56	-226.01	--
12. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड										
	630.00	2863.35	1723.05	-1140.30	354.38	1187.45	1610.62	969.21	-641.41	--
रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति										
13. भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड										
	80.00	13430.00	12185.60	-1244.40	60.69	4255.86	10188.27	9244.24	-944.03	14.68
14. बीईएमएल लिमिटेड										
	41.77	2863.90	2721.46	-142.44	22.50	1169.92	1542.60	1465.88	-76.72	47.54
वित्त										
15. बॉमर लॉरी इंवेस्टमेंट लिमिटेड										
	22.20	306.32	335.07	28.75	13.25	29.84	182.80	199.95	17.15	11.78
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम										
16. एंड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड										
	66.73	809.34	734.46	-74.88	60.86	25.54	710.67	684.11	-26.56	62.00
17. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड										
	489.52	100882.73	62891.08	-37991.65	331.51	17180.95	68319.24	42590.75	-25728.49	8.93
18. एचएमटी लिमिटेड										
	1203.35	4508.88	3113.63	-1395.25	751.85	334.89	4458.47	3078.83	-1379.64	--
19. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड										
	53.48	161.22	139.94	-21.28	41.01	-52.13	153.77	133.47	-20.30	--
खान										
20. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड										
	462.61	26937.72	24749.58	-2188.14	460.71	1181.13	26827.13	24647.97	-2179.16	76.52
21. नेशनल अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड										
	1288.62	24651.28	14097.49	-10553.79	1123.00	10209.33	5370.74	12285.61	6914.87	16.60

[1] *₹ 300 करोड़ के अधिमान्य शेयर पूंजी को छोड़कर*

परिशिष्ट-V (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूँजी	31.3.2011 को बाजार मूल्य	31.3.2012 को बाजार मूल्य*	वर्ष 2011-12 के दौरान बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी	सरकारी शेयर का अंकित मूल्य	निवल धन का सरकारी शेयर	31. 3. 2011 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	31. 3.2012 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	वर्ष 2011-12 के दौरान बाजार मूल्य में की वृद्धि/कमी	पीई अनुपात
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस										
22. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड										
	168.47	10220.97	8558.19	-1662.78	135.45	1480.99	1539.98	1289.45	-250.53	13.45
23. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड										
	361.54	22101.07	25282.64	3181.57	198.60	8192.51	12140.42	13888.10	1747.68	0.21
24. गेल (इंडिया) लिमिटेड										
	1268.48	58984.20	47561.56	-11422.64	727.41	12299.93	33824.36	27274.08	-6550.28	13.02
25. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड										
	339.01	12100.96	10278.78	-1822.18	173.08	6473.72	6177.97	5247.69	-930.28	11.28
26. इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड										
	2427.95	81154.31	63758.03	-17396.28	1916.16	43950.26	64047.50	50318.25	-13729.25	16.12
27. ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड										
	4277.76	248194.72	228688.21	-19506.51	2961.27	78000.49	184009.35	158309.67	-25699.68	8.99
28. ऑयल इंडिया लिमिटेड										
	240.45	31568.05	29687.70	-1880.35	188.60	13899.69	24760.29	23285.44	-1474.85	8.56
उर्जा										
29. एनएचपीसी लिमिटेड										
	12300.74	31182.38	24170.96	-7011.42	10623.37	20282.51	26930.24	20874.92	-6055.32	8.72
30. एनटीपीसी लिमिटेड										
	8245.46	159137.46	134153.71	-24983.75	6967.36	59107.29	134470.07	113358.97	-21111.10	14.54
31. पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड										
	1319.93	28722.86	24286.74	-4436.12	973.06	7355.10	25787.01	17904.33	-7882.68	8.01
32. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड										
	4629.73	47130.60	49954.74	2824.14	3214.02	10445.13	32718.77	34679.32	1960.55	15.35
33. रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड										
	987.46	25096.27	20297.22	-4799.05	659.61	3860.28	16763.91	13558.22	-3205.69	7.21

बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, मुम्बई में 31 मार्च अथवा पहले व्यापार के बन्द होने पर बाजार कीमत।

परिशिष्ट-V (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूँजी	31.3.2011 को बाजार मूल्य*	31.3.2012 को बाजार मूल्य*	वर्ष 2011-12 के दौरान बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी	सरकारी शेयर का अंकित मूल्य	निवल धन का सरकारी शेयर	31. 3. 2011 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	31. 3.2012 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	वर्ष 2011-12 के दौरान बाजार मूल्य में की वृद्धि/कमी	पीई अनुपात
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34. एसजेवीएन लिमिटेड										
	4136.63	9141.94	8149.15	-992.79	2666.61	5033.94	5893.21	5253.22	-639.99	7.63
रेलवे										
35. कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड										
	129.98	15753.91	12263.88	-3490.03	82.00	3536.64	9938.38	7736.68	-2201.70	13.97
इस्पात										
36. नेशनल मिनरल डिवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड										
	396.47	112379.88	63871.57	-48508.31	356.84	21966.47	101146.81	57487.22	-43659.59	8.79
37. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड										
	4130.53	70113.55	38847.59	-31265.96	3544.69	33768.07	60171.12	33337.81	-26833.31	10.55
38. एमओआईएल लिमिटेड										
	168.00	6628.44	4210.92	-2417.52	120.24	1747.00	5302.75	3368.74	-1934.01	10.25
अंतरिक्ष परिवहन										
39. ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड										
	28.00	966.14	765.10	-201.04	22.00	940.40	759.03	601.09	-157.94	58.05
40. दि शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड										
	465.80	4988.71	2887.95	-2100.76	296.94	3307.90	3633.78	2103.59	-1530.19	--
जोड़	61334.67	1497407.31	1240923.34	-256483.97	48780.85	404914.11	1101761.65	981955.59	-119806.06	

परिशिष्ट-V

(पैरा सं. **1.2.4** देखें)

ख. सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के शेयरों/सरकारी कम्पनियों शेयरों का बाजारी पूँजीकरण (सहायक)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूँजी	31.3.2011 को बाजार मूल्य	31.3.2012 को बाजार मूल्य	वर्ष 2011-12 के दौरान बाजार मूल्य में वृद्धि/कमी	सरकारी शेयर का अंकित मूल्य	निवल धन का सरकारी शेयर	31. 3. 2011 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	31. 3.2012 को सरकारी शेयर का बाजार मूल्य	वर्ष 2011-12 के दौरान बाजार मूल्य में की वृद्धि/कमा	पीई अनुपात
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
केमिकल्स एवं फर्टिलाइजर्स										
1. हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड										
	19.61	29.4	24.09	-5.31	11.06	-14.1	16.58	13.58	-3	9.53
पेट्रोलियम										
2. चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड										
	149	3322.8	2294.67	-1028.13	77.27	1984.98	1723.01	1189.88	-533.13	37.11
3. मंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड										
	1757.26	11279.93	11902.21	622.28	1552.51	6386.7	9965.63	10515.41	549.78	13.11
4. बॉमर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड										
	16.29	881.4	868.7	-12.7	10.06	360.29	544.7	536.85	-7.85	6.29
जोड़	1942.16	15513.53	15089.67	-423.86	1650.90	8717.87	12249.92	12255.72	5.80	

शेयरों में व्यापार नहीं किया गया: 1. हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, 2. हिन्दुस्तान फोटोफिल्म्स (मेनुफेक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड, 3. इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड, 4. इंडिया टूरिज्म डिवलपमैंट कारपोरेशन लिमिटेड, 5. केआईओसीएल लिमिटेड 6. इर्स्टन इनवेस्टमेंट लिमिटेड

मानी गयी सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां : 1. इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड, 2. इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड, 3. पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, 4. दि बिसरा स्टोन लाईम कम्पनी लिमिटेड, 5. उड़िसा मिनरल्स डेवलेपमेंड कम्पनी लिमिटेड, 6. तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड।

परिशिष्ट VI
(पैरा 1.3 और 1.3.1 देखें)
31 मार्च को निवेश और प्रतिफल
क. सांविधिक निगम

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	बिक्री/ टर्नओवर	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
नागर विमानन									
परिवहन सेवाएँ									
1. एयरपोर्ट आथॉरिटी आफ इंडिया									
2009-10	623.34	623.34	4365.40	2288.06	737.75	1550.31	7.93	516.15	1026.23
2010-11	655.61	655.61	4870.60	2250.79	893.36	1357.43	11.15	499.90	846.39
2011-12	656.56	656.56	5446.54	2419.73	1010.0	1409.64	44.71	505.93	859.01
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण									
व्यापार एवं विपणन									
2. सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन									
2009-10	68.02	37.42	890.59	193.26	24.25	169.00	4.60	33.40	130.48
2010-11	68.02	37.42	967.20	232.18	25.07	207.11	2.24	67.59	136.14
2011-12	68.02	37.42	1152.04	190.66	25.20	165.46	6.34	58.66	100.46
3 फूड कारपोरेशन आफ इंडिया									
2009-10	2552.73	2552.73	23320.38	2116.08	32.25	2083.83	2448.45	0.00	-364.62
2010-11	2587.73	2587.73	25566.56	3235.66	37.12	3198.54	3204.34	0.00	-5.80
2011-12	2649.67	2649.67	26686.92	5194.93	32.41	5162.52	5227.16	0.00	-64.63
ऊर्जा									
ऊर्जा									
4. दामोदर घाटी निगम									
2009-10	4654.55	1594.32	5578.03	1079.69	356.96	722.72	388.40	34.44	299.88
2010-11	5020.44	1728.77	5640.62	822.63	345.21	477.41	597.65	0.00	-120.23
2011-12	5286.90	1820.67	7440.80	626.58	613.41	13.17	871.24	0.00	-858.07
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग									
परिवहन सेवाएं									
5. नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया									
2009-10	44448.09	44448.09	0.00	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	55195.06	55195.06	0.00	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	64785.35	64785.35	0.00	4.83	4.83	0.01	0.01	0.00	0.00
जहाजरानी									
परिवहन सेवाएं									
6. इंलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया									
2009-10	0.94	0.94	0.00	13.80	13.77	0.03	0.00	0.03	0.00
2010-11	0.94	0.94	0.00	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.94	0.94	0.00	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
जोड़									
2009 – 10 (6)	**52347.67**	**49256.84**	**34154.40**	**5694.47**	**1168.56**	**4525.89**	**2849.38**	**584.02**	**1091.97**
2010 – 11 (6)	**63527.80**	**60205.53**	**37044.98**	**6565.11**	**1324.61**	**5240.49**	**3815.38**	**567.49**	**856.50**
2011 – 12 (6)	**73447.44**	**69950.61**	**40726.30**	**8456.52**	**1705.73**	**6750.80**	**6149.46**	**564.59**	**36.77**

परिशिष्ट VI
(पैरा 1.3 और 1.3.1 देखें)
31 मार्च को निवेश और प्रतिफल
क. सांविधिक निगम

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
नागर विमानन									
परिवहन सेवाएँ									
1. एयरपोर्ट आथॉरिटी आफ इंडिया									
142.50	0.23	7292.58	0.14	3284.98	0.47	394.14	49.57	15711.70	0.00
169.30	0.26	8057.38	0.11	3891.60	0.35	675.24	32.28	16025.05	0.00
171.90	0.26	8814.10	0.10	3978.16	0.35	1462.23	0.94	16795.46	0.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण									
व्यापार एवं विपणन									
2. सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन									
25.83	0.38	1234.35	0.11	1143.01	0.15	0.00	0.00	1999.21	0.00
27.19	0.40	1331.03	0.10	1247.30	0.17	0.00	0.00	2172.18	0.00
27.19	0.40	1422.07	0.07	1279.74	0.13	0.00	0.00	2328.00	0.00
3 फूड कारपोरेशन आफ इंडिया									
0.00	0.00	2127.97	-0.17	7616.40	0.27	5504.60	0.00	50851.30	424.20
0.00	0.00	2157.10	0.00	6168.28	0.52	4044.20	0.00	65036.33	430.00
0.00	0.00	2155.04	-0.03	6009.72	0.86	3959.34	3914.50	79310.57	494.64
ऊर्जा									
ऊर्जा									
4. दामोदर घाटी निगम									
0.00	0.00	20653.57	0.01	15962.40	0.05	11501.45	864.61	37441.05	0.00
0.00	0.00	16546.48	-0.01	12864.38	0.04	14937.00	0.00	39749.97	69.94
0.00	0.00	15414.15	-0.06	10501.24	0.00	16578.12	1700.00	43317.60	827.18
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग									
परिवहन सेवाएं									
5. नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया									
0.00	0.00	20653.57	0.01	15962.40	0.05	11501.45	864.61	37441.05	0.00
0.00	0.00	16546.48	-0.01	12864.38	0.04	14937.00	0.00	39749.97	69.94
0.00	0.00	15414.15	-0.06	10501.24	0.00	16578.12	1700.00	43317.60	827.18
जहाजरानी									
परिवहन सेवाएं									
6. इंलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया									
0.00	0.00	449.33	0.00	311.56	0.00	0.00	0.00	492.20	10.01
0.00	0.00	507.79	0.00	385.83	0.00	0.00	0.00	567.99	0.00
0.00	0.00	571.42	0.00	412.19	0.00	0.00	0.00	616.53	0.00
जोड़									
168.33	**0.00**	**89974.42**	**0.01**	**25063.78**	**0.18**	**22194.34**	**1999.96**	**178636.29**	**434.21**
196.49	**0.00**	**97883.03**	**0.01**	**20401.46**	**0.26**	**26231.91**	**1067.87**	**209801.55**	**499.94**
199.09	**0.00**	**107249.01**	**0.00**	**24854.45**	**0.27**	**39377.46**	**6508.83**	**251337.19**	**1321.82**

परिशिष्ट VI
(पैरा 1.3 और 1.3.1 देखें)
31 मार्च को निवेश और प्रतिफल
ख. सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
जैव प्रौद्योगिकी									
केमिकल्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स									
1. भारत इम्युनोलोजिकल्स एण्ड बायोलोजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	43.18	25.59	2.84	-2.01	1.56	-3.57	0.00	5.22	-8.79
2010-11	43.18	25.59	2.86	-2.78	1.37	-4.15	0.03	0.00	-4.18
2011-12	43.18	25.59	46.34	7.60	1.24	6.37	0.41	-6.60	12.56
रसायन एवं उर्वरक									
केमिकल्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स									
2. हिन्दुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड									
2009-10	19.61	0.00	20.04	7.40	1.63	5.76	2.70	0.00	3.06
2010-11	19.61	0.00	33.52	6.62	1.56	5.06	2.83	0.00	2.23
2011-12	19.61	0.00	51.60	5.36	1.55	3.81	1.29	0.00	2.52
3. हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड									
2009-10	337.27	309.48	567.46	-33.32	26.52	-59.85	23.23	0.00	-83.08
2010-11	337.27	309.48	784.32	72.34	25.74	46.60	20.88	0.00	25.72
2011-12	337.27	309.48	606.70	-30.97	23.36	-54.33	23.74	0.00	-78.07
उर्वरक									
4 मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड									
2009-10	162.14	95.85	210.66	134.92	40.98	93.94	87.06	0.00	6.88
2010-11	162.14	95.85	270.07	265.20	41.21	223.99	54.13	0.00	169.86
2011-12	162.14	95.85	319.82	212.32	40.34	171.99	60.00	0.00	111.99
5 नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड									
2009-10	490.58	479.00	1703.67	364.66	93.75	270.91	10.96	88.44	171.51
2010-11	490.58	479.00	1886.25	301.97	88.90	213.07	9.15	65.42	138.50
2011-12	490.58	479.00	1989.09	341.66	91.22	250.44	66.23	57.47	126.73
6 राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड									
2009-10	551.69	510.31	2765.17	520.32	105.56	414.76	70.55	109.34	234.87
2010-11	551.69	510.32	2938.80	533.41	112.62	420.79	66.10	109.57	245.12
2011-12	551.69	510.31	3571.18	566.23	142.44	423.79	49.33	125.22	249.24
7. दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रेवेनकोर लिमिटेड									
2009-10	647.07	637.77	1164.67	36.54	24.27	12.27	115.97	0.13	-103.84
2010-11	647.07	637.77	1403.74	134.39	42.63	91.76	141.09	0.00	-49.33
2011-12	647.07	637.77	1755.09	192.58	42.59	149.99	130.20	0.00	19.80

परिशिष्ट VI
(पैरा 1.3 और 1.3.1 देखें)
31 मार्च को निवेश और प्रतिफल
ख. सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
जैव प्रौद्योगिकी									
केमिकल्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स									
1. भारत इम्युनोलोजिकल्स एण्ड बायोलोजिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	20.12	-0.44	19.56	-0.18	0.00	0.00	27.74	23.06
0.00	0.00	15.95	-0.26	15.38	-0.27	0.00	0.00	30.55	27.23
0.00	0.00	28.35	0.44	21.15	0.30	0.00	0.00	73.93	14.83
रसायन एवं उर्वरक									
केमिकल्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स									
2. हिन्दुस्तान फ्लुरोकार्बन्स लिमिटेड									
0.00	0.00	-32.35	-0.09	15.68	0.37	43.83	0.00	27.10	49.00
0.00	0.00	-28.76	-0.08	20.29	0.25	42.52	0.00	42.55	46.77
0.00	0.00	-24.63	-0.10	-0.77	-4.95	18.71	0.00	32.59	44.25
3 हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड									
0.00	0.00	63.56	-1.31	275.44	-0.22	83.34	57.44	465.23	338.49
0.00	0.00	90.27	0.28	207.25	0.22	60.34	57.44	493.31	312.78
0.00	0.00	14.00	-5.58	45.96	-1.18	11.57	9.28	463.44	390.84
उर्वरक									
4 मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड									
0.00	0.00	-612.53	-0.01	294.11	0.32	738.53	529.95	660.56	787.06
0.00	0.00	-442.67	-0.38	282.26	0.79	643.75	640.23	638.23	617.20
0.00	0.00	-330.68	-0.34	436.20	0.39	773.54	773.54	809.58	505.20
5 नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड									
51.51	0.10	1582.14	0.11	2061.18	0.13	0.00	0.00	2888.04	0.00
41.70	0.09	1672.17	0.08	1463.57	0.15	191.22	0.00	3368.38	0.00
38.27	0.08	1754.43	0.07	963.85	0.26	1600.81	0.00	6408.38	0.00
6 राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड									
60.69	0.11	1837.14	0.13	3176.37	0.13	258.10	0.00	4878.04	0.00
60.69	0.11	2011.73	0.12	2542.70	0.17	351.71	0.00	3568.69	0.00
77.24	0.14	2171.20	0.11	2645.92	0.16	275.26	0.00	5615.61	0.00
7 दि फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स ट्रेवेनकोर लिमिटेड									
0.00	0.00	191.85	-0.54	972.99	0.01	161.65	161.65	1942.16	456.05
0.00	0.00	142.49	-0.35	1086.63	0.08	268.49	268.49	1837.13	505.38
0.00	0.00	162.25	0.12	1418.56	0.11	218.03	218.03	1906.08	485.58

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
कोयला									
कोयला एवं लिग्नाइट									
8. कोल इंडिया लिमिटेड									
2009-10	6316.36	6316.36	449.12	4246.43	9.49	4236.94	366.54	90.49	3779.92
2010-11	6316.36	5684.73	468.36	5129.51	6.08	5123.43	203.41	223.92	4696.10
2011-12	6316.36	5684.73	486.56	8985.64	6.96	8978.68	378.73	534.85	8065.10
9 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	1677.71	1569.64	4121.03	1892.33	253.89	1638.44	33.58	357.40	1247.46
2010-11	1677.71	1569.64	3949.56	2256.50	412.87	1843.63	159.07	386.22	1298.33
2011-12	1677.71	1569.64	4871.47	2563.61	430.18	2133.43	149.54	572.56	1411.33
वाणिज्य एवं उद्योग									
व्यापार एवं विपणन									
10. एमएमटीसी लिमिटेड									
2009-10	50.00	49.67	45124.19	759.02	13.33	745.69	412.62	116.83	216.24
2010-11	100.00	99.33	68854.49	576.11	12.47	563.64	371.86	70.14	121.64
2011-12	100.00	99.33	66325.19	664.44	12.00	652.44	576.42	5.29	70.72
11 दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड									
2009-10	60.00	54.61	21508.65	293.79	2.46	291.33	120.40	63.98	106.95
2010-11	60.00	54.61	19984.84	260.22	3.07	257.16	177.53	23.19	56.44
2011-12	60.00	54.61	30773.10	224.34	3.07	221.27	203.47	1.33	16.47
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी									
औद्योगिक विकास									
12. आई टी आई लिमिटेड									
2009-10	588.00	267.47	4660.32	-324.89	24.31	-349.20	109.56	0.00	-458.76
2010-11	588.00	267.47	2138.93	-260.53	22.27	-282.80	74.95	0.00	-357.75
2011-12	588.00	267.47	922.10	-278.37	21.30	-299.67	70.13	0.00	-369.80
दूरसंचार सेवाएं									
13 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड									
2009-10	630.00	354.37	3656.10	-947.37	1759.49	-2706.87	1.26	-355.11	-2353.01
2010-11	630.00	354.37	3673.95	-939.63	1410.15	-2349.78	451.95	0.19	-2801.92
2011-12	630.00	354.38	3373.25	-1664.41	1496.22	-3160.62	949.16	0.00	-4109.78
रक्षा									
औद्योगिक विकास									
14 भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड									
2009-10	80.00	60.69	5219.77	1161.50	115.94	1045.56	0.53	324.15	720.87
2010-11	80.00	60.69	5529.69	1283.62	122.04	1161.58	0.43	299.68	861.47
2011-12	80.00	60.69	5703.63	1196.25	120.80	1075.45	0.60	244.95	829.90

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिस्मपत्तियां	संचित हानि
कोयला									
कोयला एवं लिग्नाइट									
8. कोल इंडिया लिमिटेड									
2210.00	0.35	15583.30	0.24	10683.38	0.40	1464.30	0.00	23967.95	0.00
2463.38	0.39	17816.02	0.26	12811.57	0.40	1370.43	0.00	27653.13	0.00
6316.36	1.00	19564.75	0.41	13326.36	0.67	1173.54	0.00	30712.20	0.00
9 नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लिमिटेड									
335.54	0.20	10324.67	0.12	9919.97	0.17	4077.36	0.00	17975.65	0.00
385.87	0.23	11174.53	0.12	12063.89	0.15	4004.04	0.00	18342.00	0.00
469.76	0.28	12039.89	0.12	12936.36	0.16	3620.98	0.00	18148.79	0.00
वाणिज्य एवं उद्योग									
व्यापार एवं विपणन									
10. एमएमटीसी लिमिटेड									
45.00	0.90	1287.15	0.17	6155.65	0.12	0.00	0.00	11816.74	0.00
25.00	0.25	1379.73	0.09	7146.05	0.08	0.00	0.00	12676.22	0.00
25.00	0.25	1421.40	0.05	1022.18	0.64	0.00	0.00	12671.24	0.00
11 दि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड									
28.50	0.48	643.94	0.17	3035.36	0.10	0.00	0.00	8306.36	0.00
18.00	0.30	679.46	0.08	2156.32	0.12	0.00	0.00	7051.81	0.00
12.00	0.20	681.98	0.02	1078.45	0.21	0.00	0.00	6381.12	0.00
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी									
औद्योगिक विकास									
12. आई टी आई लिमिटेड									
0.00	0.00	2014.97	-0.23	2283.60	-0.15	7.28	0.00	8421.57	3622.45
0.00	0.00	1806.61	-0.20	2136.36	-0.13	0.00	0.00	8054.91	3975.20
0.00	0.00	1413.21	-0.26	1411.03	-0.21	0.00	0.00	7232.78	4344.99
दूरसंचार सेवाएं									
13 महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड									
0.00	0.00	9448.40	-0.25	7795.87	-0.35	0.00	0.00	34808.01	2353.01
0.00	0.00	1730.35	-1.62	10298.54	-0.23	2553.97	0.00	17969.44	4916.13
0.00	0.00	2536.70	-1.62	7545.46	-0.42	7000.00	0.00	18064.65	9006.93
रक्षा									
औद्योगिक विकास									
14 भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड									
153.60	1.92	4345.68	0.17	4146.25	0.25	0.73	0.00	9162.17	0.00
172.80	2.16	5002.57	0.17	4749.16	0.24	0.41	0.00	12991.16	0.00
166.40	2.08	5636.96	0.15	5468.02	0.20	0.01	0.00	14626.36	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
परिवहन उपस्कर									
15 बीईएमएल लिमिटेड									
2009-10	41.77	22.50	2974.65	400.70	32.22	368.48	48.93	96.70	222.85
2010-11	41.77	22.50	2802.61	279.02	33.64	245.39	58.63	36.99	149.76
2011-12	41.77	22.50	3648.37	198.80	43.92	154.88	88.43	9.21	57.24
वित्त									
वित्तीय सेवाएं									
16 बॉमर लॉरी इंवेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	22.20	13.25	20.13	21.70	0.00	21.70	0.00	0.59	21.11
2010-11	22.20	13.25	25.30	24.85	0.00	24.85	0.00	0.62	24.23
2011-12	22.20	13.25	30.40	29.98	0.00	29.98	0.00	1.55	28.43
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम									
उपभोक्ता उत्पाद									
17 हिन्दुस्तान फोटोफिल्म (मैनुफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	205.86	185.67	26.25	-22.10	32.12	-54.23	954.99	0.00	-1009.22
2010-11	206.86	185.67	37.18	-9.74	31.66	-41.40	1115.25	0.00	-1156.65
*2011-12	206.86	185.67	37.18	-9.74	31.66	-41.40	1115.25	0.00	-1156.65
भारी उद्योग									
18 भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड									
2009-10	489.52	331.51	34153.76	7082.16	458.01	6624.15	33.50	2280.01	4310.64
2010-11	489.52	331.51	43337.00	9604.52	544.12	9060.40	54.73	2994.47	6011.20
2011-12	489.52	331.51	49509.78	11149.60	800.00	10349.60	47.34	3262.30	7039.96
औद्योगिक विकास									
19 एंड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	67.74	55.96	191.87	101.94	3.93	98.01	22.51	0.11	75.38
2010-11	66.73	59.36	239.46	62.36	4.23	58.13	16.73	0.07	41.32
2011-12	66.73	60.86	304.08	32.76	4.26	28.49	16.50	0.15	11.85
20 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड									
2009-10	419.36	417.69	0.36	-79.49	12.10	-91.59	367.73	0.00	-459.32
2010-11	419.36	417.69	0.19	-174.17	11.99	-186.16	421.23	0.00	-607.39
2011-12	419.36	417.69	0.00	-147.08	10.53	-157.61	490.66	0.00	-648.27
21 एचएमटी लिमिटेड									
2009-10	1203.35	751.85	191.64	-29.26	3.92	-33.18	19.68	0.00	-52.91
2010-11	1203.35	751.85	200.86	-36.66	3.87	-40.52	38.71	0.00	-79.24
2011-12	1203.35	751.85	161.12	11.75	4.40	7.35	89.55	0.00	-82.20

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
परिवहन उपस्कर									
15 बीईएमएल लिमिटेड									
41.64	1.00	2036.38	0.11	2870.33	0.13	155.50	0.00	4363.86	0.00
41.64	1.00	2139.04	0.07	2822.34	0.09	140.90	0.00	4217.26	0.00
20.82	0.50	2172.09	0.03	2834.17	0.05	247.69	0.00	4844.80	0.00
वित्त									
वित्तीय सेवाएं									
16 बॉमर लॉरी इंवेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड									
16.87	0.76	48.99	0.43	1631	1.33	0.00	0.00	66.47	0.00
18.87	0.85	54.35	0.45	21.67	1.15	0.00	0.00	73.98	0.00
22.20	1.00	60.59	0.47	27.91	1.07	0.00	0.00	83.69	0.00
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम									
उपभोक्ता उत्पाद									
17 हिन्दुस्तान फोटोफिल्म (मैनुफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	-6828.41	0.15	241.43	-0.22	1467.63	1008.98	334.59	7056.39
0.00	0.00	-7984.06	0.14	209.22	-0.20	1593.73	1112.36	298.71	8213.04
0.00	0.00	-7984.06	0.14	-6390.34	0.01	1593.73	1112.36	298.71	8213.04
भारी उद्योग									
18 भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड									
1140.58	2.33	15917.36	0.27	12458.71	0.53	127.75	0.00	46916.67	0.00
1524.85	3.11	20153.84	0.30	15507.07	0.58	163.35	0.00	56961.42	0.00
1566.47	3.20	25373.21	0.28	25052.83	0.41	123.43	0.00	65093.69	0.00
औद्योगिक विकास									
19 एंड्रयू यूले एण्ड कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	83.91	0.90	229.06	0.43	95.35	58.44	416.72	93.20
0.00	0.00	124.13	0.33	246.98	0.24	81.28	44.16	416.53	51.87
0.00	0.00	136.18	0.09	202.61	0.14	68.51	0.68	444.60	39.18
20 हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड									
0.00	0.00	-3171.89	0.14	-1426.72	0.06	927.24	671.25	358.12	3647.99
0.00	0.00	-3779.28	0.16	-1806.91	0.10	1030.04	743.54	286.38	4255.38
0.00	0.00	-4427.55	0.15	-636.58	0.25	3811.62	1740.31	376.98	4903.65
21 एचएमटी लिमिटेड									
0.00	0.00	697.24	-0.08	470.64	-0.07	473.13	267.98	1532.52	506.11
0.00	0.00	618.00	-0.13	325.54	-0.12	538.00	533.70	1459.81	585.35
0.00	0.00	535.81	-0.15	212.88	0.03	402.35	341.85	1506.56	802.08

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
परिवहन उपस्कर									
22 स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड									
2009-10	53.48	41.01	139.84	-21.12	1.51	-22.64	5.37	0.00	-28.01
2010-11	53.48	41.01	174.76	-5.24	1.34	-6.57	10.54	0.00	-17.11
2011-12	53.48	41.01	226.74	-3.19	1.34	-4.53	15.41	0.00	-19.94
खान									
खान एवं धातु									
23 हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड									
2009-10	462.61	460.71	1429.85	300.38	81.04	219.34	3.49	61.16	154.68
2010-11	462.61	460.71	1257.58	358.47	20.84	337.63	2.42	111.11	224.10
2011-12	462.61	460.71	1638.18	618.51	144.06	474.45	1.53	149.49	323.44
24 नेशनल अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	644.31	561.50	5335.60	1476.53	319.39	1157.14	2.28	340.64	814.22
2010-11	1288.62	1123.00	6375.45	1954.81	430.06	1524.75	0.05	455.40	1069.30
2011-12	1288.62	1123.00	7038.23	1665.17	466.55	1198.62	0.87	348.25	849.50
पेट्रोलियम एण्ड नेचुरल गैस									
औद्योगिक विकास									
25 बॉमर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	16.29	0.00	1691.25	167.13	11.61	155.53	2.55	35.69	117.29
2010-11	16.29	0.00	2084.33	196.16	12.13	184.03	2.99	59.95	121.09
2011-12	16.29	0.00	2396.65	210.14	15.18	194.96	4.69	52.20	138.07
इंडस्ट्रीयल डिवलपमेंट एण्ड टेक्नीकल कंसलटेन्सी									
26 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड									
2009-10	56.16	50.77	1984.10	674.67	12.91	661.77	1.29	224.90	435.58
2010-11	168.47	135.45	2823.28	800.30	14.30	786.00	1.47	262.02	522.52
2011-12	168.47	135.45	3698.82	934.21	19.45	914.77	0.00	278.45	636.32
पेट्रोलियम									
27 भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	361.54	198.60	125643.84	4619.32	1242.32	3377.00	1010.95	828.43	1537.62
2010-11	361.54	198.60	153169.84	5168.83	1655.40	3513.43	1100.78	865.97	1546.68
2011-12	361.54	198.60	202057.83	6023.49	1884.87	4138.62	1799.59	572.90	1766.13
28 चैन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	149.00	0.00	29282.37	1088.26	267.14	821.12	137.36	80.54	603.22
2010-11	149.00	0.00	38201.16	1332.45	314.47	1017.97	254.46	251.99	511.52
2011-12	149.00	0.00	45396.52	456.58	365.42	91.16	249.38	-220.04	61.82

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
परिवहन उपस्कर									
22 स्कूटरर्स इंडिया लिमिटेड									
0.00	0.00	-30.94	0.91	21.97	-1.03	47.24	47.24	83.74	84.51
0.00	0.00	-48.05	0.36	41.83	-0.16	86.55	86.55	86.64	101.63
0.00	0.00	-67.99	0.29	-23.43	0.19	42.12	42.12	100.64	121.57
खान									
खान एवं धातु									
23 हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड									
0.00	0.00	1122.58	0.14	584.64	0.38	0.00	0.00	1506.96	0.00
92.52	0.20	1238.97	0.18	639.45	0.53	0.00	0.00	1818.50	0.00
0.00	0.00	1397.64	0.23	940.48	0.50	0.00	0.00	1842.40	0.00
24 नेशनल अल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड									
161.08	0.25	10395.58	0.08	8341.74	0.14	0.00	0.00	13275.10	0.00
257.72	0.20	11164.61	0.10	9153.40	0.17	0.00	0.00	14613.90	0.00
257.72	0.20	11715.08	0.07	12045.04	0.10	0.00	0.00	15407.39	0.00
पेट्रोलियम एण्ड नेचुरल गैस									
औद्योगिक विकास									
25 बॉमर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड									
37.46	2.30	461.96	0.25	406.42	0.38	0.00	0.00	934.08	0.00
42.34	2.60	533.84	0.23	448.54	0.41	0.00	0.00	1060.26	0.00
45.60	2.80	618.91	0.22	613.19	0.32	0.00	0.00	1159.85	0.00
इंडस्ट्रीयल डिवलपमेंट एण्ड टेक्नीकल कंसलटेन्सी									
26 इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड									
595.25	10.60	1114.71	0.39	946.78	0.70	0.00	0.00	2692.00	0.00
168.47	1.00	1442.12	0.36	732.13	1.07	0.00	0.00	3268.77	0.00
202.16	1.20	1844.05	0.35	1538.13	0.59	0.00	0.00	3529.80	0.00
पेट्रोलियम									
27 भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड									
506.16	1.40	13086.71	0.12	31516.09	0.11	3050.22	0.00	53272.36	0.00
506.16	1.40	14057.62	0.11	28663.66	0.12	3922.63	0.00	55932.34	0.00
397.70	1.10	14913.86	0.12	12772.99	0.32	2159.09	496.50	65528.31	0.00
28 चैन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	3462.09	0.17	6791.56	0.12	1116.64	0.00	9866.35	0.00
178.69	1.20	3765.93	0.14	7397.07	0.14	798.32	0.00	12239.54	0.00
0.00	0.00	3827.75	0.02	4280.81	0.02	834.55	0.00	14952.24	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
29 गेल (इंडिया) लिमिटेड									
2009-10	1268.48	727.41	25375.80	5210.29	561.82	4648.47	70.00	1438.63	3139.84
2010-11	1268.48	727.41	32907.09	5973.14	650.29	5322.85	82.86	1678.86	3561.13
2011-12	1268.48	727.41	40939.00	6247.18	790.71	5456.47	116.46	1686.17	3653.84
30 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	339.01	173.08	108598.68	4193.18	1164.40	3028.78	903.75	823.66	1301.37
2010-11	339.01	173.08	132669.97	4637.09	1406.95	3230.14	884.00	807.13	1539.01
2011-12	339.01	173.08	170384.50	5071.41	1712.93	3358.48	2139.24	307.81	911.43
31 इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	2427.95	1916.16	274406.17	18859.69	3227.14	15632.55	1526.46	3885.54	10220.55
2010-11	2427.95	1916.16	332897.93	16312.36	4546.67	11765.69	2669.83	1650.38	7445.48
2011-12	2427.95	1916.16	415979.15	14212.64	4867.79	9344.85	5590.54	-200.31	3954.62
32 मंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड									
2009-10	1761.85	0.00	36140.94	2196.67	389.33	1807.34	115.50	579.47	1112.38
2010-11	1761.85	0.00	43800.20	2233.28	391.42	1841.86	104.37	560.86	1176.63
2011-12	1757.26	0.00	57206.76	1887.30	433.87	1453.43	133.23	411.62	908.58
33 ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	2138.89	1585.77	60312.62	39641.45	14643.19	24998.27	14.42	8216.29	16767.56
2010-11	4277.76	3171.48	66154.88	43569.73	15925.65	27644.08	25.11	8694.97	18924.00
2011-12	4277.76	2961.27	76887.06	53816.42	16829.35	36987.07	34.83	11519.64	25432.60
34 ऑयल इंडिया लिमिटेड									
2009-10	240.45	188.60	9454.37	4379.83	481.09	3898.74	3.65	1284.57	2610.52
2010-11	240.45	188.60	11596.47	4805.26	478.14	4327.12	13.92	1425.47	2887.73
2011-12	240.45	188.60	16893.83	6142.31	1008.82	5133.49	9.37	1654.94	3469.18
उर्जा									
वित्तीय सेवाएं									
35 पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	1147.77	1030.45	8002.10	7938.70	3.81	7934.89	4921.41	656.23	2357.25
2010-11	1147.77	1030.45	10128.49	9867.77	5.05	9862.72	6318.58	924.56	2619.58
2011-12	1319.93	973.06	13014.85	12339.95	5.42	12334.53	8230.28	1072.51	3031.74
36 रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	987.46	659.61	6549.76	6538.13	2.15	6535.98	3886.78	647.78	2001.42
2010-11	987.46	659.61	8256.91	8252.72	3.04	8249.68	4773.05	906.70	2569.93
2011-12	987.46	659.61	10337.59	10053.46	3.27	10050.19	6257.33	975.83	2817.03

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
29 गेल (इंडिया) लिमिटेड									
951.36	0.75	16799.00	0.19	15068.17	0.31	1480.38	0.00	29850.06	0.00
951.36	0.75	19253.34	0.18	14483.14	0.37	2310.00	0.00	31798.60	0.00
1103.57	0.87	21624.48	0.17	17110.50	0.32	5346.85	0.00	38788.34	0.00
30 हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड									
406.35	1.20	11557.97	0.11	24651.86	0.12	3560.89	0.00	51223.42	0.00
474.08	1.40	12545.80	0.12	29639.59	0.11	6810.13	0.00	60369.22	0.00
287.83	0.85	13122.52	0.07	16365.00	0.21	6291.37	0.00	70993.26	0.00
31 इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड									
3156.34	1.30	50534.76	0.20	73654.16	0.21	18449.61	0.00	144160.67	0.00
2306.55	0.95	55317.17	0.13	96038.07	0.12	18651.99	0.00	172702.65	0.00
1213.98	0.50	57876.70	0.07	66057.15	0.14	21904.41	0.00	208945.24	0.00
32 मंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड									
210.31	0.12	5596.55	0.20	6043.82	0.30	1497.07	0.00	14576.04	0.00
210.31	0.12	6528.90	0.18	2915.56	0.63	1497.07	0.00	18472.14	0.00
175.26	0.10	7229.19	0.13	4491.49	0.32	3891.91	0.00	26148.75	0.00
33 ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड									
7058.28	3.30	86441.29	0.19	50601.54	0.49	4.97	0.00	131265.11	0.00
7486.05	1.75	96708.41	0.20	52067.80	0.53	0.00	0.00	147970.43	0.00
8341.61	1.95	112696.06	0.23	57643.41	0.64	0.00	0.00	171354.60	0.00
34 ऑयल इंडिया लिमिटेड									
817.54	3.40	13747.30	0.19	13032.50	0.30	37.50	0.00	18074.98	0.00
901.70	3.75	15766.35	0.18	15512.89	0.28	21.25	21.25	21263.81	0.00
1142.15	4.75	17739.54	0.20	17265.05	0.30	0.00	0.00	22690.97	0.00
उर्जा									
वित्तीय सेवाएं									
35 पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड									
516.50	0.45	13924.28	0.17	81048.72	0.10	64783.29	0.00	84775.57	0.00
599.71	0.52	15634.16	0.17	101260.72	0.10	79307.53	0.00	104631.39	0.00
791.97	0.60	20707.52	0.15	116564.63	0.11	95866.98	0.00	135570.80	0.00
36 रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड									
603.21	0.61	11080.33	0.18	66080.71	0.10	52868.23	49.42	69532.14	0.00
740.59	0.75	12788.62	0.20	81940.14	0.10	70003.82	36.13	86474.18	0.00
740.59	0.75	14563.04	0.19	90226.05	0.11	76553.68	15.14	108534.44	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
उर्जा									
37 एनएचपीसी लिमिटेड									
2009-10	12300.74	10623.3	4326.87	3892.41	1033.25	2859.16	457.08	311.58	2090.50
2010-11	12300.74	10623.3	4046.59	4208.73	916.74	3291.99	413.56	711.76	2166.67
2011-12	12300.74	10623.3	5654.69	4752.02	892.74	3859.28	342.24	745.27	2771.77
38 एनटीपीसी लिमिटेड									
2009-10	8245.46	6967.36	46377.69	15344.45	2650.06	12694.39	1808.93	2157.26	8728.20
2010-11	8245.46	6967.36	54938.68	16684.37	2485.69	14198.68	2149.08	2947.01	9102.59
2011-12	8245.46	6967.36	62480.88	16799.61	2791.70	14007.91	1681.75	3102.43	9223.73
39 पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड									
2009-10	4208.84	3634.91	7127.45	6149.25	1979.69	4169.56	1543.24	585.38	2040.94
2010-11	4629.73	3214.02	8388.70	7758.05	2199.39	5558.66	1733.93	1127.84	2696.89
2011-12	4629.73	3214.02	10035.33	8909.33	2572.54	6336.79	1739.19	1342.65	3254.95
40 एसजेवीएन लिमिटेड									
2009-10	4125.51	3081.61	1769.74	1623.68	433.28	1190.40	172.93	44.73	972.74
2010-11	4136.63	2666.61	1812.67	1758.78	444.21	1314.57	158.37	244.07	912.13
2011-12	4136.63	2666.61	1927.50	1875.54	446.00	1429.54	83.65	277.21	1068.68
रेलवे									
ठेका एवं निर्माण सेवाएं									
41 इर्कोन इंटरनेशनल लिमिटेड									
2009-10	9.90	9.87	3152.88	308.14	41.27	266.88	0.00	81.83	185.05
2010-11	9.90	9.87	3152.88	441.02	41.27	399.76	0.00	81.83	182.18
2011-12	9.90	9.87	3601.41	658.98	56.84	602.14	0.00	132.22	469.92
परिवहन सेवाएं									
42 कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड									
2009-10	129.98	82.00	3705.68	1141.71	135.10	1006.61	0.00	219.92	786.69
2010-11	129.98	82.00	3828.12	1200.95	145.23	1055.72	0.00	179.77	875.95
2011-12	129.98	82.00	4060.95	1340.27	158.49	1181.78	0.00	303.90	877.88
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग									
परिवहन सेवाएं									
43 दि शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड									
2009-10	423.45	339.28	3463.12	908.61	380.11	528.50	52.53	99.06	376.91
2010-11	465.80	296.94	3543.42	1186.10	465.10	721.00	64.36	89.29	567.35
2011-12	465.80	296.94	3820.80	656.00	608.72	47.28	387.30	88.19	-428.21
जहाजरानी									
परिवहन सेवाएं									
44 ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड									
2009-10	28.00	22.00	645.43	143.78	66.02	77.76	0.10	7.60	70.05
2010-11	28.00	22.00	457.86	115.19	70.32	44.87	0.00	5.35	39.51
2011-12	28.00	22.00	491.66	105.51	87.95	17.56	0.00	4.38	13.18

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
उर्जा									
37 एनएचपीसी लिमिटेड									
676.54	0.05	23273.19	0.09	20290.09	0.14	13868.22	219.00	43124.38	0.00
738.04	0.06	24583.89	0.09	18196.39	0.18	14569.26	1000.00	46481.14	0.00
861.06	0.07	26353.53	0.11	22224.63	0.17	16272.80	1398.44	52045.58	0.00
38 एनटीपीसी लिमिटेड									
3133.27	0.38	62052.17	0.14	56726.57	0.22	37783.63	0.00	112452.64	0.00
3133.26	0.38	67433.10	0.13	61527.99	0.23	43174.98	0.00	125041.33	0.00
3298.19	0.40	73291.17	0.13	70603.61	0.20	45908.27	0.00	140625.91	0.00
39 पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड									
631.34	0.15	16137.16	0.13	31301.94	0.13	33166.79	0.00	63343.43	0.00
810.23	0.18	21535.90	0.13	37389.50	0.15	39432.77	0.00	75477.06	0.00
976.89	0.21	23487.78	0.14	47913.42	0.13	49119.19	0.00	91893.56	0.00
40 एसजेवीएन लिमिटेड									
328.20	0.08	6653.76	0.15	8169.15	0.15	1681.88	0.00	10417.95	0.00
330.93	0.08	7205.52	0.13	8332.44	0.16	1654.23	0.00	11058.34	0.00
388.84	0.09	7822.28	0.14	8167.57	0.18	1501.34	0.00	11994.03	0.00
रेलवे									
ठेका एवं निर्माण सेवाएं									
41 इर्कोन इंटरनेशनल लिमिटेड									
36.62	3.70	1199.21	0.15	978.07	0.27	5.29	0.00	3519.68	0.00
36.62	3.70	1382.31	0.13	1062.32	0.38	0.00	0.00	4846.00	0.00
94.03	9.50	1742.94	0.27	1960.74	0.31	687.20	0.00	5338.99	0.00
परिवहन सेवाएं									
42 कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड									
181.98	1.40	4336.40	0.18	4107.70	0.25	0.00	0.00	5175.84	0.00
201.48	1.55	4977.81	0.18	4643.27	0.23	0.00	0.00	5757.08	0.00
214.47	1.65	5606.43	0.16	5436.46	0.22	0.00	0.00	6455.57	0.00
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग									
परिवहन सेवाएं									
43 दि शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड									
211.73	0.50	6337.00	0.06	7012.50	0.08	2696.86	0.00	10319.72	0.00
256.19	0.55	7168.13	0.08	9900.56	0.07	4715.15	0.00	12992.18	0.00
0.00	0.00	6734.32	-0.06	11747.06	0.00	5535.80	0.00	13990.35	0.00
जहाजरानी									
परिवहन सेवाएं									
44 ड्रेजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड									
8.40	0.30	1329.03	0.05	1029.90	0.08	0.00	0.00	1566.28	0.00
0.00	0.00	1368.55	0.03	1167.90	0.04	0.00	0.00	1546.09	0.00
0.00	0.00	1381.73	0.01	1569.63	0.01	259.95	0.00	1883.81	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
इस्पात									
खनिज एवं धातु									
45 केआईओसीएल लिमिटेड									
2009-10	634.51	628.14	992.72	-164.14	30.81	-194.95	0.00	-17.68	-177.27
2010-11	634.51	628.14	1803.46	130.60	30.65	99.95	0.00	23.68	76.27
2011-12	634.51	628.14	1521.08	156.30	40.90	115.39	0.00	21.09	94.30
46 एमओआईएल लिमिटेड									
2009-10	168.00	137.04	965.47	732.09	25.30	706.79	0.00	240.45	466.35
2010-11	168.00	120.24	1145.31	912.66	32.51	880.15	0.00	292.10	588.06
2011-12	168.00	120.24	905.68	636.54	29.92	606.63	0.00	195.86	410.77
47 नेशनल मिनरल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	396.47	356.84	6239.08	5280.48	73.16	5207.32	0.00	1760.06	3447.26
2010-11	396.47	356.84	11375.40	9848.70	121.52	9727.18	0.00	3227.96	6499.22
2011-12	396.47	356.84	11268.73	10943.89	182.93	10760.95	1.48	3494.08	7265.39
इस्पात									
48 ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड									
2009-10	1.44	0.96	9.57	11.93	0.00	11.93	0.00	0.85	11.07
2010-11	1.44	0.23	5.88	6.74	0.00	6.74	0.00	0.42	6.32
2011-12	1.44	0.23	0.88	2.22	0.00	2.22	0.00	0.52	1.70
49 स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड									
2009-10	4130.40	3544.69	44524.12	11871.28	1337.24	10534.04	402.01	3377.66	6754.37
2010-11	4130.40	3544.69	47785.09	9155.06	1485.80	7669.26	474.95	2289.57	4904.74
2011-12	4130.53	3544.69	51036.16	7534.77	1567.03	5967.74	677.70	1608.15	3681.89
पर्यटन									
पर्यटक सेवाएं									
50 इंडिया टूरिज्म डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	140.52	79.00	370.00	42.45	4.23	38.21	0.02	12.81	25.38
2010-11	85.77	79.00	367.18	0.16	5.60	-5.44	0.00	3.15	-8.59
2011-12	85.77	79.00	397.63	27.57	5.53	22.04	0.02	13.48	8.54
जोड़									
2009 10 (50)	**61101.88**	**49609.98**	**946749.46**	**160134.20**	**33613.85**	**126520.33**	**19844.40**	**31163.32**	**75512.54**
2010–11 (50)	**64466.97**	**50367.55**	**1143711.56**	**178231.37**	**37232.27**	**140999.14**	**24677.37**	**34089.65**	**82096.34**
2011–12 (50)	**64634.67**	**50101.45**	**1395785.14**	**198326.48**	**41318.36**	**157008.14**	**34003.06**	**34747.17**	**88257.92**

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
इस्पात									
खनिज एवं धातु									
45 केआईओसीएल लिमिटेड									
0.00	0.00	1927.91	-0.09	1893.79	-0.10	0.00	0.00	2146.41	0.00
15.86	0.02	1998.52	0.04	1922.97	0.05	0.00	0.00	2312.41	0.00
19.04	0.03	2070.62	0.05	2138.66	0.05	0.74	0.00	2347.53	0.00
46 एमओआईएल लिमिटेड									
94.08	0.56	1677.37	0.28	1608.97	0.44	0.00	0.00	1961.72	0.00
117.60	0.70	2128.29	0.28	2023.21	0.44	0.00	0.00	2441.18	0.00
84.00	0.50	2441.31	0.17	2458.09	0.25	0.00	0.00	2736.60	0.00
47 नेशनल मिनरल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड									
693.83	1.75	14250.45	0.24	13703.10	0.38	0.00	0.00	15682.99	0.00
1308.36	3.30	19200.08	0.34	18490.10	0.53	0.00	0.00	21083.69	0.00
1784.12	4.50	24396.27	0.30	22713.50	0.47	0.00	0.00	26560.55	0.00
इस्पात									
48 ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड									
1.66	1.15	272.84	0.04	9.25	1.29	0.00	0.00	279.74	0.00
0.95	0.66	278.05	0.02	16.11	0.42	0.00	0.00	283.31	0.00
0.26	0.18	279.45	0.01	18.12	0.12	0.00	0.00	284.52	0.00
49 स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड									
1363.03	0.33	33316.70	0.20	34725.28	0.30	7582.92	0.00	68391.40	0.00
991.30	0.24	37069.47	0.13	35025.27	0.22	10162.25	0.00	76082.99	0.00
826.10	0.20	39811.32	0.09	27460.92	0.22	11586.66	0.00	74927.09	0.00
पर्यटन									
पर्यटक सेवाएं									
50 इंडिया टूरिज्म डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड									
8.58	0.06	326.12	0.08	291.73	0.13	0.00	0.00	565.09	0.00
0.00	0.00	305.31	-0.03	242.09	-0.02	0.00	0.00	550.63	0.00
4.29	0.05	308.86	0.03	319.41	0.07	0.00	0.00	560.99	0.00
जोड़									
26473.03	**0.00**	**467865.10**	**0.16**	**626333.89**	**0.20**	**253763.35**	**3071.35**	**1143372.12**	**19017.32**
27609.87	**0.00**	**517709.19**	**0.16**	**715179.99**	**0.20**	**310152.11**	**4543.85**	**1297087.40**	**23607.96**
31965.95	**0.00**	**578472.44**	**0.15**	**712244.52**	**0.22**	**364702.69**	**6148.25**	**1512987.89**	**28872.14**

परिशिष्ट VI

(पैरा 1.3 और 1.3.1 देखें)

31 मार्च को निवेश और प्रतिफल

ग. असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
कृषि									
कृषि आधारित उद्योग									
1 एग्रीनोवेटिव इंडिया लिमिटेड									
2011-12	50.00	0.05	0.00	-0.68	0.00	-0.68	0.00	0.00	-0.68
2 लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड									
2009-10	6.50	6.50	3.91	17.41	0.31	17.10	8.18	3.08	5.84
2010-11	6.50	6.50	5.91	18.70	0.29	18.41	9.85	0.00	8.56
2011-12	6.50	6.50	0.98	46.31	0.35	45.97	8.99	0.00	36.98
3 नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	20.62	20.62	485.61	84.94	1.42	83.52	3.68	27.65	52.19
2010-11	20.62	20.62	660.42	64.48	1.60	62.88	10.36	15.13	37.38
2011-12	20.62	20.62	669.49	51.42	2.53	48.89	0.00	18.72	30.17
4 भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड									
2009-10	31.49	31.49	208.85	42.12	2.09	40.03	1.33	17.17	21.53
2010-11	31.49	31.49	232.91	52.52	2.19	50.34	1.54	18.93	29.87
2011-12	31.49	31.49	279.59	60.60	2.75	57.86	0.00	19.22	38.63
परमाणु ऊर्जा									
औद्योगिक विकास									
5 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	163.37	163.37	1187.40	83.11	8.40	74.72	20.30	12.41	42.01
2010-11	163.37	163.37	1381.70	59.67	8.82	50.85	28.49	-0.50	22.86
2011-12	163.37	163.37	1474.14	106.34	9.60	96.74	41.31	18.82	36.61
खनिज और धातु									
6 इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड									
2009-10	86.36	86.36	337.16	68.26	20.03	48.22	0.41	24.74	23.07
2010-11	86.36	86.36	388.66	74.20	20.25	53.94	1.51	20.54	31.89
2011-12	86.36	86.36	632.26	271.89	20.63	251.25	1.41	79.39	170.45
7 यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	1347.93	1347.93	521.59	142.12	66.61	75.52	0.00	31.59	43.93
2010-11	1439.62	1430.51	727.00	243.02	82.45	160.57	0.00	59.04	101.53
2011-12	1439.62	1439.62	682.19	176.28	71.84	104.44	18.17	21.42	64.84

परिशिष्ट VI
(पैरा 1.3 और 1.3.1 देखें)
31 मार्च को निवेश और प्रतिफल
ग. असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
कृषि									
कृषि आधारित उद्योग									
1 एग्रीनोवेटिव इंडिया लिमिटेड									
0.00	0.00	50.00	-0.01	49.32	-0.01	0.00	0.00	50.00	0.00
2 लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड									
0.00	0.00	30.14	0.19	30.09	0.57	0.00	0.00	294.06	0.00
0.00	0.00	38.71	0.22	38.63	0.48	0.00	0.00	453.49	0.00
0.00	0.00	75.68	0.49	75.68	0.61	0.00	0.00	567.97	0.00
3 नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड									
2.27	0.11	143.57	0.36	223.15	0.37	93.65	0.00	384.54	0.00
2.27	0.11	179.40	0.21	192.78	0.33	0.00	0.00	419.10	0.00
4.12	0.20	178.42	0.17	227.14	0.22	33.25	0.00	447.68	0.00
4 भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड									
1.57	0.05	128.01	0.17	141.38	0.28	0.00	0.00	260.42	0.00
1.57	0.05	139.80	0.21	156.53	0.32	0.00	0.00	314.33	0.00
1.57	0.05	203.79	0.19	238.30	0.24	0.00	0.00	412.82	0.00
परमाणु ऊर्जा									
औद्योगिक विकास									
5 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
14.70	0.09	592.82	0.07	754.46	0.10	0.00	0.00	2212.08	0.00
8.00	0.05	606.36	0.04	871.38	0.06	0.00	0.00	2175.69	0.00
9.15	0.06	632.06	0.06	706.41	0.14	120.60	0.00	2167.12	0.00
खनिज और धातु									
6 इण्डियन रेयर अर्थस लिमिटेड									
17.27	0.20	473.88	0.05	465.78	0.10	22.14	0.00	632.46	0.00
17.27	0.20	485.98	0.07	470.43	0.11	11.07	11.07	675.24	0.00
34.50	0.40	617.76	0.28	640.51	0.39	0.00	0.00	878.32	0.00
7 यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
11.60	0.01	1517.50	0.03	849.28	0.09	0.00	0.00	1996.03	0.00
25.50	0.02	1681.08	0.06	796.67	0.20	0.00	0.00	2328.48	0.00
16.25	0.01	1727.04	0.04	643.06	0.16	57.85	0.00	2488.79	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
विद्युत									
8 भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड									
2009-10	2702.85	2702.85	0.00	7.39	0.00	7.39	0.00	3.71	3.68
2010-11	3047.85	3017.85	0.00	21.70	0.00	21.70	0.00	7.07	14.62
2011-12	3952.85	3892.85	0.00	13.86	0.00	13.86	0.00	4.39	9.47
9 एनपीसीआईएल इंडिया ऑयल न्यूक्लीयर एनर्जी कम्पनी लिमिटेड									
2011-12	1.00	0.00	0.00	-0.12	0.00	-0.12	0.00	0.00	-0.12
10 न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	10145.33	10145.3	3806.82	2064.40	721.08	1343.32	441.03	57.64	844.65
2010-11	10145.33	10145.3	6015.83	3216.79	867.65	2349.14	661.49	311.32	1376.33
2011-12	10174.33	10174.3	7913.81	4015.53	961.48	3054.06	672.41	475.50	1906.15
जैव प्रौद्योगिकी									
रसायन एवं पेट्रोरसायन									
11 इण्डियन वैक्सीन कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	18.79	12.53	0.00	2.11	1.76	0.35	0.00	-1.03	1.39
2010-11	18.79	12.53	0.00	1.67	1.55	0.12	0.00	-0.31	0.43
2011-12	18.79	12.53	0.00	1.80	1.37	0.43	0.00	0.00	0.43
रसायन एवं उर्वरक									
रसायन एवं पेट्रोरसायन									
12 हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड									
2009-10	44.41	44.41	148.04	-0.60	6.95	-7.55	14.40	0.13	-22.09
2010-11	71.72	44.41	118.14	-17.61	6.34	-23.95	-14.10	0.00	-9.85
2011-12	71.72	44.41	89.34	-27.00	5.49	-32.49	17.69	0.00	-50.19
13 हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड									
2009-10	91.33	91.33	243.88	9.20	3.55	5.66	2.54	0.05	3.06
2010-11	91.33	91.33	271.04	8.02	3.60	4.42	1.09	1.75	1.58
2011-12	91.33	91.33	279.82	9.00	4.09	4.91	2.09	1.21	1.60
14 इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड									
2009-10	116.88	116.88	95.63	2.80	1.08	1.71	477.52	0.00	-475.81
*2010-11	116.88	116.88	95.63	2.80	1.08	1.71	477.52	0.00	-475.81
*2011-12	116.88	116.88	95.63	2.80	1.08	1.71	477.52	0.00	-475.81
15 कर्नाटक एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड									
2009-10	10.59	0.00	212.82	18.85	1.82	17.03	0.61	4.92	11.50
2010-11	13.49	4.43	210.04	20.94	1.94	19.00	0.49	7.95	10.56
2011-12	13.49	4.43	233.55	26.82	1.89	24.93	0.83	8.08	16.02
16 राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड									
2009-10	1.07	0.00	83.68	2.79	0.41	2.38	1.45	0.19	0.99
2010-11	4.99	0.00	78.70	3.62	0.51	3.11	1.63	0.28	1.22
2011-12	4.99	2.54	82.72	4.86	0.62	4.24	2.49	0.30	1.45

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
विद्युत									
8 भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड									
0.00	0.00	2717.76	0.00	450.60	0.02	0.00	0.00	2878.94	0.00
0.00	0.00	3077.39	0.00	218.40	0.10	0.00	0.00	3266.76	0.00
0.00	0.00	3991.86	0.00	1051.69	0.01	0.00	0.00	4237.73	0.00
99 एनपीसीआईएल इंडिया ऑयल न्यूक्लीयर एनर्जी कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	0.88	-0.14	0.88	-0.14	0.00	0.00	0.92	0.12
10 न्यूक्लियर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
150.00	0.01	22985.96	0.04	19922.65	0.07	15461.90	6274.70	40697.08	0.00
412.90	0.04	23984.60	0.06	23675.69	0.10	17909.39	5869.77	45313.66	0.00
571.85	0.06	25428.07	0.07	20397.54	0.15	14453.89	5047.49	43622.08	0.00
जैव प्रौद्योगिकी									
रसायन एवं पेट्रोरसायन									
11 इण्डियन वैक्सीन कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	14.81	0.09	17.26	0.02	2.81	1.41	18.23	5.89
0.00	0.00	15.24	0.03	15.67	0.01	1.01	0.51	16.60	5.46
0.00	0.00	14.86	0.03	14.86	0.03	0.00	0.00	15.64	5.03
रसायन एवं उर्वरक									
रसायन एवं पेट्रोरसायन									
12 हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड									
0.00	0.00	-59.68	0.37	165.18	-0.05	128.41	124.85	318.68	132.41
0.00	0.00	-93.88	0.10	166.82	-0.14	124.85	124.85	296.27	182.26
0.00	0.00	-137.07	0.37	-15.15	2.14	136.15	127.35	276.89	232.30
13 हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइड्स लिमिटेड									
0.00	0.00	83.50	0.04	117.63	0.05	35.07	35.07	246.47	7.49
0.00	0.00	85.13	0.02	111.72	0.04	21.74	21.74	257.93	5.91
0.00	0.00	86.87	0.02	126.84	0.04	21.74	21.74	253.89	4.31
14 इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड									
0.00	0.00	-6007.41	0.08	-219.83	-0.01	1239.76	1196.76	289.46	0.00
0.00	0.00	-6007.41	0.08	-219.83	-0.01	1239.76	1196.76	289.46	0.00
0.00	0.00	-6007.41	0.08	-325.44	-0.01	1239.76	1196.76	289.46	6187.06
15 कर्नाटक एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड									
0.45	0.04	59.55	0.19	57.62	0.30	4.41	0.00	186.95	0.00
0.90	0.07	71.96	0.15	68.76	0.28	3.95	0.00	203.60	0.00
1.13	0.08	86.68	0.18	88.11	0.28	3.69	0.00	203.48	0.00
16 राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड									
0.00	0.00	11.64	0.09	26.51	0.09	4.49	0.00	60.50	0.00
0.00	0.00	18.25	0.07	29.85	0.10	7.82	0.00	82.56	0.00
0.00	0.00	19.69	0.07	15.13	0.28	3.04	0.00	82.33	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
ठेका एवं निर्माण सेवाएं									
17 एफएसीटी आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्टस लिमिटेड									
2009-10	30.00	0.00	0.00	-0.24	0.50	-0.74	0.00	0.00	-0.75
2010-11	31.60	0.00	0.00	-0.11	0.69	-0.81	0.00	0.00	-0.81
2011-12	40.00	0.00	0.00	-0.01	0.81	-0.82	0.00	0.00	-0.82
उर्वरक									
18 ब्रहमपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	365.83	365.83	177.63	22.69	40.72	-18.02	63.61	0.00	-81.63
2010-11	365.83	365.83	176.10	30.37	41.00	-10.63	74.46	0.00	-85.09
2011-12	365.83	365.83	232.61	-4.05	43.64	-47.69	81.12	0.00	-128.81
19 फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	750.92	750.92	0.00	-30.33	1.62	-31.95	553.14	0.00	-585.09
2010-11	750.92	750.92	0.00	0.66	0.29	0.37	554.10	-45.22	-508.51
2011-12	750.92	750.92	0.00	-16.84	0.27	-17.10	535.66	0.00	-552.76
20 हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	686.54	686.54	0.00	0.31	0.19	0.12	382.60	0.00	-382.47
2010-11	686.54	686.54	0.00	0.51	0.19	0.32	382.60	0.00	-382.28
2011-12	686.54	686.54	0.00	1.90	0.19	1.71	382.60	0.00	-380.89
21 राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2010-11	0.05	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2011-12	0.05	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
22 उर्वरक विदेश लिमिटेड									
2009-10	0.45	0.00	0.00	-0.34	0.00	-0.34	0.00	0.00	-0.34
2010-11	0.54	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2011-12	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
23 प्रोजेक्टस एण्ड डिवलपमेन्ट इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	17.30	17.30	74.93	23.58	2.37	21.21	0.00	6.73	14.48
2010-11	17.30	17.30	103.85	33.95	2.17	31.78	0.00	10.76	21.02
2011-12	17.30	17.30	100.98	43.32	5.05	38.27	0.00	12.19	26.08
खनिज एवं धातु									
24 दी एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	7.33	7.33	45.61	16.00	0.13	15.88	0.00	7.20	8.67
2010-11	7.33	7.33	61.48	20.03	0.13	19.89	0.00	7.67	12.23
2011-12	7.33	7.33	66.53	29.20	0.13	29.07	0.00	1.99	27.07

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
ठेका एवं निर्माण सेवाएं									
17 एफएसीटी आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्टस लिमिटेड									
0.00	0.00	28.63	-0.03	1.93	-0.39	48.66	48.66	89.31	1.37
0.00	0.00	29.42	-0.03	12.38	-0.07	72.53	0.00	110.31	2.18
0.00	0.00	37.00	-0.02	-0.04	20.4	63.33	0.00	123.46	3.00
उर्वरक									
18 ब्रहमपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	-200.34	0.41	245.58	-0.07	776.10	776.10	759.30	564.57
0.00	0.00	-285.00	0.30	212.07	-0.05	900.35	900.35	824.25	649.66
0.00	0.00	-415.19	0.31	-99.45	0.48	289.00	289.00	866.81	778.48
19 फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
0.00	0.00	-9711.44	0.06	-116.07	0.28	9595.37	9537.52	158.28	10463.4
0.00	0.00	-10219.95	0.05	-7475.67	0.00	10103.26	10103.26	157.00	10971.9
0.00	0.00	-10772.98	0.05	147.38	-0.12	2744.28	2739.28	153.65	11524.7
20 हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	-7406.64	0.05	-66.69	0.00	7349.38	7193.92	173.76	8093.19
0.00	0.00	-7788.92	0.05	-66.37	0.00	7731.98	7692.78	173.31	8475.47
0.00	0.00	-8169.80	0.05	162.70	0.01	8114.58	7948.15	174.17	8856.35
21 राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड									
0.00	0.00	-0.68	0.02	0.03	-0.41	0.71	0.00	0.04	0.73
0.00	0.00	-0.71	0.04	0.20	-0.15	0.91	0.00	0.20	0.76
0.00	0.00	-0.72	0.01	0.19	-0.06	0.91	0.00	0.20	0.77
22 उर्वरक विदेश लिमिटेड									
0.00	0.00	0.02	-16.89	0.02	-16.89	0.00	0.00	0.19	0.43
0.00	0.00	0.10	-0.07	0.10	-0.07	0.00	0.00	0.10	0.44
0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.44
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
23 प्रोजेक्टस एण्ड डिवलपमेन्ट इण्डिया लिमिटेड									
3.81	0.22	92.63	0.16	91.74	0.23	0.00	0.00	133.19	0.00
3.81	0.22	109.20	0.19	105.51	0.30	0.00	0.00	149.42	0.00
3.81	0.22	130.86	0.20	137.69	0.28	0.00	0.00	168.39	0.00
खनिज एवं धातु									
24 दी एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल इण्डिया लिमिटेड									
1.83	0.25	67.30	0.13	60.87	0.26	0.00	0.00	95.07	0.00
2.46	0.34	88.50	0.14	85.77	0.23	0.00	0.00	126.99	0.00
5.42	0.74	109.27	0.25	99.45	0.29	0.00	0.00	149.18	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
नागर विमानन									
पर्यटन सेवाएं									
25 होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	40.60	0.00	39.63	-26.48	2.32	-28.80	0.31	0.00	-29.11
2010-11	40.60	0.00	51.16	-26.15	1.97	-28.11	0.43	0.00	-28.54
*2011-12	40.60	0.00	51.16	-26.15	1.97	-28.11	0.43	0.00	-28.54
परिवहन सेवाएं									
26 एअर इण्डिया एअर ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.05	59.78	-0.87	0.00	-0.87	0.00	0.05	-0.92
2010-11	0.05	0.05	48.60	-0.59	0.00	-0.59	0.00	0.41	-1.00
*2011-12	0.05	0.05	48.60	-0.59	0.00	-0.59	0.00	0.41	-1.00
27 एअर इण्डिया चार्टर्स लिमिटेड									
2009-10	30.00	0.00	1345.35	22.83	178.25	-155.42	205.27	0.00	-360.69
2010-11	30.00	0.00	1311.28	27.41	189.79	-162.38	229.78	0.00	-392.16
*2011-12	30.00	0.00	1311.28	27.41	189.79	-162.38	229.78	0.00	-392.16
28 एअर इण्डिया इन्जीनियरिंग सर्विसेज कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	-0.03
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 एअरलाईन्स एलाइड सर्विसेज लिमिटेड									
2009-10	945.00	945.00	13108.62	-2024.14	1389.7	-3413.93	2434.35	1.54	-5849.82
2010-11	2145.00	2145.00	13974.39	-1877.67	1690.1	-3567.77	3295.90	1.50	-6865.17
*2011-12	2145.00	2145.00	13974.39	-1877.67	1690.1	-3567.77	3295.90	1.50	-6865.17
30 एअर इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	945.00	945.00	13108.62	-2024.14	1389.7	-3413.93	2434.35	1.54	-5849.82
2010-11	2145.00	2145.00	13974.39	-1877.67	1690.1	-3567.77	3295.90	1.50	-6865.17
*2011-12	2145.00	2145.00	13974.39	-1877.67	1690.1	-3567.77	3295.90	1.50	-6865.17
31 पवन हँस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड									
2009-10	128.77	104.27	380.52	93.35	38.21	55.14	0.00	19.55	35.59
2010-11	245.62	125.27	415.04	102.16	46.53	55.63	6.17	30.96	18.51
*2011-12	245.62	125.27	415.04	102.16	46.53	55.63	6.17	30.96	18.51
32 वायुदूत लिमिटेड									
2009-10	36.42	0.00	0.00	0.00	0.04	-0.04	0.00	0.00	-0.04
2010-11	36.42	0.00	0.00	0.00	0.04	-0.04	0.00	0.00	-0.04
*2011-12	36.42	0.00	0.00	0.00	0.04	-0.04	0.00	0.00	-0.04

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
नागर विमानन									
पर्यटन सेवाएं									
25 होटल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
0.00	0.00	23.05	-1.26	28.04	-1.03	0.00	0.00	95.83	17.55
0.00	0.00	-3.66	7.80	2.25	-12.49	0.00	0.00	106.87	44.26
0.00	0.00	-3.66	7.80	-3.87	7.26	0.00	0.00	106.87	44.26
परिवहन सेवाएं									
26 एअर इण्डिया एअर ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड									
0.00	0.00	-2.65	0.35	-2.65	0.33	0.00	0.00	10.61	2.36
0.00	0.00	-2.85	0.35	-3.22	0.18	0.00	0.00	10.00	0.00
0.00	0.00	-2.85	0.35	-3.22	0.18	0.00	0.00	10.00	2.70
27 एअर इण्डिया चार्टर्स लिमिटेड									
0.00	0.00	-641.98	0.56	3230.31	-0.05	2832.49	0.00	4025.02	714.69
0.00	0.00	-1035.29	0.38	2640.56	-0.06	2386.96	0.00	3604.01	1105.91
0.00	0.00	-1035.29	0.38	1351.37	-0.12	2386.96	0.00	3604.01	1105.91
28 एअर इण्डिया इन्जीनियरिंग सर्विसेज कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	-0.04	0.80	0.05	-0.04	0.09	0.00	0.05	0.09
0.00	0.00	-0.04	0.04	0.05	-0.03	0.09	0.00	0.05	0.10
0.00	0.00	-0.04	0.04	0.05	-0.03	0.09	0.00	0.05	0.10
29 एअरलाईन्स एलाइड सर्विसेज लिमिटेड									
0.00	0.00	-551.52	0.08	-551.52	0.08	0.00	0.00	190.68	553.77
0.00	0.00	-580.65	0.05	-580.64	0.05	0.00	0.00	106.68	582.90
0.00	0.00	-580.65	0.05	-580.65	0.05	0.00	0.00	106.68	582.90
30 एअर इण्डिया लिमिटेड									
0.00	0.00	-4481.61	1.31	28479.35	-0.12	19898.65	0.00	37738.31	5489.09
0.00	0.00	-10128.79	0.68	27577.53	-0.13	13563.84	0.00	38145.59	12354.2
0.00	0.00	-10128.79	0.68	-1487.63	2.40	13563.84	0.00	38145.59	12354.2
31 पवन हँस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड									
0.00	0.00	349.88	0.10	386.60	0.14	0.00	0.00	981.59	0.00
0.00	0.00	485.38	0.04	633.82	0.09	79.22	0.00	1263.81	0.00
0.00	0.00	485.38	0.04	633.82	0.09	79.22	0.00	1263.81	0.00
32 वायुदूत लिमिटेड									
0.00	0.00	-217.98	0.00	-164.24	0.00	53.74	15.97	2.06	257.94
0.00	0.00	-218.02	0.00	-164.27	0.00	53.74	15.97	2.02	257.98
0.00	0.00	-218.02	0.00	-164.28	0.00	53.74	15.97	2.02	257.98

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
कोयला									
कोयला और लिग्नाइट									
33 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड									
2009-10	2118.00	0.00	5038.35	996.47	135.68	860.79	66.60	0.00	794.19
2010-11	2118.00	0.00	6951.77	1316.39	180.69	1135.70	42.02	0.00	1093.69
2011-12	2118.00	0.00	8583.87	1046.55	201.35	845.20	22.84	0.00	822.36
34 सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड									
2009-10	940.00	0.00	6291.92	1752.46	202.02	1550.44	17.39	567.26	965.79
2010-11	940.00	0.00	7083.13	2094.34	205.01	1889.33	8.96	613.39	1266.99
2011-12	940.00	0.00	9005.34	2192.89	220.80	1972.09	1.85	650.69	1319.55
35 ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड									
2009-10	2218.45	0.00	5306.64	489.61	156.20	333.41	0.01	0.00	333.40
2010-11	2218.45	0.00	6029.92	381.94	274.36	107.58	1.01	0.00	106.57
2011-12	2218.45	0.00	8672.67	1163.19	200.90	962.29	0.16	0.00	962.13
36 महानदी कोलफील्डस लिमिटेड									
2009-10	186.40	0.00	6229.50	3102.03	145.08	2956.95	6.38	1003.88	1946.69
2010-11	186.40	0.00	7474.10	4256.30	211.48	4044.82	5.52	1429.99	2609.32
2011-12	186.40	0.00	9961.49	5476.85	315.99	5160.86	5.38	1754.18	3401.30
37 एमजेएसजे कोल लिमिटेड									
2009-10	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	40.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	70.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38 नोर्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड									
2009-10	177.67	0.00	8415.61	4020.73	226.84	3793.88	27.58	1441.20	2325.10
2010-11	177.67	0.00	8972.50	4329.97	349.84	3980.13	23.77	1510.92	2445.45
2011-12	177.67	0.00	10176.94	4665.89	378.09	4287.80	22.13	1495.58	2770.09
39 साऊथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड									
2009-10	359.70	0.00	9371.57	3394.61	244.04	3150.57	14.20	946.35	2190.02
2010-11	359.70	0.00	10657.56	4173.34	369.66	3803.68	26.56	1476.30	2300.82
2011-12	359.70	0.00	19036.48	6468.39	442.74	6025.65	22.78	1904.19	4098.68
40 वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड									
2009-10	297.10	0.00	6747.63	1180.54	171.41	1009.13	4.85	285.42	718.87
2010-11	297.10	0.00	7073.44	1253.82	179.29	1074.53	6.57	529.66	538.30
2011-12	297.10	0.00	8357.48	639.35	195.65	443.70	3.20	133.78	306.72
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्श									
41 सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टिट्यूट लिमिटेड									
2009-10	19.04	0.00	453.53	28.89	3.83	25.06	0.26	8.15	16.65
2010-11	19.04	0.00	429.09	28.46	4.74	23.72	0.03	8.37	15.32
2011-12	19.04	0.00	524.03	37.53	6.74	30.79	0.00	0.00	30.79

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिस्मपत्तियां	संचित हानि
कोयला									
कोयला और लिग्नाइट									
33 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड									
0.00	0.00	-5402.88	-0.15	-4146.30	-0.21	1083.30	0.00	3967.79	7520.88
0.00	0.00	-4309.19	-0.25	-3346.04	-0.34	1083.30	0.00	4843.85	6427.19
0.00	0.00	-3486.83	-0.24	-185.51	-4.56	1083.30	0.00	6101.48	5604.83
34 सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड									
386.32	0.41	2660.64	0.36	1865.83	0.83	112.05	0.00	7582.21	0.00
748.10	0.80	3038.01	0.42	2240.71	0.84	104.92	0.00	8481.24	0.00
791.74	0.84	3437.38	0.38	4819.72	0.41	87.54	0.00	10126.18	0.00
35 ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड									
0.00	0.00	-6015.55	-0.06	-5415.10	-0.06	665.52	0.00	3586.16	8234.00
0.00	0.00	-5908.97	-0.02	-5296.87	-0.02	660.53	0.00	4476.83	8127.42
0.00	0.00	-4946.85	-0.19	187.58	5.13	670.18	0.00	5851.92	7165.30
36 महानदी कोलफील्डस लिमिटेड									
1169.00	6.27	5769.60	0.34	5305.38	0.56	150.79	0.00	14014.37	0.00
1570.02	8.42	6543.40	0.40	6260.28	0.65	141.67	0.00	17194.63	0.00
2226.55	11.95	7670.86	0.44	14449.73	0.36	7661.85	0.00	19549.24	0.00
37 एमजेएसजे कोल लिमिटेड									
0.00	0.00	40.10	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00	39.70	0.00
0.00	0.00	40.10	0.00	15.83	0.00	0.00	0.00	66.01	0.00
0.00	0.00	70.10	0.00	43.05	0.00	0.00	0.00	83.59	0.00
38 नोर्दर्न कोलफील्डस लिमिटेड									
1395.06	7.85	7357.28	0.32	7880.76	0.48	789.97	789.97	12957.65	0.00
1467.27	8.26	8095.89	0.30	8455.51	0.47	739.50	0.00	14644.73	0.00
1662.05	9.35	8934.29	0.31	12011.61	0.36	618.11	0.00	15330.97	0.00
39 साऊथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड									
1270.46	3.53	5397.65	0.41	4177.34	0.75	314.80	0.00	13669.15	0.00
1380.53	3.84	6092.83	0.38	5143.29	0.74	290.75	0.00	14646.16	0.00
2459.21	6.84	7333.34	0.56	11100.84	0.54	5330.53	0.00	18642.34	0.00
40 वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड									
387.42	1.30	4319.31	0.17	3647.07	0.28	109.52	0.00	7961.26	0.00
323.24	1.09	4797.99	0.11	4098.14	0.26	102.56	0.00	8694.42	0.00
184.04	0.62	3363.39	0.09	5881.35	0.08	85.91	0.00	9147.78	0.00
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्श									
41 सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टिट्यूट लिमिटेड									
0.00	0.00	73.79	0.23	17.90	1.40	0.04	0.00	544.10	0.00
0.00	0.00	87.55	0.17	22.51	1.05	0.00	0.00	487.99	0.00
0.00	0.00	110.92	0.28	198.11	0.16	0.00	0.00	557.37	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
विद्युत									
42 महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड									
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 एमएनएच शक्ति लिमिटेड									
2009-10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	85.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वाणिज्य एवं उद्योग									
वित्तीय सेवाएं									
44 एक्सपोर्ट क्रेडिट गारन्टी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	900.00	900.00	608.35	85.68	4.39	81.29	0.00	27.56	53.73
2010-11	900.00	900.00	693.87	126.04	4.48	121.56	0.00	35.89	85.66
2011-12	900.00	900.00	1004.83	333.98	6.88	327.09	0.00	101.88	225.21
45 जे एण्ड के डिवलपमेन्ट फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	80.00	50.00	0.06	6.56	0.04	6.52	0.06	2.21	4.25
2010-11	80.00	50.00	0.27	6.71	0.05	6.66	0.08	2.18	4.40
2011-12	80.00	50.00	0.13	10.24	0.05	10.19	0.09	3.30	6.80
व्यापार और विपणन									
46 इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन									
2009-10	0.25	0.25	165.06	80.21	2.64	77.57	0.00	0.00	77.57
2010-11	0.25	0.25	187.97	74.33	3.46	70.87	0.00	0.00	70.87
2011-12	0.25	0.25	273.19	187.87	4.38	183.49	0.46	0.00	183.03
47 कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन									
2009-10	10.44	0.00	1.29	0.65	1.20	-0.54	0.00	0.00	-0.54
2010-11	10.44	0.00	3.04	2.67	1.18	1.49	0.00	0.00	1.49
2011-12	10.44	0.00	5.58	3.94	1.10	2.84	0.00	0.00	2.84
48 नेशनल सेन्टर फॉर ट्रेड इन्फोर्मेशन									
2009-10	4.58	2.00	0.74	0.47	0.03	0.44	0.00	0.00	0.44
2010-11	4.58	0.00	0.37	-0.10	0.06	-0.16	0.00	0.00	-0.16
2011-12	4.58	4.00	0.71	0.36	0.05	0.30	0.00	0.00	0.30
49 पीईसी लिमिटेड									
2009-10	20.00	20.00	11025.94	103.46	0.57	102.89	0.00	35.17	67.72
2010-11	20.00	20.00	9969.94	107.13	0.56	106.56	0.00	35.65	70.92
2011-12	20.00	20.00	11498.31	267.17	0.47	266.71	148.17	38.98	79.55
50 एसटीसीएल लिमिटेड									
2009-10	1.50	0.00	92.95	-259.70	1.35	-261.05	171.91	11.02	-443.98
2010-11	1.50	0.00	57.99	7.32	1.61	5.71	185.07	-1.35	-178.02
2011-12	1.50	0.00	127.77	-45.86	0.92	-46.78	237.79	0.09	-284.66
51 तमिलनाडु ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन									
2009-10	0.01	0.00	14.50	2.38	1.94	0.43	0.00	0.00	0.43
2010-11	0.01	0.00	21.62	16.38	2.06	14.32	0.00	0.00	14.32
2011-12	0.01	0.00	24.12	21.06	2.20	18.86	0.00	0.00	18.86

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
विद्युत									
42 महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड									
0.00	0.00	0.05	0.00	-3.27	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
43 एमएनएच शक्ति लिमिटेड									
0.00	0.00	24.58	0.00	7.46	0.00	0.00	0.00	25.28	0.00
0.00	0.00	25.10	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00	51.63	0.00
0.00	0.00	85.10	0.00	66.10	0.00	0.00	0.00	87.34	0.00
वाणिज्य एवं उद्योग									
वित्तीय सेवाएं									
44 एक्सपोर्ट क्रेडिट गारन्टी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
10.75	0.01	3752.84	0.01	1316.35	0.06	0.00	0.00	3991.69	0.00
0.00	0.00	4309.44	0.02	1252.71	0.10	0.00	0.00	4636.56	0.00
54.00	0.06	4609.38	0.05	1338.97	0.24	0.00	0.00	4944.78	0.00
45 जे एण्ड के डिवलपमेन्ट फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	99.50	0.04	99.38	0.07	0.00	0.00	109.92	0.00
0.00	0.00	103.90	0.04	104.14	0.06	0.00	0.00	107.20	0.00
0.00	0.00	110.62	0.06	110.66	0.09	0.00	0.00	115.63	0.00
व्यापार और विपणन									
46 इण्डिया ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन									
0.00	0.00	706.69	0.11	684.60	0.11	0.00	0.00	881.88	0.00
0.00	0.00	777.59	0.09	763.62	0.09	0.00	0.00	955.48	0.00
0.00	0.00	960.62	0.19	996.67	0.18	0.00	0.00	1114.89	0.00
47 कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन									
0.00	0.00	14.96	-0.04	22.93	-0.02	7.97	0.00	24.10	0.00
0.00	0.00	16.45	0.09	24.41	0.06	7.97	0.00	25.78	0.00
0.00	0.00	19.29	0.15	27.03	0.11	7.74	0.00	29.41	0.00
48 नेशनल सेन्टर फॉर ट्रेड इन्फोर्मेशन									
0.00	0.00	5.05	0.09	1.01	0.43	0.00	0.00	5.54	0.00
0.00	0.00	4.90	-0.03	4.90	-0.03	0.00	0.00	5.70	0.00
0.00	0.00	5.20	0.06	1.20	0.25	0.00	0.00	5.88	0.00
49 पीईसी लिमिटेड									
14.00	0.70	232.03	0.29	448.98	0.23	0.00	0.00	5511.51	0.00
15.00	0.75	285.51	0.25	468.12	0.23	0.00	0.00	5922.61	0.00
15.00	0.75	347.63	0.23	303.57	0.88	0.00	0.00	5984.15	0.00
50 एसटीसीएल लिमिटेड									
0.00	0.00	-1335.31	0.33	-21.98	11.8	0.00	0.00	78.48	1354.86
0.00	0.00	-1513.87	0.12	14.82	0.38	0.00	0.00	70.99	0.00
0.00	0.00	-1799.05	0.16	-1798.16	0.03	0.00	0.00	66.99	1817.54
51 तमिलनाडु ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन									
0.00	0.00	47.49	0.01	69.60	0.01	22.61	0.00	81.55	0.00
0.00	0.00	61.34	0.23	83.72	0.17	22.61	0.00	98.52	0.00
0.00	0.00	79.73	0.24	102.34	0.18	22.61	0.00	117.83	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी									
कम्प्यूटर सेवाएं									
52 नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इन्क									
2009-10	2.00	2.00	170.81	54.30	5.41	48.90	0.00	17.50	31.39
2010-11	2.00	2.00	282.44	65.07	6.12	58.94	0.00	19.23	39.71
2011-12	2.00	2.00	350.59	83.72	5.94	77.78	0.00	26.28	51.50
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
53 टेलीकम्यूनिकेशन कन्सलटेन्टस ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	43.20	43.20	645.84	22.62	3.85	18.77	0.34	3.97	14.46
2010-11	43.20	43.20	823.40	31.60	8.59	23.01	3.99	5.44	13.58
2011-12	43.20	43.20	653.54	38.08	10.46	27.63	8.47	11.13	8.03
दूरसंचार सेवाएं									
54 भारत संचार निगम लिमिटेड									
2009-10	12500.00	12500.0	27913.44	6999.31	9196.7	-2197.48	0.00	-374.83	-1822.65
2010-11	12500.00	12500.0	27044.71	3536.48	9725.4	-6188.95	389.86	-194.55	-6384.26
2011-12	12500.00	12500.0	25998.50	537.51	9174.3	-8636.81	184.12	29.77	-8850.70
55 मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड									
2009-10	2.88	0.00	0.00	0.20	0.03	0.18	0.00	0.06	0.12
2010-11	2.88	0.00	0.00	0.19	0.02	0.16	0.00	0.65	-0.49
2011-12	2.88	0.00	0.00	-0.11	0.02	-0.13	0.00	0.00	-0.13
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण									
उपभोक्ता उत्पाद									
56 हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	7.71	7.71	1.78	-2.40	0.02	-2.42	19.67	0.00	-22.09
2010-11	7.71	7.71	0.72	-22.67	0.02	-22.69	0.00	0.00	-22.69
2011-12	7.71	7.71	0.14	-23.76	0.02	-23.78	0.00	0.00	-23.78
रक्षा									
औद्योगिक विकास									
57 बीईएल ऑपट्रोनिक डिवाइसिज लिमिटेड									
2009-10	18.32	0.00	58.74	5.35	2.76	2.59	0.01	0.31	2.27
2010-11	18.32	0.00	52.36	20.93	1.38	19.55	0.01	2.23	17.31
2011-12	18.32	0.00	62.74	13.48	0.96	12.52	0.04	4.33	8.16
58 भारत डायनेमिक्स लिमिटेड									
2009-10	115.00	115.00	626.79	65.68	15.04	50.64	0.02	16.86	33.77
2010-11	115.00	115.00	938.27	104.98	25.74	79.23	0.07	27.46	51.70
2011-12	115.00	115.00	959.12	398.64	50.25	348.39	0.20	113.23	234.96
59 विगन्यान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड									
2009-10	2.79	0.00	35.91	3.79	0.52	3.27	0.35	1.21	1.71
2010-11	2.79	0.00	33.82	-0.13	0.77	-0.90	0.70	0.00	-1.60
2011-12	2.79	0.00	39.21	2.08	0.77	1.31	0.66	0.00	0.65

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिस्मपत्तियां	संचित हानि
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी									
कम्प्यूटर सेवाएं									
52 नेशनल इन्फॉरमेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इन्क									
0.00	0.00	254.70	0.12	241.99	0.20	0.00	0.00	671.40	0.00
0.00	0.00	294.42	0.13	277.46	0.21	0.00	0.00	1038.97	0.00
0.00	0.00	345.92	0.15	2160.41	0.04	0.00	0.00	2353.09	0.00
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
53 टेलीकम्यूनिकेशन कन्सलटेन्टस ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
4.32	0.10	411.86	0.04	253.47	0.07	55.00	0.00	1168.50	0.00
4.32	0.10	420.42	0.03	237.07	0.10	39.50	0.00	1198.50	0.00
1.61	0.04	426.58	0.02	249.61	0.11	37.50	0.00	1263.06	0.00
दूरसंचार सेवाएं									
54 भारत संचार निगम लिमिटेड									
0.00	0.00	86475.66	-0.02	61930.04	-0.04	1533.70	1533.70	117916.01	0.00
0.00	0.00	80068.75	-0.08	53894.34	-0.11	1845.74	1845.74	93082.83	0.00
0.00	0.00	71171.02	-0.12	56119.24	-0.15	983.18	983.18	85706.85	0.00
55 मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड									
0.00	0.00	5.69	0.02	4.66	0.04	0.08	0.00	6.86	0.00
0.00	0.00	5.20	-0.09	4.16	0.04	0.08	0.00	6.49	0.00
0.00	0.00	5.01	-0.03	4.10	-0.03	0.00	0.00	6.30	0.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण									
उपभोक्ता उत्पाद									
56 हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	-284.88	0.08	-190.98	0.01	289.15	289.15	28.49	306.23
0.00	0.00	-307.58	0.07	-212.74	0.11	310.30	95.62	27.90	328.93
0.00	0.00	-331.35	0.07	-331.73	0.07	0.00	0.00	31.21	352.70
रक्षा									
औद्योगिक विकास									
57 बीईएल ऑपट्रोनिक डिवाइसिज लिमिटेड									
0.00	0.00	31.18	0.07	32.45	0.08	1.12	0.00	44.92	0.00
0.00	0.00	35.63	0.49	36.71	0.53	0.94	0.00	46.10	0.00
0.00	0.00	146.01	0.06	94.64	0.13	0.00	0.00	213.62	0.00
58 भारत डायनेमिक्स लिमिटेड									
23.00	0.20	527.08	0.06	556.91	0.09	54.77	0.00	2646.46	0.00
23.00	0.20	552.05	0.09	457.72	0.17	50.85	0.00	5032.27	0.00
47.00	0.41	732.38	0.32	713.77	0.49	0.00	0.00	6346.00	0.00
59 विगन्यान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड									
0.21	0.07	9.04	0.19	17.69	0.18	6.58	0.00	23.28	0.00
0.00	0.00	7.31	-0.22	15.10	-0.06	5.05	0.00	23.57	0.00
0.00	0.00	8.13	0.08	10.85	0.12	1.90	0.00	28.04	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
इस्पात									
60 मिश्रधातु निगम लिमिटेड									
2009-10	183.34	183.34	371.96	72.47	3.25	69.23	1.56	23.05	44.62
2010-11	183.34	183.34	417.87	85.87	3.89	81.98	6.79	24.76	50.42
2011-12	187.34	183.34	509.01	112.44	4.79	107.65	9.15	30.05	68.45
परिवहन उपस्कर									
61 गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड									
2009-10	123.84	123.84	424.27	138.38	7.62	130.76	0.01	16.33	114.41
2010-11	123.84	123.84	550.73	174.73	10.47	164.26	1.50	47.05	115.71
2011-12	123.84	123.84	1293.80	182.20	12.84	169.36	0.00	61.32	108.04
62 हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड									
2009-10	120.50	120.50	11456.70	3668.41	166.00	3502.41	0.03	721.02	1967.41
2010-11	120.50	120.50	13115.50	3653.15	168.79	3484.36	0.00	725.27	2114.26
2011-12	120.50	120.50	14182.16	4050.50	721.98	3328.52	0.00	789.08	2539.43
63 मजगाँव डॉक लिमिटेड									
2009-10	223.94	223.94	3150.94	398.66	12.17	386.49	0.02	146.28	240.19
2010-11	199.20	199.20	636.56	378.78	12.56	366.22	0.17	122.53	243.52
2011-12	199.20	199.20	2523.69	730.95	13.14	717.81	26.03	197.47	494.31
परिवहन सेवाएं									
64 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड									
2009-10	29.10	14.87	472.89	213.02	4.70	208.32	11.08	66.51	130.73
2010-11	29.10	14.87	514.46	278.61	8.51	270.10	5.31	88.66	176.13
2011-12	29.10	14.87	269.78	159.37	16.28	143.09	17.06	43.27	82.76
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास									
कृषि आधारित उद्योग									
65 नार्थ ईस्टर्न रिजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	7.62	7.62	89.65	1.35	0.23	1.12	0.00	0.00	1.12
2010-11	7.62	7.62	99.91	2.28	0.21	2.07	0.00	0.60	1.47
2011-12	7.62	7.62	96.04	1.65	0.16	1.49	0.00	0.49	1.00
व्यापार और विपणन									
66 नॉर्थ ईस्टर्न हेन्डीक्राफ्ट एण्ड हेण्डलूम डिवलपमेण्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	2.00	2.00	14.64	-1.79	0.04	-1.83	0.00	0.00	-1.83
2010-11	2.00	2.00	17.27	-1.68	0.05	-1.74	0.00	0.00	-1.74
2011-12	2.00	2.00	16.82	-1.44	0.07	-1.51	0.00	0.00	-1.51
पर्यावरण एवं वन									
उपभोक्ता उत्पाद									
67 अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड									
2009-10	3.59	3.59	5.09	-12.53	0.53	-13.06	10.87	0.00	-23.93
2010-11	3.59	3.59	3.10	-12.96	0.51	-13.48	13.54	0.00	-27.02
2011-12	3.59	3.59	7.10	-15.81	0.50	-16.31	15.66	0.00	-31.97

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
इस्पात									
68 मिश्रधातु निगम लिमिटेड									
8.92	0.05	310.93	0.14	338.18	0.20	44.20	44.20	831.89	0.00
20.00	0.11	337.95	0.15	358.17	0.23	35.00	35.00	890.36	0.00
36.67	0.20	367.79	0.19	473.42	0.23	19.80	19.80	999.97	0.00
परिवहन उपस्कर									
61 गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इन्जीनियर्स लिमिटेड									
24.77	0.20	596.39	0.19	476.10	0.27	0.00	0.00	3285.92	0.00
24.77	0.20	683.31	0.17	559.50	0.29	0.00	0.00	3791.07	0.00
24.77	0.20	762.56	0.14	703.60	0.24	0.00	0.00	5020.05	0.00
62 हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड									
393.48	3.27	6157.30	0.32	4241.48	0.83	0.18	0.00	44135.87	0.00
423.12	3.51	7851.79	0.27	5933.32	0.59	0.17	0.17	50459.49	0.00
814.00	6.76	9729.45	0.26	21585.18	0.15	0.00	0.00	53308.58	0.00
63 मजगाँव डॉक लिमिटेड									
52.26	0.23	980.09	0.25	769.09	0.50	19.84	0.00	17073.14	0.00
50.64	0.25	1140.02	0.21	766.57	0.48	19.10	0.00	22214.85	0.00
99.60	0.50	1518.57	0.33	1821.37	0.39	81.71	0.00	24298.10	0.00
परिवहन सेवाएं									
64 गोवा शिपयार्ड लिमिटेड									
26.20	0.90	434.38	0.30	294.87	0.71	12.20	0.00	1756.53	0.00
35.50	1.22	569.11	0.31	587.46	0.46	11.75	0.00	1535.88	0.00
17.17	0.59	631.83	0.13	596.28	0.24	11.29	0.00	1574.01	0.00
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास									
कृषि आधारित उद्योग									
65 नार्थ ईस्टर्न रिजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	4.83	0.23	15.91	0.07	11.41	9.41	39.47	6.29
0.00	0.00	4.52	0.33	15.91	0.13	13.13	13.13	43.04	4.81
0.00	0.00	3.46	0.29	19.64	0.08	15.13	15.13	48.22	3.81
व्यापार और विपणन									
66 नॉर्थ ईस्टर्न हेन्डीक्राफ्ट एण्ड हेण्डलूम डिवलपमेण्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	-27.12	0.07	4.91	-0.37	32.02	32.02	7.82	31.51
0.00	0.00	-28.85	0.06	5.17	-0.34	34.02	34.02	7.29	33.24
0.00	0.00	-30.36	0.05	6.60	-0.23	36.96	36.96	8.85	34.75
पर्यावरण एवं वन									
उपभोक्ता उत्पाद									
67 अण्डमान एण्ड निकोबार द्वीप समूह वन एवं बागान विकास निगम लिमिटेड									
0.00	0.00	-93.47	0.26	-23.65	0.55	69.83	69.83	21.82	97.06
0.00	0.00	-120.48	0.22	-39.67	0.34	80.83	80.83	20.65	124.07
0.00	0.00	-152.45	0.21	3.69	-4.42	156.21	156.21	17.12	175.09

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
वित्त									
वित्तीय सेवाएं									
68 सेन्ट्रल रजिस्ट्री आफ सिक्यूरिटिए एसेट्स रिक्न्ट्रैक्शन एंड सिक्यूरिटी आफ इंडिया									
2011-12	27.75	25.00	50.55	47.21	2.14	45.07	0.71	14.64	29.72
69 इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	1800.00	1800.00	1548.77	1480.76	0.47	1480.30	1242.42	84.11	153.76
2010-11	2000.00	2000.00	1931.68	1857.72	0.25	1857.47	1411.79	149.88	295.80
2011-12	2500.00	2500.00	2540.43	2389.88	0.36	2389.52	1523.53	280.16	585.83
70 इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	446.08	225.00	48.53	54.51	0.23	54.28	0.00	0.00	54.28
2010-11	225.00	225.00	63.70	189.31	0.56	188.75	56.88	0.00	131.88
2011-12	225.00	225.00	43.54	125.35	1.39	123.96	10.54	0.00	113.42
71 सिक्युरिटी प्रिन्टिंग एण्ड मिन्टिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	3037.79	901.12	84.44	816.69	0.00	274.44	542.25
2010-11	0.05	0.00	3164.49	917.13	100.19	816.94	0.00	239.75	577.19
2011-12	0.05	0.00	3499.92	984.93	110.05	874.87	0.00	292.41	582.47
72 दी इन्डस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.05	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2011-12	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 ज़ैनिथ सिक्युरिटीज़ एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड									
2009-10	0.20	0.00	0.65	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	1.39
2010-11	0.20	0.00	0.63	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.52
2011-12	0.20	0.00	0.58	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.34
बीमा									
74 जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड									
2009-10	430.00	430.00	9736.92	1293.52	3.32	1290.20	0.00	-484.40	1774.61
2010-11	430.00	430.00	11681.27	1192.46	3.11	1189.35	0.00	0.00	1189.35
2011-12	430.00	430.00	13617.95	-2486.22	4.39	-2490.61	0.00	-21.92	-2468.69
75 नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	100.00	100.00	120.90	268.59	0.00	268.59	0.00	43.72	224.87
2010-11	100.00	100.00	-270.90	75.40	0.00	75.40	0.00	0.51	74.89
2011-12	100.00	100.00	400.04	331.06	0.00	331.06	0.00	5.85	325.21

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
वित्त									
वित्तीय सेवाएं									
68 सेन्ट्रल रजिस्ट्री आफ सिक्यूरिटिए एसेट्स रिक्न्ट्रैक्शन एंड सिक्यूरिटी आफ इंडिया									
0.00	0.00	57.47	0.52	54.81	0.82	0.00	0.00	76.67	0.00
69 इण्डिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	2086.45	0.07	20124.28	0.07	18474.38	0.00	21044.50	0.00
0.00	0.00	2582.25	0.11	23213.81	0.08	19872.04	0.00	24234.09	0.00
0.00	0.00	3668.08	0.16	24159.28	0.10	20841.96	0.00	27927.04	0.00
70 इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
0.00	0.00	16.11	3.37	485.68	0.11	636.71	148.87	782.30	438.82
0.00	0.00	95.00	1.39	198.77	0.95	239.89	148.87	589.46	351.16
0.00	0.00	208.80	0.54	704.08	0.18	0.00	0.00	834.51	237.74
71 सिक्युरिटी प्रिन्टिंग एण्ड मिन्टिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
0.00	0.00	4358.44	0.12	4542.09	0.18	350.00	350.00	5972.26	0.00
115.44	2308.7	1923.32	0.30	4653.77	0.18	3054.78	175.00	6466.84	0.00
116.49	2329.8	2370.39	0.25	5196.46	0.17	2879.67	0.00	6925.17	0.00
72 दी इन्डस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	0.01	-0.34	0.04	-0.08	0.03	0.00	0.04	0.04
0.00	0.00	-0.01	1.28	0.04	-0.32	0.05	0.00	0.04	0.06
0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.06
73 ज़ैनिथ सिक्युरिटीज़ एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड									
0.10	0.50	4.94	0.28	0.04	34.8	0.00	0.00	5.10	0.00
0.10	0.50	5.33	0.10	0.46	1.14	0.00	0.00	5.49	0.00
0.12	0.60	5.53	0.06	-0.02	-16.98	0.00	0.00	5.71	0.00
बीमा									
74 जनरल इंश्योरेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड									
352.60	0.82	40048.08	0.04	7328.31	0.18	0.00	0.00	43766.78	0.00
0.00	0.00	34444.94	0.03	-1586.96	-0.75	0.00	0.00	49727.05	0.00
0.00	0.00	31954.29	-0.08	-4070.98	0.61	0.00	0.00	53725.87	2467.89
75 नेशनल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड									
43.98	0.44	9582.28	0.02	-3925.19	-0.07	0.00	0.00	18000.47	0.00
0.00	0.00	1596.09	0.05	-6033.65	-0.01	0.00	0.00	11224.41	0.00
0.00	0.00	1958.72	0.17	-7261.50	-0.05	0.00	0.00	12746.11	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
76 ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	100.00	100.00	3590.83	114.31	27.15	87.16	0.00	131.42	-44.26
2010-11	100.00	100.00	4314.89	202.42	23.04	179.38	0.00	124.78	54.60
2011-12	100.00	100.00	4893.06	406.47	32.74	373.73	0.00	-112.58	486.31
77 दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	200.00	200.00	6002.66	421.26	61.99	359.27	0.00	-45.40	404.67
2010-11	200.00	200.00	7192.23	-411.37	0.00	-411.37	0.00	10.19	-421.56
2011-12	200.00	200.00	8771.21	233.45	77.30	156.16	0.00	-23.15	179.31
78 यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	150.00	150.00	4190.16	866.39	43.55	822.84	0.00	115.05	707.79
2010-11	150.00	150.00	5116.94	162.40	31.57	130.83	0.00	0.28	130.54
2011-12	150.00	150.00	6087.24	519.31	50.03	469.28	0.00	82.49	386.79
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग									
कृषि आधारित उद्योग									
79 नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एन्ट्रप्रिन्यूरशिप एण्ड मेनेजमेन्ट									
2009-10	31.00	31.00	0.00	-1.65	0.11	-1.76	0.00	0.00	-1.76
2010-11	31.00	31.00	0.31	-0.98	0.06	-1.04	0.00	0.00	-1.04
2011-12	31.00	31.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.02
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण									
रसायन एवं पैट्रोरसायन									
80 इण्डियन मेडिसिन एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	7.00	6.02	19.90	0.91	0.37	0.54	0.11	0.04	0.39
2010-11	17.00	7.02	24.41	1.44	1.05	0.40	0.27	0.00	0.12
2011-12	41.00	40.02	24.90	2.68	0.79	1.88	0.36	0.00	1.52
उपभोक्ता उत्पाद									
81 एचएलएल लाइफकेअर लिमिटेड									
2009-10	15.54	15.54	441.78	42.97	12.79	30.17	7.56	7.68	14.93
2010-11	15.54	15.54	514.72	47.13	14.39	32.74	5.24	9.06	18.43
2011-12	43.54	15.54	603.38	54.14	15.81	38.32	7.76	10.02	20.54
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
82 एचएससीसी इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	2.40	2.40	21.38	13.85	0.39	13.46	0.00	4.87	8.59
2010-11	2.40	2.40	23.11	13.57	0.36	13.21	0.00	4.87	8.34
2011-12	2.40	2.40	29.29	24.09	0.58	23.52	0.00	8.80	14.72
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम									
उपभोक्ता उत्पाद									
83 सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	811.41	811.41	361.73	99.15	8.88	90.27	37.52	0.00	52.75
2010-11	811.41	811.41	332.88	71.61	7.65	63.96	36.83	0.00	27.13
2011-12	811.40	811.41	370.93	35.87	7.33	28.54	9.11	0.00	19.43
84 हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड									
2009-10	100.00	0.00	284.45	-40.04	12.29	-52.33	0.67	-4.97	-48.02
2010-11	100.00	0.00	301.74	17.79	11.76	6.03	0.62	0.38	5.04
2011-12	100.00	0.00	315.09	19.27	11.54	7.73	3.68	-2.85	6.89

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
76 ओरियन्टल इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	10046.56	0.00	-3569.59	-0.02	0.00	0.00	18105.73	0.00
0.00	0.00	10192.97	0.01	-5038.85	-0.04	0.00	0.00	19388.31	0.00
0.00	0.00	9871.33	0.05	4502.82	0.08	0.00	0.00	19967.64	0.00
77 दि न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड									
85.00	0.42	23071.94	0.02	-2453.06	-0.15	0.00	0.00	36738.33	0.00
0.00	0.00	23706.30	-0.02	-4416.02	0.09	0.00	0.00	39490.32	0.00
40.00	0.20	23073.56	0.01	-4198.47	-0.04	0.00	0.00	42030.41	0.00
78 यूनाइटेड इण्डिया इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड									
142.00	0.95	8960.90	0.08	-3996.87	-0.21	0.00	0.00	17209.77	0.00
30.00	0.20	8964.18	0.01	-5692.92	-0.02	0.00	0.00	18677.85	0.00
78.00	0.52	8434.29	0.05	-7240.52	-0.06	0.00	0.00	20767.45	0.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग									
कृषि आधारित उद्योग									
79 नेशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एन्ट्रप्रिन्यूरशिप एण्ड मेनेजमेन्ट									
0.00	0.00	124.93	-0.01	48.14	-0.04	0.00	0.00	131.29	1.76
0.00	0.00	0.05	-20.72	0.05	-20.72	0.00	0.00	0.07	181.65
0.00	0.00	0.02	-1.16	0.02	-1.16	0.00	0.00	0.05	30.98
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण									
रसायन एवं पैट्रोरसायन									
80 इण्डियन मेडिसिन एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	11.21	0.03	10.34	0.05	0.54	0.54	25.56	0.00
0.00	0.00	21.93	0.01	40.87	0.01	0.65	0.65	43.33	0.00
0.00	0.00	46.27	0.03	42.08	0.04	0.08	0.00	67.39	0.00
उपभोक्ता उत्पाद									
81 एचएलएल लाइफकेअर लिमिटेड									
2.33	0.15	140.24	0.11	221.08	0.14	12.97	0.00	392.33	0.00
2.33	0.15	155.96	0.12	296.41	0.11	10.18	0.00	534.48	0.00
2.82	0.06	202.66	0.10	594.85	0.06	18.48	0.00	996.80	0.00
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
82 एचएससीसी इण्डिया लिमिटेड									
1.73	0.72	72.39	0.12	70.72	0.19	0.00	0.00	468.78	0.00
1.73	0.72	78.72	0.11	77.32	0.17	0.00	0.00	431.31	0.00
3.00	1.25	89.95	0.16	349.64	0.07	0.00	0.00	546.74	0.00
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम									
उपभोक्ता उत्पाद									
83 सीमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
0.00	0.00	-213.61	-0.25	84.86	1.06	468.75	431.75	615.73	1008.23
0.00	0.00	-185.37	-0.15	-20.25	-3.16	371.72	150.90	517.72	981.10
0.00	0.00	-150.27	-0.13	417.27	0.07	187.90	150.90	580.46	961.67
84 हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड									
0.00	0.00	191.75	-0.25	203.39	-0.26	0.00	0.00	306.19	0.00
4.00	0.04	192.14	0.03	228.06	0.03	0.00	0.00	314.38	0.00
0.00	0.00	199.03	0.03	237.00	0.03	0.00	0.00	308.25	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
85 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	717.30	662.70	588.12	-71.37	25.02	-96.39	0.17	-33.26	-63.30
2010-11	717.30	662.70	661.95	-40.54	21.83	-62.37	0.97	0.00	-63.34
2011-12	717.30	662.70	726.34	-112.70	20.10	-132.80	6.10	-43.70	-95.20
86 हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड									
2009-10	25.56	22.56	19.98	1.87	0.66	1.20	1.17	0.00	0.03
2010-11	25.56	22.56	13.25	1.78	0.56	1.21	1.71	0.00	-0.49
2011-12	25.56	25.56	9.62	2.68	0.51	2.16	1.94	0.00	0.22
87 हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	1.03	0.00	9.35	1.07	0.45	0.62	0.39	0.22	0.02
2010-11	1.03	0.00	11.26	1.12	0.42	0.70	0.38	0.03	0.28
*2011-12	1.03	0.00	11.26	1.12	0.42	0.70	0.38	0.03	0.28
88 जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	-1.54	0.00	-1.54	0.00	0.00	-1.54
89 नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	12.02	0.00	0.00	-13.93	0.45	-14.38	0.00	0.00	-14.38
2010-11	12.02	0.00	0.00	-13.00	0.44	-13.44	0.00	0.00	-13.44
2011-12	66.62	0.00	1.24	-10.77	0.20	-10.97	0.93	0.00	-11.90
90 नेपा लिमिटेड									
2009-10	107.86	103.62	74.90	-6.92	1.04	-7.97	44.83	0.00	-55.33
2010-11	107.86	103.62	115.22	-20.54	1.04	-21.58	48.83	0.00	-70.40
2011-12	107.86	105.47	160.04	-17.61	1.13	-18.74	54.16	0.00	-72.90
91 साम्भर साल्टस लिमिटेड									
2009-10	1.00	0.00	9.22	2.62	0.62	2.00	1.98	0.00	0.02
2010-11	1.00	0.00	9.91	-0.28	0.82	-1.10	3.03	0.00	-4.13
2011-12	1.00	0.00	18.93	4.29	0.96	3.33	2.27	0.00	1.06
92 टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	93.45	93.45	5.28	-8.61	5.82	-14.43	0.10	0.13	-14.67
2010-11	29.63	29.63	24.45	-7.30	5.82	-13.12	0.11	0.00	-13.23
2011-12	29.63	29.63	10.02	-15.06	5.80	-20.86	0.01	0.00	-20.86
ठेका एवं निर्माण सेवाएं									
93 ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	20.26	20.26	77.90	4.75	0.72	4.03	0.71	0.57	2.76
2010-11	20.26	20.26	152.60	6.47	1.08	5.39	0.90	0.90	3.60
2011-12	20.26	20.26	200.33	8.08	1.18	6.90	0.94	1.19	4.77
भारी उद्योग									
94 भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड									
2009-10	440.65	338.98	3.97	132.80	0.03	132.78	132.23	0.14	0.40
2010-11	120.86	103.73	11.51	0.48	0.02	0.46	0.44	0.00	0.02
2011-12	120.86	103.73	15.66	0.62	0.02	0.60	0.49	0.00	0.11

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
85 हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	840.75	-0.08	624.23	-0.15	55.28	54.36	1230.00	0.00
0.00	0.00	777.41	-0.08	533.95	-0.12	56.45	56.45	1111.54	0.00
0.00	0.00	682.21	-0.14	572.51	-0.23	168.79	168.79	1132.62	95.19
86 हिन्दुस्तान साल्टस लिमिटेड									
0.00	0.00	22.29	0.00	33.15	0.04	17.64	11.16	50.36	11.27
0.00	0.00	21.95	-0.02	36.45	0.03	20.01	11.16	52.88	11.76
0.00	0.00	23.68	0.01	47.36	0.05	22.21	22.21	59.75	11.54
87 हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	2.97	0.01	4.23	0.15	1.73	0.00	10.94	0.00
0.00	0.00	3.25	0.09	5.64	0.12	1.49	0.00	9.58	0.00
0.00	0.00	3.25	0.09	4.92	0.14	1.49	0.00	9.58	0.00
88 जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड									
0.00	0.00	-1.23	0.00	-1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-1.34	0.00	-1.34	0.00	0.00	0.00	1.95	0.00
0.00	0.00	-1.49	1.03	-1.49	1.03	0.00	0.00	0.00	1.54
89 नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	-46.43	0.31	-58.77	0.24	0.00	0.00	19.73	58.60
0.00	0.00	-59.86	0.22	-72.45	0.19	0.00	0.00	19.55	72.03
0.00	0.00	-17.16	0.69	5.95	-1.84	22.29	12.94	20.52	83.93
90 नेपा लिमिटेड									
0.00	0.00	-420.28	0.13	-240.34	0.03	405.51	401.42	72.07	528.25
0.00	0.00	-490.69	0.14	-283.10	0.08	479.40	474.86	85.83	598.66
0.00	0.00	-563.59	0.13	-5.09	3.68	557.47	557.46	101.72	671.56
91 साम्भर साल्टस लिमिटेड									
0.00	0.00	-0.58	-0.03	11.56	0.17	18.07	0.00	27.66	12.70
0.00	0.00	-4.81	0.86	7.51	-0.15	22.00	0.00	31.45	16.83
0.00	0.00	-3.74	-0.28	14.36	0.23	22.00	0.00	34.30	15.77
92 टायर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
0.00	0.00	-161.64	0.09	41.06	-0.35	202.86	202.86	60.80	279.73
0.00	0.00	28.00	-0.47	27.82	-0.47	0.00	0.00	46.64	0.00
0.00	0.00	7.54	-2.77	9.32	-2.24	0.00	0.00	30.37	47.14
ठेका एवं निर्माण सेवाएं									
93 ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	21.93	0.13	44.54	0.09	14.90	0.00	120.09	0.00
0.05	0.00	25.46	0.14	51.20	0.11	14.51	0.00	131.34	0.00
0.10	0.00	30.11	0.16	40.86	0.17	10.35	0.00	106.87	0.00
भारी उद्योग									
94 भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड									
0.05	0.00	441.38	0.00	762.04	0.17	521.16	486.22	2155.08	0.00
0.00	0.00	121.61	0.00	150.79	0.00	80.32	70.32	573.31	0.00
0.00	0.00	121.72	0.00	78.69	0.01	8.10	0.00	575.72	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
95 भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड									
2009-10	33.80	0.00	104.31	-8.93	1.26	-10.19	-2.68	1.09	-8.60
2010-11	33.80	0.00	136.98	3.53	1.10	2.43	-6.35	0.00	8.78
2011-12	67.80	0.00	155.80	12.87	1.02	11.84	1.40	0.00	10.44
96 ब्रिज एण्ड रूफ एण्ड कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड									
2009-10	54.99	54.99	1090.38	88.03	13.62	74.41	10.30	22.11	42.00
2010-11	54.99	54.99	1221.39	107.57	13.84	93.74	6.65	29.41	57.68
2011-12	54.99	54.99	1264.35	99.68	15.34	84.33	16.04	22.50	45.80
97 हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	606.08	606.08	528.53	48.12	3.38	44.74	0.47	0.00	44.27
2010-11	606.08	606.08	681.21	42.69	3.63	39.06	0.92	0.00	38.14
2011-12	606.08	606.08	735.99	18.05	4.31	13.74	5.15	0.00	8.58
98 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड									
2009-10	21.27	21.27	1.69	-10.31	0.32	-10.63	45.59	0.00	-56.22
2010-11	21.27	21.27	0.64	-6.42	0.32	-6.75	46.43	0.00	-53.18
*2011-12	21.27	21.27	0.64	-6.42	0.32	-6.75	46.43	0.00	-53.18
99 तुंगभद्र स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड									
2009-10	8.44	6.69	2.17	-0.68	0.57	-1.25	24.52	0.00	-25.77
2010-11	8.44	6.69	3.12	-0.50	0.56	-1.06	25.07	0.00	-26.12
2011-12	8.44	6.69	2.90	-1.68	0.55	-2.24	26.52	0.00	-28.75
100 यूले इलैक्ट्रीकल लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101 यूले इन्जीनियरिंग लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2010-11	0.05	0.00	0.29	0.03	0.00	0.03	0.00	0.01	0.02
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
95 भारत हेवी प्लेट्स एण्ड वेसल्स लिमिटेड									
0.00	0.00	-238.54	0.04	32.26	-0.32	0.00	0.00	231.29	272.35
0.00	0.00	-229.76	-0.04	30.71	0.08	0.00	0.00	240.80	263.58
0.00	0.00	-185.32	-0.06	37.18	0.32	218.87	0.00	258.29	253.14
96 ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड									
1.10	0.02	158.84	0.26	213.44	0.35	9.00	9.00	921.22	0.00
1.65	0.03	214.60	0.27	256.09	0.37	0.00	0.00	1164.90	0.00
2.75	0.05	257.20	0.18	287.93	0.29	0.00	0.00	1215.94	0.00
97 हेवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	-211.72	-0.21	-124.60	-0.36	0.00	0.00	775.69	941.34
0.00	0.00	-177.22	-0.22	-112.95	-0.35	0.00	0.00	873.22	903.20
0.00	0.00	-170.26	-0.05	317.59	0.04	0.00	0.00	945.33	894.61
98 त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड									
0.00	0.00	-559.84	0.10	-656.92	0.02	196.11	0.00	30.32	581.11
0.00	0.00	-613.03	0.09	-396.24	0.02	531.34	531.34	22.95	634.30
0.00	0.00	-613.03	0.09	-438.80	0.02	531.34	531.34	22.95	634.30
99 तुंगभद्र स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड									
0.00	0.00	-284.94	0.09	-168.04	0.01	249.57	249.57	15.78	293.38
0.00	0.00	-311.06	0.08	-192.47	0.01	276.74	276.74	14.27	319.50
0.00	0.00	-339.82	0.08	-334.59	0.01	4.66	4.66	10.93	348.25
100 यूले इलैक्ट्रीकल लिमिटेड									
0.00	0.00	-0.04	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	-0.04	0.02	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.04	-0.05	0.09	-0.02	0.04	0.00	0.09	0.01
101 यूले इन्जीनियरिंग लिमिटेड									
0.00	0.00	0.02	-1.38	0.02	-1.38	0.00	0.00	0.18	0.03
0.00	0.00	0.04	0.60	0.05	0.68	0.00	0.00	0.18	0.01
0.00	0.00	0.04	-0.09	0.04	-0.09	0.00	0.00	0.17	0.01

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
औद्योगिक विकास									
102 भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	0.00	-0.03	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.03
2010-11	0.05	0.00	0.29	0.03	0.00	0.03	0.00	0.01	0.02
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103 एचएमटी (बीयरिंग्स) लिमिटेड									
2009-10	37.71	0.00	6.84	-9.44	0.47	-9.91	5.40	0.00	-15.31
2010-11	37.71	0.00	11.48	-12.67	0.48	-13.15	8.17	0.00	-21.32
2011-12	37.71	0.00	16.12	2.01	0.48	1.54	11.66	0.00	-10.12
104 एचएमटी चिनार वाचिस लिमिटेड									
2009-10	1.66	0.00	0.74	-17.29	0.12	-17.42	32.52	0.00	-49.94
2010-11	1.66	0.00	0.11	-8.70	0.12	-8.82	37.00	0.00	-45.82
2011-12	1.66	0.00	0.08	-3.85	0.12	-3.97	40.06	0.00	-44.03
105 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड									
2009-10	719.60	0.00	209.62	-30.53	7.88	-38.41	7.39	0.00	-45.80
2010-11	719.60	0.00	209.02	-75.44	9.85	-85.29	7.77	0.00	-93.06
2011-12	719.60	0.00	240.46	-20.37	9.78	-30.15	15.99	0.00	-46.14
106 एचएमटी वाचिस लिमिटेड									
2009-10	6.49	0.00	10.54	-56.65	1.09	-57.74	110.61	0.00	-168.35
2010-11	6.49	0.00	8.82	-124.84	0.92	-125.76	127.98	0.00	-253.74
2011-12	6.49	0.00	10.24	-66.40	0.83	-67.23	156.81	0.00	-224.04
107 इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड									
2009-10	137.99	137.99	328.27	344.75	1.17	343.58	9.95	0.00	333.62
2010-11	146.05	146.05	250.16	-22.97	1.09	-24.05	12.51	0.00	-36.56
2011-12	146.05	146.05	192.65	-44.18	6.83	-51.00	16.69	0.00	-67.69
108 राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्टस लिमिटेड									
2009-10	5.27	0.00	99.41	5.69	1.71	3.98	1.98	0.17	1.83
2010-11	8.82	0.00	133.14	8.08	0.95	7.13	0.87	1.22	5.03
2011-12	12.25	0.00	231.35	29.25	1.02	28.23	0.78	8.83	18.62
109 रिचर्डसन एण्ड क्रुडस (1972) लिमिटेड									
2009-10	54.84	54.84	84.92	4.41	0.70	3.71	31.79	0.00	-27.38
2010-11	54.83	54.83	84.60	12.09	0.69	11.40	31.06	0.00	-21.55
*2011-12	54.83	54.83	84.60	12.09	0.69	11.40	31.06	0.00	-21.55
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
110 इन्जीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लिमिटेड									
2009-10	35.42	35.42	1062.17	30.41	0.55	29.85	2.43	-12.59	40.01
2010-11	35.42	35.42	1106.70	24.99	0.55	24.44	1.86	7.53	15.05
2011-12	35.42	35.42	901.27	43.56	0.73	42.84	6.47	11.90	24.47

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
औद्योगिक विकास									
102 भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर लिमिटेड									
0.54	0.01	131.14	0.20	199.51	0.19	78.40	0.00	330.99	0.00
0.54	0.01	141.24	0.07	145.90	0.13	44.40	0.00	303.30	0.00
0.00	0.00	140.32	-0.01	164.23	0.02	52.00	0.00	258.99	0.00
103 एचएमटी (बीयरिंग्स) लिमिटेड									
0.00	0.00	-43.42	0.35	-3.06	3.24	42.37	0.00	19.28	81.13
0.00	0.00	-64.74	0.33	-8.21	1.60	0.00	0.00	18.74	102.45
0.00	0.00	-74.85	0.14	-40.52	-0.04	35.67	33.67	22.22	112.56
104 एचएमटी चिनार वाचिस लिमिटेड									
0.00	0.00	-341.70	0.15	-29.50	0.59	312.20	238.85	17.27	343.36
0.00	0.00	-387.10	0.12	-35.73	0.25	351.37	277.50	12.63	388.76
0.00	0.00	-431.14	0.10	-36.99	0.11	394.15	317.39	12.56	432.80
105 एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड									
0.00	0.00	-18.87	2.43	60.93	-0.63	70.30	60.79	349.53	761.12
0.00	0.00	-111.91	0.83	-2.00	42.6	75.19	65.01	310.55	854.18
0.00	0.00	-158.01	0.29	-76.53	0.39	0.00	0.00	314.58	900.32
106 एचएमटी वाचिस लिमिटेड									
0.00	0.00	-1292.40	0.13	-426.46	0.14	1132.73	644.35	96.64	1298.89
0.00	0.00	-1546.14	0.16	-542.80	0.23	1355.81	937.42	63.05	1552.63
0.00	0.00	-1770.18	0.13	-1106.24	0.06	607.40	607.40	63.40	1776.67
107 इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	52.15	6.40	191.37	1.80	79.75	17.58	386.10	62.41
0.00	0.00	23.34	-1.57	178.79	-0.13	82.28	82.28	387.64	98.98
0.00	0.00	-38.59	1.75	28.07	-1.82	73.22	5.56	345.17	166.67
108 राजस्थान इलैक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रूमेन्टस लिमिटेड									
0.73	0.14	20.53	0.09	30.70	0.13	3.28	0.00	73.40	0.00
0.90	0.10	28.06	0.18	37.15	0.19	2.45	0.00	95.56	0.00
2.11	0.17	47.66	0.39	50.62	0.56	1.03	0.00	158.63	0.00
109 रिचर्डसन एण्ड क्रुडस (1972) लिमिटेड									
0.00	0.00	-320.97	0.09	-218.56	-0.02	337.80	337.80	72.07	375.80
0.00	0.00	-342.52	0.06	-240.30	-0.05	368.57	368.57	79.13	397.35
0.00	0.00	-342.52	0.06	-240.75	-0.05	368.57	368.57	79.13	397.35
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
110 इन्जीनियरिंग प्रोजेक्टस (इण्डिया) लिमिटेड									
7.08	0.20	153.68	0.26	145.00	0.21	0.00	0.00	4177.63	0.00
7.08	0.20	160.50	0.09	151.98	0.16	0.00	0.00	5563.91	0.00
7.08	0.20	176.73	0.14	245.12	0.17	0.00	0.00	5986.41	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
व्यापार एवं विपणन									
111 एचएमटी (इन्टरनेशनल) लिमिटेड									
2009-10	0.72	0.00	30.80	4.17	0.17	4.00	0.04	1.30	2.66
2010-11	0.72	0.00	27.89	0.50	0.18	0.32	0.01	0.11	0.21
2011-12	0.72	0.00	32.40	1.95	0.19	1.76	0.02	0.39	1.35
परिवहन उपस्कर									
112 नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	5.65	5.65	3.03	2.66	0.02	2.65	14.66	0.00	-12.02
2010-11	5.65	5.65	0.00	2.68	0.01	2.66	14.66	7.67	-19.67
2011-12	5.65	5.65	0.00	2.31	0.01	2.29	14.68	0.84	-13.23
गृह कार्य									
ठेका एवं निर्माण सेवाएं									
113 दिल्ली पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	5.00	5.00	0.00	1.35	0.00	1.35	0.01	0.46	0.89
2010-11	5.00	5.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.63	0.19	0.42
2011-12	5.00	5.00	35.61	0.57	0.00	0.57	0.00	0.18	0.39
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन									
ठेका एवं निर्माण सेवाएं									
114 हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड									
2009-10	134.77	134.77	162.43	3.65	0.11	3.54	0.45	0.61	2.47
2010-11	134.77	134.77	203.07	6.17	0.14	6.03	0.27	1.15	4.61
2011-12	134.77	134.77	229.12	3.25	0.16	3.09	0.00	0.61	2.47
वित्तीय सेवाएं									
115 हाउसिंग एण्ड अर्बन डिवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	2001.90	2001.90	2509.94	2169.07	4.52	2164.55	1378.73	290.51	495.31
2010-11	2001.90	2001.90	2276.20	2088.32	11.42	2076.91	1255.43	271.45	550.03
2011-12	2001.90	2001.90	2738.36	2497.96	4.60	2493.36	1553.39	309.64	630.33
मानव संसाधन विकास									
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
116 एजूकेशनल कन्सलटेन्टस इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	1.50	1.50	65.46	7.05	0.32	6.73	0.00	2.71	4.02
2010-11	1.50	1.50	67.23	4.39	0.53	3.85	0.00	1.36	2.49
2011-12	1.50	1.50	86.49	4.27	0.38	3.89	0.00	1.44	2.45
सूचना एवं प्रसारण									
ठेका एवं निर्माण सेवाएं									
117 ब्राडकास्ट इन्जीनियरिंग कन्सलटेन्टस इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	1.36	1.36	12.96	2.65	0.29	2.36	0.00	0.85	1.52
2010-11	1.36	1.36	90.79	8.47	0.44	8.03	0.00	2.74	5.29
2011-12	1.36	1.36	109.04	5.00	0.41	4.59	1.87	0.69	2.03

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
व्यापार एवं विपणन									
111 एचएमटी (इन्टरनेशनल) लिमिटेड									
0.14	0.20	25.48	0.10	26.60	0.15	0.00	0.00	44.18	0.00
0.14	0.20	25.52	0.01	26.66	0.01	0.00	0.00	43.16	0.00
0.14	0.20	26.70	0.05	28.34	0.06	0.00	0.00	53.72	0.00
परिवहन उपस्कर									
112 नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
0.00	0.00	-331.76	0.04	2.14	1.24	333.91	333.91	9.61	337.42
0.00	0.00	-351.44	0.06	2.85	0.93	70.67	70.67	10.13	357.09
0.00	0.00	-364.67	0.04	4.30	0.53	368.96	368.96	7.38	370.32
गृह कार्य									
ठेका एवं निर्माण सेवाएं									
113 दिल्ली पुलिस हाऊसिंग कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	6.07	0.15	24.80	0.05	25.00	0.00	31.72	0.00
0.00	0.00	7.08	0.06	0.68	0.89	0.00	0.00	7.44	0.00
0.00	0.00	6.88	0.06	6.87	0.08	0.00	0.00	7.89	0.00
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन									
ठेका एवं निर्माण सेवाएं									
114 हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड									
0.00	0.00	5.53	0.45	11.21	0.32	0.00	0.00	144.05	129.24
0.00	0.00	10.14	0.45	10.14	0.59	0.00	0.00	206.40	124.63
0.00	0.00	12.61	0.20	10.76	0.29	0.00	0.00	249.38	122.16
वित्तीय सेवाएं									
115 हाउसिंग एण्ड अर्बन डिवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड									
59.08	0.03	5097.09	0.10	19321.36	0.11	15300.48	52.96	21930.40	0.00
110.02	0.05	5520.97	0.10	20270.69	0.10	15678.66	52.96	22668.82	0.00
140.01	0.07	5988.89	0.11	19497.96	0.13	13722.99	52.96	27493.47	0.00
मानव संसाधन विकास									
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
116 एजूकेशनल कन्सलटेन्टस इण्डिया लिमिटेड									
1.50	1.00	19.58	0.21	19.13	0.35	0.00	0.00	72.38	0.00
1.50	1.00	20.24	0.12	19.49	0.20	0.00	0.00	71.16	0.00
1.50	1.00	20.85	0.12	20.76	0.19	0.00	0.00	75.32	0.00
सूचना एवं प्रसारण									
ठेका एवं निर्माण सेवाएं									
117 ब्राडकास्ट इन्जीनियरिंग कन्सलटेन्टस इण्डिया लिमिटेड									
0.29	0.21	25.34	0.06	22.11	0.11	0.00	0.00	81.02	0.00
1.02	0.75	29.44	0.18	40.77	0.20	0.00	0.00	132.92	0.00
0.43	0.31	30.97	0.07	38.29	0.12	0.00	0.00	109.89	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
वित्तीय सेवाएं									
118 नेशनल फिल्म डिवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	14.00	14.00	14.32	-5.88	1.77	-7.65	2.95	0.53	-11.13
2010-11	45.40	45.40	181.25	2.53	0.81	1.72	0.03	0.00	1.69
2011-12	45.40	45.40	248.44	5.27	1.13	4.14	0.06	0.00	4.08
खान									
खनिज एवं धातु									
119 भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड									
2009-10	51.06	51.06	0.00	-17.29	0.72	-18.01	61.48	0.00	-79.49
2010-11	51.06	51.06	0.00	-2.46	0.66	-3.12	64.13	0.00	-67.26
2011-12	51.06	51.06	0.00	-1.87	0.61	-2.48	67.31	0.00	-69.79
120 मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	119.55	119.55	122.42	24.23	3.19	21.04	0.00	6.58	14.46
2010-11	119.55	119.55	128.90	21.72	4.48	17.25	0.00	5.29	11.96
2011-12	119.55	119.55	150.13	29.07	4.01	25.06	0.00	7.74	17.32
अल्पसंख्यक मामले									
वित्तीय सेवाएं									
121 नेशनल माइनॉरिटिज डिवलपमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	791.34	644.77	24.07	15.46	0.32	15.14	0.00	0.00	15.14
2010-11	933.17	760.36	26.66	31.89	0.29	31.61	0.00	0.00	31.61
2011-12	1072.19	875.36	28.36	40.38	0.47	39.90	0.00	0.00	39.90
नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा									
वित्तीय सेवाएं									
122 इण्डिया रिनिवेबल एनर्जी डिवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड									
2009-10	539.60	539.60	321.71	282.36	3.11	279.25	138.20	68.36	72.69
2010-11	589.60	589.60	361.05	338.52	3.03	335.49	168.79	46.23	120.46
2011-12	639.60	639.60	522.00	417.42	3.24	414.19	206.06	34.99	173.13
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस									
औद्योगिक विकास									
123 बीको लारी लिमिटेड									
2009-10	42.00	24.10	65.68	3.23	0.67	2.56	0.82	0.01	1.73
2010-11	42.00	24.10	84.43	6.02	0.66	5.36	1.60	0.02	3.75
2011-12	74.76	24.10	46.25	-12.95	0.65	-13.60	1.94	4.59	-20.13
124 ब्रह्मपुत्र क्रेकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड									
2009-10	315.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	564.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1128.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
वित्तीय सेवाएं									
118 नेशनल फिल्म डिवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	-14.73	0.76	9.52	-0.80	23.40	23.40	43.41	27.62
0.00	0.00	12.18	0.14	18.85	0.09	6.96	6.96	204.49	33.07
0.00	0.00	16.43	0.25	33.19	0.12	0.00	0.00	221.45	28.99
खान									
खनिज एवं धातु									
119 भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड									
0.00	0.00	-1236.29	0.06	-84.46	0.21	1123.09	1123.09	22.12	1287.81
0.00	0.00	-1303.55	0.05	-90.17	0.03	1177.85	1177.85	21.76	1355.07
0.00	0.00	-1373.40	0.05	-1149.64	0.00	224.81	224.81	21.00	1424.92
120 मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	126.13	0.11	126.46	0.17	0.00	0.00	150.00	0.00
0.00	0.00	138.07	0.09	136.47	0.13	0.00	0.00	162.31	0.00
0.00	0.00	155.07	0.11	152.28	0.16	0.00	0.00	173.77	0.00
अल्पसंख्यक मामले									
वित्तीय सेवाएं									
121 नेशनल माइनॉरिटिज डिवलपमेन्ट एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	927.64	0.02	927.64	0.02	0.00	0.00	933.64	0.00
0.00	0.00	1101.07	0.03	1101.08	0.03	0.00	0.00	1108.97	0.00
0.00	0.00	1280.00	0.03	1280.00	0.03	0.00	0.00	1288.46	0.00
नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा									
वित्तीय सेवाएं									
122 इण्डिया रिनिवेबल एनर्जी डिवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड									
12.53	0.02	959.33	0.08	3687.23	0.08	2754.81	241.85	3995.75	0.00
20.00	0.03	1264.12	0.10	3680.36	0.09	2475.19	239.08	4073.28	0.00
25.00	0.04	1457.99	0.12	5413.57	0.08	4143.83	233.03	6030.21	0.00
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस									
औद्योगिक विकास									
123 बीको लारी लिमिटेड									
0.00	0.00	-6.29	-0.28	29.35	0.09	32.76	0.00	75.00	48.61
0.00	0.00	-2.55	-1.47	35.83	0.15	32.76	0.00	97.64	44.86
0.00	0.00	10.08	-2.00	13.53	-1.01	0.00	0.00	80.08	64.99
124 ब्रह्मपुत्र क्रेकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड									
0.00	0.00	767.20	0.00	213.03	0.00	50.00	0.00	903.78	0.00
0.00	0.00	1823.98	0.00	117.89	0.00	333.00	0.00	2451.24	0.00
0.00	0.00	3270.20	0.00	533.06	0.00	977.00	0.00	4770.89	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
125 सर्टिफिकेशन इन्जीनियर्स इन्टरनेशनल लिमिटेड									
2009-10	1.00	0.00	23.92	13.79	0.14	13.65	0.00	4.71	8.93
2010-11	1.00	0.00	29.49	15.49	0.17	15.32	0.00	5.10	10.22
2011-12	1.00	0.00	29.88	15.05	0.18	14.86	0.00	4.80	10.06
पेट्रोलियम									
126 भारत पेट्रो रिसॉर्सिज जेपीडीए लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	0.00	-3.07	0.00	-3.07	0.00	0.32	-3.39
2010-11	15.00	0.00	0.00	-0.24	0.00	-0.24	0.00	0.00	-0.24
2011-12	15.00	0.00	0.00	-1.96	0.00	-1.96	0.00	0.00	-1.96
127 भारत पेट्रो रिसॉर्सिज लिमिटेड									
2009-10	702.55	0.00	0.00	-35.50	0.22	-35.72	0.00	0.00	-35.72
2010-11	1100.00	0.00	0.00	-18.38	0.60	-18.98	0.00	0.00	-18.98
2011-12	1220.00	0.00	0.00	-87.46	1.49	-88.94	0.00	0.00	-88.94
128 सीआरईडीए-एचपीसीएल बॉयफ्यूल लिमिटेड									
2009-10	10.58	0.00	0.00	-0.55	0.00	-0.55	0.00	0.00	-0.56
2010-11	10.58	0.00	0.00	-5.98	0.02	-6.00	0.00	0.01	-6.01
2011-12	18.85	0.00	0.04	5.15	0.13	5.03	0.00	0.00	5.02
129 गेल गैस लिमिटेड									
2009-10	57.70	0.00	2.79	-17.00	0.09	-17.09	0.00	-0.15	-16.94
2010-11	135.95	0.00	29.87	-1.16	0.82	-1.98	0.10	-3.18	1.11
2011-12	222.30	0.00	290.77	19.83	5.11	14.72	2.47	3.91	8.34
130 एचओसी चेमातुर लिमिटेड									
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	11.22	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
131 एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड									
2009-10	164.16	0.00	0.00	-2.73	0.00	-2.73	0.00	0.00	-2.74
2010-11	205.52	0.00	0.00	-4.85	2.28	-7.14	0.00	0.00	-7.14
2011-12	205.52	0.00	4.93	-12.64	13.38	-26.02	17.58	0.00	-43.60
132 इण्डियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड									
2009-10	293.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	962.00	0.00	0.00	-5.25	3.95	-9.20	0.00	0.00	-9.20
2011-12	1532.12	0.00	0.00	0.90	3.37	-2.47	0.00	0.00	-2.47
133 आईओसी-क्रेडा बायोफ्यूल्स लिमिटेड									
2009-10	5.53	0.00	0.04	-1.36	0.00	-1.36	0.00	0.00	-1.36
2010-11	12.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.09	-0.07
2011-12	16.00	0.00	0.02	0.00	0.01	-0.01	0.00	-0.02	0.01
134 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड									
2009-10	735.63	0.00	7881.96	520.49	153.64	366.85	5.14	129.63	232.08
2010-11	735.63	0.00	8972.19	613.61	170.17	443.44	28.89	135.29	279.26
2011-12	735.63	0.00	14075.58	500.01	173.97	326.04	38.58	103.76	183.70
135 ओएनजीसी विदेश लिमिटेड									
2009-10	1000.00	0.00	4835.73	3444.02	1172.7	2271.27	377.24	722.90	1171.13
2010-11	1000.00	0.00	5659.86	4256.19	1461.4	2794.71	224.11	428.14	2142.46
2011-12	1000.00	0.00	7431.38	4319.09	1106.1	3212.96	197.47	1139.40	1876.08

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
125 सर्टिफिकेशन इन्जीनियर्स इन्टरनेशनल लिमिटेड									
3.00	3.00	39.15	0.23	38.75	0.35	0.00	0.00	45.66	0.00
3.25	3.25	45.59	0.22	45.10	0.34	0.00	0.00	52.93	0.00
3.50	3.50	51.58	0.20	50.41	0.29	0.00	0.00	58.59	0.00
पेट्रोलियम									
126 भारत पेट्रो रिसॉर्सिज जेपीडीए लिमिटेड									
0.00	0.00	-5.34	0.63	-32.54	0.09	52.50	0.00	111.42	5.39
0.00	0.00	9.37	-0.03	1.90	-0.13	68.13	0.00	77.74	0.00
0.00	0.00	7.40	-0.27	0.96	-2.05	74.45	0.00	83.12	7.60
127 भारत पेट्रो रिसॉर्सिज लिमिटेड									
0.00	0.00	644.52	-0.06	89.28	-0.40	327.00	0.00	974.79	57.03
0.00	0.00	1023.99	-0.02	126.38	-0.15	635.10	0.00	1667.85	76.01
0.00	0.00	1055.04	-0.08	-5.74	15.5	786.85	0.00	1931.06	164.96
128 सीआरईडीए-एचपीसीएल बॉयफ्यूल लिमिटेड									
0.00	0.00	8.92	-0.06	8.92	-0.06	0.00	0.00	9.02	1.66
0.00	0.00	3.02	-1.99	3.03	-1.98	0.00	0.00	6.63	6.82
0.00	0.00	17.05	0.29	7.56	0.66	0.00	0.00	19.51	1.80
129 गेल गैस लिमिटेड									
0.00	0.00	53.79	-0.31	3.03	-5.64	0.00	0.00	64.51	3.91
0.00	0.00	133.15	0.01	50.07	-0.04	89.41	0.00	261.33	2.80
0.00	0.00	227.84	0.04	199.90	0.07	148.65	0.00	456.95	0.00
130 एचओसी चेमातुर लिमिटेड									
0.00	0.00	11.04	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00	11.12	0.00
0.00	0.00	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.31	0.00
131 एचपीसीएल बायोफ्यूल्स लिमिटेड									
0.00	0.00	161.42	-0.02	-39.07	0.07	0.00	0.00	201.72	2.74
0.00	0.00	195.65	-0.04	88.10	-0.08	397.38	0.00	679.44	9.87
0.00	0.00	152.05	-0.29	585.78	-0.04	434.00	0.00	832.75	53.47
132 इण्डियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड									
0.00	0.00	291.03	0.00	64.38	0.00	0.00	0.00	299.18	0.00
0.00	0.00	952.80	-0.01	48.70	-0.19	0.00	0.00	1051.91	9.20
0.00	0.00	1520.44	0.00	63.85	-0.04	0.00	0.00	1718.79	11.68
133 आईओसी-क्रेडा बायोफ्यूल्स लिमिटेड									
0.00	0.00	4.17	-0.33	0.80	-1.71	0.00	0.00	4.57	1.36
0.00	0.00	10.56	-0.01	-0.64	-0.03	0.00	0.00	11.36	1.44
0.00	0.00	13.94	0.00	-2.65	0.00	0.00	0.00	17.15	1.43
134 नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड									
110.34	0.15	2450.04	0.09	2495.25	0.15	39.89	0.00	4204.49	0.00
110.34	0.15	2601.04	0.11	2885.51	0.15	96.92	0.00	4994.41	0.00
73.56	0.10	2699.26	0.07	2730.45	0.12	64.71	0.00	5182.17	0.00
135 ओएनजीसी विदेश लिमिटेड									
0.00	0.00	5948.54	0.20	4487.03	0.51	18705.68	0.00	28498.48	0.00
0.00	0.00	9445.86	0.23	6148.66	0.45	19696.30	0.00	31165.21	0.00
0.00	0.00	10088.08	0.19	3702.35	0.87	19203.60	0.00	34228.90	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
136 प्राइज पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड									
2011-12	70.00	0.00	1.05	-3.59	0.54	-4.13	0.00	0.06	-4.19
विद्युत									
विद्युत									
137 अनुशक्ति विद्युत लिमिटेड									
2011-12	0.10	0.00	0.00	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.06
138 भारतीय रेल बिजली कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	546.15	104.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2010-11	771.46	124.80	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2011-12	771.46	179.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
139 भेल इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड									
2011-12	10.50	0.00	21.14	0.55	0.93	-0.38	0.00	0.00	-0.38
140 छत्तीसगढ़ सुरगुजा पॉवर लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141 कोस्टल कर्नाटक पॉवर लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पॉवर लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
143 कोस्टल तमिलनाडु पॉवर लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	0.00	-0.06	0.00	-0.06	0.00	0.00	-0.06
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	0.00	0.03	0.07
144 एनर्जी एफिसियंशी सर्विसेज लिमिटेड									
2009-10	26.88	0.00	0.00	-1.21	0.00	-1.21	0.00	0.00	-1.21
2010-11	100.00	0.00	1.54	3.31	0.05	3.26	0.00	1.10	2.17
2011-12	100.00	0.00	2.26	8.17	0.14	8.02	0.03	2.98	5.02
145 घोगरपल्ली इन्टीग्रेटिड पॉवर कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
136 प्राइज पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	36.10	-0.12	8.13	-0.51	0.00	0.00	10.06	33.90
विद्युत									
विद्युत									
137 अनुशक्ति विद्युत लिमिटेड									
0.00	0.00	0.04	-1.62	0.04	-1.62	0.00	0.00	0.10	0.06
138 भारतीय रेल बिजली कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	545.66	0.00	156.61	0.00	0.00	0.00	555.29	0.49
0.00	0.00	770.95	0.00	277.86	0.00	124.55	0.00	942.96	0.51
0.00	0.00	770.94	0.00	506.20	0.00	560.65	0.00	1482.84	0.53
139 भेल इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड									
0.00	0.00	10.12	-0.04	12.49	-0.03	0.00	0.00	19.37	0.38
140 छत्तीसगढ़ सुरगुजा पॉवर लिमिटेड									
0.00	0.00	0.05	-0.04	6.97	0.00	40.00	0.00	42.46	0.00
0.00	0.00	0.05	0.00	-1.08	0.00	40.00	0.00	46.64	0.00
0.00	0.00	0.05	0.00	-50.25	0.00	0.00	0.00	51.96	0.00
141 कोस्टल कर्नाटक पॉवर लिमिटेड									
0.00	0.00	0.05	-0.04	-0.40	0.01	1.39	0.00	1.89	0.00
0.00	0.00	0.05	0.00	-0.68	0.00	1.40	0.00	2.14	0.00
0.00	0.00	0.05	0.00	-0.98	0.00	1.42	0.00	2.46	0.00
142 कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पॉवर लिमिटेड									
0.00	0.00	0.05	-0.08	36.16	0.00	40.00	0.00	43.23	0.00
0.00	0.00	0.05	0.00	35.55	0.00	40.00	0.00	45.85	0.00
0.00	0.00	0.05	0.00	34.98	0.00	40.00	0.00	49.40	0.00
143 कोस्टल तमिलनाडु पॉवर लिमिटेड									
0.00	0.00	-0.01	6.23	31.09	0.00	40.00	0.00	46.58	0.06
0.00	0.00	-0.01	0.00	21.96	0.00	40.00	0.00	50.48	0.06
0.00	0.00	0.06	1.24	10.96	0.01	40.00	0.00	54.11	0.00
144 एनर्जी एफिसियंशी सर्विसेज लिमिटेड									
0.00	0.00	25.67	-0.05	25.66	-0.05	0.00	0.00	26.80	1.21
0.00	0.00	102.17	0.02	101.35	0.03	0.00	0.00	111.63	0.00
0.00	0.00	107.19	0.05	107.14	0.07	0.00	0.00	124.64	0.00
145 घोगरपल्ली इन्टीग्रेटिड पॉवर कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	0.04	-0.14	15.12	0.00	15.42	0.00	15.86	0.01
0.00	0.00	0.04	0.00	14.68	0.00	15.18	0.00	16.54	0.01
0.00	0.00	0.04	0.00	14.40	0.00	15.18	0.00	17.84	0.01

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
146 कान्ति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड									
2009-10	92.89	0.00	0.00	-0.08	0.00	-0.08	0.00	0.00	-0.08
2010-11	344.66	0.00	48.58	0.18	10.98	-10.80	3.82	0.00	-14.62
2011-12	566.88	0.00	127.53	38.06	21.96	16.11	8.37	2.38	5.35
147 लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	60.00	0.00	0.00	-1.16	0.00	-1.16	0.00	0.00	-1.16
2010-11	98.46	0.00	0.00	4.16	0.00	4.16	0.00	1.45	2.71
2011-12	103.46	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	1.95	4.05
148 मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड									
2009-10	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	168.86	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2011-12	224.86	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.02
149 नबीनगर पॉवर जेनरेटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड									
2009-10	223.00	0.00	0.00	-0.68	0.00	-0.68	0.00	0.00	-0.68
2010-11	306.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2011-12	483.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
150 नापत्तीनम-मधुगिरी ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड									
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151 एनएचडीसी लिमिटेड									
2009-10	1962.58	0.00	902.68	909.27	249.63	659.64	282.29	165.05	212.30
2010-11	1962.58	0.00	917.03	892.85	250.15	642.70	257.32	81.25	304.13
2011-12	1962.58	0.00	1265.64	1336.58	257.56	1079.02	231.68	200.44	646.90
152 नोर्थ-ईस्ट ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड									
2010-11	148.52	0.00	0.00	-3.05	0.02	-3.07	33.84	0.00	-36.91
2011-12	281.22	0.00	0.00	-3.84	0.02	-3.87	101.27	0.00	-105.14
153 नोर्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	3232.76	3231.93	1022.13	581.95	209.89	372.06	34.65	48.03	289.38
2010-11	3277.76	3231.93	1198.27	520.93	189.45	331.48	13.93	53.99	263.57
2011-12	3292.24	3292.23	1197.67	424.20	151.07	273.13	8.85	45.16	219.12
154 एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	0.08	0.00	75.76	40.70	0.29	40.41	0.01	13.81	26.59
2010-11	0.08	0.00	57.25	15.72	0.19	15.53	6.43	3.08	6.02
2011-12	0.08	0.00	46.10	11.32	0.20	11.12	0.00	3.46	7.66
155 एनटीपीसी हाएड्रो लिमिटेड									
2009-10	102.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	114.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	121.56	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
156 एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड									
2009-10	20.00	0.00	71.52	43.18	0.07	43.11	0.04	14.68	28.39
2010-11	20.00	0.00	58.43	45.39	0.06	45.33	0.20	15.07	30.06
2011-12	20.00	0.00	48.60	168.05	0.04	168.00	1.57	54.50	111.93
157 ओडिशा इन्टीग्रेटिड पॉवर लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	0.00	-0.22	0.00	-0.22	0.00	0.00	-0.22
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
146 कान्ति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड									
0.00	0.00	280.30	0.00	30.18	0.00	26.28	0.00	345.76	0.08
0.00	0.00	628.05	-0.02	118.76	-0.09	21.71	0.00	809.54	14.66
0.00	0.00	920.49	0.01	411.35	0.04	463.92	0.00	1603.90	9.31
147 लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलैक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	58.84	-0.02	26.26	-0.04	0.00	0.00	94.67	0.00
0.00	0.00	100.00	0.03	59.49	0.07	0.00	0.00	110.82	0.00
0.00	0.00	109.06	0.04	67.26	0.09	0.00	0.00	121.56	0.00
148 मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड									
0.00	0.00	96.41	0.00	45.35	0.00	0.00	0.00	109.23	2.45
0.00	0.00	166.39	0.00	61.12	0.00	0.00	0.00	221.19	2.47
0.00	0.00	222.37	0.00	53.71	0.00	0.00	0.00	286.59	2.49
149 नबीनगर पॉवर जेनरेटिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड									
0.00	0.00	221.74	0.00	22.49	-0.03	0.00	0.00	245.04	1.26
0.00	0.00	304.74	0.00	82.78	0.00	0.00	0.00	326.55	1.26
0.00	0.00	481.72	0.00	424.55	0.00	0.00	0.00	689.72	1.28
150 नागत्तीनम-मधुगिरी ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	0.05	-0.07	-19.46	0.00	0.00	0.00	19.51	0.00
151 एनएचडीसी लिमिटेड									
21.23	0.01	4397.51	0.05	7058.10	0.09	2483.31	0.00	7446.37	0.00
39.25	0.02	4625.23	0.07	6992.17	0.09	2202.35	0.00	7393.16	0.00
58.88	0.03	5238.65	0.12	6956.76	0.16	1639.82	0.00	8240.80	0.00
152 नोर्थ-ईस्ट ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	148.52	-0.25	-45.94	0.07	599.07	0.00	851.73	0.00
0.00	0.00	281.22	-0.37	-97.67	0.04	1132.71	0.00	1547.48	0.00
153 नोर्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कम्पनी लिमिटेड									
86.81	0.03	4406.82	0.07	2861.99	0.13	637.04	15.30	5709.66	0.00
79.07	0.02	4619.28	0.06	3005.73	0.11	869.73	15.30	6181.71	0.00
65.73	0.02	4780.15	0.05	3522.63	0.08	1223.69	163.13	6748.95	0.00
154 एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड									
4.00	50.00	49.38	0.54	49.12	0.82	0.00	0.00	1150.69	0.00
4.00	50.00	50.73	0.12	50.49	0.31	0.00	0.00	953.86	0.00
5.00	61.80	52.58	0.15	52.34	0.21	0.00	0.00	964.93	0.00
155 एनटीपीसी हाएड्रो लिमिटेड									
0.00	0.00	94.42	0.00	18.85	0.00	0.00	0.00	98.73	8.13
0.00	0.00	106.33	0.00	20.05	0.00	0.00	0.00	108.94	8.13
0.00	0.00	113.42	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00	116.19	8.14
156 एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड									
10.00	0.50	106.90	0.27	106.91	0.40	0.00	0.00	209.91	0.00
15.00	0.75	167.87	0.18	167.88	0.27	0.00	0.00	270.00	0.00
20.00	1.00	324.57	0.34	325.44	0.52	0.00	0.00	697.91	0.00
157 ओडिशा इन्टीग्रेटिड पॉवर लिमिटेड									
0.00	0.00	-0.17	1.30	27.53	-0.01	40.00	0.00	47.60	0.22
0.00	0.00	-0.17	-0.03	-5.74	0.00	51.34	0.00	64.23	0.22
0.00	0.00	-0.17	0.00	-71.37	0.00	0.00	0.00	78.54	0.22

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
158 पीएफसी कैपीटल एडवाईज़री सर्विसेज लिमिटेड									
2011-12	0.10	0.00	0.16	0.08	0.00	0.08	0.00	0.03	0.05
159 पीएफसी कंसलटिंग लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	41.10	33.76	0.01	33.74	0.73	11.39	21.62
2010-11	0.05	0.00	46.07	40.87	0.02	40.84	0.27	13.62	26.96
2011-12	0.05	0.00	49.06	42.19	0.08	42.11	0.00	14.45	27.66
160 पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड									
2011-12	4.99	0.00	0.00	-2.35	0.00	-2.35	0.00	-0.73	-1.62
161 पावर इक्विटी कैपीटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड									
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162 पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	0.00	-1.28	0.00	-1.28	0.00	0.00	-1.28
2010-11	30.64	0.00	97.31	57.37	30.92	26.45	1.32	15.20	9.93
2011-12	30.64	0.00	161.59	105.74	20.11	85.63	5.74	29.37	50.52
163 आरईसी पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	9.75	1.59	0.02	1.57	0.00	0.53	1.04
2010-11	0.05	0.00	19.84	6.20	0.03	6.17	0.00	2.13	4.04
2011-12	0.05	0.00	22.77	12.91	0.03	12.88	0.02	4.19	8.67
164 आरईसी ट्रान्समिशन पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	10.20	19.80
2010-11	0.05	0.00	15.00	16.36	0.00	16.36	0.00	5.44	10.92
2011-12	0.05	0.00	15.00	18.10	0.00	18.10	0.01	6.39	11.71
165 सखीगोपाल इन्ट्रीग्रेटिड पॉवर कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	0.05	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
166 सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया									
2011-12	4.00	2.00	0.00	-2.33	0.00	-2.33	0.00	0.00	-2.33
167 टटिया आन्ध्र मेगा पॉवर									
2009-10	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 टेहरी हाइड्रो डिवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	3297.58	2373.70	1416.70	1254.89	345.83	909.05	418.39	10.71	479.95
2010-11	3297.58	2373.70	1670.04	1420.05	349.52	1070.53	391.33	78.72	600.48
2011-12	3342.58	2373.70	2045.58	1784.87	450.80	1334.07	531.73	98.51	703.83
169 वेमगिरी ट्रान्समिशन सिस्टम लिमिटेड									
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
170 विजाग ट्रान्समिशन लिमिटेड									
2011-12	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
158 पीएफसी कैपीटल एडवाईज़री सर्विसेज लिमिटेड									
0.00	0.00	0.15	0.33	0.14	0.56	0.00	0.00	0.20	0.00
159 पीएफसी कंसलटिंग लिमिटेड									
0.00	0.00	31.42	0.69	31.32	1.08	0.00	0.00	80.80	0.00
0.00	0.00	58.38	0.46	58.39	0.70	0.00	0.00	88.78	0.00
0.00	0.00	86.04	0.32	86.03	0.49	0.00	0.00	106.63	0.00
160 पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड									
0.00	0.00	3.37	-0.48	2.64	-0.89	0.00	0.00	2.73	1.62
161 पावर इक्विटी कैपीटल एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड									
0.00	0.00	0.05	0.04	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00
162 पावर सिस्टम ऑपरेशन कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	-1.23	1.04	-1.23	1.04	0.00	0.00	0.05	1.28
3.06	0.10	78.92	0.13	152.09	0.17	40.31	0.00	1194.69	0.00
9.20	0.30	116.76	0.43	157.44	0.54	0.00	0.00	860.90	0.00
163 आरईसी पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड									
0.05	1.00	4.17	0.25	4.18	0.38	0.00	0.00	13.79	0.00
0.05	1.00	8.15	0.50	8.16	0.76	0.00	0.00	29.54	0.00
0.05	1.00	16.13	0.54	16.46	0.78	0.00	0.00	36.38	0.00
164 आरईसी ट्रान्समिशन पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	19.85	1.00	19.70	1.52	0.00	0.00	42.29	0.00
0.00	0.00	30.77	0.35	30.77	0.53	0.00	0.00	30.79	0.00
0.10	2.00	42.36	0.28	42.36	0.43	0.00	0.00	45.93	0.00
165 सखीगोपाल इन्ट्रीग्रेटिड पॉवर कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	0.04	-0.14	15.35	0.00	15.67	0.00	16.21	0.01
0.00	0.00	0.04	0.00	15.68	0.00	16.27	0.00	17.75	0.01
0.00	0.00	0.04	0.00	15.25	0.00	16.27	0.00	19.15	0.01
166 सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इडिया									
0.00	0.00	1.67	-1.40	1.34	-1.74	0.00	0.00	1.46	2.33
167 टटिया आन्ध्र मेगा पॉवर									
0.00	0.00	0.05	-0.06	-0.15	0.02	0.83	0.00	1.13	0.00
0.00	0.00	0.05	0.00	12.73	0.00	18.15	0.00	19.39	0.00
0.00	0.00	0.05	0.00	12.39	0.00	20.00	0.00	23.04	0.00
168 टेहरी हाइड्रो डिवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड									
145.00	0.04	5450.20	0.09	7958.11	0.11	4453.99	0.00	10781.30	0.00
181.00	0.05	5772.66	0.10	9709.37	0.11	4561.42	0.00	11518.26	0.00
212.00	0.06	6207.14	0.11	10392.86	0.13	4488.34	0.00	12454.65	0.00
169 वेमगिरी ट्रान्समिशन सिस्टम लिमिटेड									
0.00	0.00	0.05	-0.06	-17.91	0.00	0.00	0.00	17.96	0.00
170 विजाग ट्रान्समिशन लिमिटेड									
0.00	0.00	0.05	-0.06	-0.36	0.01	0.00	0.00	0.41	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
रेलवे									
ठेका एवं निर्माण सेवाएं									
171 इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड									
2009-10	0.40	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2010-11	4.90	0.00	1.10	0.09	0.00	0.09	0.00	0.02	0.07
2011-12	4.90	0.00	6.06	3.82	0.00	3.82	0.00	1.26	2.56
172 रेल विकास निगम लिमिटेड									
2009-10	2085.02	2085.02	1749.08	121.71	0.67	121.04	0.00	15.58	105.46
2010-11	2085.02	2085.02	1444.65	162.03	0.82	161.21	0.00	14.36	61.09
2011-12	2085.02	2085.02	1597.92	122.80	3.47	119.33	0.00	20.94	98.38
वित्तीय सेवाएं									
173 इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	1091.00	1091.00	3433.62	3246.21	0.35	3245.86	2457.58	345.60	442.69
2010-11	1602.00	1602.00	3818.05	3727.71	0.35	3727.36	2829.02	413.14	485.20
2011-12	2352.00	2102.00	4641.94	4633.93	0.35	4633.57	3620.38	532.41	480.78
भारी उद्योग									
174 भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड									
2009-10	9.07	2.24	28.41	-8.03	0.42	-8.46	0.63	0.00	-9.08
2010-11	9.07	9.07	37.54	-8.83	0.45	-9.28	0.71	0.00	-9.99
2011-12	9.07	9.07	40.65	-7.29	0.60	-7.89	0.78	0.00	-8.67
175 ब्रेथवेट एंड कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	18.60	0.00	127.61	6.73	1.73	5.00	2.92	0.32	1.75
2010-11	18.60	0.00	169.71	12.33	1.76	10.57	2.98	1.41	6.18
2011-12	24.60	24.60	257.98	13.16	1.86	11.30	2.74	1.66	6.89
176 बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	137.20	0.00	222.77	3.49	3.79	-0.30	136.06	0.00	-136.36
2010-11	162.63	0.00	152.95	1155.99	5.68	1150.31	2.75	-14.57	1162.14
2011-12	175.63	0.00	144.96	-121.78	55.91	-177.69	0.00	0.00	-177.69
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
177 राइट्स लिमिटेड									
2009-10	40.00	40.00	555.99	176.51	11.64	164.87	0.00	53.71	111.95
2010-11	40.00	40.00	750.50	375.33	12.32	363.01	0.00	119.09	243.92
2011-12	40.00	40.00	884.43	269.92	13.94	255.98	0.00	91.49	164.49
दूरसंचार सेवाएं									
178 रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
2009-10	320.94	320.94	388.10	170.66	38.19	132.47	14.79	5.39	112.29
2010-11	320.94	320.94	326.27	158.52	47.14	111.38	11.27	1.12	95.41
2011-12	325.26	320.94	347.42	221.18	110.33	110.85	6.19	18.81	85.85
पर्यटन सेवाएं									
179 इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	20.00	20.00	692.02	107.31	12.55	94.76	0.00	31.71	63.05
2010-11	20.00	20.00	737.96	144.24	14.15	130.09	0.30	69.00	60.79
2011-12	20.00	20.00	526.06	91.28	14.74	76.54	0.00	28.00	48.54

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
रेलवे									
ठेका एवं निर्माण सेवाएं									
171 इरकॉन इन्फ्रास्ट्रैक्चर लिमिटेड									
0.00	0.00	0.32	-0.05	-0.46	0.03	0.00	0.00	1.10	0.00
0.00	0.00	4.95	0.01	-2.39	-0.04	23.20	0.00	35.85	0.00
0.00	0.00	7.51	0.34	-8.43	-0.45	50.92	0.00	72.20	0.00
172 रेल विकास निगम लिमिटेड									
10.00	0.00	2191.78	0.05	7083.40	0.02	5226.06	3398.23	8171.31	0.00
12.50	0.01	2239.60	0.03	6047.91	0.03	4171.70	2324.53	7299.02	0.00
20.00	0.01	2311.79	0.04	7964.59	0.01	5708.43	3979.12	9080.63	0.00
वित्तीय सेवाएं									
169 इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड									
100.00	0.09	3404.31	0.13	39477.90	0.08	32159.57	0.00	40662.92	0.00
100.00	0.06	4285.97	0.11	45092.90	0.08	38101.23	0.00	46690.21	0.00
100.00	0.04	5400.53	0.09	54932.40	0.08	46950.25	0.00	60589.29	0.00
भारी उद्योग									
170 भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड									
0.00	0.00	-6.27	1.45	2.35	-3.60	5.00	5.00	32.43	15.34
0.00	0.00	-16.26	0.61	-6.86	1.35	5.00	5.00	33.21	25.33
0.00	0.00	-24.93	0.35	1.57	-5.03	5.00	5.00	32.20	34.00
175 ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	10.66	0.16	33.88	0.15	14.12	0.00	130.92	7.98
0.00	0.00	16.84	0.37	31.67	0.33	10.47	0.00	156.25	1.80
0.00	0.00	29.73	0.23	68.28	0.17	7.10	6.77	192.07	0.00
176 बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	-1636.76	0.08	-1146.09	0.00	504.93	0.00	224.26	1773.96
0.00	0.00	488.06	2.38	508.30	2.26	34.07	0.00	630.93	0.00
0.00	0.00	427.53	-0.42	495.85	-0.36	29.30	28.50	616.30	0.00
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
177 राइट्स लिमिटेड									
23.00	0.57	694.84	0.16	544.00	0.30	0.00	0.00	1988.43	0.00
49.00	1.23	881.76	0.28	689.36	0.53	0.00	0.00	2724.64	0.00
33.00	0.82	1007.90	0.16	740.84	0.35	0.00	0.00	3090.67	0.00
दूरसंचार सेवाएं									
178 रेलटेल कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड									
15.00	0.05	552.62	0.20	660.36	0.20	146.48	62.48	1134.73	0.00
13.00	0.04	632.87	0.15	706.08	0.16	104.64	41.64	1402.27	0.00
14.00	0.04	706.77	0.12	1337.61	0.08	662.54	20.80	1650.47	0.00
पर्यटन सेवाएं									
179 इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड									
12.61	0.63	162.76	0.39	147.37	0.64	0.00	0.00	691.60	0.00
12.16	0.61	211.41	0.29	195.05	0.67	0.00	0.00	761.36	0.00
9.71	0.49	246.70	0.20	344.27	0.22	0.00	0.00	774.14	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
परिवहन उपस्कर									
180 सेल राईट्स बंगाल वेगन इन्डूस्ट्रीज लिमिटेड									
2011-12	20.44	0.00	0.00	-0.07	0.00	-0.07	0.00	0.02	-0.09
परिवहन सेवाएं									
181 डेडीकेटिड फ्राइट कॉरिडोर कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	559.13	559.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	667.13	667.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1165.05	1165.05	0.00	9.85	0.00	9.85	0.00	3.11	6.73
182 फ्रेश एण्ड हेल्दी इन्टरप्राइजेज लिमिटेड									
2009-10	48.27	0.00	24.92	-1.57	3.67	-5.24	3.82	0.00	-9.06
2010-11	48.27	0.00	64.35	9.33	3.64	5.69	5.08	0.19	0.42
2011-12	48.27	0.00	39.89	-0.53	3.62	-4.15	8.26	-0.19	-12.22
183 हसन मंगलोर रेल डिवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	112.00	45.00	156.21	75.28	30.23	45.05	1.74	7.42	35.89
2010-11	112.00	45.00	116.71	55.68	31.83	23.85	0.01	4.82	19.02
2011-12	112.00	45.00	71.12	21.27	34.01	-12.73	0.05	0.00	-12.78
184 कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	4577.80	4182.63	733.25	255.21	76.76	178.45	166.82	0.01	11.63
2010-11	4885.97	4490.80	888.10	226.42	84.65	141.77	139.91	0.03	1.83
2011-12	4885.97	4490.80	946.17	242.70	90.34	152.37	133.63	0.00	18.74
185 मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	25.00	12.75	14.28	26.13	0.33	25.80	0.00	0.00	25.80
2010-11	25.00	12.75	9.47	11.43	0.34	11.09	0.00	0.00	11.09
2011-12	25.00	12.75	11.79	24.08	1.37	22.71	0.00	0.00	22.71
186 राइट्स इन्फ्रास्ट्रेक्चर सर्विसिस लिमिटेड									
2010-11	0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00	-0.05	0.00	0.00	-0.05
2011-12	0.05	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी									
औद्योगिक विकास									
187 सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड									
2009-10	51.77	51.77	114.52	7.08	2.40	4.69	4.33	0.24	0.12
2010-11	53.27	53.27	152.99	-10.58	2.41	-13.00	3.21	1.04	-17.25
2011-12	54.77	54.77	160.11	-8.63	2.50	-11.13	4.78	0.00	-15.91
व्यापार एवं विपणन									
188 नेशनल रिसर्च डिवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड									
2009-10	4.42	4.42	9.34	0.26	0.11	0.15	0.00	0.03	0.13
2010-11	4.42	4.42	8.16	-1.47	0.11	-1.58	0.00	-0.54	-1.04
2011-12	4.42	4.42	8.14	-0.75	0.10	-0.85	0.00	-0.26	-0.58

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
परिवहन उपस्कर									
180 सेल राईट्स बंगाल वेगन इन्ड्रस्ट्रीज लिमिटेड									
0.00	0.00	20.35	0.00	0.69	-0.10	0.00	0.00	20.56	0.09
परिवहन सेवाएं									
181 डेडीकेटिड फ्राइट कॉरिडोर कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	559.13	0.00	399.57	0.00	0.00	0.00	590.65	0.00
0.00	0.00	667.13	0.00	344.28	0.00	38.00	38.00	827.47	0.00
0.00	0.00	1165.05	0.01	607.37	0.02	93.49	93.49	1363.32	0.00
182 फ्रेश एण्ड हेल्दी इन्टरप्राइजेज लिमिटेड									
0.00	0.00	8.85	-1.02	84.62	-0.06	42.43	0.00	86.67	39.44
0.00	0.00	9.30	0.05	85.13	0.07	47.32	0.00	88.54	39.02
0.00	0.00	-2.86	4.27	32.49	-0.13	23.40	0.00	104.57	51.24
183 हसन मंगलोर रेल डिवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	241.49	0.15	423.70	0.11	182.21	140.79	441.15	0.00
0.00	0.00	260.51	0.07	405.77	0.06	176.19	126.79	449.32	0.00
0.00	0.00	246.85	-0.05	403.55	-0.03	158.16	99.79	420.87	0.00
184 कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	1246.87	0.01	3306.63	0.05	2118.50	0.00	4051.38	3330.93
0.00	0.00	1556.87	0.00	3229.81	0.04	1798.00	0.00	4244.36	3329.10
0.00	0.00	1575.60	0.01	3248.11	0.05	1666.70	0.00	4146.63	3310.36
185 मुंबई रेलवे विकास कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	132.27	0.20	338.80	0.08	234.40	234.40	971.02	0.00
0.00	0.00	141.86	0.08	293.04	0.04	187.07	0.00	405.31	0.00
0.00	0.00	164.26	0.14	337.16	0.07	186.85	0.00	406.89	0.00
186 राइट्स इन्फ्रास्ट्रेक्चर सर्विसिस लिमिटेड									
0.00	0.00	0.00	0.00	-0.69	0.07	0.00	0.00	0.74	0.05
0.00	0.00	-0.01	0.55	-2.83	0.00	0.00	0.00	2.87	0.06
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी									
औद्योगिक विकास									
187 सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड									
0.00	0.00	38.18	0.00	90.29	0.05	24.26	22.57	172.95	13.59
0.00	0.00	22.43	-0.77	62.71	-0.21	21.29	20.82	183.38	30.84
0.00	0.00	8.03	-1.98	65.20	-0.17	58.37	18.32	199.18	46.74
व्यापार एवं विपणन									
188 नेशनल रिसर्च डिवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड									
0.00	0.00	10.38	0.01	9.37	0.02	0.00	0.00	27.16	0.00
0.00	0.00	9.34	-0.11	8.77	-0.18	0.00	0.00	29.12	0.00
0.00	0.00	8.76	-0.07	10.20	-0.08	0.00	0.00	31.33	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
जहाजरानी									
परिवहन उपस्कर									
189 सेन्ट्रल इन्लैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	130.48	130.34	2.52	-2.13	3.56	-5.69	0.00	4.39	-10.08
2010-11	130.48	130.34	1.51	0.91	3.56	-2.65	0.00	2.28	-4.93
2011-12	130.48	130.34	1.31	9.15	3.33	5.82	16.27	2.64	-13.09
190 कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड									
2009-10	192.42	192.42	1248.50	364.69	15.24	349.44	18.19	108.21	223.04
2010-11	192.42	192.42	1461.72	390.18	17.61	372.57	26.67	118.37	227.53
2011-12	152.42	152.42	1416.63	284.16	18.07	266.09	13.12	80.64	172.33
191 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड									
2009-10	301.99	301.99	618.96	16.93	6.46	10.47	44.27	-36.13	2.32
2010-11	301.99	301.99	652.14	187.21	7.68	179.53	14.35	110.19	55.00
2011-12	301.99	301.99	522.20	-66.19	7.97	-74.16	11.82	0.00	-85.98
192 हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड									
2009-10	28.61	28.61	0.23	-12.12	0.60	-12.72	39.99	0.02	-52.73
*2010-11	28.61	28.61	0.23	-12.12	0.60	-12.72	39.99	0.02	-52.73
*2011-12	28.61	28.61	0.23	-12.12	0.60	-12.72	39.99	0.02	-52.73
परिवहन सेवाएं									
193 इन्नौर पोर्ट लिमिटेड									
2009-10	300.00	200.00	142.06	115.22	12.63	102.59	43.13	10.81	48.66
2010-11	300.00	200.00	167.29	125.44	12.93	112.51	42.64	14.28	55.58
2011-12	300.00	200.00	248.64	200.20	13.25	186.94	66.16	24.06	96.72
194 सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	745.00	495.00	0.00	0.62	1.18	-0.56	0.00	1.16	-1.72
2010-11	745.00	495.00	0.00	6.88	1.62	5.26	0.00	1.19	4.07
2011-12	745.00	495.00	5.73	4.09	0.55	3.54	0.00	1.64	1.91
लघु उद्योग									
औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्शी									
195 नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	232.99	232.99	543.76	49.47	1.00	48.46	22.52	1.67	24.27
2010-11	232.99	232.99	775.39	81.65	1.59	80.07	44.90	5.38	29.78
2011-12	387.99	387.99	1273.45	153.33	1.81	151.52	91.31	19.00	41.21
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता									
उपभोक्ता उत्पाद									
196 भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम लिमिटेड									
2009-10	1.96	1.96	59.17	3.02	0.80	2.22	0.00	0.00	2.22
2010-11	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	1.96	1.96	81.71	12.56	0.86	11.70	0.00	0.00	11.70
वित्तीय सेवाएं									
197 राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग वित्त एवं विकास निगम									
2009-10	562.35	562.35	22.19	15.95	0.08	15.87	0.00	0.00	15.87
2010-11	602.35	602.35	22.28	19.30	0.10	19.20	0.00	0.00	19.20
2011-12	672.35	672.35	31.17	24.25	0.14	24.11	0.00	0.00	24.11

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
जहाजरानी									
परिवहन उपस्कर									
189 सेन्ट्रल इन्लैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	-28.09	0.36	-28.09	0.20	0.00	0.00	168.02	267.58
0.00	0.00	-32.92	0.15	-22.69	0.12	0.00	0.00	170.28	0.00
0.00	0.00	-46.01	0.28	-38.76	-0.15	0.00	0.00	173.14	285.59
190 कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड									
16.87	0.09	682.96	0.33	581.32	0.60	0.00	0.00	2373.97	0.00
16.87	0.09	967.80	0.24	903.93	0.41	0.00	0.00	2533.47	0.00
19.73	0.13	1050.83	0.16	924.69	0.29	0.00	0.00	2592.54	0.00
191 हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड									
0.00	0.00	-683.01	0.00	-365.65	-0.03	373.05	317.85	928.81	985.10
0.00	0.00	-628.02	-0.09	80.46	2.23	627.67	372.21	1230.88	930.10
0.00	0.00	-714.00	0.12	-167.30	0.44	372.21	372.21	1279.71	1016.09
192 हुगली डॉक एण्ड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड									
0.00	0.00	-502.85	0.10	12.95	-0.98	517.14	515.60	128.99	531.78
0.00	0.00	-502.85	0.10	12.95	-0.98	517.14	515.60	128.99	531.78
0.00	0.00	-502.85	0.10	12.95	-0.98	517.14	515.60	128.99	531.78
परिवहन सेवाएं									
193 इन्नौर पोर्ट लिमिटेड									
9.73	0.03	421.19	0.12	713.04	0.14	416.93	0.00	976.05	0.00
11.12	0.04	463.81	0.12	751.34	0.15	426.22	0.00	1062.44	0.00
19.34	0.06	538.05	0.18	797.33	0.23	370.04	0.00	1171.44	0.00
194 सेतुसमुद्रम कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	759.13	0.00	17.89	-0.03	0.00	0.00	827.42	0.00
0.00	0.00	759.13	0.01	92.67	0.06	0.00	0.00	821.41	0.00
0.00	0.00	798.93	0.00	240.77	0.01	0.00	0.00	856.66	0.00
लघु उद्योग									
औद्योगिक विकास और तकनीकी परामर्शी									
195 नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड									
4.85	0.02	121.11	0.20	581.14	0.08	58.59	0.00	748.72	125.23
5.96	0.03	143.78	0.21	1065.18	0.08	57.20	0.00	1233.80	102.37
8.24	0.02	329.05	0.13	395.26	0.38	59.69	0.00	1769.23	74.52
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता									
उपभोक्ता उत्पाद									
196 भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम लिमिटेड									
0.00	0.00	19.65	0.11	16.42	0.14	0.00	0.00	115.46	8.88
0.00	0.00	28.53	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00	152.95	0.00
0.00	0.00	36.86	0.32	73.98	0.16	39.53	39.53	137.93	0.00
वित्तीय सेवाएं									
197 राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग वित्त एवं विकास निगम									
0.00	0.00	816.49	0.02	816.48	0.02	0.00	0.00	825.90	0.00
0.00	0.00	875.69	0.02	875.64	0.02	0.00	0.00	880.51	0.00
0.00	0.00	969.80	0.02	971.58	0.02	0.00	0.00	975.86	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
198 राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम									
2009-10	116.80	116.80	3.74	3.50	0.13	3.37	0.00	0.00	3.37
2010-11	166.80	166.80	3.16	1.65	0.10	1.55	0.00	0.00	1.55
2011-12	191.80	191.80	3.44	3.72	0.07	3.65	0.00	-0.07	3.72
199 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम									
2009-10	259.99	259.99	6.76	1.94	0.04	1.91	0.00	0.00	1.91
2010-11	299.99	299.99	8.89	4.20	0.06	4.14	0.00	0.00	4.14
2011-12	344.99	299.99	8.65	6.88	0.06	6.83	0.00	0.00	6.83
200 नेशनल शेडयूल्ड कास्ट फाइनेंस एण्ड डिवलपमेंट कारपोरेशन									
2009-10	521.80	521.80	20.81	20.00	0.24	19.76	0.00	0.00	19.76
2010-11	596.80	596.80	22.29	14.86	0.22	14.64	0.69	0.00	13.95
2011-12	676.80	676.80	33.69	21.81	0.22	21.59	0.00	0.00	21.59
अंतरिक्ष									
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
201 अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	1.00	1.00	798.77	148.09	0.13	147.96	0.00	39.56	108.40
2010-11	1.00	1.00	1035.16	210.77	0.12	210.65	0.00	75.15	138.87
2011-12	1.00	1.00	1050.78	244.92	0.10	244.82	0.00	73.84	170.98
इस्पात									
ठेका एवं निर्माण सेवाएं									
202 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड									
2009-10	117.10	117.10	785.17	48.82	2.80	46.02	100.65	-0.03	-54.59
2010-11	117.10	117.10	974.90	65.96	2.71	63.25	101.64	-0.30	-38.09
2011-12	117.10	117.10	1171.42	125.23	3.37	121.86	149.97	-0.03	-28.08
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
203 मेकॉन इंडिया लिमिटेड									
2009-10	103.14	103.14	604.78	135.90	3.79	132.11	7.41	42.07	82.62
2010-11	103.14	103.14	641.38	149.32	3.84	145.48	4.55	47.24	93.68
2011-12	90.54	90.54	643.83	212.56	4.06	208.50	6.97	65.17	136.36
खनिज एवं धातु									
204 जे एण्ड के मिनरल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	4.74	0.00	0.00	-0.34	0.24	-0.58	0.00	0.01	-0.60
2010-11	4.74	0.00	0.00	-0.32	0.24	-0.56	0.00	-0.08	-0.48
2011-12	4.74	0.00	0.00	-0.40	0.24	-0.64	0.00	0.00	-0.64
205 सेल रिफैक्ट्री कम्पनी लिमिटेड									
2011-12	0.05	0.00	32.14	1.39	0.44	0.94	0.01	0.30	0.63
विद्युत									
206 सेल जगदीशपुर पॉवर प्लांट लिमिटेड									
2011-12	0.05	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
इस्पात									
207 फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड									
2009-10	2.00	0.00	150.38	21.19	14.22	6.97	1.21	1.44	4.32
2010-11	2.00	0.00	160.78	13.46	11.55	1.92	0.14	0.58	1.20
2011-12	2.00	0.00	180.76	13.71	10.78	2.93	0.90	0.65	1.37

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
198 राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम									
0.00	0.00	142.83	0.02	5.37	0.63	0.00	0.00	145.87	0.00
0.00	0.00	194.38	0.01	194.38	0.01	0.00	0.00	200.84	0.00
0.00	0.00	223.10	0.02	223.91	0.02	0.81	0.00	227.50	0.00
199 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम									
0.00	0.00	287.45	0.01	284.46	0.01	0.00	0.00	321.60	0.00
0.00	0.00	332.40	0.01	332.40	0.01	0.00	0.00	392.97	0.00
0.00	0.00	382.30	0.02	397.34	0.02	0.00	0.00	398.43	0.00
200 नेशनल शेडयूल्ड कास्ट फाइनेंस एण्ड डिवलपमेंट कारपोरेशन									
0.00	0.00	722.34	0.03	722.34	0.03	0.00	0.00	774.75	0.00
0.00	0.00	811.50	0.02	811.50	0.02	0.00	0.00	854.87	0.00
0.00	0.00	913.52	0.02	915.99	0.02	2.50	2.50	948.43	0.00
अंतरिक्ष									
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
201 अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड									
21.70	21.70	563.68	0.19	522.89	0.28	0.00	0.00	1820.27	0.00
27.78	27.78	670.15	0.21	554.27	0.38	0.00	0.00	2178.46	0.00
34.20	34.20	801.39	0.21	1957.64	0.13	1180.30	0.00	2468.56	0.00
इस्पात									
ठेका एवं निर्माण सेवाएं									
202 हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड									
0.00	0.00	-1305.80	0.04	-237.43	-0.19	1502.91	953.30	807.98	1422.91
0.00	0.00	-1343.89	0.03	-276.85	-0.23	1601.69	1052.64	1131.84	1461.00
0.00	0.00	-1371.97	0.02	18.00	6.77	1167.94	1166.12	1328.90	1489.08
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
203 मेकॉन इंडिया लिमिटेड									
3.15	0.03	137.61	0.60	251.87	0.52	120.02	0.00	890.99	0.00
3.15	0.03	227.39	0.41	311.56	0.47	85.08	0.00	1044.21	0.00
10.98	0.12	338.15	0.40	624.34	0.33	25.00	0.00	1165.39	0.00
खनिज एवं धातु									
204 जे एण्ड के मिनरल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	-5.68	0.10	-5.68	0.10	0.00	0.00	2.82	10.42
0.00	0.00	-6.46	0.07	-7.47	0.07	0.00	0.00	3.58	10.90
0.00	0.00	-7.10	0.09	-10.21	0.06	0.00	0.00	2.35	11.54
205 सेल रिफैक्ट्री कम्पनी लिमिटेड									
0.13	2.60	44.28	0.01	47.01	0.02	0.00	0.00	77.23	0.00
विद्युत									
206 सेल जगदीशपुर पॉवर प्लांट लिमिटेड									
0.00	0.00	0.04	-0.19	0.04	-0.19	0.00	0.00	0.05	0.01
इस्पात									
207 फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड									
0.86	0.43	136.67	0.03	133.48	0.05	0.00	0.00	215.33	0.00
0.40	0.20	137.41	0.01	133.41	0.01	0.00	0.00	211.01	0.00
0.40	0.20	138.32	0.01	154.78	0.02	0.00	0.00	230.60	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
208 एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड									
2009-10	1.50	0.00	0.00	-0.24	0.00	-0.24	0.00	0.00	-0.24
2010-11	1.50	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.02
2011-12	3.05	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	-0.11	0.13
209 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड									
2009-10	7827.32	7827.32	10634.63	1602.83	277.17	1325.65	78.00	450.97	796.68
2010-11	7827.32	7827.32	11516.99	1412.65	265.94	1146.71	165.04	323.17	658.50
2011-12	7727.32	7727.32	14570.19	1645.47	344.85	1300.61	190.60	358.55	751.46
व्यापार एवं विपणन									
210 एमएसटीसी लिमिटेड									
2009-10	2.20	1.98	4193.09	279.50	1.68	277.82	141.83	49.90	86.10
2010-11	2.20	1.98	1819.65	253.15	1.30	251.85	102.45	50.24	99.16
2011-12	2.20	1.98	2625.31	279.78	2.08	277.70	101.55	57.76	118.39
कपड़ा									
उपभोक्ता उत्पाद									
211 बर्डस जूट एण्ड एक्सपोर्टस लिमिटेड									
2009-10	0.39	0.00	0.00	-0.49	0.06	-0.55	6.34	0.00	-6.90
2010-11	0.39	0.00	0.00	-0.44	0.01	-0.45	7.26	0.00	-7.71
2011-12	0.39	0.00	0.00	-2.93	0.01	-2.94	8.15	0.00	-11.09
212 नेशनल जूट मेन्युफेक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	55.80	55.80	0.00	6785.26	0.16	6785.10	0.79	0.00	6784.31
2010-11	55.80	55.80	0.00	-119.08	0.15	-119.23	10.20	0.00	-129.44
2011-12	55.80	55.80	15.76	-37.62	0.29	-37.91	0.30	0.00	-38.21
कपड़ा									
213 अपोलो डिजाइन एपेरल पार्क्स लिमिटेड									
2009-10	5.65	0.00	209.63	8.84	0.00	8.84	0.09	3.06	5.78
2010-11	5.65	0.00	234.98	7.89	0.28	7.61	0.04	2.78	5.39
2011-12	5.65	0.00	176.64	8.40	0.33	8.07	0.00	3.12	4.96
214 औरंगाबाद टेक्सटाइल एण्ड एपेरेल पार्क्स लिमिटेड									
2009-10	2.08	0.00	40.81	1.85	0.02	1.82	0.03	0.58	1.24
2010-11	2.08	0.00	54.84	1.01	0.06	0.95	0.00	0.31	0.64
2011-12	2.08	0.00	63.76	1.80	0.14	1.66	0.00	0.55	1.12
215 गोल्डमोहर डिजाइन एण्ड एपेरेल पार्क्स लिमिटेड									
2009-10	5.85	0.00	204.53	8.60	0.00	8.59	1.92	2.96	5.63
2010-11	5.85	0.00	236.56	9.15	0.38	8.77	1.77	3.25	6.28
2011-12	5.85	0.00	168.38	8.44	0.39	8.06	0.00	3.12	4.94

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
208 एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड									
0.00	0.00	1.13	-0.21	1.06	-0.23	0.00	0.00	1.32	0.37
0.00	0.00	1.11	-0.02	1.04	-0.02	0.00	0.00	1.40	0.39
0.00	0.00	2.79	0.05	2.61	0.01	0.00	0.00	2.99	0.26
209 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड									
285.29	0.04	12885.00	0.06	6708.21	0.20	0.00	0.00	18523.21	0.00
271.47	0.03	13229.22	0.05	4547.64	0.25	0.00	0.00	19053.45	0.00
190.82	0.02	13659.29	0.06	3306.36	0.39	0.00	0.00	21501.65	0.00
व्यापार एवं विपणन									
210 एमएसटीसी लिमिटेड									
17.23	7.83	408.46	0.21	1909.08	0.15	0.00	0.00	5160.18	0.00
2.20	1.00	505.20	0.20	1642.44	0.15	0.00	0.00	3416.15	0.00
23.69	10.77	596.06	0.20	576.45	0.48	0.00	0.00	4070.45	0.00
कपड़ा									
उपभोक्ता उत्पाद									
211 बर्डस जूट एण्ड एक्सपोर्टस लिमिटेड									
0.00	0.00	-76.98	0.09	-8.95	0.06	68.04	43.10	2.86	78.62
0.00	0.00	-84.70	0.09	-8.90	0.05	75.81	47.31	3.05	86.34
0.00	0.00	-95.79	0.12	-8.76	0.34	86.97	51.63	3.54	97.43
212 नेशनल जूट मेन्युफेक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	-54.00	-125.64	88.46	76.7	142.46	139.64	197.97	114.23
0.00	0.00	-183.43	0.71	108.53	-1.10	292.11	289.29	343.01	0.00
0.00	0.00	-221.64	0.17	137.40	-0.28	358.97	346.35	225.02	281.88
कपड़ा									
213 अपोलो डिजाइन एपेरल पार्क्स लिमिटेड									
2.26	0.40	74.56	0.08	74.51	0.12	0.00	0.00	85.14	0.00
2.26	0.40	84.09	0.06	84.08	0.09	0.00	0.00	88.47	0.00
2.26	0.40	86.42	0.06	87.01	0.09	0.00	0.00	92.18	0.00
214 औरंगाबाद टेक्सटाइल एण्ड एपेरेल पार्क्स लिमिटेड									
0.83	0.40	13.84	0.09	14.10	0.13	0.00	0.00	15.85	0.00
0.42	0.20	14.05	0.05	14.31	0.07	0.00	0.00	15.47	0.00
0.73	0.35	15.96	0.07	15.90	0.10	0.00	0.00	19.98	0.00
215 गोल्डमोहर डिजाइन एण्ड एपेरेल पार्क्स लिमिटेड									
2.34	0.40	70.98	0.08	70.49	0.12	0.00	0.00	81.52	0.00
2.34	0.40	81.94	0.08	82.45	0.11	0.00	0.00	88.55	0.00
2.34	0.40	84.16	0.06	85.22	0.09	0.00	0.00	89.75	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
216 इंडिया यूनाइटिड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड									
2009-10	12.71	0.00	231.60	17.81	0.03	17.78	6.67	5.88	11.96
2010-11	12.71	0.00	119.62	12.31	0.29	12.02	1.77	4.18	8.45
2011-12	12.71	0.00	237.37	12.19	0.96	11.22	0.00	3.61	7.62
217 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड									
2009-10	19.00	19.00	1020.78	4.90	0.18	4.72	0.00	1.68	3.04
2010-11	19.00	19.00	1226.75	7.08	0.15	6.93	0.00	2.62	4.30
2011-12	19.00	19.00	1101.07	3.92	0.16	3.76	0.00	1.30	2.46
218 राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड									
2009-10	3062.16	3054.88	486.47	239.54	39.82	199.71	0.00	5.36	103.13
2010-11	3062.16	3054.88	636.92	1183.28	50.17	1133.11	56.39	-386.13	1304.24
2011-12	3062.16	3054.88	692.34	259.81	71.93	187.88	48.68	9.06	130.14
219 न्यू सिटी ऑफ बंबई मेन्युफेक्चरिंग मिल्स लिमिटेड									
2009-10	9.17	0.00	128.48	4.60	0.04	4.56	1.10	0.13	3.49
2010-11	9.17	0.00	128.00	8.11	0.16	7.95	0.95	2.48	6.37
2011-12	9.17	0.00	130.68	7.31	0.31	7.00	0.00	2.53	4.46
220 दि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	31.71	30.74	3.71	-30.42	0.39	-30.81	11.88	0.02	-42.63
2010-11	31.71	30.74	1.91	-36.81	0.32	-37.13	15.20	0.00	-52.34
*2011-12	31.71	30.74	1.91	-36.81	0.32	-37.13	15.20	0.00	-52.34
व्यापार एवं विपणन									
221 सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	10.85	10.85	67.59	0.73	0.56	0.18	0.00	0.36	-0.19
2010-11	10.85	10.85	63.35	-0.42	0.57	-0.99	0.00	-0.11	-0.88
2011-12	10.85	10.85	72.49	1.29	0.61	0.68	0.01	0.17	0.49
222 जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड									
2009-10	5.00	5.00	9.83	2.64	0.06	2.58	0.02	1.00	1.56
2010-11	5.00	5.00	12.05	-11.36	0.07	-11.43	0.04	0.00	-11.47
2011-12	5.00	5.00	61.63	14.33	0.07	14.26	0.04	4.00	10.22
223 दि कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड									
2009-10	25.00	25.00	8274.04	313.12	2.33	310.79	298.81	4.20	8.17
2010-11	25.00	25.00	2694.53	86.56	2.38	84.18	86.85	-1.72	-0.96
2011-12	25.00	25.00	1761.08	-176.76	3.43	-180.19	58.23	-4.60	-233.83
224 दि हेन्डीक्राफ्टस एण्ड हेण्डलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड									
2009-10	13.82	13.82	1552.59	0.40	0.40	0.00	1.01	0.01	-1.16
2010-11	13.82	13.82	5006.63	2.01	0.50	1.51	0.07	0.13	0.92
2011-12	13.82	13.82	12128.21	20.58	0.53	20.06	0.02	5.26	14.78

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
216 इंडिया यूनाइटिड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड									
5.08	0.40	128.72	0.09	129.52	0.14	0.00	0.00	138.29	0.00
5.08	0.40	131.26	0.06	131.53	0.09	0.00	0.00	159.07	0.00
5.08	0.40	150.56	0.05	151.10	0.07	0.00	0.00	158.76	0.00
217 राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड									
0.61	0.03	42.71	0.07	32.04	0.15	0.00	0.00	175.93	0.00
0.87	0.05	33.46	0.13	32.51	0.21	0.00	0.00	154.28	0.00
0.57	0.03	35.47	0.07	33.27	0.11	0.00	0.00	215.11	0.00
218 राष्ट्रीय कपड़ा निगम लिमिटेड									
0.00	0.00	425.97	0.24	317.71	0.63	358.70	350.85	1699.07	6261.74
0.00	0.00	1730.21	0.75	1729.65	0.66	396.99	392.43	3368.48	4957.51
0.00	0.00	1860.35	0.07	2276.27	0.08	440.33	438.45	3491.07	4827.36
219 न्यू सिटी ऑफ बंबई मेन्युफेक्चरिंग मिल्स लिमिटेड									
3.67	0.40	61.35	0.06	61.33	0.07	0.00	0.00	67.68	0.00
3.67	0.40	59.94	0.11	60.04	0.13	0.00	0.00	71.54	0.00
3.21	0.35	67.82	0.07	68.00	0.10	0.00	0.00	90.49	0.00
220 दि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	-173.84	0.25	-119.25	0.26	81.80	0.00	44.50	206.02
0.00	0.00	-269.37	0.19	-9.46	3.93	205.82	205.82	56.40	0.00
0.00	0.00	-269.37	0.19	-35.11	1.06	205.82	205.82	56.40	301.58
व्यापार एवं विपणन									
221 सेन्ट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	22.53	-0.01	11.61	0.02	0.00	0.00	84.90	0.00
0.00	0.00	21.45	-0.04	10.93	-0.09	0.00	0.00	69.27	0.00
0.10	0.01	21.71	0.02	36.16	0.02	0.00	0.00	71.89	0.00
222 जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड									
0.00	0.00	64.38	0.02	64.38	0.04	0.00	0.00	177.55	0.00
0.00	0.00	52.91	-0.22	52.92	-0.22	0.00	0.00	138.09	0.00
0.00	0.00	63.13	0.16	92.70	0.15	0.00	0.00	143.60	0.00
223 दि कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड									
5.00	0.20	355.63	0.02	2090.37	0.15	0.00	0.00	2361.43	0.00
0.00	0.00	354.67	0.00	2123.10	0.04	0.00	0.00	2397.05	0.00
0.00	0.00	174.78	-1.34	183.60	-0.98	0.00	0.00	398.25	0.00
224 दि हेन्डीक्राफ्टस एण्ड हेण्डलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड									
0.00	0.00	13.00	-0.09	473.45	0.00	0.00	0.00	543.17	0.96
0.00	0.00	13.90	0.07	2348.25	0.00	0.00	0.00	2660.45	0.04
0.04	0.00	15.94	0.93	15.88	1.26	0.00	0.00	3739.58	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
पर्यटन									
पर्यटन सेवाएं									
225 असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	1.00	0.00	1.13	-0.85	0.12	-0.97	0.21	0.00	-1.18
2010-11	1.00	0.00	5.82	-0.26	0.12	-0.38	0.21	0.00	-0.59
2011-12	1.00	0.00	6.64	0.28	0.13	0.15	0.22	0.00	-0.07
226 डोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	1.00	0.00	1.80	0.56	0.05	0.51	0.00	0.16	0.35
2010-11	1.00	0.00	1.96	0.30	0.04	0.26	0.00	0.07	0.19
2011-12	1.00	0.00	2.01	0.21	0.07	0.14	0.00	0.02	0.12
227 कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड									
2009-10	0.97	0.97	6.81	9.50	0.12	9.38	0.00	3.61	5.77
2010-11	0.97	0.97	12.05	8.39	0.10	8.30	0.00	2.76	5.53
2011-12	0.97	0.97	5.59	8.33	0.07	8.27	0.24	2.60	5.43
228 मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	1.60	0.00	1.61	1.18	0.14	1.05	0.21	0.13	0.72
2010-11	1.60	0.00	1.93	1.18	0.13	1.05	0.07	0.66	0.32
2011-12	1.60	0.00	6.23	1.09	0.14	0.95	0.00	0.37	0.58
229 पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	0.60	0.00	2.20	0.34	0.12	0.22	0.00	0.13	0.09
2010-11	0.60	0.00	2.19	0.15	0.12	0.03	0.00	-0.03	0.06
2011-12	0.60	0.00	1.78	-0.26	0.14	-0.39	0.00	-0.01	-0.38
230 पंजाब अशोक होटल लिमिटेड									
2009-10	2.50	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2010-11	2.50	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01
2011-12	2.50	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231 रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	0.72	0.00	2.62	0.21	0.04	0.17	0.01	0.06	0.10
2010-11	0.72	0.00	2.32	-0.49	0.05	-0.54	0.01	0.00	-0.55
2011-12	0.72	0.00	2.05	-0.50	0.06	-0.56	0.01	0.00	-0.58
232 उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	4.80	0.00	0.00	-0.78	0.03	-0.81	0.79	0.00	-1.60
2010-11	4.80	0.00	0.00	-0.43	0.03	-0.45	0.25	0.00	-0.71
2011-12	4.80	0.00	0.00	-0.39	0.03	-0.42	0.19	0.00	-0.60

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
पर्यटन									
पर्यटन सेवाएं									
225 असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	-4.33	0.27	-3.57	0.27	0.90	0.00	4.14	5.58
0.00	0.00	-4.93	0.12	-4.11	0.09	0.90	0.00	4.75	6.18
0.00	0.00	-5.04	0.01	-0.77	-0.19	2.94	0.00	4.34	6.29
226 डोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	1.70	0.21	1.78	0.29	0.00	0.00	2.63	0.00
0.00	0.00	1.96	0.10	2.01	0.13	0.00	0.00	2.85	0.00
0.00	0.00	2.07	0.06	2.28	0.06	0.00	0.00	2.83	0.00
227 कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड									
4.87	5.00	19.39	0.30	-9.99	-0.94	0.00	0.00	63.61	0.00
4.87	5.00	19.30	0.29	-9.55	-0.87	0.00	0.00	58.69	0.00
3.90	4.00	20.13	0.27	13.39	0.62	0.00	0.00	53.82	0.00
228 मध्य प्रदेश अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	-1.59	-0.45	2.19	0.48	3.73	0.00	5.06	3.19
0.00	0.00	-1.27	-0.25	1.85	0.57	2.80	0.00	5.40	2.87
0.00	0.00	-0.68	-0.86	0.40	2.37	0.00	0.00	7.13	2.28
229 पांडिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	1.35	0.07	1.47	0.15	0.00	0.00	3.13	0.00
0.00	0.00	1.41	0.04	1.44	0.02	0.00	0.00	3.01	0.00
0.00	0.00	1.03	-0.37	1.02	-0.39	0.00	0.00	2.81	0.00
230 पंजाब अशोक होटल लिमिटेड									
0.00	0.00	2.37	0.00	-0.30	0.02	0.00	0.00	2.70	0.13
0.00	0.00	2.50	0.00	-0.34	0.02	0.00	0.00	2.72	0.00
0.00	0.00	2.37	0.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	2.74	0.13
231 रांची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	-1.24	-0.08	-0.42	-0.41	1.96	0.00	2.53	1.96
0.00	0.00	-1.75	0.32	-0.91	0.60	1.96	0.00	2.36	2.52
0.00	0.00	-2.33	0.25	-0.01	56.4	1.96	0.00	2.19	3.09
232 उत्कल अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	-13.30	0.12	-11.15	0.07	2.16	0.00	1.15	18.25
0.00	0.00	-14.01	0.05	-14.00	0.03	0.00	0.00	2.57	18.96
0.00	0.00	-14.61	0.04	-14.38	0.03	0.00	0.00	2.59	19.56

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
जनजातीय मामले									
वित्तीय सेवाएं									
233 नेशनल शेड्यूल ट्राईब्स फाइनेंस एण्ड डिवलपमेंट कारपोरेशन									
2009-10	230.50	230.50	9.80	6.15	0.31	5.84	0.00	0.00	5.84
2010-11	277.33	277.33	10.65	6.24	0.28	5.96	0.00	0.00	5.96
2011-12	312.33	312.33	12.46	14.63	0.25	14.38	0.00	0.00	14.38
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन									
उपभोक्ता उत्पाद									
234 अण्डमान फिशरीज लिमिटेड									
2009-10	1.00	0.00	0.00	-0.27	0.05	-0.32	1.08	0.00	-1.40
2010-11	1.00	0.00	0.00	-0.38	0.04	-0.42	1.24	0.00	-1.65
*2011-12	1.00	0.00	0.00	-0.38	0.04	-0.42	1.24	0.00	-1.65
वित्तीय सेवाएं									
235 चण्डीगढ़ शेड्यूल कास्ट फिनांशियल एण्ड डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	16.36	16.36	2.00	0.00	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00
*2010-11	16.36	16.36	2.00	0.00	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00
*2011-12	16.36	16.36	2.00	0.00	0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00
236 दादर एण्ड नगर हवेली, दमन एण्ड द्वीव एससी/एसटी फिनांशियल एण्ड डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	4.93	4.93	0.88	0.43	0.05	0.38	0.00	0.00	0.38
2010-11	5.13	4.93	0.79	0.34	0.04	0.29	0.00	0.00	0.29
2011-12	5.23	5.23	0.27	0.25	0.04	0.21	0.00	0.00	0.21
औद्योगिक विकास									
237 चण्डीगढ़ इण्डस्ट्रीयल एण्ड टूरिज्म डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	15.03	15.03	301.80	14.74	2.82	11.93	0.24	4.90	6.78
2010-11	15.03	15.03	331.83	13.00	3.05	9.94	0.19	4.87	4.89
*2011-12	15.03	15.03	331.83	13.00	3.05	9.94	0.19	4.87	4.89
238 आमनीबस इण्डस्ट्रीयल डिवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन, द्वीव एण्ड दादर एण्ड नगर हवेली लिमिटेड									
2009-10	8.46	8.46	35.88	3.15	0.33	2.82	0.00	1.45	1.37
2010-11	21.46	21.46	48.17	4.79	0.35	4.44	0.00	1.53	3.01
2011-12	26.06	21.46	56.39	11.61	0.37	11.23	0.00	3.90	7.34
जल संसाधन									
239 अण्डमान एण्ड निकोबार आइलेंडस इन्टीग्रेटिड डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	11.07	11.07	143.51	8.83	0.53	8.31	0.00	2.51	5.80
2010-11	11.07	11.07	167.93	11.44	0.67	10.78	0.00	4.52	6.26
*2011-12	11.07	11.07	167.93	11.44	0.67	10.78	0.00	4.52	6.26
शहरी विकास									
ठेका और निर्माण सेवाएं									
240 राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड									
2009-10	90.00	90.00	2981.98	182.58	3.12	179.46	4.87	58.10	116.50
2010-11	90.00	90.00	3126.77	217.16	3.21	213.95	4.32	69.29	140.34
2011-12	120.00	120.00	3429.32	299.18	1.96	297.22	7.39	99.66	190.17

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
जनजातीय मामले									
वित्तीय सेवाएं									
233 नेशनल शेड्यूल ट्राईब्स फाइनेंस एण्ड डिवलपमेंट कारपोरेशन									
0.00	0.00	359.91	0.02	359.88	0.02	0.00	0.00	361.46	0.00
0.00	0.00	412.70	0.01	412.69	0.01	0.00	0.00	414.95	0.00
0.00	0.00	457.21	0.03	457.05	0.03	0.00	0.00	461.14	0.00
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन									
234 उपभोक्ता उत्पाद									
234 अण्डमान फिशरीज लिमिटेड									
0.00	0.00	-9.20	0.15	-6.05	0.05	1.32	0.00	0.76	10.24
0.00	0.00	-10.86	0.15	-7.41	0.06	1.32	0.00	0.64	11.90
0.00	0.00	-10.86	0.15	-9.54	0.04	1.32	0.00	0.64	11.90
वित्तीय सेवाएं									
235 चण्डीगढ़ शेड्यूल कास्ट फिनांशियल एण्ड डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	23.45	0.00	24.41	0.00	0.97	0.00	25.82	0.00
0.00	0.00	23.45	0.00	24.41	0.00	0.97	0.00	25.82	0.00
0.00	0.00	23.45	0.00	24.42	0.00	0.97	0.00	25.82	0.00
236 दादर एण्ड नगर हवेली, दमन एण्ड द्वीव एससी/एसटी फिनांशियल एण्ड डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	7.85	0.05	7.83	0.05	0.00	0.00	8.82	0.00
0.00	0.00	8.24	0.04	8.22	0.04	0.00	0.00	9.12	0.00
0.00	0.00	8.54	0.02	9.23	0.02	0.00	0.00	9.40	0.00
औद्योगिक विकास									
237 चण्डीगढ़ इण्डस्ट्रीयल एण्ड टूरिज्म डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड									
0.26	0.02	76.61	0.09	77.40	0.15	0.00	0.00	111.25	0.00
0.26	0.02	81.25	0.06	75.13	0.13	0.00	0.00	135.64	0.00
0.26	0.02	81.25	0.06	75.14	0.13	0.00	0.00	135.64	0.00
238 आमनीबस इण्डस्ट्रीयल डिवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन, द्वीव एण्ड दादर एण्ड नगर हवेली लिमिटेड									
0.27	0.03	22.00	0.06	22.10	0.13	0.00	0.00	58.45	0.00
0.00	0.00	39.39	0.08	36.91	0.12	0.00	0.00	82.44	0.00
1.47	0.06	49.62	0.15	50.37	0.22	0.00	0.00	248.32	0.00
जल संसाधन									
239 अण्डमान एण्ड निकोबार आइलेंडस इन्टीग्रेटिड डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड									
0.55	0.05	64.08	0.09	63.43	0.13	0.58	0.00	113.79	0.00
0.55	0.05	70.33	0.09	68.74	0.16	0.58	0.00	123.25	0.00
0.55	0.05	70.33	0.09	68.74	0.16	0.58	0.00	123.25	0.00
शहरी विकास									
ठेका और निर्माण सेवाएं									
240 राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड									
23.30	0.26	546.53	0.21	291.03	0.62	0.00	0.00	3027.42	0.00
28.07	0.31	654.14	0.21	476.34	0.45	0.00	0.00	3476.95	0.00
42.00	0.35	795.49	0.24	763.15	0.39	0.00	0.00	3628.82	0.00

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

मंत्रालय/ विभाग/ श्रेणी/ कम्पनी का नाम/वर्ष	इक्विटी	भारत सरकार द्वारा धारित इक्विटी	कुल बिक्री	मूल्यह्रास के पहले लाभ/ (हानि), ब्याज और कर के लिए प्रावधान	मूल्यह्रास	ब्याज और कर के लिए प्रावधान से पहले लाभ/ (हानि)	ब्याज	कर के लिए प्रावधान	लेखाओं के अनुसार लाभ/ हानि
परिवहन सेवाएं									
241 बेंगलूरू मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड									
2010-11	2330.03	519.99	0.00	12.18	1.13	11.06	0.15	37.74	-26.83
2011-12	2831.03	1120.99	5.93	22.65	24.99	-2.34	0.00	0.04	-2.38
242 चेन्नई मैट्रो रेल लिमिटेड									
2010-11	998.79	188.79	0.00	5.96	0.00	5.96	0.00	1.95	4.01
2011-12	1918.79	688.79	105.73	105.14	0.18	104.96	0.00	33.92	71.04
243 दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	8270.71	4086.71	672.26	355.90	329.64	26.27	116.45	115.04	-205.23
2010-11	10849.05	5152.86	1442.91	750.50	582.43	168.06	180.76	401.15	-413.86
2011-12	12304.30	5911.98	1949.57	933.35	800.87	132.48	200.58	117.05	-185.15
244 कोलकाता मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड									
2010-11	232.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	374.50	136.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जल संसाधन									
ठेका एवं निर्माण सेवाएं									
245 नेशनल प्रोजेक्टस कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	676.74	675.69	991.11	35.30	0.35	34.96	3.99	-0.31	31.29
2010-11	94.53	93.48	1061.30	35.54	0.54	35.00	2.91	-40.65	72.74
2011-12	94.53	93.48	1167.38	54.34	0.48	53.86	0.43	11.25	42.18
वित्तीय सेवाएं									
246 इरिगेशन एण्ड वाटर रिसोर्सिज फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड									
2009-10	100.00	100.00	0.00	6.53	0.00	6.53	0.00	2.41	4.12
2010-11	102.32	102.32	0.00	7.17	0.00	7.17	0.00	2.23	4.79
2011-12	102.32	102.32	0.00	10.59	0.00	10.59	0.00	3.44	7.15
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
247 वेपकोस (इंडिया) लिमिटेड									
2009-10	2.00	2.00	302.14	46.00	0.78	45.22	0.00	15.19	30.03
2010-11	2.00	2.00	351.18	56.00	0.92	55.08	0.00	18.90	36.18
2011-12	3.00	3.00	354.36	78.52	1.04	77.48	1.08	25.15	51.25
सभी मंत्रालयों का जोड़									
2009 – 10 (224)	**95915.01**	**75216.31**	**227503.85**	**57526.91**	**16587.33**	**40939.60**	**13179.03**	**8160.83**	**18703.03**
2010 – 11 (230)	**106736.47**	**79421.72**	**243402.50**	**54357.94**	**18676.19**	**35681.69**	**14694.10**	**10203.45**	**9900.46**
2011 – 12 (247)	**115437.18**	**84365.43**	**298397.45**	**56399.26**	**19327.24**	**37072.01**	**16299.77**	**12412.63**	**8357.66**
सकल जोड़									
2009 – 10 (280)	**209364.56**	**174083.13**	**1208407.71**	**223355.58**	**51369.74**	**171985.82**	**35872.81**	**39908.17**	**95307.54**
2010 – 11 (286)	**234731.24**	**189994.80**	**1424159.04**	**239154.42**	**57233.07**	**181921.32**	**43186.85**	**44860.59**	**92853.30**
2011 – 12 (303)	**253519.29**	**204417.49**	**1734908.89**	**263182.26**	**62351.33**	**200830.95**	**56452.29**	**47724.39**	**96652.35**

परिशिष्ट VI (जारी)

₹ करोड़ में

लाभांश	इक्विटी के लिए लाभांश का अनुपात	निवल धन	निवल धन के लिए कर के बाद लाभ का अनुपात	नियोजित पूंजी	नियोजित पूंजी के लिए ब्याज एवं कर के पहले के लाभ का अनुपात	बकाया कर्जे	भारत सरकार के कर्जे	कुल परिसम्पत्तियां	संचित हानि
परिवहन सेवाएं									
241 बेंगलूरू मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	2329.06	-0.01	1030.03	0.01	1817.24	44.02	4551.50	12.13
0.00	0.00	2829.46	0.00	3233.14	0.00	4313.32	254.02	7479.44	14.50
242 चेन्नई मैट्रो रेल लिमिटेड									
0.00	0.00	1001.80	0.00	1626.51	0.00	1465.94	625.94	2510.91	0.00
0.00	0.00	1994.66	0.04	2659.24	0.04	2997.57	2096.25	5160.64	0.00
243 दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	10716.87	-0.02	13805.69	0.00	14550.64	13758.75	27649.80	380.47
0.00	0.00	12844.95	-0.03	28634.70	0.01	16326.70	15537.51	32449.10	794.33
0.00	0.00	14566.73	-0.01	33148.60	0.00	17763.25	16464.07	35261.10	979.48
244 कोलकाता मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	231.62	0.00	-47.35	0.00	442.48	31.00	790.15	0.00
0.00	0.00	374.50	0.00	284.58	0.00	617.72	64.00	1137.30	0.00
जल संसाधन									
ठेका एवं निर्माण सेवाएं									
245 नेशनल प्रोजेक्टस कन्सट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	-118.75	-0.26	-38.95	-0.90	10.03	10.03	1163.39	795.49
0.00	0.00	-46.01	-1.58	6.50	5.39	10.03	10.03	1532.28	140.54
0.00	0.00	-3.82	-11.04	45.63	1.18	63.73	63.73	1777.88	98.36
वित्तीय सेवाएं									
246 इरिगेशन एण्ड वाटर रिसोर्सिज फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड									
0.00	0.00	104.12	0.04	105.82	0.06	2.32	0.00	108.95	0.00
0.00	0.00	114.45	0.04	114.14	0.06	0.00	0.00	120.93	0.00
0.00	0.00	121.60	0.06	121.44	0.09	0.00	0.00	130.01	0.00
औद्योगिक विकास एवं तकनीकी परामर्शी									
247 वेपकोस (इंडिया) लिमिटेड									
6.00	3.00	98.22	0.31	91.94	0.49	0.00	0.00	337.27	0.00
7.50	3.75	125.69	0.29	119.13	0.46	0.00	0.00	402.60	0.00
10.50	3.50	164.57	0.31	195.73	0.40	0.00	0.00	513.28	0.00
सभी मंत्रालयों का जोड़									
7036.21	**0.00**	**277797.12**	**0.07**	**291386.21**	**0.14**	**192061.22**	**53361.46**	**758269.76**	**69534.55**
7873.21	**0.00**	**278408.28**	**0.04**	**303179.32**	**0.12**	**205599.13**	**54912.04**	**810197.54**	**71957.54**
10506.03	**0.00**	**288715.10**	**0.03**	**353613.71**	**0.10**	**223288.08**	**48752.87**	**890114.08**	**83444.21**
सकल जोड़									
33677.57	**0.00**	**835636.64**	**0.11**	**942783.88**	**0.18**	**468018.91**	**58432.77**	**2080278.17**	**88986.08**
35679.57	**0.00**	**894000.50**	**0.10**	**1038760.77**	**0.18**	**541983.15**	**60523.76**	**2317086.49**	**96065.44**
42671.07	**0.00**	**974436.55**	**0.10**	**1090712.68**	**0.18**	**627368.23**	**61409.95**	**2654439.16**	**113638.17**

परिशिष्ट-VII

(पैरा सं. 1.3.2 देखें)

सरकारी कम्पनियों एवं निगमों द्वारा अर्जित लाभ तथा प्रदत्त लाभांश का विवरण

₹ करोड़ में

	लाभ अर्जित करने वाले साक्षेउ की संख्या	साक्षेउ जिसने लाभांश घोषित किया/प्रदान किया					साक्षेउ जिसने लाभांश घोषित नहीं किया		
		संख्या	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ	लाभांश	निवल लाभ से लाभांश की प्रतिशतता	संख्या	प्रदत्त पूंजी	निवल लाभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
संविधिक निगम									
2009-10	3	2	691.36	1156.71	168.33	14.55	1	4654.55	299.88
2010-11	2	2	723.63	982.53	196.49	20.00	0	0	0
2011-12	2	2	724.58	959.47	199.09	20.75	0	0	0
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियाँ									
2009-10	40	35	55478.70	79403.53	26473.03	33.34	5	861.1	843.22
2010-11	41	36	59976.15	86899.86	27609.87	31.77	5	613.75	278.64
2011-12	42	34	59152.21	94593.68	31965.95	33.79	8	1578.34	557.16
असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियाँ									
2009-10	134	75	41260.68	19393.94	7036.21	36.28	59	24063.21	10796.43
2010-11	138	71	39984.13	19133.27	7873.21	41.15	67	28397.98	8252.31
2011-12	147	76	41943.06	24767.98	10506.03	42.42	71	31178.73	6145.33
जोड़									
2009-10	177	112	97430.74	99954.18	33677.57	33.69	65	29578.86	11939.53
2010-11	181	109	100683.91	107015.66	35679.57	33.34	72	29011.73	8530.95
2011-12	191	112	101819.85	120321.13	42671.07	35.46	79	32757.07	6702.49

परिशिष्ट-VIII
(पैरा सं. 1.3.2 देखें)

सरकारी कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश में कमी

₹ करोड़ में

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी	कर के बाद लाभ	प्रदत्त पूंजी का 20%	कर के बाद लाभ 20%	घोषणा किए जाने वाला अपेक्षित न्यूनतम लाभांश	घोषित लाभांश	कमी
सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियाँ								
रसायन एवं उर्वरक								
1	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	490.58	126.73	98.12	25.35	98.12	38.27	59.85
2	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाजर्स लिमिटेड	551.69	249.24	110.34	49.85	110.34	77.24	33.10
पेट्रोलियम एण्ड नेचूरल गैस								
3	मंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	1757.26	908.58	351.45	181.72	351.45	175.26	176.19
विद्युत								
4	एनएचपीसी	12300.74	2771.77	2460.15	554.35	2460.15	861.06	1599.09
5	एसजेवीएन लिमिटेड	4136.63	1068.68	827.33	213.74	827.33	388.84	438.49
टूरिजम								
6	इंडिया टूरिजम डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	85.77	8.54	17.15	1.71	17.15	4.29	12.86
इस्पात								
7	केआईओसीएल लिमिटेड	634.51	94.3	126.90	18.86	126.90	19.04	107.86
असूचिबद्ध सरकारी कम्पनियाँ								
कृषि								
1	स्टेट फार्म्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	31.49	38.63	6.30	7.73	7.73	1.57	6.16
2	नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड	20.62	30.17	4.12	6.03	6.03	4.12	1.91
परमाणु ऊर्जा								
3	न्यूकलियर पॉवर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10174.33	1906.15	2034.87	381.23	2034.87	571.85	1463.02
4	यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1439.62	64.84	287.92	12.97	287.92	16.25	271.67
5	इलेक्ट्रानिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	163.37	36.61	32.67	7.32	32.67	9.15	23.52
रसायन एवं उर्वरक								
6	कर्नाटक एन्टिबायोटिक्स और फार्मास्टिकल्स लिमिटेड	13.49	16.02	2.70	3.20	3.20	1.13	2.07
7	प्रोजेक्ट और डवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	17.3	26.08	3.46	5.22	5.22	3.81	1.41

परिशिष्ट-VIII (जारी)

₹ करोड़ में

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी	कर के बाद लाभ	प्रदत्त पूंजी का 20%	कर के बाद लाभ 20%	घोषणा किए जाने वाला अपेक्षित न्यूनतम लाभांश	घोषित लाभांश	कमी
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी								
8	टेलीकम्यूनिकेशन्स कन्सल्टेंटस ऑफ इंडिया लिमिटेड	43.2	8.03	8.64	1.61	8.64	1.61	7.03
वाणिज्य एवं उद्योग								
9	एक्पोर्ट क्रेडिट गारंटी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	900	225.21	180.00	45.04	180.00	54	126.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण								
10	एचएलएल लाईफकेअर लिमिटेड	43.54	20.54	8.71	4.11	8.71	2.82	5.89
भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम								
11	ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड	54.99	45.8	11.00	9.16	11.00	2.75	8.25
12	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कन्ट्रटक्शन कम्पनी लिमिटेड	20.26	4.77	4.05	0.95	4.05	0.1	3.95
13	राजस्थान इलैक्ट्रानिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंटस लिमिटेड	12.25	18.62	2.45	3.72	3.72	2.11	1.61
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन								
14	हाउसिंग एण्ड अरबन डिवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2001.9	630.33	400.38	126.07	400.38	140.01	260.37
न्यू और रेनेवबल एनर्जी								
15	इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डिवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	639.6	173.13	127.92	34.63	127.92	25	102.92
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस								
16	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	735.63	183.7	147.13	36.74	147.13	73.56	73.57
विद्युत								
17	नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कम्पनी लिमिटेड	3292.24	219.12	658.45	43.82	658.45	65.73	592.72
18	टेहरी हायड्रो डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	3342.58	703.83	668.52	140.77	668.52	212	456.52
19	एनएचडीसी लिमिटेड	1962.58	646.9	392.52	129.38	392.52	58.88	333.64
20	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	20	111.93	4.00	22.39	22.39	20	2.39
21	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कंपनी लिमिटेड	0.05	11.71	0.01	2.34	2.34	0.1	2.24
22	आरईसी पॉवर डिस्टीबूशन कंपनी लिमिटेड	0.05	8.67	0.01	1.73	1.73	0.05	1.68

परिशिष्ट - VIII (जारी)

₹ करोड़ में

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	प्रदत्त पूंजी	कर के बाद लाभ	प्रदत्त पूंजी का 20%	कर के बाद लाभ 20%	घोषणा किए जाने वाला अपेक्षित न्यूनतम लाभांश	घोषित लाभांश	कमी
रेलवे								
23	रेल विकास निगम लिमिटेड	2085.02	98.38	417.00	19.68	417.00	20	397.00
24	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	2352	480.78	470.40	96.16	470.40	100	370.40
25	रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	325.26	85.85	65.05	17.17	65.05	14	51.05
जहाजरानी								
26	इन्नोरे पोर्ट लिमिटेड	300	96.72	60.00	19.34	60.00	19.34	40.66
27	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	152.42	172.33	30.48	34.47	34.47	19.73	14.74
लधु उद्योग								
28	नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड	387.99	41.21	77.60	8.24	77.60	8.24	69.36
इस्पात								
29	राष्ट्रीय इस्पात निगम	7727.32	751.46	1545.46	150.29	1545.46	190.82	1354.64
30	एमएसटीसी लिमिटेड	90.54	136.36	18.11	27.27	27.27	10.98	16.29
कपड़ा								
31	नेशनल हैन्डलूम डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	19	2.46	3.80	0.49	3.80	0.57	3.23
32	दी हेन्डीक्राफ्टस एण्ड हेन्डलूम एक्सपोर्ट कारर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	13.82	14.78	2.76	2.96	2.96	0.04	2.92
33	सेन्ट्रल कोटेज इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	10.85	0.49	2.17	0.10	2.17	0.1	2.07
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन								
34	आमनीबस इंडस्ट्रीयल डिवलेपमेंट कारपोरेशन ऑफ दमन, दियु एण्ड दादरा और नगर हवेली लिमिटेड	26.06	7.34	5.21	1.47	5.21	1.47	3.74
35	चंडीगड़ इंडस्ट्रीयल और टूरिज्म डिवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	15.03	4.89	3.01	0.98	3.01	0.26	2.75
36	अण्डमान एण्ड निकोबार आईलेण्ड्स इन्टिग्रेटिड डिवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	11.07	6.26	2.21	1.25	2.21	0.55	1.66
	जोड़							**8506.49**

परिशिष्ट -IX

(पैरा 2.6 देखें)

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित किए गए लेखांकन मानकों से अलग हुई कम्पनियों के ब्यौरे

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	श्रेणी	सरकारी कम्पनी (जीसी) एवं मानी गई सरकारी कम्पनी (डीजीसी)	लेखांकन मानकों की संख्या
1.	एग्री डेवपमेन्ट फाइनेंस (तमिलनाडु) लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-15
2.	एग्रीकल्चर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-15
3.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेउ	असूचीबद्ध	डीजीसी	एएस-9
4.	अंतरिक्ष कार्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-26
5.	भारत पम्पस और कम्प्रेसर लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-17
6.	भारत इम्यूनोलोजिकल और बायोलोजिकल कार्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-17 और 28
7.	भारत पम्पस और कम्प्रेसर लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-2, 15 और 22
8.	भारत संचार निगम लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-2,10, 15 और 28
9.	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टीलाइजर्स कार्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-2
10.	ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-1, 13, 21 और 28
11.	सैन्ट्रल कोटेज इन्स्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-2
12.	सैन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-2 और 29
13.	सैन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रासपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-2,22 और 28

14.	कॉटन कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-29
15.	इस्टर्न इनवैस्टमेन्ट लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	एएस-21,22 और 28
16.	हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-2और 17
17.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-1, 10 और 28
18.	हिन्दुस्तान इन्सैक्टासाइड लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-2, 3, 12, 17, 20 और 29
19.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-29
20.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-2 और 15
21.	हिन्दुस्तान वैजीटेबल ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-2 और 15
22.	एचएमटी लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	एएस-13
23.	एचएमटी वाचज़ लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-2
24.	हाऊसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-9
25.	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-11
26.	इण्डियन मेडिसस एण्ड फारमेस्टीकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-15 और 28
27.	इण्डियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-15
28.	इण्डियन वैक्सीन कार्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-15 और 28
29.	मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	एएस-2 और 29
30.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	एएस-2,4,5,6 ,9, 10, 15, 18, 19, 21

				और 29
31.	मिश्र/धातू निगम लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-7, 16, 17 और 29
32.	मूरादाबाद टोल रोड कम्पनी लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-28
33.	एमएसटीसी लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-11
34.	नागालैण्ड पल्प एण्ड पेपर कम्पनी लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-13
35.	नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-9
36.	नेशनल इन्फोरमेटिक्स सैन्टर सर्विसेज	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-15 और 29
37.	नेशनल जूट मैनुफेक्चरर्स कार्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-28
38.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-9
39.	नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-9 और 13
40.	राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-13, 16 और 28
41.	नेशनल टैक्सटाईल कार्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-17
42.	न्यू मैंगलोर पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-26
43.	नार्थ ईस्टर्न रिज़न एग्रीकल्चर मार्किटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-3, 6, 12, 15 और 22
44.	ओरिएन्टल इन्श्योरेन्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-22
45.	सिक्योरिटी प्रिन्टिग एण्ड मिन्डींग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-1, 2, 5, 6, 9, 10, 15, 19, 28 और 29
46.	स्टेट फार्मस कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया तमिलनाडु दूरसंचार लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-5, 9 और 19
47.	तमिलनाडू टेलीकम्नीकेशन लिमिटेड	सूचीबद्ध	डीजीसी	एएस-22

48.	उर्वरक एवं रसायन त्रावनकोर लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस- 2,5 और 9
49.	दि हैंडीक्राफ्टस एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस-15
50.	उत्तर प्रदेश औद्योगिक सलाहकार लिमिटेड	असूचीबद्ध	डीजीसी	एएस-26

परिशिष्ट - X
(पैरा सं.2.9.9 देखें)
उन कम्पनियों को विवरण जहाँ देनदारों/लेनदारों के संबंध में शेषों की पुष्टि प्रबंधन द्वारा प्राप्त नहीं की गई

क्र.सं.	कम्पनी का नाम
1.	एग्रीकल्चरल फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड
2.	ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड
3.	बिको लॉरी लिमिटेड
4.	बीओबी काड्र्स लिमिटेड
5.	सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
6.	सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कम्पनी लिमिटेड
7.	दिल्ली एविएशन फ्यूअल फेसलिटी प्राईवेट लिमिटेड
8.	दोन्यी पोलो अशोक होटल कारपारेशन लिमिटेड
9.	गैल गैस लिमिटेड
10.	जनरल इंश्योरेंस कार्पोरेशन ऑफ इंडिया
11.	हिंदुस्तान अर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
12.	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड
13.	हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड
14.	इंड्रस्ट्रीयल इन्वेंस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड
15.	किटको लिमिटेड
16.	कोलकाता मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड
17.	मंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
18.	एमएसटीसी लिमिटेड
19.	नेशनल जूट मून्युफैक्चरर कारपोरेश लिमिटेड
20.	नेशनल रिसर्च डिवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
21.	पाण्डिचेरी अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड
22.	पोन्मुदी रब्बर्स लिमिटेड
23.	राँची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड
24.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
25.	स्टार यूनियन दिया इची लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
26.	दि ब्रैथवेट बर्न एंड जेस्सोप कंस्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
27.	दि उड़ीसा मिनरल्स डिवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड

परिशिष्ट - XI

(पैरा सं. 2.9.10 देखें)

कम्पनियों जिसमें कपट और जोखिम नीति/ व्हीस्ल ब्लोइंग नीति नहीं है के ब्यौरे

क्र.सं.	कम्पनी का नाम
1	एन्ड्रेव युल एंड कम्पनी लिमिटेड
2	बीईएल ओपट्रोनिक्स डिवाईसेस लिमिटेड
3	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
4	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
5	बीओबी काड्र्स लिमिटेड
6	बोकारो पावर सप्लाय कम्पनी (पी) लिमिटेड
7	बैथवेट कम्पनी लिमिटेड
8	सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड
9	सेन्ट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्युरिटाईजेसन एस्सेट रिक्न्शट्रक्शन एंड सेक्युरिटी इन्टरेस्ट आफ इंडिया
10	डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर कारपोरेशन लिमिटेड
11	दोन्यी पोलो अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड
12	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
13	इनर्जी इफीसिशेंसी सर्विसेज लिमिटेड
14	फ्रेस एंड हेल्थी इंटरप्राईजेज लिमिटेड
15	गार्डेन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग लि.
16	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड
17	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
18	हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड
19	एचएमटी वाचेज लिमिटेड
20	हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड
21	इंडिया रेन्यूबल इनर्जी डिवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड
22	इंडियन मेडिसीन्स एंड फर्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड
23	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड
24	इंडियन वैक्सिन कम्पनी लिमिटेड
25	इंड्रस्ट्रीयल इन्वेस्टवेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड
26	कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन अर्गेनाईजेशन
27	कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड
28	लोकटक डाउनस्ट्रीम हाईड्रोलेक्ट्रिक कारपोरेशन लिमिटेड
29	मजगाँव डॉक्स लिमिटेड
30	मेकॉन लिमिटेड
31	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम

32	नेशनल जूट मेनुफैक्चरर्स कारपोरेशन लिमिटेड
33	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम लिमिटेड
34	नेशनल रिसर्च डिलपमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
35	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम
36	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम
37	नार्थ ईस्टर्न डिवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
38	नादर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
39	एनटीपीसी-भेल पावर प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
40	पीएफसी कैपिटल एडवायजरी लिमिटेड
41	पीएफसी ग्रीन इनर्जी लिमिटेड
42	पिपावव रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड
43	पीएनबी इन्वेंस्टवेंट सर्विसेज लि.
44	पावर इक्विट कैपिटल एडवायजर्स प्राईवेट लिमिटेड
45	रेल टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
46	राँची अशोक बिहार होटल कारपोरेशन लिमिटेड
47	राईट्स लिमिटेड
48	सम्भर साल्ट्स लिमिटेड
49	एसटीसीएल लिमिटेड
50	टीएचडीसी लिमिटेड
51	दि शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
52	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

परिशिष्ट - XII
(पैराग्राफ 2.10 देखें)
आंतरिक नियंत्रण से संबंधित कमियों के स्वरूप को दर्शानेवाले कम्पनियों के व्यौरें

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	कमी का स्वरूप
1.	ऑल बैंक फाइनेंस लिमिटेड	कम्पनी में अलग सर्तकता विभाग/विंग नहीं था
2.	असम अशोक होटल कारपोरेशन लिमिटेड	• कम्पनी में अलग सतर्कता विभाग/विंग नहीं था • इन्वेंटरी नियंत्रण के लिए एबीसी का विश्लेषण नहीं किया गया था। • कम्पनी द्वारा भंडारण की हानियों के लिए मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया था
3.	बॉमर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	कम्पनी में अलग सतकर्ता विभाग/ विंग नहीं था
4.	भारत संचार निगम लिमिटेड	• कम्पनी ने इन्वेंटरी की अधिकतम, न्यूनतम और मितव्यी आदेश मात्रा को निर्धारित नहीं की थी। • कम्पनी 20 सर्किलों में इन्वेंटरी के उचित अभिलेख का रखरखाव नहीं कर रहा है। • कम्पनी द्वारा अपने स्थायी परिसम्पत्तियों के संबंध में 26 सर्किलों में मात्रा, स्थान आदि को अंतर्विष्ट करते हुए अभिलेखों का रखरखाव निर्धारित फार्मेट में नहीं है। • कम्पनी द्वारा अनुसरण किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन प्रक्रियाएं का प्रलेख अपर्याप्त है। • सर्किल/कारपोरेट कार्यालय के स्तर पर आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों पर अनुपालन क्रियाविधि को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। 26 सर्किलों में सहायक बही और सामान्य बही के बीच व्यापार प्राप्तियोग्य अंत शेष मे अंतर है। प्रबंधन अंतरों का समाधान की प्रक्रिया में है। सहायक अभिलेखों में उपलब्ध सूचना के आधार पर संदिग्ध प्राप्तियोग्य के लिए लंबित समाधान प्रावधान बनाया गया था। • कम्पनी के व्यवसाय के आकार और स्वरूप के अनुरूप बनाने के लिए लेनेदारों, ऋण और अग्रिमों के संबंध में सहायक और सामान्य बही के बीच समाधान करने, समय पर बैंक समाधान, एटीडी (एडवांस ट्रांस्फर डेबिट/एटीसी (एडवांस ट्रांसफर क्रेडिट) को समय पर उचित रूप से जारी करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

5.	बीओबी काड्र्स लिमिटेड	कम्पनी ने निवेशों के लिए नीति निर्धारित नहीं की है।
6.	दिल्ली एविएशन फ्यूअल फैसिलिटी प्राईवेट लिमिटेड	वर्ष के दौरान लेखांकन कम्पनी की ओर से ऑपरेटर द्वारा कुछ स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं, नियमित आधार पर पार्टियों से देय/पार्टियों की बकाया राशि का समाधान/पुष्टि, बकाया देय की वसूली में विलम्ब और देनदारों से उस पर ब्याज का प्रभार, निधियों का प्रभावी उपयोगिता, आयकर टीडीएस में उचित सूचना भेजने का मानिटिरिंग और उचित आवक और जावक डाक रजिस्टर के रख-रखाव को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है1
7.	फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड	एसएपी संबंधित नियंत्रण और जाँच का प्रस्तावना, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा आदि का प्रस्तावना पर विशेषरूप से सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
8.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	स्थायी परिसम्पत्तियों का सत्यापन नियमित नहीं था
9.	इंडियन स्ट्रेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड	टीडीएस और अन्य सांवधिक बकाया की अदायगी के संबंध में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
10.	कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	कम्पनी के पास अलग सतर्कता विभाग/विंग नहीं था
11.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	• भंडारों, पुर्जों आदि के लिए अधिकतम और न्यूनतम तथा स्टोरों की अधिप्राप्ति के लिए मितव्यी आदेश मात्रा निर्दिष्ट नहीं किया गया है। कार्यक्रम चालू/विस्तार करने को ध्यान में रखते हुए कारपोरेट कार्यालय द्वारा स्टोरों के मुख्य मदों के लिए क्रय आदेश जारी किया जाता है, यह देखा गया कि कारपोरेट कार्यालय में आदेशित मात्राएं साधारणतया हरेक यूनिट की वास्तविक आवश्यकताओं के संगत नहीं है। • कम्पनी के दिल्ली यूनिट में स्टोरों की खपत और दर्ज करने के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। • आंतरिक लेखापरीक्षा स्वतंत्र नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षित विभाग के पास कार्यक्षेत्र और आपत्तियों के अनुपालन के साथ-साथ नियुक्ति है। आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति और उनके जवाबदेही को सीएमडी/लेखापरीक्षा समिति के सीधे नियंत्रण के अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के साथ रखना चाहिए। • पूँजीकरण का क्षेत्र, विशेषरूप से देयता दर्ज करना और इंजीनियरिंग विभाग द्वारा समापन प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रणाली को उचित पूँजीकरण, अचल परिसम्पत्तियों को

		सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
12.	नेशनल जूट मैनुफैक्चरर्स कारपोरेशन लिमिटेड	स्थायी परिपसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है।
13.	रेल-टेल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	अधिशेष निधि का निवेश करने के लिए कोई स्वीकृत नीति नहीं थी
14.	सेल एंड मोइल फेरो एलवायज प्राईवेट लिमिटेड	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं था
15.	दि शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कम्पनी ने निवेश नीति निर्धारित नहीं की है
16.	दि हैंडिक्राफ्ट एंड हैंडलूम एक्सपोर्टस कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	नकद प्रबंधन प्रणाली के संबंध में आंतरिक नियंत्रण तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

परिशिष्ट -XIII
(पैरा सं. 3.1.5 देखें)
भारी उद्योग एवं पीई मंत्रालय के अधीनस्थ कारपोरेट शासन पर अध्याय के लिए कवर किए गए सीपीईज

क्र.सं.	सीपीईज का नाम
1	एंड्रयू यूले एंड कम्पनी लिमिटेड
2	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
4	भारत हेवी प्लेट्स एंड वेजल्स लिमिटेड
5	भारत पम्प्स और कमप्रेसर्स लिमिटेड
6	ब्रेथवेट बर्न एंड जेस्सोप कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड
7	ब्रिज एंड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड
8	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
9	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड
10	हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
11	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड
12	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड
13	हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड
14	हिंदुस्तान फोटोफील्म्स (मैनुफैक्चरिंग) कम्पनी लिमिटेड
15	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
16	एचएमटी (बीयरिंग्स) लिमिटेड
17	एचएमटी (इन्टरनेशनल) लिमिटेड
18	एचएमटी चिनार वॉचेज लिमिटेड
19	एचएमटी लिमिटेड
20	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
21	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड
22	हुगली प्रिंटिंग कम्पनी लिमिटेड
23	इन्स्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड
24	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड
25	नागालैंड पल्प एंड पेपर कम्पनी लिमिटेड
26	नेशनल बायसिकल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
27	नेपा लिमिटेड
28	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंटस लिमिटेड
29	रिचर्डसन एंड क्रुड्डास (1972) लिमिटेड
30	सम्भर साल्ट्स लिमिटेड
31	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

32	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड
33	तुंगभद्रा स्टील प्रोड्क्ट्स लिमिटेड
34	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
35	युले इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
36	यूले इंजीनियरिंग लिमिटेड

परिशिष्ट XIV

(पैरा सं. 7.1.4 देखें)

चयनित नमूने के लिए सीपीएसईज़ का नकद और बैलेंस को दर्शाने वाले विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	31 मार्च 2011			31 मार्च 2012
		नकद और बैंक बैलेंस	ग्राहको से अग्रिम	शुद्ध नकद शेष	नकद और बैंक बैलेंस
1	नेयवेली	4,420.73	33.33	4,387.40	3,329.10
2	एमआरपीएल	2,415.11	35.50	2,379.61	2,234.72
3	नाल्को	3,795.23	54.08	3,741.15	4,168.35
4	एनसीएल	8,626.36	153.08	8,473.28	8,738.30
5	सीसीएल	2,582.77	336.54	2246.23	3,986.20
6	सीआईएल	11,659.52	65.40	11,594.12	15,302.72
7	एसईसीएल	6,699.00	1,150.00	5,549.00	8,772.00
8	डब्ल्यूसीएल	4,063.78	654.85	3,408.93	5,503.40
9	एमसीएल	9,887.22	1,277.13	8,610.09	12,390.19
10	ऑयल इंडिया	11,767.45	0.00	11,767.45	10,935.48
11	एससीआई	2,466.74	0.00	2466.74	1,442.41
12	ओएनजीसी	14,331.00	3,304.80	11,026.20	20,099.00
13	एमएमटीसी	6,748.24	711.00	6,037.24	2,853.12
14	ओवीएल	474.17	16.11	458.06	344.73
15	एनटीसी	1,789.79	0.00	1,789.79	1,680.57
16	गेल	1,424.88	444.17	980.71	931.33
17	एनएचडीसी	1,330.00	0.00	1,330.00	1,707.00
18	एनएचपीसी	5,350.08	428.55	4,921.53	6,003.97
19	पावरग्रिड	3,680.06	3,520.39	159.67	2,336.88
20	एसजेवीएन	2,063.78	0.00	2,063.78	1,888.76
21	एनटीपीसी	16,185.26	451.25	15,734.01	16,146.11
22	एमओआईएल	1,880.00	12.00	1,868.00	2,088.42
23	एनपीसीआईएल	10,068.64	0.00	10,068.64	5,160.55
24	अंतरिक्ष	967.65	1,067.63	-99.98	989.04
25	एनएमडीसी	17,228.00	117.00	17,111.0	20,265.00
26	आरआईएनएल	1,998.89	137.80	1,861.09	2,068.34
27	केआईओसीएल	1,443.83	4.96	1,438.87	1,464.54
28	ओएमडीसी	703.00	15.00	688.00	701.00
29	सेल	17,479.00	642.00	16,837.00	6,416.00
30	इरकॉन	2,036.00	2,039.00	-3.00	2623.23
31	कॉनकोर	2,296.00	109.00	2,187.00	2762.00
	जोड़	**177862.16**	**16780.57**	**161081.59**	**175,332.46**

परिशिष्ट XV

(पैरा सं. 7.2.3 देखें)

शेयरों की वापसी खरीद प्रदान करने के लिए शेयर होल्डिंग दर्शानेवाले तालिका

क्र. स.	सीपीएसई का नाम	जीओआई/राज्य सरकार की धारक प्रतिशतता	अभ्युक्तियाँ
1	सीआईएल	90.00	वापसी खरीद की अनुमति प्रदान करने के लिए सितम्बर 2012 में एओए का संशोधन किया गया था।
2	इर्कोन	99.73	
3	कॉनकोर	63.00	
4	गेल	57.35	यद्यपि, वापसी खरीद के लिए एओए प्रदान करता है, फिर भी कम्पनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई हैं।
5	केआईओसीएल	99.00	प्रबंधन ने कहा कि शेयरों की वापसी खरीद करने हेतु एओए में आवश्यक प्रावधान को शामिल करने की प्रक्रियां के अंतर्गत है।
6	एमएमटीसी	99.33	यद्यपि, वापसी खरीद के लिए एओए प्रदान करता है, फिर भी कम्पनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई हैं।
7	मोईल	80.00	
8	नालको	87.15	
9	एनएचपीसी	86.36	प्रबन्धन ने कहा कि पूँजी के पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव जाँच के अधीन हैं।
10	नेवेली	93.56	यद्यपि, वापसी खरीद के लिए एओए प्रदान करता है, फिर भी कम्पनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई हैं।
11	एनएमडीसी	90.00	शेयरों की वापसी खरीद के लिए सितम्बर 2012 में एओए में संशोधन किया गया था।
12	एनटीपीसी	84.50	निदेशक मंडल द्वारा एओए में संशोधन किया गया था, जुलाई 2012 में हुई वार्षिक सामान्य बैठक में शेयरों की वापसी खरीद करने के लिए स्वीकृति लम्बित था।
13	ऑयल इंडिया	78.43	यद्यपि, वापसी खरीद के लिए एओए प्रदान करता है, फिर भी कम्पनी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई हैं।
14	ओएनजीसी	69.23	
15	पावरग्रिड	69.42	वापसी खरीद के लिए एओए प्रदान करता है लेकिन प्रबंधन ने कहा कि ऐसी वापसी खरीद के लिए बेशी नकद नहीं है।
16	सेल	85.82	वापसी खरीद की अनुमति प्रदान करने के लिए मई 2012 में एओए में संशोधन किया गया था।
17	एससीआई	63.75	प्रबंधन ने कहा (अगस्त 2012) कि शेयरों की वापसी खरीद करने की स्थिति में नहीं है।
18	एसजेवीएन	89.97	प्रबंधन ने कहा कि शेयरों की वापसी खरीद हेतु एओए में आवश्यक प्रावधान शामिल करने के प्रक्रिया के अंतर्गत है।

परिशिष्ट XVI

(पैरा सं. 7.3 देखें)

2012-17 के दौरान सीपीएसईज़ की योजनाएं दर्शाने वाली तालिका

क्र.सं.	सीपीएसइ का नाम	मुख्य योजनाएं
1.	एनएमडीसी	31 मार्च 2012 तक कम्पनी के पास ₹ 20,265 करोड़ का नकद शेष था और उसने 2017 तक ₹ 36,506 करोड़ का संचित आन्तरिक सृजन प्रक्षिप्त किया। कम्पनी ने मार्च 2017 तक ₹ 30,072 करोड़ के निवेश की योजना बनाई है। मार्च 2017 के अन्त तक उसके पास ₹ 26,699 करोड़ बचेंगे जिसे उसकी परिचालानों में निवेश भी करने की योजना है। नागरनार में 3 एमटीपीए इस्पात संयंत्र- ₹ 14,218.45 करोड; कर्नाटक में 2 एमटीपीए इस्पात संयंत्र- ₹ 3,000 करोड़; बचेली में उपकार संयंत्र - ₹ 1,400 करोड़; मध्य प्रदेश में कोयला ब्लॉकों का विकास - ₹ 1,000 करोड; अन्य उद्यमों में निवेश- ₹ 4,723 करोड़ आदि।
2. से 7.	सीआईएल और उसकी सहायक कम्पनियां (सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड; साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड; नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड; और महानदी कोलफील्डस लिमिटेड)	कम्पनी की मार्च 2017 को समाप्त अगले पांच वर्षों के दौरान ₹ 90,330 करोड़ निवेश करने की योजना है। निदेशक-मंडल ने सीआईएल द्वारा फालतू निधियों का न्यायपूर्ण उपयोग करने के लिए प्रत्ययात्मक पेपर के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन अप्रैल 2012 में प्रदान किया। अन्वेषण - ₹ 1680 करोड़; भूमि अधिग्रहण - ₹ 7,500 करोड़ अवसंरचना विकास - ₹ 8,650 करोड़ विदेशी कोयला परिसम्पत्तियों का अधिग्रहण - ₹ 25,000 करोड़ मोज़ेम्बिक ब्लॉक का विकास - ₹ 10,000 करोड़; संयुक्त उद्यम - ₹ 5,150 करोड़; कोयला धुलाई - ₹ 5,200 करोड़ आदि।
8.	कॉनकोर	कंटेनर टर्मिनलों, रेलवे साइडिंग्स, कंटेनरों/चल स्टॉक आदि के अधिग्रहण से संबंधित पूंजीगत निर्माण कार्यों पर ₹ 6000 करोड़ निवेश करने की योजनाएं
9.	मोईल	मोईल के पास ₹ 2,088.42 करोड़ का नकद शेष था और उसने प्रचालनात्मक और अन्य खर्चों पर विचार करने के पश्चात् 2021 तक ₹ 3,000.72 करोड़ का संचयी आन्तरिक सृजन प्रक्षिप्त किया। कम्पनी की ₹ 3,102.75 करोड़ का निवेश करने की योजना है और अभी भी उसके पास ₹ 1986.39 करोड़ बच जाएंगे, जिसके लिए कोई ठोस योजनाएं नहीं हैं। प्रबंधन ने बताया (जुलाई 2012) कि वह भारत में और विदेश में खनन परिसम्पत्तियों में निवेश की संभावना पर विचार कर रही है जिसमें भारी निवेश आवश्यक है। ऊर्जा सृजन के लिए पवन-चक्की - ₹ 150 करोड़; खनन कार्यों को बढ़ाने के लिए भूमि अधिग्रहण - ₹ 275.29 करोड़ ; मशीनरी बढ़ाना, उसका आशोधन एवं तबदीली - ₹ 225 करोड़; डोंगरी बज़ुर्ग खान का विकास - ₹ 100 करोड़; अन्वेषण एवं आरएण्डडी - ₹ 62.99 करोड़; खानों का अधिग्रहण (भारत एवं विदेश में) - ₹ 500 करोड़ आदि
10.	नेवेली	एनएलसी की ₹ 28,194 करोड़ (कर्ज़ निधि) और ₹ 12,084 (इक्विटी) का उपयोग करते हुए अपनी सृजन क्षमता को 2020 तक 9,400 मे.वा. (वर्तमान क्षमता-2,490 मे.वा.) तक बढ़ाने की योजना है।
11.	एमआरपीएल	एमआरपीएल की फेज़ विस्तार (₹ 12,160.26 करोड़), पोलिप्रोपीलीन परियोजना (₹1803.78 करोड़) और एकल बिन्दू मूरिंग सुविधा (₹ 1,170.59 करोड़) में निवेश करने की योजना है। उपर्युक्त ₹ 15,134.63 करोड़ के निवेश में से, कम्पनी पहले ही ₹ 8,996 करोड़ खर्च कर चुकी है।
12.	ऑयल इण्डिया	कम्पनी ने 2012 -17 के लिए ₹ 19,003.02 करोड़ की राशि की पूंजीगत परिव्यय योजना प्रस्तुत की।

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	मुख्य योजना
13.	ओएनजीसी	31 मार्च 2012 तक, कंपनी के पास ₹ 20,099 करोड़ का नकद बैलंस था और इसने ₹ 4,13,789 करोड़ संचयी आंतरिक उत्पादन 2017 तक प्रक्षेपित किया। इसमें से कंपनी ने मुख्य पूंजी परियोजनाओं/कार्यो पर ₹ 1,63,956 करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई और शेष 2017 तक परिचालन व्यय, कर और लाभांश पर खर्च करने थे। योजना और पूंजी अर्जन-79,263.52 करोड़; सर्वेक्षण- 6,292.92 करोड़; अन्वेषी ड्रिलिंग-44,661.80 करोड़; डेवलपमैंट ड्रिलिंग-26,505.44 करोड़ ; संयुक्त उपक्रम परियोजनाएं 5,220.37 करोड़ आदि।
14.	ओवीएल	2012-17 के दौरान कंपनी ने आंतरिक संसाधनो से ₹ 38,357 करोड़ का संचयी उत्पादन और बाह्य संसाधनों से ₹ 54,504 करोड़ प्रक्षेपित किया और पूंजीगत परियोजनाओं में ₹ 92,860 करोड़ के निवेश की योजना तैयार की। उत्पाद - ₹ 23,091.40 करोड़; विकास/मूल्य निर्धारण -₹ 6,585.75 करोड़; अन्वेषण- ₹ 16,600.50 करोड़; और नये उपक्रम/अर्जन- ₹ 46,582.80 करोड़।
15.	एनटीसी	एनटीसी प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट तैयार करता है जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है। 31 मार्च 2012 तक, कंपनी के पास ₹1,680.57 करोड़ का नकद बैलंस है और मार्च 2013 तक खर्चों का कुल ₹ 98.41 करोड़ की हानि के होने का अनुमान लगाया। इसने ₹ 528.80 करोड़ के अधिशेष को छोड़कर ₹ 1053 करोड़ के पूंजीगत व्यय की योजना बनाई। पूंजीगत व्यय मुख्यतः पुरानी मिलों के पुनः निर्माण के लिए है।
16.	गेल	31 मार्च 2012 तक, कंपनी के पास ₹ 931.33 करोड़ का नकद बैलंस है और इसने 2017 तक आंतरिक संसाधनों से ₹ 14,878 करोड़ और बाह्य संसाधनों से ₹ 18,350 करोड़ के संचयी उत्पादन का अनुमान लगाया कंपनी ने 2017 तक पूंजीगत परियोजनाओं में 29,963.93 करोड़ के निवेश की योजना बनाई। पाईप लाइन परियोजनाएं- 13,871.75 करोड़; पैट्रोकैमिकल्स परियोजनाएं- 7,200.77 करोड़; अन्य पूंजीगत परियोजनाएं- 5,584.55 करोड़ आदि।
17.	एनएचडीसी	₹ 2000 करोड़ के संभावित इक्विटी साझेदारी के साथ मध्य प्रदेश में 1320 मै.वा. रेवा थर्मल पावर परियोजना की योजना बनाई गई। बोर्ड ने जून 2009 में योजना को स्वीकृति दे दी। कोयला संयोजना के लिए, परियोजना, पर्यावरण प्रभाव आकलन (इआईए)/पर्यावरण प्रबंधन योजना (इएमपी) अध्ययन के डीपीआर को

		अंतिम रूप देने का कार्य और ईंधन और यंत्रों के परिवहन हेतु रेल संयोजन को 2010 तक रोक दिया गया। इसके अतिरिक्त, कंपनी के लिए 2012-17 हेतु कोई अन्य पूंजीगत निवेश योजना नहीं है।
18.	एनएचपीसी	आंतरिक स्रोतों, गौण ऋणों और ऋणों का प्रयोग करते हुए वर्तमान/नई परियोजनाओं में 2017 तक ₹ 29,000 करोड़ पूंजीगत अनुबंध हैं। मुख्य परियोजना सलाल, यूरी-II, चमेरा-I, II और III, पर्बती- II और III, तिस्ता लो डैम- III और IV ,नीमो बाजगो, चुटक आदि।
19.	पॉवर ग्रिड	2012-17 के दौरान, कंपनी ने पूंजीगत कार्यों में ₹ 1,02,034 करोड़ की राशि के निवेश की योजना बनाई जिसे आंतरिक संसाधनो द्वारा ₹ 26,124 करोड़ नई इक्विटी के जारी करने से ₹ 4,486 करोड़, घरेलू उधारों से ₹ 57,370 करोड़ और बाह्य उधारों से ₹ 14,054 करोड़ सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा।
20.	एसजेवीएन	कंपनी ने 2017 तक आंतरिक और बाह्य बजटरी संसाधनों से ₹ 10,400 करोड़ का अनुमान लगाया और 2017 तक ₹ 10,400 करोड़ के निवेश की योजना बनाई।
21.	एनटीपीसी	कम्पनी ने 2012-17 के दौरान पूंजीगत कार्य (42 चालू और 12 नई परियोजनाएं) पर ₹ 2,19,613 करोड़ की राशि लगाने का अनुमान लगाया। सोलापुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एसटीपीपी) 1,320 मै.वा.- ₹ 10,509 करोड़; कुडगी एसटीपीपी, 2400 मै.वा.- ₹ 16911 करोड़; बरेथी एसटीपीपी 3,960 मै.वा.- ₹ 25,515 करोड़; गिइडरबाहा एसटीपीपी 2640 मै.वा.- ₹ 17,776 करोड़; नबिनगर एसटीपीपी 1980 मै.वा.- ₹ 12,965 करोड़; बार्ह थर्मल पावर प्रोजेक्ट - ₹ 6,498 करोड़ (चालू); मौडा एसटीपीपी - ₹ 4,137 करोड़ (चालू); एसआरएचक्यू हैदराबाद - ₹ 6,458 करोड़ (चालु) आदि .
22.	आरइएनएल	कम्पनी ने 12 वीं योजना के लिए 2012-17 के दौरान ₹ 11,183 करोड़ की राशि की भविष्य में व्यय की स्वीकृति दी। यह निधिकरण ₹ 4,965 करोड़ के आंतरिक निधिकरण, वित्तीय संस्थानों से ₹ 5,950 करोड़ के ऋण और सेनवेट के ₹ 268 करोड़ के विस्तार से राहत के माध्यम से करना प्रस्तावित हुआ। 6.3 एमटीपीए का विस्तार - ₹ 2,809 करोड़; ब्लास्ट फर्नेस 1 और 2 श्रेणी 1 मरम्मत - ₹ 1,760 करोड़; सीमलेस ट्यूब मिल - ₹ 2,512 करोड़ 11 एमटीपीए का विस्तार - ₹ 600 करोड़ आदि

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	मुख्य योजना
23.	केआईओसीएल	31 मार्च 2012 को , कम्पनी के पास ₹ 1,464.54 करोड़ की शेष नकदी है और इससे 2017 तक बाह्य संसाधनों से ₹ 3,080 करोड़ और आंतरिक संसाधनों से ₹ 2,780 करोड़ का संचयी उत्पादन प्रक्षेपित हुआ। कोक ओवन प्लान्ट (3 एलटीपीए) - ₹ 452 करोड़; मैंगलोर में थोक सामग्री प्रहस्तरण टर्मिनल को बनाने और रेलवे साइडिंग्स का विकास - ₹ 303 करोड़; समनदुर्द माइन्स का विकास - ₹ 900 करोड; लचीली स्पन पाइप प्लांट - ₹ 309 करोड़; जेवी पाट्नर, कर्नाटक सकरार के साथ एकीकृत स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए शेयर - ₹ 483 करोड; कुद्रेमुख में पारिस्थितिकी पर्यटन - ₹ 100 करोड़ आदि
24.	ओएमडीसी	ओएमडीसी के पास मार्च 2012 को ₹ 701 करोड़ का नकद अधिशेष था, अधिशेष के उपयोग के लिए कोई निर्धारित बोर्ड द्वारा स्वीकृत योजना नहीं थी। यह भविष्य के उत्पादन और बहिर्प्रवाह, को प्रक्षेपित नहीं करता हालांकि, यह 2012-16 के दौरान लाभकारी संयंत्र की स्थापना में ₹ 404 करोड़ और पेलैटीसेशन संयंत्र की स्थापना के लिए ₹ 774 करोड़ के निवेश की योजना बनाता है।
25	सेल	31 मार्च 2012 को, कम्पनी के पास ₹ 6,415 करोड़ की शेष नकदी थी और 2017 तक ₹ 29,400 करोड़ का संचयी आंतरिक उत्पादन प्रक्षेपित करता है। बाह्य ऋण से घाटे को पूरा करने के लिए 2017 तक ₹ 45,000 करोड़ का निवेश करने की योजना बनाई।
26.	नाल्को	31 मार्च 2012 को, कम्पनी के पास ₹ 4,168,35 करोड़ का बैंक शेष और नकद था और इससे 2017 तक ₹ 13,098.83 करोड़ का संचयी आंतरिक उत्पादन प्रक्षेपित हुआ। कम्पनी ने बाह्य स्रोतों से शेष के निधिकरण द्वारा 2017 तक ₹ 14,233 करोड़ के निवेश की योजना बनाई। मुख्य परियोजनाएं हैः ग्रीन फील्ड परियोजनाएं और विस्तार योजनाएं (₹ 6,026 करोड़) पोटांगी बोकसाइट माइन (चरण III) और 5वीं स्ट्रीम रिफाइनरी (₹ 2,708 करोड़); पावर प्लांट (चरण III -2 x 250 मै.वा.) (₹ 2,221 करोड़)।
27.	एनपीसीआईएल	12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कम्पनी ने आठ परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव दिया-चार इंडीजीनियस हैवी वाटर रिएक्टर परियोजनाएं (i) गोरखपुर (2 x 700); (ii) चुटक (2x700); (iii) माही बंसवारा (2x700); (iv) कैगा-5 और 6 (2x700); अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ चार हल्के वाटर रिएक्टर परियोजनाएं (कुंडनकुलम (2x1000); (ii) जैतापुर (2x1650); (iii) मिथि

		विरदी (2×1100); (iv) कोब्बाडा (2×1500)
28.	इरकॉन	इरकॉन ने बीओटी आधार पर नई लाइनों/दोहरीकरण/गेज रूपांतरण पर परियोजनाओं के निष्पादन में ₹ 2,619 करोड़, ₹ 35 करोड़ निवेश सहायक और ₹ 300 करोड़ शेयर के रूप में विशेष परियोजन वाहन में निवेश करने की योजना बनाई।